(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 3] विधान सभा के तृतीय सत्र का 8 वां दिवस [संख्या 6

सोमवार
दिनांक 21 सितम्बर, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई,
अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न – श्री नाथूसिंह ।

शारदा एक्ट के अन्तर्गत दर्ज एफ. आई. आर.

1. **श्री नाथूसिंह (बान्दीकुई) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व मंत्रिमण्डल के एक सदस्य श्री नानालाल की पुत्रियों के विवाह के संबंध में शारदा एक्ट के अन्तर्गत कोई एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई थी ?

(2) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार इस मामले को समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

राज्य मंत्री गृह, (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जी हां।

(2) अन्वेषण जारी है ।

(3) जी नहीं ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जो एफ. आई. आर. दर्ज कराई थी वह कब कराई गयी और किन नियमों के तहत कराई गई ? दूसरे इस विवाह में कितने लोग सम्मिलित हुए . . .

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं । आपने एफ. आई. आर. के बारे में पूछा था।

श्री नाथूसिंह : सप्लीमेंट्री तो पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंट्री इसी में से पूछें ।

श्री नाथूसिंह : अच्छा, अध्यक्ष महोदय ।

क्या इस विवाह में खनिज विभाग की गाड़ियां और सरकारी . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । इसमें आप विषय से अलग हो रहे हैं। आपने पूछा है कि शारदा एक्ट के नीचे कोई एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई थी ? और यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या राज्य सरकार इस मामले को समाप्त

(श्री अध्यक्ष)
करने पर विचार कर रही है ? इसके बारे में पूछ लें ।

श्री नाथूसिंह: इसी संबंध में पूछ रहा हूं। जो एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई पुलिस स्टेशन में तो क्या वहां के सहायक इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना किया ? यदि किया, तो उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : सहायक इन्सपेक्टर के बारे में जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार उसने ना नहीं की है । इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री नाथूसिंह : किन किन लोगों के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज की गयी और कब की गयी ? गिरफतारी हुई या नहीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : 22-5-81 को एफ. आई. आर. पुलिस स्टेशन रेलमगरा में दर्ज की गयी लड़कियों के अभिभावकों के खिलाफ ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकर्ता ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): शारदा एक्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की क्या ? इनको अरेस्ट क्यों नहीं करवाया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता ।

श्री भगवानदास शास्त्री : उनके पिता यानि वर के पिता या वधु के पिता को हिरासत में क्यों नहीं लिया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई थी, मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं कि किन-किन लोगों के विरुद्ध कराई गई और क्या उन लोगों के पुलिस ने बयान ले लिये हैं और इस संबंध में आगे अभी कहां तक कार्यवाही हुई है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने आपसे निवेदन किया कि लड़कियों के अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है....

श्री नाथूसिंह : नाम बतायें ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने अभिभावक कहा है।

श्री नाथूसिंह : नाम बतायें अभिभावकों के ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया अभिभावक । अब आप खुद ही अभिप्राय लगा लीजिये.....

श्री अध्यक्ष : मुल्जिम के नाम बतायें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो एफ. आई. आर. दर्ज की गई है वह किसी के नाम से नहीं की गयी है । यह अभिभावकों के खिलाफ की गयी है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभिभावक कौन है, यह बताइये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह सबको मालूम है ।

श्री नाथूसिंह : मालूम नहीं है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अभी यह मामला जेर तफतीश है कि अभिभावक श्री नानालाल जी हैं या नानालाल जी के भाई हैं या उनके फादर हैं । उसके बारे में तफसीश जारी है

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

और उनके बयान लिये जा रहे हैं। यही तो मैं निवेदन कर सकता हूं आपको इस संबंध में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री नाथूसिंह : उसमें किस कानून का उल्लंघन हुआ, शारदा एक्ट का या गैस्ट कन्ट्रोल आर्डर का और कई लोगों के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई? मैं निवेदन करूंगा कि उनके नाम बताइये और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्योंकि जब शादी हुई उस समय पुलिस को क्या शादी की सूचना नहीं थी? और, सूचना थी तो जिलाधीश या जो भी संबंधित व्यक्ति थे उन्होंने उस समय क्या कार्यवाही की?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि जहां तक गैस्ट कन्ट्रोल आर्डर का सवाल है इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया था तो उसका उत्तर देने में तो मैं असमर्थ हूं। गैस्ट कन्ट्रोल आर्डर के वायोलेशन का प्रश्न है उसका तो जवाब इस समय नहीं दे पाऊंगा। दूसरे मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो एफ. आई. आर. लाज की गयी है उसके लिए बता दिया कि अभिभावकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गयी है, पुलिस स्टेशन रेलमगरा के अन्दर दर्ज कराई गई है, वहां के सी. ओ. द्वारा दर्ज कराई गई है और उसमें और किसी का नाम नहीं है। अब तक जो तफतीश की गयी है, स्कूल के सर्टीफिकेट लिये गये हैं, उनके पिता हैं उनके बयान लिये गये हैं और कुछ और बयान लिये गये हैं, नानालालजी के भाई के बयान लिये गये हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह शादी किस तारीख को हुई? इसकी एफ. आई. आर. किस तारीख को दर्ज हुई? इसके साथ ही क्या उस शादी के मौके के समय वहां के पुलिस अधिकारी मौजूद थे? पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इस प्रकार का बाल विवाह हो और पुलिस उस पर कतई एक्शन नहीं ले क्या यह राजनैतिक दबाव के कारण नहीं हुआ? आप बताइये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, तारीख 17 मई को यह शादी हुई और 27 मई को एफ. आई. आर. दर्ज हुई। जहां तक पुलिस के अधिकारियों की उपस्थिति का प्रश्न है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं एक बात और इस अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कि मैंने इसका काफी गहन अध्ययन किया है। सैक्शन 5 और 6 of the Child Marriage Act में इन्वाइटीज के ऊपर कोई जिम्मेदारी किसी किस्म की नहीं है चाहे वह कोई अधिकारी हो, चाहे आप हों या मैं हूं। इस किस्म के अवसर पर अतिथि के हैसियत से उपस्थित होते हैं। मद्रास और बाम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग है कि इनवाइटी की कोई जिम्मेदारी किसी किस्म की नहीं है। वैसे मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि रेकार्ड में नहीं है कि वहां कौन कौन लोग उपस्थित थे। इसलिये इस बारे में निश्चित कहने में मैं असमर्थ हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या एक श्री रामचन्द्र एडवोकेट हैं उनके द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई और उसके बाद ही यह प्रक्रिया चली है?

Page No. 4

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह प्रक्रिया तारीख 22 मई को प्रारम्भ हो गयी थी । श्री रामचन्द्र एडवोकेट ने कम्पलेंट फाइल की थी वह 26 तारीख को फाइल की गयी थी।

श्री नाथूसिंह : 17 मई को शादी हुई और 27 को एफ. आई. आर. दर्ज हुई तो यह दस दिन की देरी से एफ. आई. आर. क्यों दर्ज हुई ? उसका कारण बतायें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमन्, यह तो आपको मालूम ही है कि 17 तारीख के बाद कुछ दिन, चार-पांच दिन इस बारे में अखबारों में बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा हुई इस शादी को लेकर । उन अखबारों की खबर के आधार पर पुलिस हैडक्वार्टर द्वारा एस. पी उदयपुर को लिखा गया और एस. पी., उदयपुर passed it on to the C. O., Relmagra. उन्होंने तफतीश कराके तारीख 27 को एफ. आई. आर. दर्ज कराई ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । माननीय सदस्य । एक प्रश्न की इजाजत दूंगा ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या यह सच है कि शादी के पूर्व भी पुलिस अधिकारियों और जिला अधिकारियों को सूचना दी जा चुकी थी कि यह बाल विवाह होने वाला है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस बात की कोई जानकारी रेकार्ड के आधार पर नहीं है । मैंने कुल रेकार्ड मंगाकर देख लिया । किसने जानकारी दी, आप नाम बता सकें तो मैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर लूंगा कि शादी से पूर्व किसी व्यक्ति को यह सूचना दी गयी थी या नहीं ।

श्री नाथूसिंह : 15 दिन पूर्व आपने एक गांव, जहां विवाह हुआ था में, तो आपने लोगों को गिरफ्तार कर लिया और चूंकि यह राज्य मंत्री थे और एक बहुत बड़े ओहदे पर थे इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की । जोधपुर में जितने भी बड़े पुलिस अधिकारी थे, वहां का जितना प्रशासन है, वहां पर मौजूद था । मंत्री महोदय स्वयं मौजूद थे और विधान सभा के कई सदस्य उसमें मौजूद थे । इन सबकी मौजूदगी होते हुए कानून के आधार पर आप उन सबके खिलाफ क्या कार्यवाही करने वाले हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि एक्ट की धारा 5–6 के अनुसार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता । कानूनन स्थिति यह है, किन्तु प्रश्न काल में इसकी विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर सकता । मेरे पास एक्ट मौजूद है, मद्रास हाई कोर्ट और बाम्बे हाई-कोर्ट के रूल्स मौजूद हैं । मैंने पूर्व में निवेदन किया कि कौन-कौन से व्यक्ति उपस्थित थे, इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विवाह के अन्दर खनिज विभाग की गाड़ियां प्रयोग में लाई गईं । जो चीनी जोधपुर में थी वह चीनी दूसरी जगह ले जाई गई और कई वस्तुयें वहां बिना परमिट के भेजी गईं । यह सारा

Page No. 5

(5)

(श्री नाथूसिंह)
मामला क्या कानूनी रूप से हुआ है? 15 तारीख की शादी थी और एफ. आई. आर. 27 तारीख को दर्ज कराई गई, ऐसा क्यों हुआ?

श्री अध्यक्ष : यह बात पूर्व में आ गई है। आप स्थान ग्रहण करें।

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2।

चरागाह भूमि के आवंटन पर रोक

2 श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में चरागाह की भूमि का भी आवंटन किया गया है? यदि हां, तो कहां कहां, किस किस को कितनी कितनी भूमि? कृपया जिलेवार विवरण सदन के पलट पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ऐसी आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने का विचार रखती है?

(3) भविष्य में चरागाह की भूमि को आवंटित न किये जाने के बारे में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है?

सिंचाई मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3।

नवीन विद्यालय सृजन का माप दण्ड

3. श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत दो वर्षों में किस किस विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा किन-किन विद्यालयों में अतिरिक्त विषय खोले गये? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन गत दो वर्षों में स्कूल खोलने के माप दण्ड क्या रहे? क्या उन मापदण्डों का पालन किया गया था।

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) सन् 1979-80 तथा 1980-81 में राज्य में खोले गये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जिले वार सूचना सदन के पलट पर रख दी गई है।

इन वर्षों में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खोले गये अतिरिक्त विषयों की जिलेवार सूची भी सदन के पलट पर रख दी गई है।

(2) गत दो वर्षों में राज्य सरकार ने स्थानीय मांग, भवन व्यवस्था, जनसंख्या व आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए विद्यालय खोले हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि 79 में आपने किन आधारों पर स्कूल खोले, यह इसमें नहीं बताया गया है।

श्री चन्दनमल बैद : जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया कि नये विद्यालयों को खोलते

(श्री चन्दनमल बैद)
समय यह दृष्टिकोण रहा है, कि विद्यालय भवन उपलब्धि पर्याप्त विद्यार्थियों की संख्या। संभवतः कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या, स्थानीय मांग आदि अनेक मांगों को ध्यान में रखते हुए हमने दोनों वर्षों में विद्यालय खोले हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि 1979-80 में व 1980-81 क्या इन दोनों वर्षों में आपका मापदण्ड एक ही था, यह बतायें।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि स्थानीय मांग भवन की उपलब्धि, विद्यार्थियों की संख्या, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने गत दो वर्षों में स्कूल खोले।

श्री भंवरलाल शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न विधान सभा क्षेत्र अनुसार था, मंत्री महोदय ने उत्तर विधान सभा क्षेत्र के अनुसार न देकर जिलावार दिया है। दूसरे मैंने प्रश्न किया था कि आपका स्कूल खोलने का माप दण्ड क्या था ? ये बात आप सदन के समक्ष नहीं रख सकते थे। इसलिये आपने यह सूचना सदन को नहीं दी, इसको टाला गया है और असली सूचना नहीं दी गयी है। उसका उदाहरण आपने जो सूची दी है, उससे भी स्पष्ट है। भरतपुर में आपने 80-81 में 31 माध्यमिक विद्यालय खोले हैं, कोटा में आपने केवल 6 माध्यमिक विद्यालय खोले हैं और जैसलमेर, जहां से आपका कोई व्यक्ति जीत नहीं पाया, में आपने एक भी स्कूल नहीं खोला है। यह भेदभाव क्यों है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): आप के जयपुर में कितने खोले थे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जैसे मैंने अभी तीन स्थानों के नाम गिनाये हैं, जैसलमेर में आपने कोई स्कूल नहीं खोला है। आपने जो सूची सदन में रखी है स्कूल खोलने की उससे स्पष्ट है कि आप पक्षपात कर रहे हैं।

श्री चन्दन मल बैद: ऐसा है अध्यक्ष महोदय, हर विधान सभा क्षेत्र में कितने विद्यालय खोले गये, इसको इस वक्त सदन में बताना कठिन है, क्योंकि इतने क्षेत्रों में कितने स्कूल खुले इसको याद करना असम्भव है। इसका जवाब मेरे पास आ गया है। मुझे उसको देने में कोई ऐतराज नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र के अनुसार इनके पास रिकार्ड तो है, और कह रहे है कि मेरे पास समय नहीं है, हालांकि इनके पास समय भी है। लगता है इन्हें सूची देने में तकलीफ हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, तकलीफ का प्रश्न नहीं है। जयपुर में 117 प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं। जयपुर में किस विधान सभा क्षेत्र में कितने स्कूल खोले गये उसको बताने में समय लगेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा): आप सरकार चला रहे हैं या मजाक कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद: मजाक तो आप कर रहे है.....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : कोटा में तीन प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं,

(श्री दाऊदयाल जोशी)
जैसा कि अभी आपने कहा लेकिन उनमें से एक भी स्कूल प्राइमरी नहीं है। जिस जगह ये खुले हैं उसका नाम है दगाइचीं। ये तीनों स्कूल कोटा जिले में नहीं आते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपको बता रहा हूं कि इस साल स्कूल नहीं खोले गये हैं। केवल 77 में जो स्कूल कांग्रेस सरकार ने खोले थे, आपने उन स्कूलों को अनधिकार रूप से निरस्त कर दिया था . . .

श्री दाऊदयाल जोशी: और वे फिर आपने खोल दिये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जैसा उप मंत्री महोदय ने एक क्राइ-टेरिया बताया और शिक्षा मंत्री जी ने दूसरा क्राइटेरिया बताया, यह आपके समझने का फर्क है। आप फिर समझने की कोशिश कीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : प्रश्न तो करने दीजिये।

श्री चन्दन मल बैद: प्रश्न क्या करने दें, गलत प्रश्न करते हो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, गलत चीज तो सामने है। प्रश्न-कर्ता ने बार-बार मंत्री महोदय से पूछा, दोनों वर्षों में क्या माप दण्ड एक था। उन्होंने हां या ना नहीं कहा और बार-बार घूम कर वही बात कहने लगे। अब मंत्री महोदय कहने लगे तो कहा हमने 77 में खोले . .

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जन प्रतिनिधियों की बैठक में चार क्राइटेरिया के आधार पर स्कूल खोलने की बात हुई थी और सब लोगों से नाम भी लिये गये थे। . . . .

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है। इस साल खोलें नहीं हैं।

श्री चन्दनमल बैद: आप जैसे मंत्री रह कर यह हो गया।

श्री अध्यक्ष: एक या दो प्रश्न पूछे जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : केवल राजनैतिक आधारों पर स्कूल खुले हैं . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण नहीं, माननीय सदस्य। श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं। प्रश्न-कर्ता महोदय ने समूचे भरतपुर का नाम लिया है। मैं इतनी जानकारी करना चाहता हूं कि भरतपुर में यह किस तहसील में सबसे ज्यादा खोले गये हैं।

अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री राजबहादुर: तहसील वैर में सबसे अधिक खुले हैं . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

Page No. 8

(8)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मैं शिक्षा मंत्री जी से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : 34 प्राइमरी, स्कूल और 17 मिडिल स्कूल माननीय मंत्री महोदय ने एक ही जगह....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस तरह उत्तर नहीं आ सकता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने विश्वास दिलाया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एक माननीय सदस्य को एक पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत देता हूं। आप सब इस तरह से बोलेंगे तो कोई उत्तर नहीं आयेगा।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम नहीं पुकारा है। कुमारी पुष्पा।

(व्यवधान)

पहले मंत्री महोदय का उत्तर आने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : आपने जो स्कूल खोले हैं उनकी सूची दे दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न 79-80, 80-81 का है। इस साल का प्रश्न नहीं है। प्रश्न पूछा गया है गत दो साल 79-80, 80-81 का। 79-80 में जो स्कूल खुले हैं वह तो उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं उनकी पार्टी ने खोले हैं। 80-81 के स्कूल हमारी पार्टी ने खोले हैं। पूछने का उनका मतलब है, दोनों में क्राइटेरिया में फर्क था। मेरा निवेदन है कि क्राइटेरिया एक ही है। अगर किसी ने उनका उल्लंघन किया है तो जांच हो सकती है लेकिन क्राइटेरिया एक है। अब प्रश्न जो पूछे रहे हैं वह 81-82 का पूछ रहे हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि जनता पार्टी के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 81-82 के लिये चन्दनमल जी कुछ कह रहे हैं और श्रीमान् कल्ला साहब कुछ कह रहे हैं। तो यह 81-82 का प्रश्न नहीं है। 79-80, 80-81 में क्राइटेरिया एक ही था। जहां तक 81-82 का सवाल है अभी तक स्कूल नहीं खोले हैं। 80-81 जो में खोले गये हैं उनको रिवाइज किया गया है। उस समय तो शिक्षा मंत्री जी उधर के थे .....

एक माननीय सदस्य : हां हां ......

श्री चन्दनमल बैद : हां हां, क्या।

(व्यवधान)

चतुर्वेदी जी ने खोले हैं 400 स्कूलें..

(व्यवधान)

बार-बार कहने के बाद भी उस समय के शिक्षा मंत्री जी यह जोर दे रहे हैं कि आप कुछ कह रहे हैं, और ये कुछ कह रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिये। प्रश्न 81-82 का नहीं है। प्रश्न 80-81 का है तो फिर आप उसमें क्या सहयोग कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : कुमारी पुष्पा

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, अभी दिनांक 5-9-81 को जिलाधीश महोदय के माध्यम से जिले के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई थी और स्कूल खोलने के लिये कहा गया था। अपना अपना क्राइटेरिया जो जिलाधीश महोदय के द्वारा दिया गया है उस क्राइटेरिया के तहत जब प्रतिनिधि स्थान का चुनाव करके आयें और जो क्राइटेरिया ले गये उससे पहले ही सीनियर इन्सपेक्टर ने खड़े होकर स्कूलों की घोषणा कर दी कि कितने-कितने स्कूल खोले जा चुके हैं....

श्री अध्यक्ष : 81-82 से है, माननीय सदस्या, इसका सम्बन्ध।

सुश्री पुष्पा जैन : 81-82 से है। मेरा निवेदन है, क्यों तो उन माननीय सदस्यों को जिलाधीश के माध्यम से बुलाया गया और यदि बुलाया गया था तो फिर उससे पहले ही क्यों सीनियर इन्सपेक्टर द्वारा घोषणा की गई ?

श्री चन्दनमल बैद : प्रश्न ही अलग है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। क्या आपके पास ऐसी कोई....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपका प्रश्न बड़ा स्पष्ट है लेकिन इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : आपने अभी-अभी कहा है, 77 में जनता सरकार ने मनमाने तरीके से स्कूल खोले हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपकी जानकारी के लिये बताना चाहती हूं, जो माननीय सदस्य शेरगढ़ से आने वाले हैं उनके क्षेत्र में जनता सरकार ने 5 सैकन्डरी स्कूल खोले हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, क्यों जिलाधीय महोदय की मीटिंग में बुलाकर जन प्रतिनिधियों, जो जनता को रिप्रंजेन्ट करते हैं, को बुलाकर उनकी राय को न मानकर और उनसे बिना पूछे ही मनमाने तरीके से स्कूलों की घोषणा कर दी गई ? आपको स्कूल यों ही खोलने थे तो क्यों जन प्रतिनिधियों को बुलाया गया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : 7 मिडिल स्कूलों की सूचना देकर जिलाधीश महोदय की मीटिंग में बुलाया और बुलाकर बिना पूछे ही सीनियर इन्सपैक्टर के द्वारा घोषणा करवा दी गई।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्या जनता सरकार ने राजनैतिक आधार पर जिन क्षेत्रों को बिलकुल इगनोर कर दिया स्कूल खोलने में, अब आप क्या उनको प्राथमिकता देंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मोदी जी को प्रश्न पूछने की इजाजत दी जा चुकी है....

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, मैंने श्री मोदी का नाम पुकारा है ।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण कीजिये । आर्डर प्लीज । श्री मोदी ।

(व्यवधान)

पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री मोहनलाल मोदी : आपकी वह स्थिति है, आपकी मैं पोल खोलना चाहता हूं

(व्यवधान)

आप बिल्कुल दबा नहीं सकते ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे नियमों को ताक पर रख कर इस तरह से स्कूल खोले गये हैं, स्कूल खोलने के बाद समिति की मीटिंग बुलाई गयी है केवल इसलिये कि हम लोगों की छाप लगवा लें और अधिक स्कूल खोल दिये गये । मैं समझती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस संबंध में पुनः विचार करने की कृपा करेंगे । मैं कहना चाहूंगी ......

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कि कितने ही···

श्री अध्यक्ष : समय जा रहा है सदन का । आप बार-बार · · ·

(व्यवधान)

उस वक्त तो दाऊदयाल जी से वार्तालाप कर रहे थे । एक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्री महोदय ने 77 में······

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

इस तरह से उत्तर नहीं आयेगा । अगला प्रश्न । श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने · · ·

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये । अगला प्रश्न पुकार लिया गया है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने प्रश्न किया है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक प्रश्न पूछूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा । कृपया बैठ जायें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं · · ·

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया । आर्डर आर्डर ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने अप्रासंगिक लोगों को तो मौका दे दिया ।

श्री अध्यक्ष : ये प्रश्न ऐसे ही रह जायेंगे । मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता को तो मौका दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

Page No. 11

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत छोटा सा सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : ये मेरे अधिकारों का हनन होगा ।

श्री अध्यक्ष : कोई हनन नहीं होगा ।

(व्यवधान)

आपको मौका दे दिया । 15 मिनट हो गये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे आपने मौका नहीं दिया ।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : इनकी नीति क्या है स्कूल खोलने की ? आप यहां, अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में भी बोलने नहीं देंगे . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी । मैं आगे इजाजत नहीं दूंगा । आप पूछ नहीं रहे हैं । मैं अब इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूं . .

श्री अध्यक्ष : उत्तर नहीं आयेगा, माननीय सदस्य । श्री घनश्याम तिवाड़ी । घनश्याम तिवाड़ी के न बोलने पर श्री यदुनाथसिंह ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो काइटेरिया बनाया है, आप उस काइटेरिया . . .

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह

(व्यवधान)

पथ परिवहन निगम के एकीकृत बस स्टैण्ड्स

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर नगर में पथ परिवहन निगम का कोई एकीकृत बस स्टैण्ड नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) वर्तमान शहर में किन-किन स्थानों पर बस स्टैण्ड है तथा क्या उन स्थानों पर शौचालय, पेशाबघर एवं यात्रियों की सुविधा हेतु टिन शेड आदि नहीं हैं ?

(3) क्या पथ परिवहन निगम एक ही स्थान पर बस स्टैण्ड रखने का विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक, किस स्थान पर एवं कितनी लागत पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) राज्य में एक लाख से ऊपर आबादी वाले कितने शहरों में एकीकृत बस स्टैण्ड नहीं हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा है । ये बीच में बोल रहे हैं तो मैं कहां से पूछूंगा । यह क्या मतलब है, इस प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय को देना पड़ेगा ।

राज्य मंत्री, यातायात, (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां । उपयुक्त भूमि के अभाव में एकीकृत बस स्टैण्ड का निर्माण संभव नहीं हो सका ।

(2) सीकर शहर में जन-सुविधा की दृष्टि से निम्न स्थानों पर बस स्टैण्ड

Page No. 12

(17)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

स्थापित किये गये हैं :–

1) सीकर-जयपुर रोड पर कल्याण सर्किल के पास रींगस जयपुर साइड जाने वाले यात्रियों के लिये ।

2) शहर के मध्य दयाल बाबा रेस्टोरेन्ट (स्टेशन रोड) के सामने वाली गली में लक्ष्मणगढ़; फतेहपुर, चूरू, रतनगढ़, बीकानेर, झुंझुनू तथा लुहारू की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिये ।

3) नगर परिषद् कार्यालय के पास सालासर, सुजानगढ़, छापर, बीदासर, लाडनूं तथा बीकानेर की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिये ।

4) रेलवे स्टेशन के सामने उदयपुर वाटी नीम का थाना, खेतड़ी तथा खण्डेला की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिये ।

5) रामलीला मैदान के पास लोसल, डीडवाना, नागौर तथा जोधपुर की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिये ।

उक्त (अस्थाई बुकिंग कार्यालयों) बसस्टैण्ड्स में से केवल क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित स्थानों पर छाया की व्यवस्था हेतु टिन शैड बनाये हुए हैं तथा पर्याप्त स्थान के अभाव में अन्य स्थानों पर ऐसी व्यवस्था संभव नहीं हो सकती तथा पर्याप्त स्थान के अभाव में ही शौचालय तथा मूत्रालयों की व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

(3) जी हां । निगम की सीकर आगार स्थित कार्य शाला के सामने खाली भूमि पर एकीकृत बस स्टैण्ड के निर्माण की योजना है । जिस पर अनुमानतः 10 लाख रुपये की राशि खर्च होना संभावित है । निगम की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर इसका निर्माण करवा दिया जायेगा ।

(4) राज्य में एक लाख से ऊपर आबादी वाले सीकर व बीकानेर शहरों में एकीकृत बस स्टैण्ड नहीं हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदाय से पूछना चाहूंगा कि जो 5 जगह बतायी हैं, वहां सड़कों पर बस स्टैण्ड बने हुए हैं और एक भी जगह शौचालय, पेशाबघर और टिन शैड नहीं है । वहां औरतें गर्मी में पड़ी रहती हैं । एक जगह शौचालय व बाथरूम था उसको नगर परिषद् वाले तोड़ कर उठा ले गये । इससे यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है । चारों बस स्टैण्डों में 3-3, 4-4 किलोमीटर का अन्तर है । एक यात्री को बस बदलने के लिये तीन-चार रुपये खर्च करके जाना पड़ता है । नागौर से जयपुर के लिये कई जगह जाना पड़ता है । आज से चार साल पहले जमीन ली हुई पड़ी हुई है लेकिन अभी तक बस स्टैण्ड नहीं बनाया जा रहा है । एक भी जगह लैट्रिन, बाथ रूम और टिन शैड नहीं है । वहां 200 बसें रोज आती हैं ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य को मैंने सूचित किया है कि शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है, यह तो स्वीकार किया है । इसकी व्यवस्था करने के लिये, मैंने जैसा कहा, वहां पर आगार के वर्कशॉप के सामने वाला एकीकृत बस स्टैण्ड बनाने का प्रश्न विचाराधीन है । जल्दी ही उसके ऊपर निर्माण कराने की कार्यवाही की जायेगी, बशर्ते कि कॉरपोरेशन की वित्तीय स्थिति ठीक हो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ठीक कब तक होगी। हजारों आदमियों को गर्मी में पड़े रहना पड़ता है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने जैसा, माननीय सदस्य, आपको बताया, एक लाख से अधिक आबादी के दो शहर ऐसे हैं, जहां एकीकृत बस स्टैण्ड नहीं है, बीकानेर और सीकर में। उनके अन्दर बस स्टैण्ड बनाने की कार्यवाही शीघ्र शुरु की जायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस वित्तीय वर्ष में बना सकेंगे या नहीं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह तो कहने की स्थिति में नहीं हूं मैंने कहा, शीघ्र ही चालू कार्य किया जायेगा

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शीघ्र से क्या मतलब है, यात्रियों से कोई मतलब नहीं है। यात्री कहां बैठेंगे कोई लैट्रिन, बाथरूम और टिन शैड नहीं है। कम से कम टिन शैड तो बनवायें, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, चाय पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइन लगाकर धूप में खड़े रहते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इन स्थानों पर सुविधा जल्द उपलब्ध करायी जायेगी। शीघ्र ही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कब कराएंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : शीघ्र ही। मैं आश्वासन दे रहा हूं तो शीघ्र का मतलब यही है कि शीघ्र।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर में एकीकृत बस स्टैण्ड के नही होने से···

श्री अध्यक्ष : बीकानेर का यह प्रश्न नहीं है। सीकर का प्रश्न है······

श्री देवीसिंह भाटी : बीकानेर और सीकर दो जगह ही ऐसी हैं जहां पर एकीकृत बस स्टैण्ड नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप पहले मेरा प्रश्न तो पूरा सुनिये।

श्री अध्यक्ष : सुन लिया है। यह बीकानेर का प्रश्न नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में भी सैकड़ों बसें रोज चलती हैं एक जगह पर बस स्टैण्ड नहीं होने से यात्रियों को बहुत तकलीफ होती है·····

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या कांग्रेस की रैली में जो बसें गई थीं उनका किराया मिलने पर बस स्टैण्ड बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

(व्यवधान

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, शीघ्र से आपका तात्पर्य क्या है ? आपने कहा कि शीघ्र बना देंगे तो आपका तात्पर्य क्या है ?

प्रश्न संख्या 5

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

(अनुपस्थित : क्र 54 आगे देखे)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 6

श्री बहादुरसिंह ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 7

श्री नन्दलाल मीणा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री महावीरप्रसाद ।

टौंक घंटाघर से लेकर बड़े कुए तक सड़क निर्माण

8. श्री **महावीरप्रसाद जैन** (टौंक) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या मुख्य मंत्री महोदय ने दिनांक 30 अगस्त, 81 को टौंक के दौरे के समय जिलाधिकारियों, सांसदों व विधायकों की मीटिंग में घंटाघर से लेकर बड़े कुएं तक सड़क बनाने के तुरन्त प्रभाव से आदेश दिये थे तथा टौक शहर की भारी गन्दगी की 7 दिन के अन्दर सफाई करने के आदेश भी उसी दिन दिये थे ? यदि हां, तो उन आदेशों की पालना कहां तक हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, स्वायत शासन (श्रीराम-गोटेवाला) : जी हां । टौंक घंटाघर से बड़े कुएं तक सड़क मरम्मत के अनुमान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बना लिए गए हैं । उनके द्वारा दो मास में कार्य प्रारंभ कर दिये जाने की संभावना है । सफाई कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है ।

श्री **महावीरप्रसाद जैन** : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के दौरे के समय आपने यह मंजूर किया था कि टौंक और दहोल, सारे ही शहर में गन्दगी है और सड़कों की, नालियों की, सार्वजनिक मूत्रालयों और शौचालयों की भयंकर रूप से कमी है ? क्या मंत्री महोदय यह महसूस करते हैं कि टौंक का इस बात का सर्वे करवा कर और राज्य सरकार की तरफ से सहयोग देकर योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जावे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को तो इस बात से संतोष होना चाहिये कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया था वह पूरा हो रहा है । सड़क के निर्माण का कार्य बहुत शीघ्र प्रारम्भ हो जाएगा । दूसरा जो आपने सफाई के बारे में कहा है, सफाई के बारे में राज्य सरकार भी यह महसूस करती है कि सारे नगरों के अन्दर सफाई से वातावरण ठीक होना चाहिये और इसलिये 2 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक सफाई का अभियान चला कर सारे नगरों के अन्दर सफाई कराने की व्यवस्था कर रहे हैं । अब जहां तक टौक घंटाघर के पास वाली सड़क का प्रश्न है, उसकी सफाई की व्यवस्था पूरी कर दी गयी है । मैं अनुरोध करूंगा कि जो सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, सम्माननीय सदस्य भी उसमें सहयोग करें तो व्यवस्था बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी ।

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न ।

श्री **महावीरप्रसाद जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह उन्होंने बताया कि दो महीने में सड़क का कार्य पूरा हो जाएगा, इसके लिए तो बहुत-

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

बहुत धन्यवाद । साथ ही मेरा निवेदन है कि जहां तक सफाई की व्यवस्था का प्रश्न है, जब तक सड़कें और नालियां नहीं होगी तब तक सफाई रहेगी कैसे ? मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे मुझ से किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता महसूस करते हैं । मैं हर प्रकार से सहयोग देने के लिये तैयार हूं । मैं निवेदन करूंगा कि श्रीरामजी स्वयं प्रभारी मंत्री हैं, जो बीस सूत्री कार्यक्रम है, उसके वे प्रभारी मंत्री हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि वे हर महीने वहां जायें । मैं हर प्रकार से सहयोग देने को तैयार हूं । मैं उनके साथ चल कर सहयोग करूंगा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : लेकिन आप तो मीटिंग तक में नहीं पधारे थे जब बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में टोंक में मीटिंग हुई थी । बात तो करते हैं सहयोग की लेकिन मीटिंग में भी नहीं आये । इसलिये मैंने कहा कि आप सहयोग दें ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 9

श्री छोगाराम बकोलिया ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हरिसिंह ।

नया कृषि कॉलेज खोलना

10. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इस वर्ष कितने विद्यार्थी राजस्थान में कृषि विषय के साथ हायर सैकण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हैं ?

(2) कितने विद्यार्थियों को कृषि विषय में स्नातक स्तर की शिक्षा राजस्थान के कॉलेजों में प्राप्त हो सकती है ?

(3) क्या सरकार कोई नया कृषि कॉलेज खोलने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, शिक्षा, (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हायर सैकण्डरी परीक्षा, 1981 में 1,488 विद्यार्थी कृषि विषय लेकर उत्तीर्ण हुए हैं ।

(2) राजस्थान के कॉलेजों में कृषि विषय में स्नातक स्तर की शिक्षा के लिये प्रति वर्ष लगभग 320 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है ।

(3) सत्र 1981-82 में राज्य सरकार कोई नया कृषि कॉलेज खोलने का विचार नहीं रखती है ।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष जी, कृषि और पशुपालन राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता का धन्धा है, उसके संबंध में 1,488 लड़के···

श्री अध्यक्ष : चौदह हजार होंगे ।

श्री हरिसिंह : 1,488 बताये गये हैं । जो विद्यार्थी हायर सैकण्डरी पास करते हैं कृषि विषय में वे आगे स्नातक स्तर पर परीक्षा देकर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें केवल 320 लड़कों के प्रवेश का ही

14

(श्री हरीसिंह)।
प्रबन्ध है। क्या राज्य सरकार इस विषय में शिक्षा के अभाव को महसूस नहीं करती ? और अगर करती है तो कब तक इसको दूर करने की योजना है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 1,788 विद्यार्थी कृषि विषय में बैठे और उनमें से 1,488 विद्यार्थी पास हुए हैं। उसमें से लगभग 364 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। राज्य सरकार ने उनकी आगे पढ़ाई के लिये व्यवस्था कर रखी है जिसमें उदयपुर में 80, जोबनेर में 80 अजमेर में 60 और सांगरिया में 100, अर्थात् 320 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया है। यथा संभव राज्य सरकार का प्रयत्न रहा है कि प्रथम श्रेणी तक के विद्यार्थियों को प्रवेश मिल जाय और यही इस वर्ष भी प्रयास किया है। भविष्य में क्या होगा यह तो मामला सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है। जैसा मैंने बताया कि नया कॉलेज अभी नहीं खोला जाएगा।

श्री हरिसिंह : जब अन्य विषयों में सैकण्ड डिवीजन पास विद्यार्थी को एडमिशन मिल जाता है तो क्या कारण है कि राज्य सरकार कृषि विषय में सैकण्ड डिवीजन में पास लड़के को आगे स्थान प्राप्त नहीं कराती ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो विद्यार्थी तकनीकी विषय में अच्छे नम्बर नहीं लाते हैं उनके लिये दूसरे प्रकार के विषय लेने की व्यवस्था है।। ये कृषि विषय न लेकर अन्य वैज्ञानिक विषय में या अन्य आर्टस, कामर्स विषयों में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा चालू रख सकते हैं।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार कृषि में शिक्षा के अभाव को महसूस करती है या नहीं ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा····

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि इस वर्ष एक भी कृषि कॉलेज नहीं खोला जाएगा, इसका कारण क्या है ? एक भी कृषि कॉलेज क्यों नहीं खोला जाएगा ? क्या इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, गत सत्र में कृषि की शिक्षा के संबंध में एक बहुत बड़ा विचार सदन में प्रस्तुत किया गया था। कृषि के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया गया था, इस पर सुझाव दिया गया था और यह महसूस किया गया था कि राज्य में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष। अलग से प्रश्न।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : क्या सरकार इस बात को···

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या बीकानेर डिवीजन में कृषि विश्व,

(श्री बुलाराम)
विद्यालय खोलने की मांग की गई थी और उसके .....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो अलग से प्रश्न है ।

श्री नाथूसिंह : क्या कारण है कि सरकार नया कृषि कॉलेज नहीं खोलना चाहती····

श्री अध्यक्ष: मैं पूरक प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में कृषि विषय तो है लेकिन दो साल से अध्यापक नहीं है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री देवदत्त । आर्डर प्लीज ।

श्री अध्यक्ष: श्री देवदत्त ।

श्री हरिसिंह : इसका उत्तर दिलाया जाये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि 364 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आये हैं । आप क्या 44 सीटें कॉलेज में बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे ताकि प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सके ?

अध्यक्ष : मंत्री जी ।

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि तकनीकी शिक्षा के सिलसिले में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर लेना या द्वितीय श्रेणी प्राप्त कर लेना या बहुत अच्छे अंक ही प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है । मैन पावर कमेटी, मैन पावर डिपार्टमेंट हमारा है, उसमें यह देखना भी बहुत जरूरी है कि जिस विषय के लिये विद्यार्थी को भेज रहे हैं तकनीकी शिक्षा के लिये, और जिसके लिये राज्य या जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं, आगे जाकर उसको एम्प्लायमेंट भी मिलेगा या नहीं । इस बात को तोलते रहते हैं कि किस विषय में रोजगार की ज्यादा गुंजायश है, उसमें सीटें बढ़ाने की कोशिश करते हैं । जिसमें रोजगार के कम अवसर रहते हैं उसमें सीटें घटा भी देते हैं । इंजीनियरिंग कॉलेज में इस साल 89 प्रतिशत पर जाकर के एडमिशन हुआ है ।

अगर कोटा से आने वाले माननीय सदस्य की बात मान ली जाय तो यदि 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एडमिशन दे दिया जाये तो कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज एक खोलने के बजाय 20 या 30 और खोलने पड़ेंगे । इंजीनियर पास होकर आते हैं तो उनको रोजगार नहीं मिलता । इसलिये सारी बातों को तोलकर, तकनीकी शिक्षा, जो कि मंहगी शिक्षा है, में सीटें बढाने या कॉलेज खोलने का निर्णय लिया जाता है । इसलिये प्रथम श्रेणी में जो पास हो गये, उन सारे के सारे को एडमिशन क्यों नहीं दे दें, अगर यह बात है तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मैडिकल कॉलेज या बी.एड. में जितनी सीटें और कालेज की आवश्यकता है उसको देखते हुए हमारे लिये

(१८)

(श्री चन्दनमल बैद)
संभव नहीं है । हम केवल यह देखते हैं यहां नियोजन हो सकता है, उसके अनुसार सीटें बढ़ाते हैं । इस साल महसूस किया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्यादा हो सकता है, इसलिये सीटें बढ़ायीं ।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैन पॉवर कमेटी की चर्चा करके जो आधार बताया, मैं चैलेंज करता हूं, कृषि स्नातक के लिये मैन पॉवर कमेटी का कोई निर्णय नहीं है, इंजीनियर के लिये है । माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जानकारी करें । मैन पावर कमेटी की चर्चा करके आप कृषि के साथ रोजगार को तोल रहे हैं·····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें । आर्डर प्लीज ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय मंत्री जी उसकी जानकारी करेंगे । ऐसी बात मत कहिये जिससे सरकार·····

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपने प्रश्न तकनीकी शिक्षा का नहीं पूछा, कृषि स्नातक का पूछा था । जो जानकारी बतायी है वह तकनीकी शिक्षा की है·····

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मेरा सुझाव है इस पर आधे घंटे की चर्चा कम से कम की जाये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं ।

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि के बारे में पूछ रहा हूं, मंत्री महोदय से····

श्री अध्यक्ष : नीति संबंधी मसले यहां पर प्रश्नों के माध्यम से तय नहीं हो सकते हैं ।

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर कृषि प्रधान देश····

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह किसानों का अपमान किया है शिक्षा मंत्री महोदय ने ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता ।

मुख्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, तकनीकी या कृषि शिक्षा प्राप्त स्नातकों के लिये रोजगार या दूसरा काम मिलने का प्रश्न महत्वपूर्ण है । आप और हम सब जानते हैं कि स्नातक बनने के बाद कितने लोग काम से लगते हैं । आज विचारधारा जो चल रही है, और जिस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, उसको देखते हुए हमने सोचा है कि मिडिल लेवल ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाये, जिससे तकनीकी शिक्षा व्यक्ति को हो सके और वह नौकरी के आधार पर अपने को बैठाये नहीं रख सके बल्कि सीधा अपना काम करने की बात सोचे । इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं और इस पर हम विचार कर रहे हैं, मैन पॉवर डिपार्टमेंट भी सोच रहा है, तथ्यों व

(श्री शिवचरण माथुर)

आंकड़ों को इकट्ठा करके, किस प्रकार से मिडिल लेवल पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाय, ताकि खेती के संबंध में उसे तकनीकी ज्ञान हो जाये। और खेत से सम्बन्ध भी बनाये रखे।

यह जरूरी है कि हमारे कॉलेजों में जाने वाले विद्यार्थी खेत से संबंध रखें। उनका सम्बन्ध जमीन से नहीं रहता है, वे केवल यह महसूस करते हैं कि हम तो केवल नौकरी के काबिल हैं। इसलिये हमने इस बात को सोचा है कि हम ज्यादा ध्यान मिडिल लेवल ट्रेनिंग पर दें। हमारा मैन पावर डिपार्टमेंट आंकड़ों के आधार पर सोच रहा है, किस प्रकार से कृषि विषय का तकनीकी ज्ञान दे सकें और धरती से उसका सम्बन्ध भी बनाये रखें। जो सवाल किया है उसका सही उत्तर यही है कि अधिक से अधिक तकनीकी ज्ञान विद्यार्थी को दें, वह ज्ञान प्राप्त करले और जमीन से भी सम्बन्ध बनाये रक्खें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 11

श्री देव दत्त।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

ग्राम कागदी वाड़ा छीपीवाड़ा के मकानों का नियमितीकरण

12 श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम कागदीवाड़ा छीपीवाड़ा में कुल कितने कच्चे व पक्के मकान हैं? सूची सर्वे नम्बर सहित सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ग्राम कागदीवाड़ा छीपीवाड़ा को नियमित (रेगुलेराइज) करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्वायत शासन, (श्री श्रीराम गोटवाला) : (1) ग्राम कागदीवाड़ा छीपीवाड़ा में 72 कच्चे व 133 पक्के मकान हैं।

(2) शीघ्र ही नियमित करने की कार्यवाही की जायगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, यह जो सूचना दी गई है यह गलत है। मैंने सूची सदन के पटल पर मांगी थी, वह नहीं दी गई है। मैं कहना चाहूंगी कि यह जो 72 कच्चे मकान बताये है ये बिलकुल कम संख्या बता रहे हैं। वहां दो हजार से भी ज्यादा मकान हैं। इसीलिये सूची नहीं दी गई है। माननीय मंत्री महोदय सही जवाब दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मेरे से प्रश्न पूछा था, वह यह है कि ग्राम कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा में कुल कितने कच्चे व पक्के मकान हैं। मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने 72 मकान कच्चे बताये.....

श्री श्रीराम गोटवाला : मैं बोल रहा हूं। जरा तसल्ली रखो...

(व्यवधान)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

दूसरा यह है क्या राज्य सरकार ग्राम कागदीवाड़ा छीपीवाड़ा को नियमित करने जा रही है। उन्होंने सूची मांगी नहीं अगर सूची मांगती तो दे देते। दूसरा मेरा अनुरोध है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर पूरा कर लेने दें उसके पश्चात् बोलें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो सर्वे की बात है न तो म्युनिसिपेलिटी मानती है न यू.आई.टी. मानती है। यू. आई. टी. ने नम्बर लगा रखे थे। उसके अनुसार माननीय सदस्या को उत्तर दे दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रश्न में साफ लिखा है कि सूची सर्वे नम्बर सहित सदन के पटल पर रखें। अध्यक्ष महोदय, ग्राम कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा में कुल कितने कच्चे व पक्के मकान हैं? सूची सर्वे नम्बर सहित सदन के पटल पर रखें, यह है। यदि सूची नहीं है तो आज मेरे प्रश्न को स्थगित करें और कल सूची सहित मेरे प्रश्न का उत्तर दें। यह जयपुर का मामला है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सूची चाही है वह मैं उनके पास भिजवा दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आज यू. आई. टी. द्वारा मेरे क्षेत्र जो पुरानी बस्ती है, में भी बहुत तोड़-फोड़ की जा रही है। यह जयपुर का मामला है......

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है कि नगर विकास न्यास की तरफ से वहां मकान तुड़वाये जा रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि अभी वहां कोई मकान नहीं तुड़वाये जा रहे हैं लेकिन यह बात निश्चित रूप से सही है कि जो ऐसे पुराने मकान बने हुए हैं......

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें कह दें कि आज ही सूची दे दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दे दूंगा साहब।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह (गुढ़ा) : पहले तो सूची उपलब्ध नहीं करवाई और फिर भाषण देने लगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर कल जवाब दिलवाया जावे।

श्री अध्यक्ष : इसमें स्थगित करने का तो कोई प्रश्न नहीं है।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : इस पर विचार कीजिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। अगली टर्म पर उत्तर दिया जायेगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर शहर में रोड लाइट्स की व्यवस्था

5. **श्री यदुनाथसिंह** (बहरोड़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की

(श्री यदुनाथसिंह)
कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्तमान में जयपुर में जो रोड लाइट की व्यवस्था शास्त्री नगर, राम नगर व हाउसिंग बोर्ड में की हुई है उससे सरकार सन्तुष्ट है ?

(2) क्या यह भी सही है कि नागरिकों द्वारा रिपोर्ट करा देने के उपरान्त भी दो-दो माह तक रोड लाइट्स ठीक नहीं की जाती है ?

(3) क्या सरकार इन कालोनीज के मार्ग टूटे-फूटे होने के कारण प्रत्येक चौराहे, तिराहे पर चार-चार फीट की ट्यूब लाइट लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जयपुर में रोड लाइट की व्यवस्था शास्त्री नगर, राम नगर व हाउसिंग बोर्ड में की हुई है, वह सन्तोषजनक है।

(2) यह सही नहीं है। नागरिकों द्वारा रिपोर्ट करा देने के उपरान्त रोड लाइट ठीक करने की तुरन्त व्यवस्था की जाती है।

(3) इसके भी शीघ्र प्रयास किए जायेंगे।

माही परियोजना से प्रभावित किसानों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन

6. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माही परियोजना से प्रभावित खेतीहर कितने किसानों को काश्त भूमि आवंटित की गई और अब कितने शेष रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विस्थापितों को पेपर अलाटमेन्टकिया गया एवं मौके पर जमीन नहीं बताई गयी ? यदि यह सही है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने की इच्छा रखती है ? यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) माही बजाज सागर बांध की डूब से प्रभावित 4083 विस्थापितों को माही नोर्म्स के अनुसार कुल 9799 एकड़ कृषि भूमि का आवंटन किया गया है। अब कोई खातेदार विस्थापित कृषि भूमि आवंटन करने से शेष नहीं है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) माही बजाज सागर बांध से प्रभावित 3117 खातेदार विस्थापित मौके पर कृषि भूमि प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हें पेपर आवंटन किया गया है। पेपर-भू-आवंटन के पूर्व एवं पश्चात् सम्बन्धित विस्थापितों को भूमि प्राप्त कर कब्जा लेने हेतु नोटिस द्वारा सूचित किया गया है। जो विस्थापित उनके पेपर-भू-आवंटन का कब्जा प्राप्त करने हेतु उपस्थित होता है तो उन्हें मौके पर भूमि बतलाई जाती है एवं कब्जा सुपुर्द करने की कार्यवाही की जाती है। अतः सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

जन-जाति उपयोजना क्षेत्र में अनुदान स्वरूप आवंटित की जाने वाली राशि

7. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन-जाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जन-जाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1975-76 से वर्ष 1980-81 तक अनुसूचित जन-जाति के लिये कितनी राशि अनुदान स्वरूप आवंटित की गयी ? आवंटित राशि में से कितना प्रतिशत व्यय हुआ ?

(2) अनुदान की राशि का विवरण समय पर एवं सही व्यक्ति को हो, इसके लिये विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार यह नहीं जानती कि समय पर अनुदान राशि का आवंटन न होने से जन-जाति के लोगों को ऋण राशि का व्याज भी वहन करना पड़ता है ? यदि हां, तो इसके लिये भविष्य में क्या कदम उठाये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जन-जाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 से वर्ष 1980-81 तक अनुसूचित जनजाति के परिवारों को विभिन्न प्रयोजनों के लिये अनुदान दिये जाने हेतु कुल 173.52 लाख रुपये की धन राशि आवंटित की गई तथा आवंटित राशि का 66.41 प्रतिशत व्यय हुआ ।

(2) अनुदान की राशि का वितरण संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से किया जाता है, जिसके जिलाधीश पदेन अध्यक्ष हैं । परियोजना निदेशक इस बात के लिये उत्तरदायी हैं कि अनुदान के लिये निर्धारित माप दण्डों के अनुसार अनुदान का लाभ समय पर व सही व्यक्ति को मिले ।

(3) जनजाति के परिवारों को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने के साथ ही अनुदान राशि उपलब्ध कराई जावे इसके लिये यह व्यवस्था की गई है कि संबंधित विभागों (राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल, लीड बैंक, सहकारी बैंक, व्यवसायिक बैंक) को अनुदान राशि अग्रिम रूप से दे दी जाती है, जिससे संबंधित व्यक्ति के खाते में अनुदान राशि का समायोजन तत्काल कर दिया जाता है, जिससे उस पर पूरे ऋण के व्याज का असर न पड़े ।

जिला सिरोही की प्रस्तावित लघु सिचाई योजना

9. श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सिरोही में कितनी लघु सिचाई योजनाएं प्रस्तावित हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(1) इन प्रस्तावित योजनाओं से कितनी भूमि सिंचित हो सकेगी ?

(3) प्रस्तावित लघु सिचाई योजनायें कब तक स्वीकृत होकर कार्यान्वित की जायेंगी ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में तीन लघु सिचाई योजनायें प्रस्तावित हैं । सूची सदन के पटल पर रख दी है ।

(2) सूची के स्तम्भ दो में अंकित है

Page No. 23

(२१)

(सिंचाई मंत्री)

(3) योजनाओं के प्रांकलनों की स्वीकृति के पश्चात् एवं योजनागत धन की उपलब्धि के अनुसार योजनायें स्वीकृत की जा सकेंगी ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

बाड़मेर शहर में नया बस स्टेण्ड निर्मित कराना

11. श्री देवदत्त (बाड़मेर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर शहर में जहां बसें ठहरती हैं वह एक बहुत ही अनुपयुक्त और छोटी जगह है ?

(3) क्या बढ़े हुए यातायात और यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए भी सरकार बाड़मेर में एक सुन्दर बस अड्डा बनाने का विचार नहीं रखती है ?

(3) क्या विभाग के अधिकारियों ने कभी भी म्युनिसिपल बोर्ड अथवा कलेक्टर, बाड़मेर से ऐसी भूमि मांगी जहां वह मोडर्न बस स्टेण्ड बना सके ?

(4) क्या सरकार परिवहन निगम के आगार के पूर्व में खाली पड़ी भूमि पर बस स्टेण्ड बनाने पर विचार कर सकती है ? यदि हां, तो क्या वह इस भूमि को कलेक्टर द्वारा अवाप्त करने अथवा देने के लिये कार्यवाही करने को तत्पर है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां । राजस्थान राज्य पथ परिवहन द्वारा जिलाधीश, बाड़मेर को लिखा गया था ।

(4) जी हां । बाड़मेर में निगम के कार्यशाला के पास खाली पड़ी भूमि पर बस स्टेण्ड के निर्माण हेतु भूमि प्रस्तावित की जा चुकी है जिसके लिये निगम द्वारा जिलाधीश, बाड़मेर को लिखा जा चुका है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गत वर्ष राज्य में घटित डकैती एवं लूटपाट की घटनायें

1. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 जनवरी, 1981 से 31 अगस्त, 1981 तक राज्य में डकैती तथा लूटपाट की कितनी घटनायें हुई ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(2) जयपुर रेंज में पिछले साल की अपेक्षा अपराधों में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि रही ?

(3) राज्य में पिछले सात माह में डकैती तथा लूटपाट के कितने अपराधियों को पकड़ा गया व कितना माल बरामद हुआ ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) इस अवधि में राज्य में 88 डकैती व 829 लूटपाट की घटनायें हुई हैं। जिलेवार सूची संलग्न है ।

(2) जयपुर रेंज में इस वर्ष अगस्त तक गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में

(गृह मंत्री)

2.68 प्रतिशत अपराधों की वृद्धि रही ।

(3) सूची संलग्न है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

सार्वजनिक क्षेत्र में खोले जाने वाले सीमेंट के कारखाने

2. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना में कुल कितने सीमेंट के कारखाने लगाने का विचार है ? ये कारखाने कहां कहां पर लगाये जायेंगे ?

(2) इस समय सीमेंट के कारखाने लगाने के कितने प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं ?

(3) क्या सार्वजनिक क्षेत्र में भी सीमेंट का कारखाना लगाने का राज्य सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) राज्य में सीमेंट के नये 8 बड़े व 8 मिनी कारखाने स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा आशय-पत्र स्वीकृत किये गये हैं । प्रस्तावित सीमेंट कारखानों के नाम एवं स्थान आदि के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) वर्तमान में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिये 2 मामले भारत सरकार एवं 7 मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

(3) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा राज्य में 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता का एक वृहद सीमेंट कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने का विचार है किन्तु अभी तक भारत सरकार द्वारा इस हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया है । राज्य सरकार द्वारा सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया के पक्ष में चूने के 3 पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र दिनांक 24-8-1981 को स्वीकृत कर दिये गये हैं । अंतिम निर्णय सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा लिया जाना है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जिला झालावाड़ के सुनेल कस्बे में पेयजल हेतु टंकी का निर्माण

3. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ के सुनेल कस्बे में वर्तमान में कुल कितने कनेक्शन दे रखे हैं ? उनमें से कितने मीटर वाले हैं ? कितने बिना मीटर के हैं ? जितने भी कनेक्शन हैं, सभी के नाम पूर्ण पते सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या वर्तमान टंकी से सभी कनेक्शन वालों को पूरा पानी मिलता है तथा वहां का मिनिमम चार्ज क्या है ।

(3) क्या पानी नहीं मिलने पर भी जनता से मिनिमम चार्ज वसूल किया जाता है ? क्या यह उचित है ?

(4) क्या यह भी सही है कि टंकी उचित स्थान पर ऊंचाई पर नहीं बनने के पूरे सुनेल कस्बे में पानी नहीं चढ़ता है ?

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

(5) क्या यह भी सही है कि उस टंकी की क्षमता के हिसाब से कनेक्शन ज्यादा हैं ?

(6) क्या सरकार सुनेल कस्बे में उचित ऊंचे स्थान पर बड़ी टंकी बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में कुल 691 नल कनेक्शन हैं जिनमें से 402 मीटर वाले व 289 बिना मीटर वाले कनेक्शन हैं। सभी उपभोक्ताओं की सूची मय नाम व पते संलग्न है।

(2) सभी उपभोक्ताओं को वर्तमान टंकी से उचित मात्रा में पेय जल उपलब्ध कराया जा रहा है। मिनिमम चार्ज प्रति माह मीटर कनेक्शन के 10 रु. प्रति कनेक्शन व बिना मीटर कनेक्शन के 10 रु. प्रति परिवार प्रति नल है।

(3) साधारणतया सभी उपभोक्ताओं को पानी हर रोज मिलता है अतः नियमानुसार राशि वसूल की जाती है।

(4) यह सही नहीं है।

(5) यह सही नहीं है।

(6) वर्तमान में नई टंकी बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। निर्धारित माप दण्डों के अनुसार वर्तमान टंकी की क्षमता (66000 गैलन) व ऊंचाई (40 फीट) उचित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

निर्माणाधीन सोमकागदर बांध, जिला उदयपुर की खुदाई से निकले पत्थर की चोरी

4. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि निर्माणाधीन सोमकागदर बांध, जिला उदयपुर की खुदाई से निकले पत्थरों को सिद्ध सिन्टेक्स मिल, केसरियाजी (उदयपुर) द्वारा चोरी कर लाया गया और उन्हें मिल की चुनाई के काम में लाया गया है ? यदि हां, तो विभाग के अभियन्ता द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी नहीं।

सिंचाई सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय विवाद

श्री मालाराम (खेतड़ी), **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिंचाई से संबंधित कौन कौन से अन्तर्राज्यीय विवाद किस-किस स्तर पर कब-कब से अनिर्णीत पड़े हैं, और उनका किस राज्य से संबंध है ?

(2) इन विवादों का राज्य के पक्ष में निर्णय कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या कदम उठाना प्रस्तावित है ?

(3) सिंचाई के इन स्रोतों में प्रत्येक स्रोत की लागत मूल्य क्या-क्या है ? कितना-कितना क्षेत्र सिंचित होगा और

(श्री मालाराम)

राजस्थान को उसका कितना-कितना पानी मिल सकेगा ?

(4) कृपया उपरोक्त तीनों प्रश्नों से संबंधित विषय पर एक विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यह भी बतायें कि शीघ्र निर्णय नहीं होने के कारण राजस्थान को प्रति वर्ष कितनी हानि हो रही है ?

उत्तर

(1) सिंचाई संबंधित अन्तर्राज्यीय विवाद सूची एक में संलग्न है। राज्य के नाम, जिससे इस विवाद का संबंध है, सूची में अंकित है।

(2) इसका विस्तृत विवरण संलग्न टिप्पणियों में दिया गया है।

(3) जब तक विवाद तय नहीं हो जावे योजनाओं की लागत तथा होने वाले लाभ का व्यौरा नहीं दिया जा सकता।

(4) विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के डेली वेजेज पर नियुक्त श्रमिकों के स्थाईकरण के मामले

6. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल डेली वेजेज पर नियुक्त श्रमिकों को स्थाई करने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कितने दिन तक काम करने वाले मजदूर को स्थाई किया जायेगा एवं कब तक तथा ऐसे मजदूरों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

डेली वेजेज पर नियुक्त श्रमिकों को नियमित करने के लिये पहले से ही एक प्रक्रिया निर्धारित है, अतः किसी प्रक्रिया के विचाराधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक दैनिक वेतन भोगी श्रमिक, दो वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर अगली एक अप्रेल को नियमित वेतन श्रृंखला में नियमित किये जाने का पात्र हो जाता है। नियमितकिरण उसके अन्यथा योग्य होने एवं रिक्त पद अथवा नये पद भरने की आवश्यकता होने पर सम्भव होता है। "सिंह-संचेती" अवार्ड के अधीन विद्युत मंडल द्वारा ऐसे सभी श्रमिकों जिन्होंने दिनांक 1-4-80 तक दो वर्ष का निरन्तर सेवाकाल पूर्ण कर लिया था, को नियमित वेतन मान में नियमित किया जा चुका है। दिनांक 31-3-1981 को डेली वेजेज पर नियुक्त केजुअल श्रमिकों की संख्या 1990 थी एवं इसके अलावा 14302 वर्क चार्ज श्रमिक ऐसे थे जो दैनिक अथवा मासिक वेतन पर मंडल में कार्यरत थे।

जिला अलवर में सोना तथा संखिया के भण्डार

7. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में सोना तथा संखिया के भण्डार मिले हैं ?

(2) यदि हां, तो यह किस स्थान पर, कितनी मात्रा में ?

(3) इनके खनन् हेतु क्या योजना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
बनाई गई है ?

उत्तर

(1) जी हां । अलवर जिले में सोना तथा संखिया होने के संकेत मिले हैं ।

(2) यह संकेत अलवर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर भूगोर नामक स्थान पर मिले हैं । कुछ नमूनों में 0.1 से 0.2 पार्ट/मिलियन अथवा ग्राम/टन सोना तथा 50 से 1000 ग्राम प्रति टन संखिया पाया गया है ।

(3) अभी आगे खोज का कार्य जारी है ।

जिला उदयपुर ऋषभदेव में निर्माणाधीन सिद्ध सिन्टेक्स लि.

8. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ऋषभदेव जिला उदयपुर में निर्माणाधीन मिल सिद्ध सिन्टेक्स लि. द्वारा रेत, पत्थर व बेलास्ट आदि खनिज चोरी से उठाया गया था ?

(2) क्या सिद्ध सिन्टेक्स लि. (ऋषभदेव) को चोरी से उठाये गये खनिज के बारे में माइनिंग इन्जीनियर, उदयपुर द्वारा कोई पत्र लिखा गया था ? यदि हां, तो उस पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । ऋषभदेव, जिला उदयपुर में निर्माणाधीन सिद्ध सिन्टेक्स लि. द्वारा अधिकतर खनिज विभाग द्वारा अल्पावधि अनुज्ञा-पत्र लेकर ही उठाया गया है ।

(2) जी हां । पत्र की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है । विभाग द्वारा बिना खन्ना निकाले गये खनिज की कीमत रु. 1035/- वसूल कर ली गई है ।

(पत्र-प्रति के लिये कृपया, परिशिष्ट 9 देखें)

मक्केशाह की दरगाह केशोरायपाटन के जीर्णोद्धार हेतु राशि की स्वीकृति

9. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बून्दी के नगर केशोरायपाटन में मुसलमानों के धार्मिक स्थान मक्केशाह की दरगाह के जीर्णोद्धार हेतु सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि खर्च की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अब विशेष तौर पर इस दरगाह के जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

वक्फ का प्रवन्ध स्थानीय मुतवल्ली अथवा वक्फ कमेटी द्वारा किया जाता है । जनरल व्यवस्था वक्फ बोर्ड में निहित है ।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

जिला बूंदी में पंचायत समितिवार स्कूल्स खोलने के प्रस्तावित सुझाव

10. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी में पंचायत समितिवार स्कूल खोलने एवं क्रमोन्नत करने हेतु जिला प्लानिंग कमेटी से सुझाव मांगे गये थे ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या जिला प्लानिंग कमेटी द्वारा स्कूलों के संबंध में भेजे गये सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त हो गये ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । प्लानिंग कमेटी से नये स्कूल खोलने के प्रस्ताव दिनांक 25-6-81 को मांगे गये थे ।

(2) जी हां । सुझावों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि
श्री प्रभुलाल व श्री रामलाल, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य को श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : श्री शोकाभिव्यक्ति ।

इस सदन के दो भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री प्रभुलाल पुरोहित एवं श्री रामलाल का निधन हुआ है इस पर सदन शोकाभिव्यक्ति करेगा ।

इस सदन के दो माननीय सदस्यगण श्री प्रभुलाल पुरोहित, जिनका निधन 12 सितम्बर, 1981 को हुआ और श्री रामलाल, जो जोधपुर के बाड़ी क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, का निधन 8 अप्रेल, 1981 को हुआ ।

श्री प्रभुलाल जी पुरोहित 1957 में द्वितीय विधान सभा के लिये लालसोट निर्वाचन क्षेत्र से राम राज्य परिषद् (प्रजा-प्रगतिशील दल) के सदस्य के रूप में चुने गये । उनकी समाज सेवा व कृषि संगठन में गहरी रुचि थी । श्री प्रभुलाल जी जयपुर स्टेट में प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी रह चुके थे । परम पिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें और उनके परिवार वालों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे ।

इसी तरह से श्री रामलाल जी 1972 में पांचवी विधान सभा के लिये बाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय सदस्य के रूप में चुने गये थे । इनकी समाज सेवा में गहरी रुचि थी । विधान सभा के सदस्य के नाते भी अपने क्षेत्र का जोरदार ढंग से प्रतिनिधित्व किया । श्री रामलाल 1955-56 में वार्ड के पच थे, 1964 में पंचायत समिति के सदस्य तथा 1969 में कृषि उपज मण्डी कमेटी, बाड़ी के सदस्य रहे । मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस महान दुःख को झेलने की शक्ति दे ।

अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दो मिनट अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की) ।

कृपया, स्थान ग्रहण कीजिये ।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था एवं सूचना

सूचना

श्री मेघराज तावड़ की उदयपुर में गिरफ्तारी

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर ने सूचना दी है कि श्री मेघराज तावड़ ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 445 व 352 के अन्तर्गत लगाये गये मामलों पर 17 अगस्त, 81 को उनके न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण किया था, उसी दिन उनको 3 बजे गिरफ्तार करके उदयपुर के कारागार में रखा गया। 18 अगस्त, 81 को करीब 11 बजे उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना में विलम्ब

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी करना चाहता हूं कि यह सूचना पहली बार आई है या इसके पूर्व में भी कोई सूचना आई ?

श्री अध्यक्ष : पहली बार।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें व्यवस्था का उल्लंघन किया गया है। जिस अधिकारी ने समय पर विधान सभा को सूचित नहीं किया उसने नियमों का उल्लंघन किया है। मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से इसमें कोई कार्यवाही की जानी चाहिये और उसकी जानकारी सदन को दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस पर मैं अपनी व्यवस्था बाद में दूंगा। सभी तथ्यों के बारे में मैं जानकारी कर लूं उसके पश्चात् मैं अपना निर्णय दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : मैं इसमें दो मिनट बोल सकता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा।

श्री मेघराज तावड़ : मैं फैक्ट्स कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी। वारन्ट होने की वजह से मैं मीटिंग करके 17 तारीख को पहुंचा सरेण्डर करने के लिये। पहले पुराना केस चल रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जानबूझ करके मेरे को परेशान करने के लिये और लोगों को यह दिखाने के लिये कि मैं एम. एल. ए. को भी नहीं छोड़ सकता कोई उसके विशेषाधिकार नहीं होते हैं। मेरे 5-5 वकील लगे उन्होंने कहा कि पहले जो केसेज हुए उस समय विधान सभा में थे विधान सभा चल रही थी और दूसरी सूचना नहीं मिली इसलिये वह नहीं पहुंचे तो माननीय न्यायाधीश ने दिया दिखाने के लिये किया कि मैं जमानत उनकी नहीं लूं, कोई उनका विशेषाधिकार नहीं बनता है, एम. एल. ए. कोई मतलब नहीं रखता है। यह सब कहते हुए, पांच-पांच वकील लगे उनको बिलकुल मना कर दिया फिर उन्होंने जेल में भेजने की बात कही

(श्री मेघराज तावड़)

इजाजत नहीं दी । और सूचना देने की बात है, विशेषाधिकार का प्रश्न उठा यहां पर, तब यह सूचना भिजवाई । इसलिये मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आपने जो परिस्थितियां बताई है उन पर विचार करने के पश्चात् निश्चय किया जायेगा ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई :–

(1) श्री रामकवार बैरवा , सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 17 जुलाई को बाण्डी नदी पर बाढ़ आने के कारण बहने से जिन लोगों की मृत्यु हुई, उसमें मरने वालों की मौत थाना फागी को सूचना मिलने के बावजूद कार्यवाही नहीं करने के कारण हुई, इस विषय में,

(2) श्री सोहनलाल बंशीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से मनो-चिकित्सा केन्द्र, जयपुर में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले पागलों के इलाज की ओर कोई ध्यान न दिये जाने के विषय में,

(3) सर्व श्री गोपाल पचेरवाल, मेघराज तावड़, यदुनाथसिंह व उम्मेदसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 3 सितम्बर को शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा के सरदारपुरा गांव में पांचू गुर्जर व उसकी पत्नी की हत्या करने के प्रयत्न के संबंध में राजनैतिक प्रभाव के कारण सांगरिया के सरपंच व उसके भाई के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने और थानेदार की पिटाई के विषय में,

(4) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में मद्य निषेध समाप्त करने के बाद अलवर में कई सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें खुल जाने के विषय में,

(5) श्री दाऊदयाल जोशी व श्री राम किशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में दूरबीन से नसबन्दी का जो कार्य चल रहा है, उसमें नकली रिंग के प्रयोग से कैन्सर होने की संभावना होने के विषय में,

(6) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा नाथपा-झाकड़ी परियोजना में स्वामित्व का अधिकार छोड़ देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(7) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में अजमेर रोड से आगरा रोड के रास्तों में जहां अनेक अस्पताल स्कूल आदि हैं, सड़क दुर्घटनाएं होने के विषय में,

(8) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर क्षेत्र में मोरेल बांध को सवाई माधोपुर डिविजन से हटा कर जयपुर डिविजन में ले लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(9) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस स्टेशन भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के थानेदार द्वारा गत 22 अगस्त को गंगरार कस्बे के श्री रामचन्द्र महाराज की निर्मम पिटाई के परिणामस्वरूप गत 30 अगस्त को अस्पताल में मृत्यु होने के विषय में ।

उक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

(श्री अध्यक्ष)
जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में पीने के पानी की कमी के विषय में।

इस प्रश्न पर सदन में चर्चा हो चुकी है।

(2) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति, मूण्डवा, नागौर एवं जिला नागौर के रेगिस्तानी क्षेत्रों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विलीनीकरण समिति के सदस्यों की राय के बिना किया गया, इस विषय में।

यह प्रश्न किसी हाल की घटना से सम्बन्धित प्रतीत नहीं होता।

(3) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा में भूमि सुधार तथा लेवलिंग एवं अलॉटमेन्ट के कार्य में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार होने के विषय में।

इस प्रस्ताव में एक से अधिक सामान्य प्रकृति के प्रश्न उठाये गये हैं।

(4) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से 31 अक्टूबर, 1980 को भीलवाड़ा नगर के लिये प्राप्त 360 बोरी चीनी ब्लैक से बिक जाने के विषय में।

यह बहुत पुराना मामला है।

(5) डॉ. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर के कई मोहल्लों में प्रेशर के साथ पानी नहीं मिलने के संबंध में।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है।

(6) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर में दिनांक 16-7-81 को आई बाढ़ के पश्चात् जिलाधीश और नागरिकों व विधायक के साथ हुए समझौते के बावजूद सूरसागर की सफाई न होने के विषय में।

इस विषय पर सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत, धासा तहसील मावली, जिला उदयपुर में कराये गये निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के संबंध में।

यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की अव्यवस्था एवं कमी के विषय में।

इस विषय पर सदन में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के बजट पर काफी बहस हो चुकी है। अतः मैं इस पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

इन स्थगन प्रस्तावों को उक्त कारणों से स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से माही परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पावर हाउस नं. 1 पर बनाये गये कोफर डेम में हुए अपव्यय के विषय में।

इस विषय में राज्य सरकार द्वारा एक वक्तव्य दिया जायेगा जिसकी तिथि बाद में निर्धारित की जावेगी।

(श्री अध्यक्ष)

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार के तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री समर्थलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले में राजगढ़ स्थित हायर सैकण्डरी स्कूल का भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में है ।

इस विषय में राज्य सरकार ने सूचना दी है कि बरसात के कारण भवन की प्राचीनता को देख कर स्कूल के विद्यार्थियों की कक्षाएं अन्य स्थान पर रख दी गई तथा बरसात की समाप्ति पर दूसरी व तीसरी मंजिल में कक्षाएं पुनः प्रारंभ कर दी गई है और किसी प्रकार का खतरा नहीं है ।

(2) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद्, उदयपुर के सेवा निवृत्त हुए निदेशक एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा परिषद् को प्राप्त अनुदान की राशि में घोटाले के संबंध में ।

राज्य सरकार ने बताया है कि इस संस्थान के लेखों की जांच की जा रही है और कथित निदेशक के विरुद्ध कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) सुश्री पुष्पा जैन व सर्व श्री यदुनाथ सिंह, उम्मेद सिंह, हाजी चाव खां, फतेसिंह, बहादुरसिंह, रामकंवार बैरवा, राव कमलेन्द्र सिंह व भरोसीलाल ने गत 16 फरवरी को दिल्ली में आयोजित किसान रेली में भेजी गई राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का किराया न चुकाने के विषय में ।

सरकार ने बताया है कि निगम द्वारा कांग्रेस पार्टी को बिल बनाकर आगारवार भुगतान पेश किया गया था और निगम द्वारा वसूली की कार्यवाही निरन्तर की जा रही है ।

(4) सर्व श्री गोपाल पचेरवाल, राव कमलेन्द्रसिंह, उम्मेदसिंह, वीरेन्द्रप्रतापसिंह, रामकंवार बैरवा व हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले में छबड़ा थाने के अधीन कुछ कंजर युवतियों का 12 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच बलात्कार किये जाने के विषय में ।

इस विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है व अनुसन्धान जारी है ।

(5) सुश्री पुष्पा जैन व श्री मालाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा नये स्कूल खोलने के विषय में 1977 के मापदण्ड लागू करने के संबंध में ।

इस विषय में सदन के अन्दर काफी चर्चा हो चुकी है और इसी विषय में श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त एक स्थगन प्रस्ताव को दिनांक 18-9-81 को अस्वीकार किया जा चुका है ।

अतः मैं उक्त स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर भी राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है और उसके अध्ययन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूं कि ये अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है । अतः मैं इन्हें अस्वीकार करता हूं ।

(1) श्री महाराम चौधरी: पंचायत

Page No. 33

(श्री अध्यक्ष)
समिति, मूण्डवा, जिला नागौर के किसानों को ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ऋण न देने के विषय में;

(2) श्री नाथूसिंह, जयपुर शहर में बिगड़ती हुई यातायात की स्थिति;

(3) श्री भगवान दास शास्त्री: बाल योगेश्वर श्री गणेश गिरी द्वारा सांगानेर में की गई हत्याएं;

(4) श्री जीतमल जैन : नौगांवा, जिला अलवर के चिकित्सा अधिकारी, डा. उम्मेदीलाल की हत्या कर दिये जाने के विषय में;

(5) श्री नन्दलाल मीणा : मेड़ता से 30 किलो मीटर दूर जंगलियों की ढाणी में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार;

(6) श्री कैलाश मेघवाल : गंगा थियेटर, बीकानेर को एक प्राइवेट कम्पनी को लीज पर देने के संबंध में;

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव...

श्री अध्यक्ष : पहले मैं व्यवस्था पूरी कर लूं।

(7) श्री चन्द्रवीर सिंह: जिला जैसलमेर के मसूरडी खडीन में सीलिंग से प्राप्त भूमि को काबिज काश्तकारों को अलाट न करने के विषय में;

(8) सर्व श्री हंसराज शर्मा, बालचन्द आर्यवीर, महावीर प्रसाद जैन, जिला सवाई माधोपुर के ग्राम कांसीर में एक मोर की हत्या के विषय में;

(9) राव कमलेन्द्र सिंह : सोभा गागदर परियोजना के नहर खण्ड में मजदूर नेता अर्जुनदास देथा की भूख हड़ताल के विषय में;

(10) श्री भगवानदास शास्त्री: अजमेर में 17 प्राध्यापकों के एक साथ स्थानान्तरण के विषय में;

(1) श्री अनंगकुमार जैन व श्रीबालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से मनोहर थाना पुलिस स्टेशन पर ग्राम सेवक श्री गोपाल सिंह की निर्मम पिटाई से मृत्यु होने के विषय में;

मैं चाहूंगा कि इस विषय में दिनांक 22 सितम्बर, 1981 को राज्य सरकार की ओर से सदन में एक वक्तव्य दिया जाय;

(2) श्री राजबहादुर व श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बंधुआ मजदूरों की मुक्ति व पुनर्वास न होने के तथा बिरमा नामक एक भील की सम्पत्ति व बैल पर एक विधायक द्वारा कब्जा करने के विषय में;

इस स्थगन प्रस्ताव को दिनांक 23 सितम्बर को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(3) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में राशन की चीनी का वितरण न होने के विषय में;

इस संबंध में श्री राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत एक स्थगन प्रस्ताव पर दिनांक 22-9-1981 को सदन में वक्तव्य होगा। अतः उस अवसर पर सरकार की ओर से इस विषय में भी प्रकाश डाला जायेगा।

(श्री अध्यक्ष)

उक्त आधारों पर मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर प्राप्त सूचना का अध्ययन किया जा रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा श्री तेजाराम, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की पत्नी के साथ जबदस्ती का प्रयत्न।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री **राजबहादुर** (भरतपुर) : मैंने एक प्रश्न घना बर्ड सैंक्चुरी के बारे में....

(व्यवधान)

श्री **नाथूसिंह** (बांदीकुई) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री **अध्यक्ष** : मैंने श्री राजबहादुर को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री **राजबहादुर** : जो पड़ोसी इलाके के मवेशी चरते थे उनको रोक दिया गया है। उनके बारे में यह कहा गया था 18 तारीख को कि सूचना मंगाई जा रही है.....

श्री **अध्यक्ष** : फैक्ट्स मंगाये हैं।

श्री **राजबहादुर** : आज ही आ जाते तो ठीक है। दिनों दिन मुसीबत बढ़ रही है।

श्री **अध्यक्ष** : फिर ताकीद कर देंगे।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा सत्र का आह्वान

श्री **नाथूसिंह** : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। व्यवस्था का प्रश्न....

(व्यवधान)

श्री **रामकंवार बैरवा** (फागी) : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा नाम पुकारा गया था..

श्री **अध्यक्ष** : पाइन्ट आफ आर्डर आ गया है।

श्री **नाथूसिंह** : मैंने नियम 294 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाया था 15 सितम्बर, 81 को। आज तक उस पर आपकी व्यवस्था नहीं आयी है।

श्री **अध्यक्ष** : अभी दी जा रही है। मैं उस पर व्यवस्था दे देता हूं। अभी यह जो स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी गई है इसमें जिन माननीय सदस्यों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है, दो दो मिनट वे बोल लें। फिर बाद में दे दूंगा।

श्री **रामकंवार बैरवा** : मैंने पहले दिया था, आपने...

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक (सागानेर) : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री **अध्यक्ष** : पाइन्ट आफ आर्डर।

स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से सूचना प्राप्ति में विलम्ब

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर जो आपने व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के विषय में है।

श्री **अध्यक्ष** : व्यवस्था के विषय में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा, माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : मेरा स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है। आपने यह कहा है कि सरकार को जानकारी के लिये भेजा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से तो जानकारी कब आयेगी, कहा नहीं जा सकता है। आयेगी भी या नहीं; इस सेशन तक, यह भी नहीं कहा जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में अगर आ भी गयी तो अपने यहां तो जिस प्रकार से जवाब आयेगा, आपको मालूम ही है, यही आयेगा कि हम गलती पर है, सरकारी कार्यालय और जो कुछ किया गया वही सही है।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बोलना चाहती हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : यह बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी प्रश्न है इसलिये इस पर विचार करना ही पड़ेगा। आप सरकारी जवाब का बेक ग्राउण्ड बतायेंगे नहीं कि क्या सूचना आयी, सही है या गलत है। अतः अगर हम पहले कुछ मुद्दे बता दें तो उसके आधार पर सरकार जो जवाब देगी वह रेलेवेन्ट भी होगा। वरना जो प्रथा रही थी कि जैसे ही स्थगन प्रस्ताव रखा जाय, मंत्री महोदय स्वयं जवाब दें। इसकी रेसपोंसिबलिटी सरकार की होती है, परन्तु अभी जो व्यवस्था की जा रही है, अध्यक्ष महोदय, कृपया इस विषय पर आप पुनः विचार करें। पुर्नविचार करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : इतने सारे स्थगन प्रस्ताव आते हैं कि प्रत्येक का मंत्री महोदय से जवाब आ जाय, यह सम्भव नहीं है। इसलिये प्रथम मैं जांच करता हूं स्थगन प्रस्तावों की कि नियमों के अन्तर्गत ठीक हैं या नहीं हैं। अगर ठीक समझता हूं तो सरकार से जानकारी लेता हूं, जानकारी आ जाती है तो उसका अध्ययन करने के पश्चात् मैं अपनी व्यवस्था देता हूं। अभी आपने इसमें देखा होगा कि सूची स्थगन प्रस्तावों की काफी लम्बी है। उनका सरकार का क्या उत्तर आया है और मैंने किन कारणों से अस्वीकार किये हैं यहां पर बताया जाय तो आप सोच सकते हैं मेरे लिये सम्भव नहीं है कि इतनी विस्तृत चर्चा थोड़े से समय में कर सकूं। अगर कोई कठिनाई है या महत्वपूर्ण किसी विषय को समझती हैं तो मेरे कक्ष में आकर मेरा ध्यान तथ्यों की ओर दिला दें, सरकार का जो उत्तर आया है वह मैं पढ़कर सुना दूंगा, उसके बाद में निर्णय लेंगे। मुझे आपत्ति नहीं होगी। अगर कोई जनहित का विषय है, अन्याय हो रहा है तो सदन के समक्ष आना चाहिए, यह मेरी हमेशा मंशा रही है।

श्री रामकंवर बैरवा : अध्यक्ष महोदय..

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : अब इसमें प्रश्नकाल अध्यक्ष के साथ नहीं होगा। इतने दिनों में जितने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उनके बारे में मैं आपको तत्काल बता सकूं ऐसी स्थिति में मैं नहीं हूं, आपको अगर कोई कठिनाई है तो इसकी चर्चा अलग से करेंगे। इसके लिये आप मेरे से मेरे चेम्बर में मिल लें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मेरा स्थगन प्रस्ताव है...

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मेरी समस्या काफी गम्भीर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सब एक साथ बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं सुन नहीं सकता हूं।

श्री महाराम चौधरी : मेरे स्थगन प्रस्ताव पर कोई...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य को एक ही स्थगन प्रस्ताव देने का अधिकार

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मेरा भी इस पर व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम : मैं आपका ध्यान नियम 52(2) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि एक सदस्य द्वारा एक ही विषय पर एक ही दिन चर्चा हो सकती है। आज कई माननीय सदस्यों ने 3-3, 4-4 स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, और आपने उन पर व्यवस्था दी है। मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि इन प्रस्तावों पर क्या दो-तीन बार बोलने दिया जायेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: प्रतिदिन एक माननीय सदस्य को एक ही स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की नियमान्तर्गत व्यवस्था है। एक दिन में एक ही दी है। यह व्यवस्था जो दी गई है, अलग अलग दिनों की है और उस दिन इन पर सदन में व्यवस्था नहीं दी गयी थी। इनके उत्तर एक साथ प्राप्त हुए हैं इसलिये इनको एक साथ लिया गया है। हम यह ध्यान रखते हैं कि एक से अधिक स्थगन प्रस्ताव किन्हीं माननीय सदस्य का नहीं लें।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

उचित तो यह होगा कि एक-एक माननीय सदस्य को अवसर दे दूं। जिनके प्रस्ताव रिजेक्ट किये गये हैं दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें। अगर किसी को कोई कठिनाई है, शंका है, तो कृपा करके मुझसे चेम्बर में आकर मिल लें। मैं उस पर पुनर्विचार कर सकता हूं। आपके विषय के अनुसार देख लेंगे। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन एक साथ बोल कर सदन का समय न लें। उचित नहीं है यह। मैं नाम पुकारता हूं, दो-दो मिनट आप बोल लें। बहुत बड़ी संख्या में स्थगन प्रस्ताव आये हैं। थोड़ा-थोड़ा सा समय सबको दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैं आपको भी अवसर दे दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : या तो आप मुझे चेम्बर में मौका दें...

श्री अध्यक्ष : आपका स्वागत है। आप पधारिये।

(व्यवधान)

इसलिये आप चर्चा समाप्त करिये; धीरज के साथ बातचीत करिये।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)
इस तरह से चर्चा का अवसर नहीं दे सकता और न मैं सन्तुष्ट ही कर सकता हूं। मैं माननीय सदस्यों के नाम पुकारता हूं उसके बाद भी माननीय सदस्य चाहें, तो ...

श्री **जीतमल जैन** (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था . .

श्री **अध्यक्ष** : यह मेरे लिए सम्भव नहीं है। मैं अवसर दे दूं, उसके पश्चात् कोई बात रह जाय तो आप कृपया, मुझे मिलकर कह सकते हैं।

श्री **देवीसिंह भाटी** (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, आज मैंने एक स्थगन प्रस्ताव . .

श्री **अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, इस तरह से स्थगन प्रस्तावों पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री **महाराम** चौधरी : अध्यक्ष महोदय, डिप्लोमा इन्जीनियर्स के खिलाफ में जो राज्य सरकार . . . . .

श्री **अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिये। जिन स्थगन प्रस्तावों पर एक से अधिक माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं, उनमें अधिक से अधिक दो माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा। आम तौर पर. .

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): रैली को छोड़कर. . .

श्री **अध्यक्ष**: रैली पर सिर्फ एक. .

श्री **घनश्याम तिवाड़ी**: रैली पर सब बोलेंगे।

श्री **अध्यक्ष** : श्री बालचन्द आर्यवीर, झालावाड़ जिले में पानी की कमी के सम्बन्ध में। दो मिनट।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रैली के सम्बन्ध में जब माननीय सदस्य बोलें, उस समय सदन में मुख्य मंत्रीजी उपस्थित हों तो ठीक रहेगा। ठीक है, यातायात मंत्री जी जवाब देंगे, जहां तक यातायात का प्रश्न है। मुख्य मंत्रीजी उपस्थित रहें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री **खेतसिंह राठौड़** (मुख्य सचेतक): हम तो पेमेंट करेंगे नियमानुसार।

श्री **अध्यक्ष**: आपस में विवाद नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री **बालचन्द आर्यवीर** (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में झालावाड़ जिले में ग्रामों और कस्बों में सभी जगह भयंकर पानी की अव्यवस्था हो रही है। उदाहरण के तौर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, कुम्हेर कस्बे में जो टंकी बनी हुई है उसकी क्षमता के अनुसार उससे अधिक कनेक्शन दिये गये हैं। उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मिनिमम चार्ज लिया जाता है। इसी प्रकार डग कस्बे में भी क्षमता के अनुसार टंकी नहीं बनाई गई है और जो ऊंचे स्थान पर मकान बने हुए हैं उनको पानी नहीं मिलता है। उनसे भी मिनिमम चार्ज लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार ग्रामीण अंचल की बात मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गांव हैं, जहां कि तीन- तीन मील दूरी से पानी लाना पड़ता है। ठीकरिया और अन्य कई गांव हैं, डग पंचायत समिति में इस प्रकार के गांव हैं। जहां पर पानी की अव्यवस्था है। वहां पर वर्तमान में न तो हैण्ड पम्प हैं और न कुएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप

(श्री बालचन्द आर्यवीर)
माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, ग्रामीण अंचल में पानी का बड़ा संकट है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर पानी की शीघ्र ही व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। आपने पानी की कठिनाई की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार भवानी मण्डी कस्बे में छोटी टंकी बनी हुई है, उससे झील को भी पानी दिया जाता है और पचपहाड़ कस्बे को भी पानी दिया जाता है। लेकिन पानी बराबर नहीं पहुंचता है और झील को अधिक पानी देते हैं, पचपहाड़ कस्बे के बीच में मिल है इसलिये मेरा निवेदन है कि पानी की उचित व्यवस्था करें। ग्रामीण अंचल में भी पानी की उचित व्यवस्था की जावे।

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ, माननीय सदस्य श्री अनंगकुमार जैन।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह सदन की जानकारी में है, बराबर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता रहा है, और सरकार की ओर से बयान दिये जाते हैं, वक्तव्य दिये जाते हैं कि अविलम्ब व्यवस्था की जावेगी, शीघ्र व्यवस्था की जावेगी। लेकिन यह पता नहीं लगता कि अविलम्ब और शीघ्र का मतलब क्या है। सालों निकल जाते हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र का मतलब 12 साल, 15 साल, 8 साल होता है? हर साल यह प्रश्न उठता है, सदन में स्थगन प्रस्ताव आते हैं, यह एक अहम् प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की जो निरन्तर प्रक्रिया चल रही है, सरकार सारे कार्य राजनैतिक आधार पर करने जा रही है, तीन दिन पहले भी यहां शिक्षा के मामले में चर्चा हो रही थी.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य। दो मिनट का समय है।

श्री अनंगकुमार जैन : सरकार हर मामले को राजनैतिक आधार पर कार्यान्वित करना चाहती है। लेकिन जहां तक पानी की समस्या है, यह जन मानस से संबंध रखती है। झालावाड़ जिले की कई पानी की स्कीम्स भेजी हुई है। झालावाड़ और झालरापाटन दोनों बड़े शहरों में आते हैं वहां पर पानी की भारी अव्यवस्था है। बीस साल पहले जो पानी की छोटी-छोटी टंकियां थीं और जो पाइप लाइन थी, वही आज भी है। इसलिये बार-बार अधिकारियों से कहा जाता है, चीफ इंजीनियर्स और वहां के अधिकारियों से विचार......

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। हमारे जिले में पानी की भयंकर समस्या है, इस संबंध में.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इतने बड़े

(श्री अध्यक्ष)
भाषण की मैं इजाजत नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपने बात कह दी, पानी की बात आपने बता दी ।

श्री **अनंगकुमार जैन** : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

जो स्कीम वहां से भेज दी गई है, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विभाग द्वारा जो स्कीम्स भेजी गई हैं उन स्कीम्स को मन्जूर किया जाय । केवल यही नहीं कहें कि प्रोब्लम है, यह प्रोब्लम है, उन स्कीम्स को मन्जूर करके उनकी क्रियान्विति की जाय । वहां पर बरसात बहुत कम हुई है। 15 मिनट पानी आता है और मिनिमम चार्ज लिया जाता है । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन स्कीम्स की क्रियान्विति की जाय जिससे उनके आधार पर वहां के लोगों को पानी दिया जा सके ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री महाराम-पंचायत समिति मूण्डवा और नागौर जिला के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विलीनीकरण के संबंध में ।

श्री **महाराम चौधरी** (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने आदेश निकाल करके और सहकारी समितियों का विलीनीकरण करके सक्षम इकाई बनाकर काम सुचारु रूप से चलाने के लिये व्यवस्था की है उस व्यवस्था में सरकार ने कतई ध्यान नहीं रखा है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार रेगिस्तानी क्षेत्रों में जिन गांवों का कार्य क्षेत्र बहुत लम्बा चौड़ा है, उन के अन्दर सक्षम इकाई बनाने के लिये विलीनीकरण सहकारी समितियों का किया, वह सहकारी समितियों के सिद्धान्त के खिलाफ है । इससे सहकारी समितियों के कार्य करने में दुविधा होती है । सरकार ने अपने एक आदेश के अनुसार बगैर प्रवन्धकारिणी की सहमति के सहकारी समितियों का विलीनीकरण करके सहकारी आन्दोलन को बड़ा धक्का पहुंचाया है । मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि एक ग्राम सेवा सहकारी समिति को दूसरी सहकारी समिति में मिलाने से उस क्षेत्र का कम से कम 100 वर्ग किलो मीटर का एरिया इस तरह से हो गया है । सहकारी समिति का सिद्धांत है कि एक दूसरे से जान-पहचान होनी चाहिये, सुविधा होनी चाहिये जिससे कि वह आपस में काम सुचारु रूप से कर सकें ।

श्री **अध्यक्ष** : समाप्त किया जाय, माननीय सदस्य ।

श्री **महाराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, जहां सरकार ने सरकारी समितियों के मार्फत राजस्थान का सर्वांगीण विकास करने की इच्छा रखी है, वहां एक तरह से उन सहकारी समितियों का गला घुट गया है, और सहकारी आंदोलन ठप्प हो गया है । राजस्थान में जिन-जिन....

श्री **अध्यक्ष** : आपका अन्य स्थगन प्रस्ताव और है ऋण के संबंध में, उस पर भी इसके साथ बोल लें ।

श्री **महाराम चौधरी** : वह तो लम्बा चौड़ा है। आपके चेम्बर में बातचीत करके..

श्री **अध्यक्ष** : आप चाहें तो सदन के माध्यम से.......

श्री महाराम चौधरी : यह बात कोई यहां पर सुनने वाला नहीं है। सीमांत और लघु कृषकों के साथ में भयंकर अन्याय हुआ है, उनके जानवर, भेड़-बकरी के ठप्पे लगा दिये और उनको ऋण दिया नहीं। उनके जानवरों के ठप्पे लगाकर, उनके अंगूठे लगवाकर भी उन। बेचारों को ऋण नहीं दिया हैं। इस बात के लिये मैं निवेदन करूंगा कि इस स्थगन प्रस्ताव को आप समझकर मुझे सरकार से जवाब दिलायें। यह एक जगह की बात नहीं, कम से कम 15-20 गांवों की है। जो सरकार सीमांत व लघु कृषकों और अनुसूचित जाति वालों का विकास करना चाहती है वह विकास नहीं हो करके उनका अविकास हो रहा है। उस संबंध में मुझे टाइम देकर सरकार से जवाब दिलाया जाय। एक ही जगह की बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

मैं आपको उदाहरण देकर कहूंगा, गांवों के नाम बताकर बताना चाहता हूं कि उन्हें ऋण देने के अंदर भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। एक भी जेनुइन आदमी को यह ऋण नहीं दिये गये हैं। सीमांत व लघु कृषकों को 500 से 1000 तक पैसा छीन लिया गया है। सबसिडी और ऋण जो उनको सरकार की देने की मन्शा थी उसकी पूर्ति नहीं हुई है। जिन आदमियों को सरकार लाभान्वित करके, उनका विकास करना चाहती है उनके साथ में बड़ा अन्याय हुआ है। अत: मैं आपसे निवेदन करूंगा इस स्थगन प्रस्ताव पर कि किस किस तारीख के अन्दर..

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ भाषण। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : मुझे बात तो पूरी कहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर।

श्री महाराम चौधरी : उनके लोन स्वीकृत हुये, जानवरों के ठप्पे लगा दिये गये।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री महाराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

आर्डर प्लीज। श्री हीरालाल आर्य।

श्री बंशीलाल पटवा : भीलवाड़ा नगर के लिये प्राप्त 360 बोरी चीनी ब्लेक में बिकने के विषय में।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह मामला पिछले वर्ष का है। 360 बोरी चीनी पिछले वर्ष सातवें महीने में हासपेट महाराष्ट्र में जो गांव हैं वहां से चली। इंडिया शुगर रिफाइनरी फैक्ट्री ने 360 बोरी चीनी की शादी लाल धीरज कुमार नाम की एक पार्टी है उसको भेजी। सातवें महीने की 4 बिल्टियां बनी हुई हैं। दो बिल्टियां 90-90 बैग्स की हैं, एक बिल्टी 180 बैग्स की है। तो यह चीनी जो आई है उस समय चीनी की किल्लत राजस्थान में और देश में थी, जयपुर में भी 18 रुपये, 17 रुपये, 20 रुपये किलो तक चीनी बिकी, और यह चीनी 6 रुपये कुछ पैसे के भाव से आई। इस चीनी को शादीलाल धीरज कुमार ने स्टेट बैंक से छुड़वाया और उसके बाद क्योंकि उस समय राज्य सरकार की

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बन्शीलाल पटवा)
घोषित नीति के अनुसार उस पार्टी ने स्टाक नहीं दिया था इस कारण से उस समय के जिलाधीश महोदय ने इन 360 बोरी चीनी को सील करा दिया था। उसके बाद कार्यवाही आरंभ की किन्तु पार्टी ने बद-नीयति की दृष्टि से डीलर्स के यहां इधर उधर भटकती रही। ऐसी स्थिति में वे 360 बैग चीनी की आई, बैंक से बिल्टी छुड़ा ली। एन्डोर्स शादीलाल धीरजकुमार के नाम से कर दिया। ऐसी हालत में शादी लाल धीरज कुमार दूसरे को एन्डोर्स कर सकता है लेकिन ओरिजिनल पार्टी को किस तरह से एन्डोर्स कर सकता है लेकिन उसने एन्डोर्स किया भी। राज्य सरकार के फूड कमिश्नर की मिली भगत, नीचे के जो सप्लाई आफिसर्स हैं उनकी मिलीभगत के आधार पर ये 360 बोरी चीनी फिर से उसी पार्टी को छोड़ दी जिसने बम्बई से भेजा था। इसके अंदर बहुत बड़ा घपला हुआ था, 6 रुपये और कुछ पैसे से चीनी आई थी 360 बैग्स और उसी पार्टी ने फिर चीनी छुड़ाकर 11–12 रुपये के दाम से भेजी..

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा इस बारे में निवेदन है कि बहुत बड़ा घपला हुआ है, स्केंडल है, भूतपूर्व निवतमान मंत्री भी इसमें शरीक हैं। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। इस कांड की जांच कराई जाय। मैं सारे सबूत प्रस्तुत करने के लिये तैयार हूं, किस तरह से बैंक से छुड़ाई, बिल्टी हुई, किस तरह से फिर से उसी पार्टी को दी जो शादीलाल धीरजकुमार के नाम से आई थी....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा स्पष्ट आरोप है कि भूतपूर्व कांग्रेस सरकार के निवृतमान मंत्री भी इस में शरीक हैं। उसने भी भ्रष्टाचार किया है, फूड कमिश्नर ने किया है और यदि राज्य सरकार की नीयत साफ है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। श्रीमती उजला अरोड़ा। जयपुर नगर के कई मोहल्लों में प्रेशर के साथ पानी नहीं पहुंचने के संबंध में।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, हमारे जयपुर नगर के पानी के दो सिस्टम हैं, एक लक्ष्मण डूंगरी की टंकी से और दूसरा अमानीशाह के नाले से। लेकिन इन दिनों यह नहीं कहा जा सकता कि किस सिस्टम की खराबी से प्रेशर नहीं है। यहां पानी के लिये लोग बहुत परेशान हैं। पानी सुबह से नीचे की मंजिल पर बूंद बूंद आता है। मुझे यह जानकारी मिली है मेरी कान्सटीट्यूएंसी से भी और बाकी क्षेत्रों से भी, ऊपर की मंजिल में तो चढ़ता ही नहीं और नीचे की मंजिल में भी पूरे प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, पानी मनुष्य के लिये कितना आवश्यक है, आप जानते हैं नहाने के लिये, खाना बनाने के लिये, घरों के अन्य कार्यों के लिये, पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं कहना चाहूंगी इधर करबला कॉलोनी है, गोविंदपुरी और कृष्णपुरी, मंडी खटिकरां है, इधर जो गंगापोल और राम चन्द्र की चौकड़ी के रहने वाले हैं चाहे वह धाभाईजी का खुर्रा हो चाहे चाणक्य मार्ग हो, चाहे जगन नाथ शाह का रास्ता हो चाहे पानों का दरीबा हो या बांदरी का मासिक हो, पानी का कोई प्रेशर नहीं है। जालूपुरा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

से शिकायत मिली है, बनी पार्क से भी शिकायत मिली है, मुझे गांधी नगर से भी शिकायत मिली है। यह नहीं बताया जा रहा है कि क्यों प्रेशर नहीं है। इतना ही नहीं सिविल लाइन्स को छोड़ दीजिये, सिविल लाइन्स में स्पेशल लोगों की आबादी में 24 घंटे पानी आता है और एम. एल. ए. जो आज कल जयपुर में हैं उनका मुंह बंद करने के लिये उनके स्थानों पर पानी ठीक दिया जा रहा है लेकिन आम पब्लिक की स्थिति का कैसे अनुमान लगायेंगे ? उनको तो एक घंटे पानी मिलता है जब कि नियमानुसार पानी का प्रेशर कम नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 24 घंटे पानी बराबर मिलना चाहिये जब कि सुबह एक घंटा भी पानी नहीं मिलता है। आज से 5 दिन पहले तो मैं बिना नहाये आई थी। उनकी स्थिति का तो पता नहीं। मैं कहना चाहती हूं कि पानी की व्यवस्था ठीक करायें। पानी जीवन के लिये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, शहर के लोग परेशान हैं। बड़े जो संबद्ध अधिकारी हैं और माननीय मंत्री हैं, उनसे कहकर पुनः समस्या का समाधान करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी। सूर सागर तालाब.....

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने निवेदन किया था, आपके चैम्बर में मैं कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया। ग्राम पंचायत घासा तहसील मावली में कराये गये निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के संबंध में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने इस विषय को अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं समझा यह मेरा दुर्भाग्य है। दूसरा दुर्भाग्य है संबंधित मंत्री भी इसको शायद अविलंबनीय लोक महत्व का नहीं समझते। इसलिये हमारा बोलना या न बोलना बराबर है। श्रीमन्, यह इतनी बड़ी अनियमितता है। इतनी बड़ी अनियमितता के बारे में बारबार चिट्ठी लिखने के बाद भी, लगातार 4 महीने से इतने सारे पत्र सारे संबद्ध अधिकारियों को लिखने के बाद भी उस बारे में कोई जांच नहीं की, पता नहीं लगाया। यहां तक कि चरनोट की जमीन के नाम से जो घासा का सरपंच है उसने लोगों को रसीद दी हैं, उसकी फोटो कापी हमने साथ में लगाई है। आपको पट्टा दिया जायेगा इसके आधार पर किसी से 500 किसी से हजार रुपया वसूल किया गया और अब तक उनको जमीन नहीं दी गई। इतना ही नहीं वहां गांव के अन्दर खुरंजा के नाम से 40 हजार रुपये लिये लेकिन 40 हजार में से एक पैसे का काम भी नहीं हुआ। यह तो हमको अभी पता लगा कि रोड वहां से जा रही थी फेमिन की उस रोड को गांव में डाइवर्ट करके सरपंच ने पहले के 40 हजार पर लीपापोती करने के लिए उधर से माल बचाकर इधर गांव में लाना स्टार्ट किया और कुल एक इंच गिट्टी दबाई तो लोगों ने कहा कि यह क्या मूर्खता कर रहे हो तब सारे काण्ड का पता लगा कि 40 हजार रुपये जो खुरंजे के नाम से उठे वह इस तरह से अनियमितता से उठ गये।

श्रीमन्, यही नहीं सीमेन्ट के सैकड़ों बैग्स इन विभिन्न कामों में उठाये गये। लेकिन मेरा अनुमान है कि 30-40 बैग्स से अधिक कोई सीमेन्ट का काम नहीं हुआ और कामों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

में सीमेन्ट दिखाया उन सब की आज अगर जांच की जाये तो वहां चूने का काम हुआ है और सारा सीमेन्ट मार्केट में बेच दिया। श्रीमन्, कई काम ऐसे हैं कि जो काम पहले हो चुके हैं और उनको फिर से दिखा कर पैसा उठाया है, इतनी भारी अनियमिततायें हैं।...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रीमन्, यह बात भी इसलिए आई कि राजनैतिक षड़यंत्र है। हमारा एक सरपंच है, हालांकि उसने कोई गबन नहीं किया केवल इस बैंक से आज की तारीख में पैसा निकाला और दूसरी बैंक में आज की ही तारीख में जमा किया। उसको तो परेशान करके उसको सस्पेन्शन का आर्डर दे दिया। तब वह हाई कोर्ट से स्टे का आर्डर लेकर आया। हमारे एक सरपंच के खिलाफ केवल मौखिक एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी कि उसने 800 रुपया प्लाट देने का लिया उसको हथकड़ियां लगाकर उसका जुलूस निकाला। इस प्रकार का राजनैतिक द्वेष है। एक नहीं ऐसी अनेक घटनायें हैं।

एक सरपंच हमारा है उसने गलती की जिस माइन्स में एक्सीडेन्ट हुआ उस माइन्स का वह मालिक भी नहीं है। हमको कहीं से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। हम शिकायत करते हैं वहां भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता। उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। यहां सदन में जब हम बात उठाते हैं तो भी इस लाइट में उसको लिया जाता है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि अगर हमारा कोई सरपंच दोषी है, तो उसको कानून में सजा दो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन छोटी-छोटी बातों में आप उनको तो सस्पेण्ड करके कोर्ट के हवाले कर देते हो। वह मारे-मारे फिरते हैं और आपके लोगों के लिये हम चार महीने से लगातार कह रहे हैं कि लाखों रुपयों का घोटाला है। यह हम आपके सामने रख रहे हैं। अधिकारियों को पत्र लिखे हैं, वहां के लोगों ने लिखे हैं उसके पश्चात् भी उसकी जांच नहीं होती। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आज भी वहां जांच टीम को भेजिये। इन सारे कामों को आप दिखायें तो मालूम होगा कि वहां कोई काम नहीं हुए लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करते। इसलिए मैं चाहता हूं आप संबंधित मंत्री महोदय को कहें कि इस घोटाले की जांच करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की अव्यवस्था के संबंध में।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री समर्थलाल : अलवर जिले में राजगढ़ स्थित हायर सैकण्डरी स्कूल के भवन के बारे में।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव कई दिन पूर्व दिया था। राजगढ़ हायर सैकन्डरी स्कूल जीर्ण शीर्ण अवस्था है। यह अवस्था उसकी तीन सालों से चली आ रही है। बरसात के दिनों में यह स्कूल बिल्कुल बन्द रहता है। इन दिनों में भी उस स्कूल में छात्र गये तो छात्र और शिक्षक, जो उनको पढ़ाते हैं, सशंकित हैं कि इमारत कभी भी गिर सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में राज्य सरकार को बराबर तीन सालों से सूचना मैं दे रहा हूं लेकिन इसके बारे में सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

(श्री समर्थलाल)

राज्य सरकार को मैंने कई बार सुझाव दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, वह बिल्डिंग तीन मंजिल की है और पुराने टाइप की बिल्डिंग है उसके नीचे की जो बुनियाद है वह बिल्कुल निकल चुकी है। वह तीन मंजिल की हवेली है और बिल्कुल अलग पड़ी हुई है, वह इमारत कभी भी गिर सकती है। उसके अन्दर 1200 छात्र पढ़ते हैं और 100 के करीब शिक्षक कर्मचारी उसके अन्दर रहते हैं। कभी भी इमारत गिर सकती है। अभी जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है वह भी जवाब सही नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इमारत है उस इमारत को और उसकी जो जगह है उसको नीलाम करा दिया जाये और नीलाम करके उससे जो पैसा आये, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं, पांच छः लाख रुपये में वह इमारत बिक सकती है उस पांच छः लाख रुपये में दूसरी इमारत खड़ी हो सकती है।....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

श्री समर्थलाल : सरकार से यह कहा जाये कि दूसरी व्यवस्था करे। यह व्यवस्था अविलम्ब की जाये। इसलिए मैंने यह स्थगन प्रस्ताव पेश किया था।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद, उदयपुर के सेवा निवृत्त हुए निदेशक एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा परिषद को प्राप्त अनुदान की राशि में घोटाले के संबंध में।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का जवाब आया और लेखे दिये जा रहे हैं उससे लगता है कि शासन गम्भीर नहीं है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल कौंसिल आफ रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट है उससे लाखों रुपये प्रशिक्षण के लिए उदयपुर के संस्थान को मिलते हैं। पिछली 24 अगस्त को एक ट्रेनिंग कोर्स खतम हुआ उस समय उस पैसे से हर एक को आने का भत्ता और ठहरने का टी.ए., डी.ए. देना था। तब यह स्थिति सामने आई कि जो चैक दिल्ली से आते हैं वह चैक यहां के एक अकाउन्टेन्ट और डाइरेक्टर महोदय ऊपर ही ऊपर, विथड्रा करा लेते हैं। जब जांच आरम्भ हुई तो पौने दो लाख का गबन सामने आया। जो प्रशिक्षणार्थी थे उनको बिना टी.ए., डी.ए. और भत्ता लिये ही जाना पड़ा। उसकी तीसरे दिन तक रिपोर्ट नहीं की गयी और इसका दवाब डाला गया कि यह पौने दो लाख रुपये किस तरह से पूरे किये जायें। वहां के अधिकारियों ने षड़यंत्र करके यह किया कि हर एक ने एक-एक हजार, दो-दो, हजार और चार-चार हजार रुपये अग्रिम लेने की बात कह दी। लेकिन इतना होने के बाद भी करीब 70-80 हजार रुपया से वह ज्यादा नही हुआ तो 17 तारीख को पुलिस में रिपोर्ट की गयी। वहाँ उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है कि सारे तथ्य नहीं जायें और सारे लेखे जोखे नहीं जायें। सारे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह तो वहां की स्थिति है।

वहां पर जो कागज दिया गया है केन्द्रीय सरकार की ओर से वह कागज भी ब्लैक में बेच दिया गया। करोड़ों रुपये का उसका

(श्री कैलाश मेघवाल)
कोई हिसाब नहीं है। उसके लेखे जोखे कोई देखने को तैयार नहीं है। मैं आपके द्वारा यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार थोड़ा भी शिक्षा के क्षेत्र को शुद्ध करना चाहती है तो इस तरह के जो मामले आते हैं उनको गम्भीरता से देखे। मैं अध्यक्ष महोदय, और भी निवेदन करूं कि लोगों को प्रमोशन मिल जाते हैं और दो-दो प्रमोशन फोरगो करने के बाद में भी वहां लोग ठहरे रहते हैं। एक श्री भगवानदास जी व्यास हैं उनको 6 महीने पहले एक्सटेन्शन दिया गया और इस बार फिर से एक्सटेन्शन देने की बात की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ईमानदारी से जांच की जायेगी तो राजस्थान के शिक्षा जगत पर बड़ी कृपा होगी। केन्द्र सरकार तो बड़ी-बड़ी स्कीम बना रही है और बड़ी-बड़ी योजनायें बनाकर पैसा दे रही है लेकिन उस पैसे का इस तरह से दुरुपयोग और घोटाला हो रहा है। वहां का अकाउन्टेन्ट लाखों रुपयों का गबन कर गया है।

श्री **अध्यक्ष** : समाप्त कीजिए।

श्री **कैलाश मेघवाल** : इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार गम्भीरता से इस विषय में कार्यवाही करे।

श्री **अध्यक्ष** : अब आ रहा है रैली के संबंध में। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव रखा है। मैं तीन माननीय सदस्यों को ही समय दूंगा। दो-दो मिनट का समय लें।

श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : अगर आज्ञा हो तो रैली के पहले मैं निवेदन कर दूं.....

श्री **अध्यक्ष** : किस के बारे में है आपका ?

श्री **दाऊदयाल जोशी** : दूरबीन द्वारा नसबन्दी की जा रही है और उसमें नकली चीज प्रयोग की जा रही है जिसके कारण से बीमारी होने की सम्भावना है। इसके अन्दर लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है....

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। अभी तो तथ्य मंगाये हैं। टैक्निकल जानकारी ली जा रही है। मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह असली नहीं है। वह तथ्य मेरे पास हैं....

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। इस समय यदि आप बोलेंगे तो समाप्त माना जायेगा। आर्डर प्लीज। रैली के संबंध में कौन-कौन माननीय सदस्य बोलेंगे ? अधिक से अधिक तीन माननीय सदस्य बोल सकते हैं दो-दो मिनट के लिए। कुमारी पुष्पा ....

श्री **नाथूसिंह** : इस पर मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री **अध्यक्ष** : इस पर अधिक से अधिक तीन माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** (नेता प्रतिपक्ष) : सरकार की ओर से सन्तोषजनक उत्तर मिल जाये तो कोई नहीं बोलना चाहता। लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट उत्तर आना चाहिए।

श्री **अध्यक्ष** : यह विषय तो पहले सत्र में काफी विस्तार से चर्चित हो चुका है। कायदे से तो यह आना ही नहीं चाहिए था लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों के प्रश्न थे इसलिए जानकारी मंगाई और जानकारी

(श्री अध्यक्ष)

मंगवाने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसको अस्वीकार किया जाये। जब हम किसी को अस्वीकार करते हैं तो माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट का समय देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो दो मिनट का भी समय नहीं लेना चाहते हैं।...

श्री अध्यक्ष : इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। दुबारा बात कर लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब क्या कर लें। सरकार तो 25 को चली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : आज उत्तर आया उसके हिसाब से ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : कुमारी पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फर्माया कि कायदे से इसको आना ही नहीं चाहिए। शत-प्रतिशत हम आपकी राय से सहमत हैं कि कायदे से यहां कभी नहीं आना चाहिए बशर्ते कि कांग्रेस पार्टी द्वारा यह बकाया जमा करवा दिया जाता। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि करीब 7 माह होने को आये कांग्रेस पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी भी है, द्वारा निरन्तर सारे कानून और नियमों को ताक में रखकर नियमों के अगेन्स्ट सारे राजस्थान की जनता को रिस्क में डालकर 7 दिन तक राजस्थान की यातायात व्यवस्था को ठप्प करवाकर 1200 बसें रैली के लिए जयपुर से दिल्ली ले जाई गयीं और दिल्ली से जयपुर लाई गईं जब कि वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ तौर से मना कर दिया था कि वह उन बसों में से सिर्फ 10 प्रतिशत बसें ही दे सकते हैं याने कि 200 बसें दे सकते हैं, लेकिन तत्कालीन मंत्री, जो यातायात मंत्री थे और जो रैली के संयोजक भी बनाये गये थे, यह कहा कि आप नियमों की परवाह मत कीजिए और जैसा हम कह रहे हैं आप कुल 1200 बसें ही भेज दो और उसकी राशि को बाद में देखा जायेगा। जिन अधिकारियों ने उनके दबाव में आकर हां भर दी, उनको वरिष्ठ अधिकारियों के कोप का भाजन बनना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ तौर से यह कह दिया कि यह निगम के नियमों के विरुद्ध है और निगम 50 प्रतिशत सीटों की कैपेसिटी के आधार पर ही बसों की व्यवस्था करवा सकता है लेकिन यातायात मंत्री महोदय ने कहा कि नहीं 100 प्रतिशत सीटों की कैपेसिटी के हिसाब से बसें जायेंगी और बसों को भेज दिया जाये। लिहाजा बसें भेज दी गयीं। एक हफ्ते तक राजस्थान की व्यवस्था ठप्प रही। उसके बाद जब निगम ने बिल भेजा तो कांग्रेस पार्टी आनाकानी करने लगी, वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव डाला जाने लगा कि बिल को नहीं भेजा जाये और अगर भेजा जाये तो उसकी राशि कम कर दी जाये।

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में पहले विधान सभा में यह मुद्दा आया था तब मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी निगम में राशि जमा कर दी जायेगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज अकाल और बाढ़ की स्थिति में किसानों से बकाया वसूलियां की जा रही हैं और वसूलियां नहीं देने पर उनकी कुर्कियां की जा रही हैं। कोई किसान बिजली का बिल जमा नहीं

(सुश्री पुष्पा जैन)

करा पाता है अकाल के कारण या बाढ़ के कारण तो उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है । कांग्रेस पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी भी है और जिसकी करोड़ों की हैसियत है, उस पार्टी के लिए 43 लाख रुपये की कोई बहुत बड़ी राशि है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, निगम ने जो 43 लाख रुपये का बिल भेजा है उसमें 35 प्रतिशत बसों को डिपो से रवाना होने के स्थान पर भेजे जाने और डिपो तक वापस ले जाने तक का खर्चा भी शामिल है। अध्यक्ष महोदय, 1200 बसों की व्यवस्था की निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने जब कहा कि 10 प्रतिशत करते हैं तो यातायात मंत्री ने जोर देकर कहा कि सारी राशि जमा करा दी जायेगी, आप अमाउन्ट के लिए चिंता न करें। आप सारी की सारी बसें भेज दें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूंगी कि एक हफ्ते से राज्य सरकार की इस कार्यवाही से गांव के लोग परेशान थे, शहर में भी काफी परेशानी इससे लोगों को उठानी पड़ी । कौन जिम्मेदार है ? सरकार का जो नुकसान हुआ है सरकार को उसकी वसूली दी जाये, उसका मुआवजा दिया जाये । सत्ताधारी पार्टी अपनी सरकार को बचाने के लिये जानबूझ कर बार-बार इस प्रश्न को इस सदन में उठाने से रोक देती है। अध्यक्ष महोदय, 10 तारीख को जैसी सूचना आपको दी गई उसके द्वारा इसकी जानकारी राज्य सरकार से मंगवायें। यह एक ऊसूल की बात है, और राज्य सरकार के हित में भी यह बात होगी कि आप 43 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार को जमा करवायें और इसका पता विधान सभा को दें ।

मुझे दुःख है कि मुख्य मंत्रीजी यहां पर मौजूद नहीं हैं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर उनका न होना बड़े दुःख की बात है। लगता है कि मुख्य मंत्रीजी नाराज़ हैं हमसे । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि मुख्य मंत्रीजी यहां आकर कहें कि 43 लाख की वसूली राज्य सरकार को दी जायेगी। इसका समय निर्धारित कर दिया जाये और फिर वे आकर कहें कि हमने राशि जमा करवा दी है। मैंने सुना कि 25 तारीख को विधान सभा स्थगित की जा रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहूंगी कि वह इसी सत्र के अन्दर बकाया राशि जमा करवायें अन्यथा हमें फिर इस सवाल को बार-बार इस सदन में उठाना पड़ेगा । आसन की तरफ से यह बताया गया है कि यह सवाल विधान सभा के इस सत्र के अन्दर नहीं आना चाहिये था । अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने कई बार इस सवाल को उठाया, लेकिन राज्य सरकार ने इसे ठुकरा दिया ।

श्री अध्यक्ष : बार-बार इसी विषय को उठाना नियमों के विरुद्ध है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, अगर इस सवाल को हल नहीं किया गया तो भविष्य में कोई भी पार्टी निगम की इस तरह से बसें ले लेगी और उसकी राशि सरकार को जमा नहीं करवायेगी । मंत्री महोदय का क्या जवाब होगा····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, सवाल खतम हो जायेगा अगर मुख्य मंत्री खुद आकर इस सदन में कहें कि राशि जमा करवा देंगे ।

(१८)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम नहीं चाहते थे कि यह मामला फिर से मदन में उठाया जाये और इस सत्र में इसकी चर्चा हो, लेकिन हमें मजबूर होकर इस मामले को सदन में उठाना पड़ा है। इसलिये कि जो 43 लाख रुपये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री जी को बुलाइये।

श्री अध्यक्ष : सूची में यह विषय नहीं है। इसलिये इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो व्यवस्था दी उसके लिये मुझे पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : यह तो सरकार के सोचने की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर सरकार नहीं सोचती है तो इसका हल कैसे होगा ?

यहां यातायात मंत्रीजी बैठे हुए हैं। उन्होंने आंखों पर चश्मा चढ़ाया हुआ है और सब कुछ भीतर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अन्दर ही अन्दर हंस रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुख्य मंत्री आकर वक्तव्य देकर इस सदन को आश्वस्त करें कि इसकी वसूली की जायेगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (मंत्री, संसदीय कार्य): जैसा कि आपने बतलाया है, अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव नामंजूर करने के बाद केवल सदस्यों को 2-2 मिनट कहने के लिये और ध्यान आकर्षण करने के लिए आसन ने समय दिया। उन्होंने बहुत कुछ कहा हैं, यह तो मालूम है कि जो बसें गई थीं उनके संबंध में सरकार भी कुछ कहना चाहेगी, क्योंकि यहां की परम्परा है कि जब कोई स्थगन प्रस्ताव नामंजूर हो जाता है तो उसको कहने के बाद सरकार कहती है। तो वह अपनी ओर से कुछ भी कह दें। जो भी आप कहना चाहते हैं और कह लीजिये। उसके बाद में उचित समझूंगा तो मैं आपके सामने अपनी बात को कहूंगा। अभी यह जरूरी नहीं है कि मैं कुछ कहूं, क्योंकि उसके बाद में फिर आप कहते रहेंगे। यह विवाद का समय नहीं है, इसलिये आपको जो कुछ कहना है कह लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके कहने के बाद कहेंगे....

(व्यवधान)

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैं जानता हूं कि यह मामला वह नहीं है, यह मामला राजनैतिक तौर पर उठाया गया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो आप फर्मा रहे हैं, उसी को माना है। हम तो यह चाहते है कि माननीय मंत्री महोदय पहले कह दें तो शायद हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़े।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के अनुसार ही उनको इजाजत दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन का समय बचाने के लिये आप भी चिन्तित हैं और हम भी सदन का समय बचाने के लिये चिन्तित है। इनका भाषण हो जाय और यदि भाषण से सन्तुष्ट हो जायं तो बोलने की जरूरत ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, जो प्रक्रिया है, उसी के अनुसार कार्यवाही चले तो अच्छा है ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जो निवेदन कर रहा था उस समय वह यह था कि रोडवेज ने चिट्ठी लिखी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बात न करें।

श्री नाथूसिंह : कांग्रेस के नाम चिट्ठी लिखी कि पैसे जमा करवाये जायं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बसें ले जाने के लिये और उनका किराया वसूल करने के लिये आपने वित्त विभाग का प्रतिनिधि रोडवेज में बैठा रखा है जिसको हजारों रुपये महीने की तनख्वाह देते है। वह सरकार का हित देखता है, डिपार्टमेंट का हित देखता है, रोडवेज का हित देखता है, कानून के अनुसार काम हो रहा है या नहीं, नुकसान तो नहीं हो रहा है, यह भी देखता है। जिस समय बसें गई थीं, उस समय चीफ अकाउन्ट्स आफिसर से राय ली। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जानना चाहूंगा वह सबूत। जिस कागज पर राय दी है, सदन की मेज पर रख दें। और अगर नहीं दी है तो जो आपने वहां वित्त विभाग का रिप्रजेन्टेटिव बैठा रखा है वह किस मतलब का है। अध्यक्ष महोदय, बसों में सवारियां बैठती है तो पैसेन्जर टैक्स लगता है। राजस्थान रोडवेज की बसें कांग्रेस रैली में जो भेजी गई है वह करीब 1,200 बसें भेजी गई हैं और उनका पैसेन्जर टैक्स 12 लाख बनता है....

(सभापति पदासीन)

सभापति महोदया, यह 12 लाख रुपया माफ कराने के लिये और वसूल नहीं करने के लिये अधिकारियों पर दबाव डाला गया लेकिन कुछ अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा कि पैसेन्जर टैक्स इस हिसाब से लगेगा। क्योंकि बसों में सवारियां बैठेंगी इसलिये पैसेन्जर टैक्स तो लगेगा। उन अधिकारियों ने उन कागजों पर नोट लगाया है लेकिन, सभापति महोदया, उन अधिकारियों में से कुछ को दबा दिया गया और कुछ का तबादला कर दिया गया। इस तरह पैसेन्जर टैक्स का 12 लाख रुपया यह कांग्रेस खा गई। साढ़े 43 लाख रुपया सात माह से बकाया है। बैंक दर से भी यदि ब्याज जोड़ा जाय तो साढ़े तीन लाख रुपया ब्याज का होता है। इस तरह साढ़े तियालीस लाख रुपया किराये का बाकी है, साढ़े तीन लाख रुपया ब्याज का बकाया है, 12 लाख रुपया पैसेन्जर टैक्स का बकाया है। इस तरह कुल मिला कर 60 लाख रुपये जनता के निकलते हैं और इसका रोडवेज में घाटा जा रहा है। आप बसों को डब्बा बनाकर चला रहे हैं और आम पब्लिक पर 6 महीने में दो-दो बार किराया बढ़ा रहे हैं वह इसलिये कि रोडवेज घाटे में जा रही है। लेकिन दूसरी और 60 लाख रुपया जनता का और रोडवेज का यह कांग्रेस (आई) की सरकार, जो बैठी है सत्ता में, खा रही है......

(व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से आशा करता हूं और मंत्री महोदय से तो मुझे आशा है लेकिन परसराम जी यहां बैठे हैं मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि कानून और नियमों के जानकार हैं पूरी तरह और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जहां गड़बड़ी होती है वह कहते हैं, कार्यवाही करूंगा। कैबिनेट की जोइन्ट रेसपान्सीबिलीटी होती है, कबिनेट में वे बैठे हैं, वे अपने उत्साह का परिचय

(श्री नाथूसिंह)

दें, गम्भीरता का परिचय दें और बतायें कि 60 लाख रुपया जो जनता का बकाया है उसके साथ कांग्रेस कोई गड़बड़ी तो नहीं कर सकेगी। वह तुरन्त प्रभाव से जमा कराया जाय।

माननीय सभापति महोदया, जिस समय बसें दी जाती हैं तो रोडवेज के चेयरमैन महोदय, जो वहां का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, से पूछा जाता है कि बसें दी जा सकती हैं या नहीं लेकिन उस समय वे वहां नहीं थे। उनकी बिना परमिशन के पीछे से 1200 बसें रैली में जाने के लिये दूसरी सब जगहों से विथड्रा कर ली गईं। यह आदेश दे दिये गये कि जितनी बसें चल रही हैं उनको विथड्रा करें और रैली में भेज दें। माननीय मंत्री महोदय आ गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी महोदय, साढ़े तियालीस लाख रुपया आपकी पार्टी खा गई, साढे तीन लाख व्याज के खा गई और 12 लाख रुपये पैसेन्जर टैक्स के खा गई। अपने दिल पर हाथ लगा कर कहें, 60 लाख रुपये की बकाया रोडवेज की आपकी पार्टी में निकल रही है। मैंने निवेदन किया था, आप नहीं आये थे, माननीय सभापति महोदया, पिछले 6 महीने में दो वार रोडवेज का किराया बढ़ाया गया। 25 प्रतिशत एक वार और फिर दुवारा 25 प्रतिशत बढ़ाया गया, यह कह कर कि रोडवेज में घाटा चल रहा है। इसका आम आदमी पर बोझ डाला जा रहा है। जो 60 लाख कांग्रेस में बाकाया हैं, आप, मुख्य मंत्रीजी, खड़े होकर कहें कि 60 लाख जमा नहीं करायेंगे तो फिर आपके अध्यक्ष के प्रति कार्यवाही की जायेगी.....

एक माननीय सदस्य : जेल भेजेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रोसीक्यूशन किया जायेगा।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदया, कांग्रेस की रैली में जो बसें रोडवेज से ली गई थीं, उस संबंध में रोडवेज से स्पष्टीकरण चाह रहे हैं। पैसा जो भी वाजिब होगा उसको न देने का सवाल ही नहीं उठता। पैसा देना है लेकिन जो बसेज गई थीं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। नहीं देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिये यहां पर इतनी बहस का सवाल ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह (गुढ़ा) : यह गोलमाल जवाब कैसे दे दिया। आपको मालूम नहीं है 1,200 बसें कहां गई थीं। आपके भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय को और कांग्रेस के अध्यक्ष को सब मालूम है। आप मुगालते में डाल रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदया, मैंने एक सवाल इसी विधान सभा के माध्यम से उठाया था उसका जवाब जो इनके द्वारा यानी राज्य सरकार के माध्यम से मेरे पास आया है. सरकार की तरफ से, मुख्य मंत्रीजी की जानकारी के लिये मैं पढ़ देती हूं। सभापति महोदया, मेरा प्रश्न था, दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान रैली के लिये राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा अनुवन्धित बसेज का कितना किराया कांग्रेस पार्टी को जमा करवाना है? इसका उत्तर है, दिल्ली में आयोजित किसान रैली में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अनुवन्धित बसों का कुल किराया 43 लाख 35 हजार 461 रुपये 22 पैसे कांग्रेस पार्टी

(सुश्री पुष्पा जैन)
को जमा करवाना है। दूसरा मेरा प्रश्न था कि इस किराये की वसूली के संबंध में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अब तक क्या कार्यवाही की ? जवाब है, निगम द्वारा इस राशि की वसूली के लिये दिनांक 13-5-81 को एक पत्र अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस पार्टी को भुगतान हेतु प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात समय-समय पर रजिस्टर्ड-पत्र आदि भी दिये गये हैं।

अन्तिम स्मरण-पत्र दिनांक 1-9-81 को भेजा गया। इसके बाद समझ में नहीं आया, मुख्य मंत्रीजी किस जानकारी को निगम के द्वारा चाहते हैं और क्यों इस अहम सवाल को आप चबा रहे हैं।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, और साथ-साथ यह भी बता दीजिए कि नेशनल परमिट के नाम पर आपने कितने लाख रुपये इकट्ठे किये हैं और कांग्रेस द्वारा चुकाने के नाम पर····

श्री **खेतसिंह राठौड़** : एक धेला नहीं।

श्री **वीरेन्द्रप्रतापसिंह** : आपका भी हिस्सा था उसमें ?

श्री **खेतसिंह राठौड़** : कुछ नहीं।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री **शिवचरण माथुर** : रैली के लिए जो बसें दी गयी थीं; साथ में कितनी जगह में कितनी गयीं, कितना बिल भेजा है, उसके बारे में पी. सी. सी. कुछ स्पष्टीकरण चाहती है। स्पष्टीकरण देने के बाद पैसा जमा करा दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मुख्य मंत्रीजी. आप सदन में औपचारिकता पूरी करने के लिए बात कर रहे हैं यह तो समझ में आ गया ?

श्री **शिवचरण माथुर** : बिल्कुल नहीं। औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मैं समझता हूं। आपको थोड़ा-बहुत मैं भी जानता हूं और नहीं जानते होंगे। औपचारिकता पूरी करने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं, आपके मन में इस बात की टीस भी होगी कि रुपया क्यों नहीं जमा हुआ। अब तक जमा नहीं हुआ, इसके लिए केवल औपचारिकता का निर्वहन कर रहे हैं ?

श्री **शिवचरण माथुर** : अब यह तो समय बतायेगा, मैं औपचारिकता की बात कर रहा हूं · · ·

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : समय के बताने का क्वेश्चन नहीं है, समय बताता तो आज आपको दो महीने हो गये। राजस्थान सरकार की बकाया है, लगभग 43 लाख रुपया तो आपने माना है और यदि इस पर इन्ट्रेस्ट और लगाया जाय तो बकाया 50–55 लाख के करीब पहुंचता है।

एक माननीय सदस्य : 60 लाख।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : 60 लाख के करीब तो नहीं पहुंचता होगा लेकिन अगर 60 लाख रुपये की बकाया है····

श्री **शिवचरण माथुर** : एक करोड़ बना दीजिये।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : हम तो 43 लाख से कम बना देंगे इसलिए कि आप चुका दो। आप 42 लाख रुपये चुका दो, एक लाख बच जायेगा।

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन यह कर रहा था कि रोडवेज ने एक बिल भेजा, उस के बारे में पी. सी. सी. ने कुछ और जानकारी जानने वाली बात कही, यह मुझे मालूम नहीं डिपार्टमेंट जानता है, लेकिन मूल बात तो यह है कि पी. सी. सी. ने भी इन्कार नहीं किया है पेमेण्ट करने से। कुछ आपस में जो क्लेरिफिकेशन वाली बात है, उसके बाद में और घोषित किया जायेगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिलों के सम्बन्ध में है, क्या क्लेरिफिकेशन है, हमने पी. सी. सी. को खत लिखा तो जैसा कि आप भी जानते हैं, आप भी एक संस्था के मेम्बर हैं, जो जिला कांग्रेस कमेटियां हैं उन्होंने यह कहा है जिला कमेटीज से कितनी-कितनी बसें कहां-कहां से गयीं। इसलिए जिला वाइज बिल बना कर भिजवा दिया जाय, यह क्लीयर किया जाय। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभी जो खत लिखा उसके जवाब में यह हमने निवेदन किया है और चूंकि 34 आगार हैं और 34 जो आगार हैं वे एक जिले से सम्बन्धित नहीं हैं, अलग-अलग एक ही जिले में 2-2 भी हैं और किसी जिले में 2 भी हैं, एक भी हैं। उस बारे में और डिस्कस किया इसलिए हमने उनसे कहा कि यह हमारे लिए सम्भव नहीं है, आप ही अपने से यह तैयार करके पैसा भिजवा दें यह रोडवेज की तरफ से उनको खत लिखा। हमने यह प्रयास किया कि यह पेमेन्ट इस तरह से जल्दी हो सकता है तो हमने अब इसके बारे में विचार किया कि हमारे अधिकारियों को भी बुला लें और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो भी पदाधिकारी हैं, उनको भी और जिला वाइज उनका बिल बना दें जिसकी वजह से ये पेमेन्ट जल्दी से जल्दी हमको प्राप्त हो जाय यह प्रयत्न किया।

जहां तक विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि क्या किया आपने। हम यह कहना चाहते हैं कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि 60 लाख हो गया, 12 लाख पैसेन्जर टैक्स का भी जोड़ रहे हैं। अरे भाई, मुझे समझो 43 लाख में वह सब किराया आदि सम्मिलित है, जिसमें पैसेन्जर टैक्स भी है, सब है। आप थोड़ा समझिएगा। मैंने जैसा कहा, फिर आप खड़े हो जायेंगे। राजनैतिज्ञ की तरह से सोचने से, केवल इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने से काम नहीं चलेगा। इसको जमा कराने में देरी हुई है, उसके बारे में बात कहने का अधिकार है, आपको कहना चाहिए। गवर्नमेंट का धन रुकता है तो आपको कहने का राइट है, हम उसके लिए इन्कार नहीं करते पर आप इसको अतिरंजित करके इसको रखे एक लाख, फिर एक करोड़, फिर दो करोड़, फिर 4 करोड़, ये नहीं है। हमने जो प्रयास किये हैं उसके लिए आपको कहा, साफ तौर पर यह कहा। हमारी मंशा है कि जल्दी से जल्दी हम इन रुपयों, जो भी वाजिब रुपया बनता है, को वसूल करेंगे और यह हम मौका नहीं देंगे कि ये रुपया वसूल नहीं हो। ये रुपया वसूल होगा, जल्दी से जल्दी वसूल होगा, यही हम आपसे कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता। **ऑर्डर,** प्लीज। विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल का जो प्रश्न है, वह प्रश्न मैं आपकी आज्ञा से फिर

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

पढ़कर सुनाना चाहूंगा । दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान रैली के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अनुबंधित बसों का कितना रुपया कांग्रेस पार्टी को जमा करवाना है यह प्रश्न बिल्कुल सिम्पल क्वेंश्चन है और सरकार का जवाब पढ़ रहा हूं—"दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित रैली में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अनुबन्धित बसों का कुल 43 लाख 57 हजार रुपया कांग्रेस पार्टी को जमा करवाना है", तो यह जो उत्तर आया है, इतना रुपया जमा करवाना है, क्या यह मामला विवादास्पद है ?

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : अगर कांग्रेस की तरफ से कोई भी मामला हो, अगर पार्टी यह कहती है·····

श्री **भैरोंसिह शेखावत** : मैंने स्पष्टीकरण पूछा है ।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : हां यह मैंने जवाब दिया है, इतना रुपया बकाया है, परन्तु मान लीजिएगा, इसमें कोई भी रोडवेज का कोई भी मामला विवादास्पद है, तो दोनों पार्टी बैठकर तय कर लेगी । अगर विवादास्पद नहीं है तो मैंने बताया है आपको, उसमें क्या बात है । अगर कोई कहता है, बसें नहीं गयीं, जैसा मैंने आपसे कहा 1,044 बसें गयी हैं, आप तो 1,200 बताते हैं, तो आपकी ही बात लें, मेरे पास 1,044 का है तो इसलिए यह तो अलग-अलग है । इसी तरीके से कोई बात है नहीं, तो जो शर्तें हैं वह मैंने आपको बतायी ही हैं ।

श्री **भैरोंसिह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ हम कह रहे हैं, वह सरकारी रिकार्ड के आधार पर कह रहे हैं, सरकारी रिकार्ड को·····

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज ।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** (राज्य मंत्री, खनिज) : ये तो रोडवेज और कांग्रेस पार्टी इस के ऊपर विचार कर लेगी । जिसे विवाद कहते हैं·····

(व्यवधान)

श्री **यदुनाथसिंह** : पिछली बार इसी पार्टी की सरकार थी, पिछली बार भी····

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर, प्लीज । चर्चा समाप्त हुई । विपक्ष के नेता महोदय ।

श्री **भैरोंसिह शेखावत** : इस बात से एक तो स्पष्ट हो गया ····

श्री **अध्यक्ष** : विपक्ष के नेता महोदय को मैंने अवसर दे दिया । एक मिनट अर्ज कर दूं । एक साथ सभी माननीय सदस्य बोलें, उससे तो कोई हल निकलने वाला नहीं है । विपक्ष के नेता महोदय को मैंने अवसर दिया है, उसके बीच में अपनी स्थिति अर्ज कर दी है । आपको अवसर देंगे, प्रश्न पूछें । आपको अवसर देंगे । श्री यदुनाथ सिंह, बी.जे.पी. की तरफ से नेता बोल लिये तो सब पार्टी के फेर में सब आ गये ।

श्री **भैरोंसिह शेखावत** : मैं तो निवेदन कर रहा था, इसमें कोई प्रश्न पूछना ही नहीं, कुछ नहीं करना है, न कोई विवाद का विषय है । माननीय राज्य मंत्री ने कहा कि राजनीति का विषय है या राजनीतिक रंग इसको दिया जा रहा है । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इसमें कोई राजनीति नहीं है । इसमें तो सरकार के बकाया

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
का सवाल है, सीधा सादा प्रश्न है कि राज्य सरकार का रोडवेज का बकाया जमा कराया जाय। मुझे खेद है कि मुख्य मंत्रीजी इस रकम को विवादास्पद मानकर चल रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मुख्य मंत्रीजी को अहसास है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जब आप बोलते हैं तो मुझे संदेह है कि 43 लाख की राशि को किसी न किसी रूप में कम किये जाने का यह षड्यंत्र किया जा रहा है इस षड्यंत्र को रोकने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं मुख्य मंत्रीजी से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि 43 लाख रुपये की बकाया पड़ी है, उसके बारे में आपके यातायात मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि जिला कांग्रेस कमेटियों को यह जवाब भेज दिया जाय ....

श्री जयकृष्ण शर्मा : उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की है, प्रदेश कांग्रेस पार्टी और रोडवेज के बीच में एग्रीमेण्ट है, बसेज को ले जाने का और लाने का यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने रोडवेज से एग्रीमेंट किया है तो इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से कहा है, जिलेवाइज भिजवा दें। मैंने नहीं कहा है, मैंने तो यह कहा है कि हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि जिसकी वजह से यह जो धन बकाया है वह शीघ्र जमा हो जावे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने समस्या और भी उलझा दी। आपने कहा कि एग्रीमेंट हुआ था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से, अब जिला कांग्रेस कहां से आ गई ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : उन्होंने यह पूछा है कि जिला वाइज जहां जहां से जितनी जितनी बसेज गई हैं, यह भेज दीजिए। कितनी बसेज भरतपुर से गईं, कितनी बसेज अलवर से गईं, कितनी बाड़मेर से गईं। यह पूछना भी अगर आप गलत मानते हैं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर यह रकम किसी प्राइवेट पार्टी में बकाया होती तो राज्य सरकार कहती कि पहले 43 लाख रुपये जमा कराओ उसके बाद स्पष्टीकरण करने की बात की जाएगी। यदि कमी रहेगी तो और लिया जाएगा और यदि भुगतान ज्यादा हो गया है तो री-पेमेंट कर दिया जाएगा। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार कम से कम एक बात तो कह दे कि कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है क्या ?

(व्यवधान)

आखिर हम भी एक पोलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं। यदि कांग्रेस पार्टी यह कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम आपकी स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे लेकिन यह तो कहें कि हमारे पास पैसा नहीं है। कुछ पता तो लगे कि पैसा है या नहीं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : विपक्ष के नेता महोदय यह क्या बात कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। हम कहीं से पैसा लायेंगे, चन्दा एकत्रित करेंगे, कहीं से भी पैसा लायेंगे और जमा करायेंगे। कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है, यह आप कैसे कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : सवाल बिल्कुल सीधा है। मैं भी अखिल भारतीय भारतीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
जनता पार्टी का सदस्य हूं। मैं जानता हूं कि कई बार पार्टी के सामने संकट खड़ा हो जाता है लेकिन कांग्रेस पार्टी....

श्री अध्यक्ष : ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी इससे गुजर रही हो।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या फरमाया ?

श्री अध्यक्ष : ऐसी स्थिति से ही मान लीजिए गुजर रही हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कह तो दें, तो हम सहानुभूति से विचार करेंगे। मुख्य मंत्री जी कह दें कि कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है तो इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि इस प्रश्न को कैसे टाला जावे, कांग्रेस पार्टी की कैसे मदद की जा सकती है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप क्या विचार कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ये क्या बोल रहे हैं इनको पता ही नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप रोडवेज से कमी करवा दें तो कोई बात भी है। आप कहते हैं कि हम विचार करेंगे, आप क्या विचार करोगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सही बात, अध्यक्ष महोदय, कई बार मुंह से अपने आप निकल जाती है। इन सब की इच्छा यही है कि इस 43 लाख रुपये की राशि को कम किया जावे। यह कमी कराने का जो षड़यंत्र चल रहा है, मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ी आपत्तिजनक चीज यही है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको लाइटली नहीं लें। परसों ही आपके वित्त मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि पांच करोड़ की सरकारी बकाया है और विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों से हम वसूली की कार्यवाही कर रहे हैं। नोटिसेज दे रहे हैं, पी.डी.आर. में एक्शन आप ले रहे हैं। सामान तक कुर्क किया जा रहा है। मैं ऐसी स्थिति में जानकारी करना चाहूंगा कि क्या आप उचित समझते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी, जिसकी सत्ता है, 43 लाख रुपये राजस्थान की जनता के हजम करके बैठ जावे और समय पर चुकारा न करे। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी इस पार्टी के लिए शर्म की चीज नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह।

श्री शिवचरण माथुर: अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : एक साथ ही उत्तर दे दीजिए ताकि चर्चा समाप्त कर दी जावे।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है। मेरा निवेदन है कि आज यह 43.37 लाख रुपया बकाया है। यह प्रश्न के उत्तर में आया है, यह कोई अनुमानित आधार पर नहीं आया है बिल्कुल फैक्ट्स के आधार पर आया है। उसमें मंत्री महोदय ने कहा कि उसमें तालमेल बिठायेंगे। क्या तालमेल बिठायेंगे...

श्री शिवचरण माथुर : तालमेल काहे का ?

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : यही कहा है आपने।

श्री अध्यक्ष : बीच में आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : दूसरा मेरा यह निवेदन है कि····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : मेरा निवेदन यह है कि आज मुख्य मंत्री जी की धोली चादर पर कोई दाग नहीं है। यह 43 लाख रुपयों का पेमेंट होना चाहिए। आज सदन के सामने यह कह दें कि मैं वास्तव में ही ईमानदार हूं, बहुत ही वह हूं तो घोषणा करें कि एक सप्ताह, 15 दिन, एक महीने के अन्दर समयबद्ध टाइम देकर उसके अन्दर पेमेंट हो जाएगा। हम आपका विश्वास करते हैं। आप कहें···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : यह रुपया हजम नहीं होने देंगे। यह 43 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। आप लोग सोचते होंगे कि खा जायेंगे लेकिन हम लोग कत्तई नहीं खाने देंगे। हम यहां बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के प्रांगण पर आश्वासन चाहता हूं मुख्य मंत्री की तरफ से ····

श्री अध्यक्ष : आपने यह बात कह दी है, पुनरावृत्ति नहीं करें।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : बीच में व्यवधान डाल दिया था। दूसरा मेरा यह कहना है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का कहना है कि डी.सी.सी. को बुलायेंगे, पी.सी.सी. को बुलायेंगे। यह तो पहले ही हो जाना चाहिए था। एग्रीमेंट तो करती है पी.सी.सी. तो यह डी.सी.सी. इन्वोल्व कैसे हुई। यह क्या मतलब हुआ?

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, नेशनल परमिट के नाम पर × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दस लोगों के एप्लाई करने पर एक आदमी को ठेका दिया गया है ····

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन पर कार्यवाही थोप रहे हैं। अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज, आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई

+++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 57

(55)

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, जो पिछली 24 मार्च को × × × × × × और किसानों की ×××

(व्यवधान)

आप सुनने का माद्दा रखें, जवाब दीजिए। जो रैली के नाम पर यह षड़यंत्र किया और जिस भ्रष्ट तरीके से अधिकारियों को धमका कर·····

(व्यवधान)

जब हम करते थे तो आप विरोध करते थे, श्रीमान् ······

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : ××× बैठो।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। भाषण नहीं होगा।

श्री यदुनाथसिंह : मेरा स्थगन प्रस्ताव है। आपने मुझे बोलने का टाइम दिया है। स्थगन प्रस्ताव है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन्होंने ××× ठीक कहा है। भीलवाड़ा की बस, माननीय मुख्य मंत्रीजी के जिले की बस से जयपुर में आकर आदमी मारे गये। ××× कहा तो कौन सी बात है। × ××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री यदुनाथसिंह : जो माननीय सदस्य हल्ला मचा रहे थे, पहले जब इन्दिरा गांधी और संजय गांधी का मिला जुला मंत्रिमण्डल यहां कार्यरत था और आज जो मंत्रि मण्डल है, तब यही लोग पहाड़िया जी के मंत्रिमण्डल में थे जो इन्दिरा-संजय का मंत्रिमण्डल था और आज जो इन्दिरा-राजीव का मंत्रिमण्डल बन गया तो उसमें बैठे हैं। आज आप लोग आब्जेक्शन उठा रहे हैं। यह इसका प्रश्न नहीं है। आपने भ्रष्ट तरीके से पैसा हजम करने की योजना बनाई और आप आज रोडवेज की बसों का पैसा नहीं देने की बात कर रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं, देने की मंशा नहीं होने की वजह से जिलेवार बिल मांग रहे हैं। जब आपने बसों को मांग की थी तब आपने प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मांग की थी और अब जिलेवार बिल मांग कर टालने की कोशिश कर रहे हैं। मजीठिया साहब जो अध्यक्ष हैं, उनके लिए यह सुनने में आ रहा है, आम तौर पर चर्चा है, यह शोहरत है और मैं कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी का चरित्र बहुत अच्छा है, क्लीन केरियर है, इसलिए यह जो उनके बारे में आम चर्चा हो रही है उसकी स्थिति को भी स्पष्ट करें कि मजीठिया साहब मुख्य मंत्री के खास कृपा पात्र हैं और वह इस बिल में कमी करने का षड़यंत्र बना रहे हैं। तो इस स्थिति को स्पष्ट करें। इसके लिए आम चर्चा यह है कि भीलवाड़ा के बस स्टेण्ड का उद्घाटन हो रहा था तब तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की मर्जी के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नाराज भी हुए परन्तु मुख्य मंत्रीजी की कृपा के आधार पर उनको बोलने दिया गया। इस तरह का भ्रम फैल रहा है। यह आवश्यक है कि आप निश्चित् तिथि की घोषणा करें क्योंकि यह मामला पिछले सत्र में भी बहुत जोरों से उठाया गया था और बड़े शर्म ×× की बात है कि किसानों की बड़ी बातें करते हैं और किसानों के दस-दस रुपये, बीस-

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री यदुनाथसिंह)

बीस और सौ-सौ रुपये के पीछे बिजली के कनेक्शन काट दिये जाते हैं, भयंकर सूखे से राज्य ग्रस्त है, हमारे पास पानी की कमी है। तो एक निश्चित् तिथि, एक सप्ताह, पन्द्रह दिन, एक महीने का टाइम बताने की स्थिति नहीं होगी, अगर घोषणा नहीं करेंगे तो मजबूर होकर हम यह कहेंगे कि सरकार अपनी कार्यवाही कैसे चलाती है। इसलिए सरकार को मेरी चेतावनी है और मजबूर होकर कहना पड़ता है कि अगर निश्चित् तिथि की घोषणा नहीं की और सरकार की तरफ से जो×××अटकल बाजी और सारी योजनाओं की जो घोषणा की जाती है वह सब फर्जी मानी जाएगी। बिलों का चैंकिंग कब तक हो जाएगा ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथसिंह : क्या ब्याज वह देंगे? क्या ब्याज का भुगतान करायेंगे? इसके लिए मंत्री महोदय आश्वासन दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं आगे चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

यातायात मंत्री जी को नहीं सुनना चाहते हैं तो चर्चा समाप्त समझी जावेगी।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे थे, आपने उनको रोका है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन का समय व्यर्थ में नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मुख्य मंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो स्थगन प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत हुए हैं, इस सदन की परम्परा के अनुकूल आप एड-जोर्नमेंट मोशन पर व्यवस्था दे देते हैं उन पर दो-दो मिनट बोलने की बात आम तौर पर स्वीकार की गई है। कभी भी इस प्रकार की लम्बी चौड़ी चर्चा का सवाल नहीं बना। एक प्रश्न यहां पर उठाया गया, थोड़ी सी जो बात रखी, इस समय पर नहीं बोलना चाहता लेकिन जिस प्रकार के आरोप लगाये उनका हम सीधा सा जवाब देना चाहते हैं। इसलिये मैं ऊपर बैठा हुआ सुन रहा था यहां पर आया और मैं....

(व्यवधान)

आपसे बड़ी मुहब्बत है। आपकी मुहब्बत दिख रही है। बहुत सीधा सा सवाल है। रैली में कांग्रेस पार्टी ने कुछ रोडवेज की गाड़ियां लीं। रोडवेज ने उनका बिल भेजा। पी. सी. सी. ने डिसीजन लिया कई बार, लेकिन पी.सी.सी. जानकारी भी करेगी, कहां—कहां, कितनी-कितनी गाड़ियां गई और उन गाड़ियों के दस्तखत भी कराये गये। जो लेने वाले, और ले जाने वाले लोग थे उन सब से दस्तखत कराये, जितने पैसेंजर गये उनकी भी जानकारी की। इनके रेकार्ड और उनके रिकार्ड में थोड़ा फर्क है। अलग

(श्री शिवचरण माथुर)
उन्होंने कहा कि हम जांच करायेंगे। कितनी अलग-अलग डिपो से अलग-अलग जिलों से वसेज गई हैं, इसकी जानकारी पी.सी.सी. ने करने के लिये, अभी आपने जो जवाब दिया, जानकारी मांगी है। उस पर निर्णय हो जाने के बाद, पी.सी.सी. ने यह भी कहा है कि जो पत्र का हमारे मंत्री महोदय ने जवाब दिया उन्होंने एग्जामिन नहीं किया। लेकिन यह साधारण सी बात है। मामूली डिस्प्यूट है। आपने बिल दिया। बिल के बारे में थोड़ी सी शंका है। उसके बारे में कहें उसकी सफाई कराना, मैं समझता हूं, किसी भी सरकार का फर्ज है, उनकी बात भी सुननी चाहिये। कहीं भी मान लीजिये गाड़ी गई, उनके रेकार्ड और इनके रेकार्ड में थोड़ा अन्तर है, उसकी जानकारी····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्यमंत्री जी और प्रभाकर जी के उत्तर में कोई फर्क नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जैसा प्रभाकर जी बोल रहे हैं, वैसा उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

आपकी रेपूटेशन बिल्कुल दूसरी है। कम से कम जो प्रभाकर जी ने बात कही, वह तो रिपीट न करें।

श्री शिवचरण माथुर : मैं कोई बात कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई औपचारिकता निभाने के लिये बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक बिल भेजा, यदि उसके बारे में कोई शंका है उसका स्पष्टीकरण तो जरूरी है। स्पष्टीकरण के बाद पेमेन्ट कर दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे की शंका है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्यों की इच्छा नहीं है तो चर्चा समाप्त हुई।

श्री यदुनाथसिंह : तारीख निश्चित करवायें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्यों की इच्छा हैं तो बचे हुए जितने स्थगन प्रस्ताव हैं, उनके संबंध में मैं माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट का और समय दूं। नहीं तो फिर जो रेगुलर कार्य सूची है····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा है हम पर। जब चाहते हैं दो-दो मिनट का समय मिल जाता है। लेकिन उस पर व्यवस्था नहीं होती है। जिस प्रश्न को लेकर जिस तरीके की पब्लिक में जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई है, दो-दो मिनट में तो वह सारी उत्तेजना आपको नहीं कह सकते हैं। इस मामले में ××× मैं समझता हूं मुझे दाद देनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इससे पर्पज सर्व नहीं होता है। अब अगर आपको सरकार के उत्तर से संतोष हो गया हो तो आप हमको गारंटी दे दें कि इस रुपये का भुगतान इतने दिन में कर दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, आपका विश्वास करने को तैयार हैं····

(व्यवधान)

आप कह दीजिये कि एक महीना, 15 दिन बीस दिन या 25 दिन, छः महीने। यह कह दीजिये कम से कम। और नहीं, तो इस रकम का कभी न कभी भुगतान हो जायगा··

(व्यवधान)

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : माथुर साहब के मुख्य मंत्रित्व में हो जायगा।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को दिवालिया घोषित कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा, टोंक से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, भुगतान नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी को दिवालिया घोषित कर दीजिये हमें संतोष हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : अदालतों को अधिकार है, मुझे ऐसा अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा(राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के माननीय नेता का आसन को सम्बोधित करते हुए यह कहना कि ××× शब्द जो है, दूसरे संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह असम्मानकारी संकेत है। आप आसन के संबंध में इस प्रकार की बात कहें, इस बात का सवाल नहीं है। नियमों से चलते हैं, यह प्रतिष्ठा है, सम्मान है, आदर है, मैं समझता हूं ऐसा शब्द आपने इस्तेमाल किया है, वह पार्लियामेंट्री

(व्यवधान)

की वजह से बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी इस शब्द को आपत्तिजनक समझते हैं। आपकी प्रतिष्ठा की उनको सबसे ज्यादा चिन्ता है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और कुछ नहीं आपकी प्रतिष्ठा गिर ना जाये इसकी चिन्ता सबसे ज्यादा राजस्व मंत्री जी को होने लगी है, ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : है, है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है नहीं, पूर्व में नहीं थी, अब होने लगी है। मुझे इस बात की तो खुशी है। जो मैंने ××× कहा, उसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। यदि आप को बुरा लगता हो, इस कारण से अपमान हुआ हो तो मैं उस शब्द को दूसरे शब्द में ××× नाम से कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी ने चाहे राजस्व मंत्री की हैसियत से या विधान सभा के सदस्य की हैसियत से पिछले डेढ़ वर्ष में सदैव नियमानुसार आसन का सम्मान किया हैं। यह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, डेढ़ वर्ष की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला श्री ····

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सरकार इस रकम को वसूल करने के लिये कितने दिनों में कठोर कार्यवाही करेगी। संबंधित लोगों, जिन्होंने रोडवेज की गाड़ियां लीं, की प्रापर्टी सील करेगी? अगर 14 दिन एक महीना में पैसे वसूल नहीं कर सकती है तो सरकार इसके बारे में क्या कार्यवाही करेगी। कांग्रेस तो नहीं करना चाहेगी। कांग्रेस का मुख्य मंत्री एक नहीं है, दोनों अलग-अलग हैं····

(व्यवधान)

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
आग्रह करना पड़ेगा। राज्य सरकार के प्रमुख होने के नाते, इस राजस्थान के सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होने के नाते, गरीबों की सरकार को चला रहे हैं, वह इस पैसे को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही करेंगे? क्या कांग्रेस के साथ मिल कर के···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री यदुनाथसिंह : इस पैसे का चुकारा नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी कार्यालय को कुर्क कर लिया जायेगा। क्या मुख्य मंत्री 15 दिन में इस बात के लिये तैयार है कि इसका भुगतान नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी कार्यालय को कुर्क कर लिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बताना पड़ेगा अन्यथा सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हों।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : समय हो गया, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। अध्यक्षीय व्यवस्था। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। अब इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि मैं माननीय सदस्यों को नाम से संबोधित करूं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके मेम्बर नाराज किस बात से हैं।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम इन्कार तो नहीं कर रहे हैं। पेमेन्ट करेंगे।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : तारीख बताइये।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री दूलाराम : पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं विपक्ष के नेता से कि क्या वे समझते हैं कि जिस प्रकार से 1977 से लेकर 1980 तक आपने अपने शासन काल में असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया था उसी प्रकार अब सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी संरक्षण देगी।

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। यह पाइन्ट आफ आर्डर की परिभाषा में नहीं आता।

(व्यवधान)

अब मैं माननीय सदस्यगण को नाम से संबोधित करूंगा, फिर नियमानुसार कार्यवाही करूंगा।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेशों की किसी भी प्रकार से अवमानना नहीं करना चाहता। प्रश्न यह है कि राज्य सरकार की बकाया कांग्रेस पार्टी में है। यह उसको अपने घर का मामला मान कर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, क्या आपको संतोष हो गया और आप कांग्रेस पार्टी की जमानत ले सकते हैं कि पार्टी पैसा जमा करा देगी। तब तो हम चुप हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं तो कार्यवाही चला रहा हूं कांग्रेस पार्टी की जमानत....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो कांग्रेस पार्टी पर थोड़ा बहुत विश्वास होगा।

श्री अध्यक्ष : सब पर मेरा विश्वास है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि विश्वास के आधार पर यदि आप मुख्य मंत्री जी से कह दें कि 43 लाख की बकाया का भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : न तो नियमों के अन्तर्गत आता है, न ही परम्परा है.....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अगर गरीब लोगों की कोई बकाया होती है तो वह कुर्की करके वसूल कर ली जाती है और पार्टी की बकाया होती है तो दी नहीं जाती है। पार्टी और सरकार अलग-अलग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो महीने में भुगतान की बात यहां कह दें...

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : ऐसा है कि मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। मुख्य मंत्री की हैसियत से कह रहा हूं कि कोई भी वसूली बाकी है, वह वसूल की जायेगी चाहे कोई भी पार्टी हो....

श्री भैरोंसिह शेखावत : समय बता दें कि एक महीने, दो महीने में की जायेगी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कब की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : घोषणा करें कि इतने समय में की जायेगी। सरकार बदल गयी तो पता नहीं चलेगा कितने दिनों में वसूली की जायेगी। यह बता दें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सम्पत्ति कुर्क कर ली जायेगी और वसूली होगी। कितने दिनों में वसूली कर ली जायेगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप यह कह दें कि दो महीने में वसूली हो जायेगी।

श्री दुलाराम : इन्दिरा गांधी की पार्टी एक है उसका नेता एक है। आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि यह पार्टी कायम रहेगी और पैसा चुकायेगी। ये विपक्ष के नेता···

(व्यवधान)

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि·····

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर मैं चर्चा समाप्त कर चुका हूं·····

श्री हजारी लाल शर्मा : मैं हल्की सी बात कह रहा हूं, दोनों ही उसको मान लेंगे।

एक माननीय सदस्य : आप मध्यस्थ हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : मैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता।

श्री हजारीलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे इजाजत दें····

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि पैसा चुकायेंगे। हम कोई इन्कार तो नहीं कर रहे हैं·····

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह नहीं कहा है कि पैसा·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पार्टी से वसूल करके राज्य के खजाने में जमा करा देंगे फिर क्या चाहते हैं आप। हम कहते हैं कि हम इसको जमा करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : 43 लाख का मामला है और कह रहे है कि···

श्री दुलाराम : हम यह कह रहें हैं कि आप इतमिनान रखिये कि यह पार्टी पैसा चुकायेगी।

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा समाप्त हो गयी है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : समाप्त नहीं हुयी है।

श्री यदुनाथसिंह : घोषणा करवाइये, माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्था। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : नीति संबंधी घोषणा करवायें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्था। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाबचंद कटारिया : आप कह रहे हैं, पैसा चुकायेंगे पहले वाले भी कह रहे थे कि पैसा चुकायेंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी भी यही कहेगी। पता नहीं.....

श्री अध्यक्ष : मुझे आपको नाम से पुकारना होगा, माननीय सदस्य.....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप चाहे कुछ भी करें। 43 लाख की बकाया है किस कानून से पार्टी ने पैसा जमा नहीं कराया है? अगर कोई रियायत देनी है तो बात अलग है। आप नाम लेने की बात कर रहे हैं आप नाम लें, चाहे सदन से निकालें लेकिन कांग्रेस जनता के पैसे को लूट रही है, डाके डाल रही है, किसानों के नाम पर.....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिस प्रकार से चन्दे के नाम पर वसूली की गयी....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्टी का पैसा है। जनता का माल खा गये हैं....

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : एक रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी से अपील है कि वह कोई सही संगत जवाब दे दें....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : एक महीने में दे देंगे या फिर....

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्था, आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : दो महीने में देंगे, तीन महीने में देंगे लेकिन समय तय कर दें कि कब देंगे।

श्री राजबहादुर : पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। दो महीने में या एक महीने में..

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। यह बात करने का तरीका नहीं है

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि यह पैसा....

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : यह सही ढंग है.....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सदन को समय बतायें। यह बात है तो आने वाली पीढ़ी भी कल यह बात कह देगी ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही में बाधा न डालें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह....

श्री अध्यक्ष : नियमों का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिये स्थगित की गयी।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 2.07 बजे आधे घण्टे के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 2.37 बजे प्रारम्भ हुई
(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री **अध्यक्ष** : मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर बोलेंगे।

श्री **शिवचरण माथुर** : जो चर्चा यहां पर हुई उसके संबंध में जो मैंने निवेदन किया था अगर उसको समझ लिया जाता तो शायद यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मैंने यह बात कही थी कि जो भी बिल पेश किया गया है उसके बारे में प्रस्ताव है, उसको देखकर के वसूली कर ली जायेगी। मैंने यह कहा था सदन में। समय की बात आपने कही। मैं आपसे कहता हूं कि अगली बार जो विधान सभा का सत्र प्रारम्भ होगा उसके पहले-पहले इसकी वसूली कर ली जायेगी।

श्री **अध्यक्ष** : श्री गोपाल पचेरवाल, श्री उम्मेदसिंह, श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह, श्री राम कुमार बैरवा, श्री हंसराज शर्मा। इन सबको 2 मिनट बोलने के लिये दिये जायेंगे।

श्री **गोपाल पचेरवाल** : 2 मिनट आपको दिये जा रहे हैं।

श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, छबड़ा ग्राम जो माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री शेखावत जी के क्षेत्र का मसला है, मैं 12 अगस्त को दो महिलायें, जिनके पतियों को बारां जेल में बन्द कर रखा था, अपने पति से मिलने के लिये बारां आई हुई थीं। उसी दिन छबड़ा के एस. पी. की जीप में माननीय तुलसी बाई उन दोनों महिलाओं को छबड़ा ले गई। एक महिला का नाम सागरी और दूसरी का राजू था। शाम को 5 बजे सरकारी जीप में बारां से उनको छबड़ा लाया गया और बारां से छबड़ा में उनको थाने में लाया गया। उन दोनों महिलाओं ने पूछा कि हमें बारां से छबड़ा क्यों लाया गया है? हम अपने पति से मिलने के लिये आई थी। लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया कि उनको क्यों लाया गया है। उन दोनों महिलाओं को वहां के पुलिस अधिकारी ने पास के ग्राम में कुछ असामाजिक तत्वों के सुपर्द कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन महिलाओं को वहां रखा गया और वहां के डी. एस. पी. ने उनको बदमाशों के हवाले कर दिया। 12 तारीख से 30 अगस्त तक वह उन बदमाशों के हाथों खेलती रहीं। उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया, उनको परेशान किया। बीच में उनमें से एक महिला छबड़ा आई और वहां उसने पुलिस अधिकारी से कहा कि हमें वे लोग तंग कर रहे है, हमारे साथ बलात्कार किया जा रहा हैं, हमें वहां से मुक्त कराया जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के डी. एस. पी. ने उनकी बात नहीं सुनी और बड़ी मुश्किल से 31 तारीख को वे वहां से भागकर छबड़ा पहुंचीं। वो दोनों महिलाये अर्द्धनग्न अवस्था में थाने में गयीं। उन्होंने अधिकारी से कहा कि हमारे साथ में इन लोगों ने हमसे बलात्कार किया है और हमारी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

उसके बाद वहां पर जनता इकट्ठी हो गई और जनता उत्तेजित हुई। लोगों ने कहा कि क्यों नहीं इनकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो उस अधिकारी ने कहा कि जब तक डी. एस. पी. साहब नहीं आ जाते, तब तक हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। वो महिलायें रात के दस बजे तक अर्द्धनग्न अवस्था में थाने के सामने चौमू बाजार में खड़ी रहीं। उसके बाद जनता ने उनको ले जाकर एस. डी. ओ. से कहा। उन्होंने उनको कपड़े दिये और उन्होंने अपने शरीर को ढका। तब एस. डी. ओ. ने डी. एस. पी. से कहा कि इनकी रिपोर्ट दर्ज कीजिये। लेकिन फिर भी उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। वह चिल्लाती रही। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अभी कुछ दिन पहले लोगों की भलाई के लिये बोल रहे थे। आप इन्दिरा गांधी की पार्टी के लोग हैं। जिस देश की नेता इन्दिरा गांधी हो उस देश की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में विश्वास करने वाले लोग कहते हैं कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के राज में महीलाओं के साथ अत्याचार नहीं किया जायेगा, लेकिन स्वयं एक महिला प्रधान मंत्री होने के बावजूद इस देश की महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और हमारे कांग्रेस के साथी कहते हैं कि हमारे देश की प्रधान मंत्री एक महिला है। उस देश में उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष : क्षमा कीजिये। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री गोपाल पचेरवाल : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उस काण्ड के मैं चित्र पेश करूंगा आपके सामने। उन्हें सदन के पटल पर पेश करना चाहूंगा। सारे अखबारों में यह चित्र छपे हैं, लेकिन कोई नेता नहीं बोला, न हमारे इस दल के नेता बोले और न सरकार बोली। इन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। मैं आपके माध्यम से उन चित्रों को पेश करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री गोपाल परचेवाल : वह महिलायें अर्द्धनग्न अवस्था में बाजार में डोलती रहीं और जिन्होंने उनसे बलात्कार किया उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। 6 तारीख को मैं वहां पहुंचा। मैं वहां डी. एस. पी., एस. पी. से मिला। मैंने कहा कि उन आदमियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया उन्हें पकड़ें और गिरफ्तार कीजिये। लेकिन उन्होंने उनको बन्द नहीं किया। दूसरे तीसरे दिन जब मैं वहां के अधिकारियों से मिला और कहा कि इस तरह महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है और उस आदमी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। यहां मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह घटना क्यों....

श्री अध्यक्ष : क्षमा कीजिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। सरकार ने साबित कर दिया है कि वह डी. एस. पी. और संबंधित अधिकारियों का पक्ष ले रही है। इसलिये उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। डी. एस. पी. ने मुझे उत्तर दिया, श्रीमन्......

श्री अध्यक्ष : क्षमा कीजिये। चर्चा लम्बी हो गई है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गईं। बाद में

(श्री गोपाल पचेरवाल)
मेडिकल रिपोर्ट आई। उस मेडिकल रिपोर्ट को मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मेडिकल रिपोर्ट आप देख लें। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि कोई रेप नहीं हुआ। हास्पिटल के डाक्टर ने कहा कि किन-किन दिन रेप हुआ, उसका पता बताओ। अध्यक्ष महोदय, किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में डाक्टर ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ यह नहीं लिखा कि रेप हुआ है।

श्री अध्यक्ष : क्षमा कीजिये। कृपया स्थान ग्रहण करें। लम्बी चर्चा हो गई है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया।

श्री अध्यक्ष : इसमें सरकार की ओर से वक्तव्य देने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। इस पर विवाद नहीं होगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : इस देश की नारी के साथ इतनी बड़ी घटना घट जाये, अत्याचार हुआ हो। मैं यह चित्र सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। आप मुझे इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : आपको चित्र रखने की इजाजत है।

श्री उम्मेदसिंह : श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह, श्री रामकंवार बैरवा, श्री कमलेन्द्र सिंह। अगला स्थगन प्रस्ताव श्री नाथूसिंह जयपुर में यातायात की बिगड़ी हुई अव्यवस्था के संबंध में.....

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : आप इजाजत दें, क्योंकि आज समय भी ज्यादा हो गया है और आप भी.....

श्री अध्यक्ष : यह तो रिजेक्ट किया हुआ स्थगन प्रस्ताव है।

श्री नाथूसिंह : आपका सहयोग चाहते हैं। यह स्थगन प्रस्ताव इसलिये है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और इसमें आये दिन यातायात की बिगड़ी अव्यवस्था होने के कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं। प्रातःकाल जब हम घर से निकलते हैं तो हमें यह विश्वास नहीं होता है कि हम 11 बजे सदन तक पहुंच जायेंगे। यहां से जाते हैं तो यह भरोसा नहीं होता कि घर तक पहुंच जायेंगे। ऐसी अव्यवस्था है। चौराहे पर सिपाही खड़े नहीं रहते। स्थान-स्थान पर ढंग से निशान नहीं लगाये गये।

अभी आंकड़ों में सरकार से जवाब पूछा गया था कि कुछ दिन पहले कितने एक्सीडेंट हुए, कितनी दुर्घटनायें हुई, कितने लोग मारे गये। अध्यक्ष महोदय, उन आंकड़ों को देखकर के पता लगता है कि पिछले कुछ समय में दुर्घटनायें किस दर से बढ़ रही हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसकी सारी कार्यवाही देखी जाये। यहां जो पुलिस है, जो यहां के अधिकारी हैं वह यातायात के बारे में ट्रेंड नहीं हैं। लेकिन उनको तब भी रखा गया है। उन अधिकारियों की वजह से पुलिस में अनुशासनहीनता हो गयी है। पुलिस में उन्होंने गुटबाजी पैदा की है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार चाहे तो जांच कर लें। मंत्री महोदय जो यहां बैठे हैं, जो कि राज्य मंत्री हैं, अच्छा होता अगर गृह मंत्री होते। अभी हाल ही में 34 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया एक साथ और उन 34 सिपाहियों में

(श्री नाथूसिंह)
आप देख लें एक जाति विशेष के सिपाही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस में गुटबाजी पैदा की जा रही है, अनुशासनहीनता पैदा की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से जो अधिकारी यातायात विभाग में हैं उनको ट्रेंड न होते हुए भी यहीं लगाया हुआ है। वह जानते नहीं हैं कि यातायात व्यवस्था कैसे की जाती है? जब सिपाही से पूछते हैं कि दुर्घटना कैसे हुई वह जवाब देता है कि मुझे नहीं मालूम।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। क्षमा कीजिये। माननीय सदस्य ....

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मामला ऐसा है जो हमारी जिन्दगी से संबंधित है, आपकी जिन्दगी से संबंधित है, समस्त व्यक्तियों की जिन्दगी से संबंधित है। सारे मन्त्रियों, बड़े-बड़े अधिकारियों और सरकार से संबंधित है। ये जो दुर्घटनायें होती हैं इनमें सरकार की भी सुरक्षा नहीं है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, यह खुशी की बात है कि गृह मंत्री पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यातायात विभाग में, जयपुर नगर में यातायात में······

श्री अध्यक्ष : क्षमा कीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, इसको लम्बा नहीं खींचें···

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्रीमती विद्या पाठक।

श्री नाथूसिंह : समाप्त करता हूं। मंत्री महोदय आये हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर 34 सिपाही को अभी अभी लाइन हाजिर किया गया है आप जांच करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन के माध्यम से सदन की कार्यवाही करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आगरा से दिल्ली और अजमेर से दिल्ली और आगरा की तरफ से जो ट्रैफिक जाता है उसके बारे में दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा ट्रकों का रास्ता और बसों का आवागमन का रास्ता बन गया है पुलिस मेमोरियल, मोती डूंगरी रोड, चेतक मार्ग, गोविन्द मार्ग, मेन्टल हास्पिटल रोड आदि पर से ट्रैफिक गुजरता है। इसी रूट पर अनेक आवासीय बस्तियों में से होकर बिल्कुल अनियन्त्रित ढंग से, बिना किसी टाइम के 24 घंटे ट्रकों का ट्रैफिक गुजरता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी रूट पर जे. के. लोन हास्पिटल है, इसी रूट पर कई क्लिनिक्स है, मैन्टल हास्पिटल है, छोटी मोटी बहुत सारी क्लिनिक्स है, इसी रूट पर नर्सिंग होम है, इसी रूट पर आदर्श विद्या मन्दिर है, इसी रूट पर बाल मन्दिर है, इसी रूट पर माहेश्वरी स्कूल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी रूट पर सरकारी गुरू नानक स्कूल है, इसी रूट पर बालिकाओं का विद्यालय है और इसी रूट पर एक दर्जन करीब आफिसेज हैं, अनेक मन्दिर है, रेस्टोरेंट्स हैं और

(श्रीमती विद्या पाठक)

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल थिकली पापुलेटेड बस्ती है । इसमें से जब ट्रक गुजरते हैं तो उनके हार्न की आवाज इतनी तेज आवाज होती है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, हास्पिटल में रहने वाले मरीज, दफ्तरों में काम करने वाले अनेक कर्मचारी, उन सबको निश्चित रूप से अनेक बाधाएं उपस्थित होती हैं, उनकी वर्क एफिसियेंन्सी में फर्क आता है, पर्सनल डिस-टर्बेन्सेज होते है, उनकी एकाग्रता टूटती है, पर्यावरण खराब होता है, वातावरण खराब होता है । मेरा निवेदन है इस तरफ विशेष तौर से अब तक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी गई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस रूट पर निरन्तर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है । जैसा मैंने अभी निवेदन किया, थिकली पापुलेटेड बस्ती में, अपने घरों में से निकलने वाले स्कूटर्स, साइकिल्स, गाड़ियां पैदल चलने वाले सभी को हर समय खतरा बना रहता है । स्कूल जाने वाले बच्चों के रिक्शा, स्कूटर्स, पैदल चलने वाले बच्चे, कारें, दफतर में जाने वाले कर्मचारी, सभी भयभीत रहते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं गुजरता है जिसमें निश्चित रूप से एक-दो मृत्यु इस रूट पर नहीं हो जाती हों । इस तरह अभी इसी महीने की 12 तारीख को एक बालक 20 वर्ष का नवयुवक हनुमान सहाय, जो साइकिल पर सवार होकर सुबह दफ्तर की तरफ जा रहा था, भी एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु का ग्रास हो गया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक रूल्स नहीं है, हम सभी लोग जानते है कि ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं । स्कूल एरिया में एक पर्टीक्युलर स्पीड लिमिट होती है, हास्पिटल एरिया में भी एक पर्टीक्युलर स्पीड होती है यह No Horn Zone माना जाता है ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा इम्पार्टेंट मसला है । उन एरियाज में इस तरह के हेवी ट्रैफिक शोर मचाते हुए निकलते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया हो । नियम बने हुए हैं, समय समय पर ट्रैफिक इस रूट पर बन्द हुआ है, कम भी हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस रूट के लिये एक बाई पास भी बना हुआ है, लेकिन बाई पास को बाई पास करके ही रास्ता निकाला जा रहा है । इस तरह की दुर्व्यवस्थायें फैली हुई हैं कि पुलिस ट्रैफिक नियंत्रित करने के नाम पर ट्रकों को रोकती जरूर है पर कुछ पैसों का लेन-देन होता है । दिन व रात के समय और उसके बाद बसों को फिर पास कर देते हैं, ट्रकों को फिर पास कर देते हैं कि उधर से निकल जायं । पुलिस की सांठ गांठ के बिना यह मौत का व्यापार, यह दुर्व्यवस्था चल ही नहीं सकती है । मैं उस एरिया में से कई बार आती हूं.....

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया, माननीय सदस्या, समाप्त कीजिये ।

श्रीमती विद्या पाठक : एक मिनट में बात समाप्त करती हूं, दुर्घटना जो होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो वे रजिस्टर ही नहीं होती हैं या फिर ट्रक वाले दुर्घटना करके फरार हो जाते हैं ट्रक समेत । अगर ट्रक छोड़कर भी चले जायं तो कभी [illegible]

Page No. 70

(68)

(श्रीमती विद्या पाठक)

ही नहीं है। दोनों मिल भी जायं तो दुर्घटना रजिस्टर होती नहीं, और अगर होती हैं, तो फिर वर्षों अदालत में पेश नहीं होती है इसलिये जिसके घर में से कोई मर जाता है वही रोता रहता है। बाकी यह व्यापार तो अबाध रूप से चल रहा है।

शहर के अन्दर बस्ती में और भी हालत खराब है। चान्दपोल से सूरजपोल तक हम लोग आते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगानेरी गेट से गंगापोल, बापू बाजार से इन्दिरा बाजार में ट्रैफिक अव्यवस्था का काफी बोलबाला है। ओवर लोडेड सामान लिये हुए ट्रक निकलते हैं और इन्हीं रूट्स पर बहुत सी गाड़ियां, कभी पैदल, कभी रिक्शा में, कभी स्कूटर पर हम लोग सभी आते जाते रहते हैं, सड़क पर आने जाने में निरन्तर खतरा बना हुआ है। इस कुव्यवस्था के कारण, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मौत का व्यापार नहीं है तो और क्या है...

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें। समय हो गया है...

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : यह प्रिविलेज का सवाल बन जाता है सरकार व विभाग पर क्योंकि हमारी ड्यूटी में बाधा पड़ती है

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती विद्या पाठक : अगर इस ट्रैफिक अव्यवस्था की वजह से कुछ हो गया तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर, आर्डर।

श्री नाथूसिंह : सरकार भी सुरक्षित नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती विद्या पाठक : समय की पाबन्दी के कारण, आप देखिये, यह सरकार कितनी इर-रेस्पान्सिबल हो रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि अब जितने भी स्थगन प्रस्ताव हैं, उनको समाप्त करूं, क्योंकि दो-दो मिनट का अवसर देना चाहता हूं लेकिन आप लम्बी बहस करना चाहते हैं। तीन बज गये हैं इसलिये अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। यदि दो-दो मिनट में बोलना चाहते हैं तो मैं समय दे सकता हूं वरना प्रांगण आपका है उसके बाद बिल्कुल ही यह अव्यवस्थित चीज होती जा रही है, यह ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हो सकती है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर एक्सीडेंट से हम एक-आध कम हो गये तो क्या होगा। कोई रास्ता तो सोचिये।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री।

बाल योगेश्वर द्वारा हत्यायें।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह

(श्री भगवानदास शास्त्री)
करीवन 20 अगस्त के आसपास की घटना है......

श्री अध्यक्ष : यह तो सबको मालूम है अखबारों की जानकारी है, आपको भी है, सबको है, मुद्दे की बात कह दें।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, सांगानेर थाने में ही दर्ज हुई है किन्तु वास्तविक रूप से यह भड़ोंच का रहने वाला है।

श्री अध्यक्ष : कहां का रहने वाला है, इससे सरोकार नहीं है। उसमें ढिलाई हो रही हो और कुछ हो रहा हो, उस पर ध्यान आकर्षित करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : मुझे क्षमा करें, अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं भड़ोंच का यह रहने वाला है और इसने ब्यावर, आबू तक भी काफी हत्यायें की हैं। यह नग्न रहता है और प्रसाद में पहले कोई जहरीली चीज दे देता है जिससे औरतें वेहोश हो जाती हैं वेहोश करके उनके साथ यह बलात्कार करता है। बलात्कार करके उनके शरीर के आभूषण उतार लेता है और उसके बाद कत्ल कर देता है। मैं कहता हूं गुजरात की जितनी घटनायें आती है, आप जरा ध्यान दें कि राजस्थान में हत्या का कारण बन जाती है। गुजरात की हत्याओं से राजस्थान हत्या स्थल बना हुआ है। गुजरात में कोई घटनायें हों उनका बदला लेते है राजस्थान में आकर किसी होटल में, बान्दरी, सीकरी के रास्ते में मार कर चले जाते हैं तो आपकी पुलिस को सतर्क रहना चाहिये।

घटना गुजरात की और नतीजा निकलता है राजस्थान में। यह काफी अर्से से हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बाल योगेश्वर नहीं है। यह तो काम और सेक्स में विश्वास करता है। चार मर्डर तो उसने कबूल किये हैं लेकिन मेरा मानना है कि चार से ज्यादा मर्डर कर चुका है। ऐसी मुझे जानकारी मिली भी है। मैं कहता हूं ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ा जाय और उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाय तभी हमारी आत्मा को शान्ति होगी। इसलिये मेरा कहना है, राज्य सरकार और उसके साथ गृह विभाग रात दिन यह कहता है कि हम लॉ एण्ड आर्डर मेंटेन करते है। मैं कहता हूं गुजरात आपके माथे पर कलंक लगाना चाहता है। इतना ही कह कर मैं भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में मैं भी निवेदन करना चाहता हूं। राज्य के गृह राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस प्रकार की जो घटना घटी है उसमें स्पष्ट है कि यह किसी एक आदमी का काम नहीं है। एक आदमी इतनी हत्याएं करके यह कर लें, यह सम्भव नहीं लगता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें और भी लोग हैं। मेरी ऐसी भी जानकारी है कि कुछ प्रभावशाली लोग जान बूझकर मामले को दवाने में लगे हुए हैं। जिन मृतक लोगों का सामान मिला है, मरे हुए लोगों की घड़ियां, पेन आदि जिनके पास मिली है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनको बचाने का षड्यन्त्र चल रहा है। इस पर विशेष ध्यान दीजिये और जिन्होंने जघन्य अपराध किया है उनको सख्त सजा दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री गृह): मैं इतनी ही बात कह सकता हूं कि किसी को बचाने का सवाल नहीं है, प्रोटेक्शन देने का

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

सवाल नहीं है। जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जायगी।

श्रीमती विद्या पाठक : अभी केवल एक ही व्यक्ति बोल पाये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, इसमें आगे चर्चा नहीं होगी।

श्रीमती विद्या पाठक: मैं माननीय मंत्री महोदय को इसी विषय पर जानकारी देना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी तरह से जानकारी दें। श्री जीत मल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में नौरगांवा ग्राम के अन्दर 3 जुलाई को डाक्टर उम्मेदी लाल की हत्या कर दी गयी। रात्रि को जब वे अपने निवास पर सो रहे थे तो कुछ लोग आये और ये कहा कि डाक्टर साहब, आप बहार आइये, एक मरीज को दिखाना है। वे खाट पर एक मरीज को लिटाकर लाये थे। डाक्टर साहब ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही उनको शूट कर दिया, उनकी हत्या कर दी गयी। 11 जुलाई को कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके कारण 11 जुलाई को सारा नौरगांवा बन्द रहा। उसके बाद 14 जुलाई को जिलाधीश कार्यालय पर एक विशाल प्रदर्शन लोगों ने किया कि हत्यारे पकड़े जायें। 13 जुलाई को डाक्टरों ने एक मौन जुलूस निकाला लेकिन 3 जुलाई से आज 20 सितम्बर आ गया है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक भी इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पायी है।

वैसे अलवर जिले के अन्दर जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, वह वास्तव में सरकार के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 2 महीने के अन्दर अलवर जिले के अन्दर 10 हत्याओं की घटनाएं घट चुकी हैं लेकिन पुलिस इस सम्बन्ध में निष्क्रिय सिद्ध हो रही है। अभी खेड़ली के अन्दर और ग्राम के अन्दर पिछले 7 सितम्बर को 3 हत्या हो चुकी हैं। तो राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि डा. उम्मेदी लाल का मामला बहुत गम्भीर है। इस कारण से डाक्टरों के अन्दर बहुत बेचैनी है। आज कोई भी व्यक्ति को अगर रात को, वास्तव में मरीज को डाक्टर की आवश्यकता भी है, तो देखने को अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहेगा। इस कारण कोई भी डाक्टर से अपने गांव के अन्दर अपना ट्रीटमेन्ट नहीं करा पायेगा इसलिए बहुत गम्भीरता से देखें और जल्दी से जल्दी इस बारे में सरकार उनके हत्यारों को पकड़ने का प्रयास करे। यही मेरा निवेदन है।

श्री प्रद्युम्न सिंह: इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनके परिवार के लोग मुझसे स्वयं मिले थे, आ करके और उन्होंने चाहा था कि तफ्तीश अमुक अफसर से करायी जाय, उसका हमारे ऊपर विश्वास है। उसी आफिसर को तफ्तीश दे दी गयी है। एस. पी. (सी. आई. डी.) मिस्टर पंवार को यहां से भेजा और वरिष्ठ ऑफिसर वहां पर गये, मौके पर। यह सही है कि हत्यारों का पता नहीं लगा है लेकिन उनकी प्रार्थना थी कि अमुक ऑफिसर को ही लगाया जावे। उन्हीं की प्रार्थना के अनुसार उसको

(श्रीप्रद्युम्न सिंह)
इन्वेस्टीगेशन का कार्य दे दिया गया है इस केस का।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा। श्री कैलाश मेघवाल, गंगा क्षेत्र के बारे में।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, इसमें तथ्य बहुत हैं और जिस तरह का मामला यहां आया है, उससे शायद आप मुझको बीच में रोकेंगे भी, इसमें····

श्री अध्यक्ष: मैं तो दो मिनट में····

श्री कैलाश मेघवाल: कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पायेगी, यह मुझे भय है। इसलिये या तो समय थोड़ा अधिक दे तो सारे तथ्य दे सकें।

श्री अध्यक्ष: किसी दिन खाली हो, उस दिन।

श्री कैलाश मेघवाल: उस दिन के लिए रख दिया जाय, अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर): आपने जानकारी मंगवायी थी।

श्री अध्यक्ष: इस पर पुनर्विचार किया जायेगा व्यवस्था दी है मैंने।

श्री चन्द्रवीर सिंह: बोलूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं। सर्व श्री हंस राज शर्मा, बालचन्द्र आर्यवीर, महावीर प्रसाद। सवाई माधोपुर के गांव में किसी की हत्या। एक माननीय सदस्य दो मिनट में कह दें।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह मसला बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर और गोडावण को लेकर सारे राजस्थान में तहलका मचा हुआ था, वहीं सवाई माधोपुर जिले में इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं कि आये दिन सैकड़ों पक्षियों का शिकार करके उनको खा रहे हैं। उनके बहुत पीछे लोग पकड़े हैं लेकिन वे पकड़ में नहीं आते हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने एक गिरोह को पकड़ा है। उसको पकड़ते समय जब वह बन्दूक मारकर भागने लगा तो और लोगों ने उसको पकड़ लिया तो उसके बाद में उस मोर को जिलाधीश के यहां ले गये, पुलिस के यहां ले गये, उसका मैडिकल करवाया लेकिन पुलिस ने आज तक कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। इसलिये इस प्रकार वहां समाज के लोगों में, हिन्दू संस्कृति के आधार पर दो समाजों में इस प्रकार का संघर्ष चल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार वहां जो हजारों मोरों की हत्या व शिकार कर रहे हैं, उन पर पाबन्दी लगायी जाय। जिन लोगों ने इस प्रकार का जुल्म किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा के लिए पुलिस को आदेश किये जायं और उसकी जांच करायी जाय, मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री भगवान दास शास्त्री। अजमेर में प्राध्यापकों के तबादले के संबंध में।

श्री भगवानदास शास्त्री: सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में छोटे मोटे तो तबादले होते रहते हैं किन्तु ये 17 प्राध्यापकों के, 6 राजकीय महाविद्यालय अजमेर में हुए हैं। हमारा अजमेर महाविद्यालय है, आप सोचिये एशिया के माने हुए जितने शिक्षाविद हैं सब यहां से पढ़कर निकले हैं।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

साइंस का जो सबजेक्ट है वह तो सदा के लिए समाप्त मानना चाहिए क्योंकि वहां के 6 प्राध्यापकों, का स्थानान्तरण किया है, किसी को भेजा है सांभर लेक किसी को गंगापुर, किसी को बांसवाड़ा, किसी को पाली। इन तबादलों के विषय में कुछ अर्ज नहीं है किन्तु जो रिसर्च और पीएच. डी. की डिग्री थोड़े से खर्चे में गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति या बच्चा या शिक्षक लेना चाहे वह या तो उदयपुर जायेगा या राजस्थान विश्वविद्यालय में आयेगा या जोधपुर जाना पड़ेगा इसलिए 1960-62 से लेकर वहां रिसर्च होती रही, पीएच. डी. की उनके तबादलों के बाद पीएच. डी. का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। और यू. जी. सी. का जो ग्रेड है, वह कम से कम तय किया जाय जिन प्राध्यापकों को वहां से स्थानान्तरण करके भेजा गया है उनकी क्या आप आयु में भी वृद्धि करोगे, यू. जी. सी. का ग्रेड आप उनको दोगे। यह मैं बता दूं जहां जहां वे गये वहां वे सब्जेक्ट ही नहीं हैं। वे खाली बैठे हैं, कुर्सी पर वे लेक्चर तो क्या देंगे वे बच्चों को पढा ही नहीं सकते क्योंकि वे सब्जेक्ट ही नहीं हैं जहां उनको भेजा गया है। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो साइंस सब्जेक्ट है, उसके अजमेर में एक दो प्राध्यापकों को भेजकर अजमेर के राजकीय महाविद्यालय, जो एशिया में माना गया है, की सुरक्षा की जाय। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

व्यवस्था

विधान सभा के सत्र का आहूवान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नाथूसिंह द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 1981 को नियम 294 (1) व (2) के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न। राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य श्री नाथू सिंह ने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 294 के अन्तर्गत इस आशय के औचित्य के प्रश्न की सूचना दिनांक 15 सितबर, 1981 को दी कि विधान सभा का वर्तमान सत्र संवैधानिक रीति से "राज्यपाल" द्वारा आहूत नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप विधान सभा के वर्तमान अधिवेशन को चलाया नहीं जा सकता। संक्षिप्ततः उनका कथन है कि 30 अगस्त, 1981 को महामहिम राज्यपाल ने 14-9-1981 को प्रातः ग्यारह बजे विधान-सभा के सत्र को आहूत किया व आहूवान पत्र श्री कल्याण दत्त शर्मा, राज्यपाल राजस्थान द्वारा जारी किया गया जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खण्ड-पीठ द्वारा एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1308/81 सूर्य नारायण चौधरी विपरीत भारत संघ व अन्य में दिनांक 28 अगस्त, 1981 को दिए गए निर्णय के पृष्ठ 28 व 29 के अनुसार राज्यपाल के 8 कृत्यों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद 160 के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति राज्यपाल परिभाषित न किया जाकर ऐसा व्यक्ति है, जो कि राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करता है। इस आधार पर माननीय सदस्य की आपत्ति है कि ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नहीं है तथा संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के अन्तर्गत विधान सभा के सत्र को उनके द्वारा आहूत नहीं किया जा सकता है; चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अन्तर्गत होती है। यदि उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत उनकी नियुक्ति

(श्री अध्यक्ष)
मानी जाय, तो अनुच्छेद 158 (2) के प्रावधान के अनुसार राज्यपाल कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकेगा।

श्री कल्याणदत्त शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पद पर हैं और इसीलिये वे लाभ के पद पर हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 168 के अन्तर्गत विधान मण्डल का ही अंग होता है एवं अनुच्छेद 154 के अन्तर्गत राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां उसमें सन्निहित होती हैं। मुख्य न्यायाधिपति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त करने से राज्य की विधायिकी एवं कार्यपालिका की शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित हो जाती हैं। महामहिम श्री कल्याणदत्त शर्मा वास्तविक रूप से मुख्य न्यायाधिपति के पद पर कार्यरत होते हुए राज्यपाल नहीं हैं, इसलिये उनके द्वारा विधान सभा सत्र को आहूत नहीं किया जा सकता।

इस प्रश्न पर मैंने विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया हमारे संविधान की संरचना के समय प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान निर्मात्री सभा ने विचार किया था। फलत: राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी ने विचार विमर्श किया इस सम्बन्ध में मैं श्री बी. शिवाराव की लोकप्रिय एवं विद्वत्तापूर्ण पुस्तक दी फ्रेमिंग आफ इण्डियाज कांस्टीट्यूशन-ए स्टडी के पृष्ठ 393 का उल्लेख करना उचित समझता हूं। संविधान निर्मात्री समिति द्वारा विचारोपरान्त यह उचित समझा गया कि संविधान में ऐसे प्रावधान का समावेश किया जावे कि ऐसी स्थिति में जब कि आकस्मिक रिक्ति राज्यपाल के पद की हो, उसकी पूर्ति करने हेतु राष्ट्रपति व्यवस्था कर सकेगा। राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार दिया गया कि वे आकस्मिक रिक्ति के समय ऐसी व्यवस्था करें कि राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन सफलता पूर्वक होता रहें जब कि अनुच्छेद 156 के अन्तर्गत राज्यपाल त्याग-पत्र न दे एवं उन्हें हटाया न गया हो, ऐसी आकस्मिक रिक्ति के घटित होने पर व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रपति को अनुच्छेद 160 में शक्तियां प्रदान की गईं। संविधान के भाग-6 में अंकित कारणों से यदि रिक्ति न हो और ऐसे कारणों से हो जिनका उल्लेख उक्त भाग में न किया गया हो, तो अनुच्छेद 160 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन होता रहे। ऐसा करना विधि-सम्मत है। जैसा कि सर्वमान्य वैधिक सिद्धान्त है, विधि किसी शून्य की कल्पना नहीं कर सकती। वैधिक स्थिति एवं वैधिक प्रयत्न, व्याख्या के आधार पर ऐसा होना चाहिये कि वैधिक दृष्टि से शून्य की स्थिति उत्पन्न न हो।

संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार सर्वदा राज्यपाल रहता है एवं इन्टरग्म को भरने के लिए अनुच्छेद 156 (3) के परन्तुक को रखा गया है। ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है कि राज्यपाल त्याग-पत्र दे दे या हटा दिया जाये और दूसरा व्यक्ति राज्यपाल के पद का भार ग्रहण न करे। इस रिक्ति की स्थायी पूर्ति तभी हो सकती है जब कि अनुच्छेद 155 के अन्तर्गत राज्यपाल की नियुक्ति कर दी जाय। किन्तु बीच की स्थिति में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिये अनुच्छेद 160 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय आदेश प्रसारित करते हैं और इस प्रकार संविधान निर्माताओं की योजना के अनुसार शून्य की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष कृष्ण-

(श्री अध्यक्ष)

वल्लभ सहाय व अन्य अपील थी, विपरीत जांच आयोग व अन्य ए. आई. आर. 1969-सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 258 के प्रकरण में अनुच्छेद 153, 156 व 160 की विस्तृत व्याख्या की गई है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधिपति द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार इस तर्क को अनुच्छेद 160 केवल उस समय के लिए लागू किया जा सकता है जब कि वर्तमान राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो गया हो एवं मनोनीत राज्यपाल द्वारा पद-भार ग्रहण न किया गया हो, उस मध्यावधि के लिए ही राष्ट्रपति अनुच्छेद 160 के अन्तर्गत व्यवस्था कर सकेगा, अमान्य ठहराया गया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिया गया था कि यदि इसके विपरीत इन उप-बन्धों का उक्त तात्पर्य निकाला जाता है तो ऐसी व्याख्या मूल अनुच्छेद 156 को नकार देगी। इसी संदर्भ में अनुच्छेद 56, 62 जो कि राष्ट्रपति के सम्बन्ध में हैं और अनुच्छेद 67-68 जो कि उप-राष्ट्रपति के सम्बन्ध में हैं, का उल्लेख भी किया गया। इस तर्क को उच्चतम न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और यह निर्धारित किया गया कि शून्य की स्थिति की कल्पना संविधान द्वारा अभिप्रेरित नहीं है। परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनमें अनुच्छेद 155 के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो और इसीलिये अनुच्छेद 160 का प्रावधान किया गया कि जिसके अनुसार उस स्थिति का सामना किया जा सके।

अनुच्छेद 160 से आगे अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत राज्यपाल समय समय पर विधान सभा के सत्र को आहूत करेगा, ऐसा प्रावधान है। अनुच्छेद 174 में उक्त शक्तियां राज्यपाल महोदय में निहित है, जो उनके कृत्यों का स्पष्ट भाग हैं और इसीलिये अनुच्छेद 160 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था अनुच्छेद 174 के सम्बन्ध में भी लागू होगी। ऐसा व्यक्ति जो अनुच्छेद 160 के अधीन नियुक्त किया गया है, अनुच्छेद 174 में वर्णित राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने का अधिकारी होगा।

यहां यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि मुझे राज्यपाल की नियुक्ति की वैधता पर कोई निर्णय नहीं देना है। मेरे समक्ष तो केवल यही बिन्दु निर्णयार्थ उपस्थित है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 160 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के प्रकाश में श्री कल्याणदत्त शर्मा वर्तमान सत्र को आहूत कर सकते थे या नहीं? जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, अनुच्छेद 160 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था में राज्यपाल के समस्त कृत्यों का निर्वहन किया सकता है और यदि ऐसा है तो उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत विधान सभा सत्र को भी आहूत किया जा सकता है। यह निर्धारित करना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं होगा कि संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 160 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था में सत्र आहूत करने की शक्तियों को परे रखा होगा। अन्यथा ऐसी व्यवस्था का कोई लाभ नहीं होगा। वैधिक व्याख्या, कार्य सम्पादन को जहां तक सम्भव हो अक्षुण रखने हेतु मान्य होती है, व्याख्या के लिए ध्वंसात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाकर क्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है एवं यदि दो व्याख्या की जा सकती हों, तो भी जैसी कि मैंने ऊपर चर्चा की है ऐसी व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, जिससे कि शून्य की स्थिति उत्पन्न न हो और इसी शून्य की अवस्था को स्पष्ट रूप से नकारने के लिए अनुच्छेद 160 की व्याख्या की जाती है।

इसी प्रकार एच.एम. सिरवई की पुस्तक कान्स्टीट्यूशनल ला आफ इण्डिया के पृष्ठ

(श्री अध्यक्ष)
768 पर निम्नांकित टिप्पणी दी गई है :—

"As a Governor is appointed by the President. it is un-neces-sary to provide for filling the vacancy caused by his death or resignation or removal, but Arti-cle 160 enables the President to make such provision as he thinks fit for the discharge of the func-tions of the Governor of a State in any contingency not provided for in chapter I, Part VII of the Constitution."

अतः मैं माननीय सदस्य श्री नाथूसिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में यही निर्धारित करना आवश्यक समझता हूं कि वर्तमान सत्र राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त श्री कल्याणदत्त शर्मा द्वारा विधिवत् रूप से आहूत किया गया है एवं सत्र को आहूत करने में संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है।

मैं प्रस्तुत व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री हरिसिंह, कुम्हेर।

सूचना
राजस्थान कौंसिल आफ डिप्लोमा इंजीनियर्स का जुलूस

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा जुलूस राजस्थान कौंसिल आफ डिप्लोमा इंजीनियर्स का बाहर आया है।

श्री अध्यक्ष : जुलूस का सम्बन्ध यहां से नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं…

श्री अध्यक्ष: आर्डर आर्डर आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं तो हमेशा आपके आदेशों की पालना करता हूं लेकिन कम से कम एक मिनट के लिये जाकर माननीय ऊर्जा मंत्री जी उनसे बात कर लें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कार्यवाही में बाधा पैदा न करें।

(व्यवधान)

कार्यवाही में बाधा पैदा ना करें। आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : ऊर्जा मंत्री बड़े सम्माननीय हैं, समझा सकते हैं। जुलूस क्यों निकले। मैं समझता हूं, जाकर बात करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह। इनको यहां पर दूसरे जरूरी काम करने हैं। इसलिए नहीं जा सकते है आप पधारो हमारी सब की तरफ से।

श्री दाऊदयाल जोशी : बुलाकर बात कर लें

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भरतपुर फीडर नाम की नहर में उत्तर प्रदेश की आगरा कैनाल से पानी नहीं आने से रबी की फसल को क्षति

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार के माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान भरतपुर जिले की तहसील डीग और सब तहसील कुम्हेर के किसानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिन किसानों पर इस समय संकट आया हुआ है जिनके खेत भरतपुर फीडर नाम की नहर के कमांड एरिया क्षेत्र में स्थित हैं। श्रीमन्, भरतपुर फीडर आज से करीब 15–20 वर्ष पूर्व बनायी गई थी। इस नहर में 18 हजार एकड़ भूमि को सैराबी करने की क्षमता है। जिस समय यह नहर बनायी गयी थी, उस समय यू. पी. गवर्नमेंट की इस बात की स्पष्ट अण्डरस्टेंडिंग पर बनायी गयी थी, राजस्थान सरकार ने 20 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार की स्पष्ट अण्डरस्टेंडिंग के पश्चात् लगाया था, किसानों ने अपनी भूमि नहर में इस समझौते के साथ दी थी कि यू.पी. गवर्नमेंट से प्रति वर्ष 45 दिन तक 300 क्यूसैक्स पानी इस नहर में आया करेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1964 के आस पास भरतपुर में डा. के. एल. राव, तत्कालीन सिंचाई और ऊर्जा मंत्री, पधारे थे। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ इंजीनियर व सैन्ट्रल कैनाल बोर्ड के चीफ इंजीनियर पधारे थे। उस समय यह वार्ता हुई थी। राज्य सरकार ने उस समय यह मसला रखा था कि राजस्थान के लिये उत्तर प्रदेश से अधिक पानी मिलना चाहिये। राज्य सरकार की उस समय यह मांग थी कि जो 900 क्यूसैक्स पानी राजस्थान के लिये मिलता है, वह बढ़ाकर 12 सौ क्यूसैक्स कर दिया जाये। उस समय वार्ता के दौरान यह स्पष्ट आब्जर्वेशन आया था कि फिलहाल 900 क्यूसैक्स पानी ही राजस्थान को मिले, 600 क्यूसैक्स पानी गुड़ गावां नहर को मिले। 300 क्यूसैक्स भरतपुर फीडर के लिये मिलता रहे। जब ओखला बैराज का रि-माडलिंग हो जाये, उस समय अधिक पानी राजस्थान को मिले। तब से लेकर एक समझौता अब तक उत्तर प्रदेश सरकार से करा हुआ है। 300 क्यूसैक्स पानी प्रतिदिन 45 दिन तक राजस्थान को यमुना की आगरा कैनाल से मिलता रहेगा।

इस वर्ष, श्रीमन्, क्या हुआ। इस वर्ष क्या 71–72, 72–73 तक तो पानी मिला। उसके बाद उत्तर प्रदेश से पानी की कमी आती गई। पिछले तीन चार साल से पानी की मात्रा में बहुत कमी आ गई। 50–60 क्यूसैक्स ही उत्तर प्रदेश वाले जब चाहते हैं दे देते हैं जैसे कोई दान कर रहे हों। जब चाहते हैं दे देते हैं, जब चाहते है, नहीं देते हैं। अब की जब उत्तर प्रदेश में फ्लड आया था, उस समय फ्लड का जितना पानी था, भरतपुर जिले के क्षेत्र में बाढ़ लाने के लिये दे दिया और जैसे बाढ़ का पानी कम हुआ, वहां वैसे ही पानी देना कम कर दिया। अब स्थिति यह आ गई है कि वर्षा के अभाव में खरीफ की फसल सूख गई है। इस नहर से पानी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। जिसके कारण से 18 हजार एकड़ के किसान मोहताज हैं अपनी फसल बोने के लिये और राजस्थान सरकार की ओर निहारते हैं कि उनका संकट में कितना साथ देती है।

मैं मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज ही मुझे इस बात की जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता हुई है और यह आशा है कि इस वर्ष

(श्री हरिसिंह)

में सवा सौ डेढ़ सौ क्यूसैक्स तक पानी देंगे। यह मात्रा भी कम है। इतना पानी भी 45 दिन हमें मिल जाता है तो वहां के किसानों के लिये एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। यहां मैं राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को चाहिये कि भरतपुर की फीडर के लिये उत्तर प्रदेश के ऊपर अधिक डिपेण्ड न रहे। क्योंकि राजस्थान का पानी भी इस नहर में लाया जा सकता है, और यह फीडर 45 दिन के बजाय तीन चार महीने तक चलायी जा सकती है।

मैंने गत सत्र में एक प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न का उत्तर मुझे यह मिला था। मेरा प्रश्न यह था, क्या भरतपुर फीडर में कोई इस प्रकार की योजना बनाई जा रही है कि राजस्थान के के. पी. ड्रेन में पानी लाकर के सिंचाई की सुविधा बढाई जायेगी? उत्तर यह मिला था, के. पी. ड्रेन के 811 नम्बर पर जो चैन है, वहां से गुडगांवा नहर में और गुड़गांवा नहर से डीग डिस्ट्रीब्यूटी में पानी लाकर भरतपुर फीडर में पानी दिया जायगा। तो यह सुझाव इनके विचाराधीन है। इतने महत्व का सवाल है। जहां 18 हजार एकड़ से अधिक किसानों को पानी देने की सुविधा है और उनका जीवन इस पर निर्भर है, वहां इस प्रकार की योजना के बारे में विलम्ब करना कोई उचित बात नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोवर्धन ड्रेन, जो कि 1200 से अधिक क्यूसैक्स पानी को यमुना में लाकर ढेलती है"

(3.24 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, समापति पदासीन)

उस गोवर्धन-ड्रेन से भी पानी भरतपुर फीडर में लाया जा सकता है। जो कई माह चलती है। फरवरी और मार्च के महीने तक गोवर्धन ड्रेन का पानी चलता रहता है और राजस्थान का पानी उत्तर-प्रदेश में जाता है। गोवर्धन ड्रेन एम. एस. लेवल इस प्रकार है कि भरतपुर फीडर में पानी लाया जा सकता है। मैं निवेदन करूं, गोवर्धन ड्रेन से पूछरी के पास में जो एम. एस. लेवल है वह 182 है और भरतपुर फीडर 176 एम. एस. लेवल पर चलती है, 6 मीटर का फर्क है, एम. एस. लेवल के अन्दर। तो गोवर्धन ड्रेन से भी पानी लाया जा सकता है। ऐसा हो जाता है तो फरवरी और मार्च के महीने तक भरतपुर में इस क्षेत्र के किसानों के लिये पानी उपलब्ध होता जायगा। यदि कुछ लेवल के अन्दर ऊंचा नीचा होता हो तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां एक रिजवयिर बन सकती है और थोड़े पानी को लिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्ट करके पानी भरतपुर के किसानों को मिल सकेगा, उससे बहुत बड़े क्षेत्र के लिये किसानों को राहत मिलेगी।

यह मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं यह नहर भरतपुर फीडर जब बनी थी, अपने भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य इस बात की ताईद करेंगे क्योंकि उस समय यह केन्द्र में मंत्री थे, और इनके समक्ष मैं समझता हूं वार्ता हुई होगी। वहां पर उत्तर प्रदेश से स्पष्ट अपने एग्रीमेंट हैं कि वह हमें पानी देंगे, 300 क्यूसैक्स पानी देंगे। 300 क्यूसैक्स पानी लेने के लिये हमें भरतपुर फीडर में कुछ करना पड़ेगा। यह पिछले पांच सात साल से बहुत नेग्लेक्टेड नहर है। जो वहज के पास ब्रिज था वह टूट गया और टूटने से जो दूसरा ब्रिज बनाया है, उसकी

(श्री हरिसिंह)
क्षमता 300 क्यूसेक्स पानी की नहीं है। 300 क्यूसेक्स पानी नहर में आता है तो पानी हैल्ड अप हो जाता है और रुक जाता है। इस वर्ष वहज के पुल को इस प्रकार से बनायें कि 300 क्यूसेक्स पानी लाया जा सके और नहर के अन्दर जो बीच में खराबी हो गई है, जो बैंक कमजोर हो गये है, उन्हें मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं राज्य सरकार से आशा करता हूं कि वह अति शीघ्र मंत्री स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता करके भरतपुर फीडर में 300 क्यूसेक्स पानी प्रतिदिन के हिसाब से मिलने की व्यवस्था करेगी जिससे वहां के किसान अपनी फसल बो सकें और आने वाले साल में जिन्दा रह सकें।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : भरतपुर फीडर का नहर कार्य 1955-56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना (इनडेशन द्वारा) काल में पूर्ण हुआ। 18,000 एकड़ भूमि की सिंचाई सुविधा के लिये 18.98 लाख की लागत से इस फीडर का निर्माण हुआ था। भरतपुर फीडर में उत्तर प्रदेश में ओखला बैराज, जो कि यमुना नदी पर स्थित है, से आगरा कैनाल द्वारा पानी लिया जाता है। भरतपुर फीडर की जल प्रवाह क्षमता 300 क्यूसेक है।

मूल परियोजना के अन्तर्गत इस नहर में केवल वर्षा काल में उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने की स्थिति में माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर में 35......

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : 35 या 45 ?

श्री परसराम मदेरणा : 35।

श्री राज बहादुर : जरा इसे चैक कर लें। मेरे ख्याल से 45 है।

श्री परसराम मदेरणा : 35 दिन तक 300 क्यूसेक्स पानी भरतपुर फीडर में लेने का प्रावधान रखा गया था। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। वर्तमान में भरतपुर फीडर में पानी नहीं आ रहा है जिसके कारण रबी की फसल के लिये सिंचाई नहीं हो पा रही है। परन्तु इस वर्ष इस नहर से दिनांक 13-7-81 से 26-7-81, 30-7-81 से 19-8-81 और 27-8-81 से 3-9-81 तक उक्त नहर में कुल 42 दिन पानी चला है, जिससे तालाबों के भरे जाने के अतिरिक्त सिंचाई भी की गयी है। परन्तु अब उत्तर-प्रदेश के अधिकारियों ने भरतपुर फीडर में पानी चलाने में असमर्थता व्यक्त करदी क्योंकि वर्षा के अभाव में उनके स्वयं के क्षेत्र की सिंचाई के लिये पानी पर्याप्त नहीं है। फिर भी राज्य सरकार कुछ अंश पानी प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : धन्यवाद।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान 2-3 तथ्यों की ओर दिलाना चाहूंगा। यह तो निश्चित बात है कि जमुना का पानी जब तक नहीं आयेगा तब तक कोशिश यह की गई थी कि रावी का पानी ले लिया जाय और हरियाणा अपने यहां पानी डाल रहा

(श्री राजबहादुर)

है, जैसे कि वह भी जमुना में पानी डाल कर ओखला बैराज से लेता है ऐसे ही हमारी भरतपुर जिले में बड़ी भरतपुर फीडर और गुड़गांवा नहरों के लिये पानी ले लिया जावे किन्तु जवाब दिया गया कि सूट नहीं करता तो जब बार-बार कह दिया गया कि जो पानी कमिटेड है जिस पर मेरी प्रतिक्रिया दूसरी है और वह प्रतिक्रिया यह है कि राजस्थान में जितना पानी आया है वह समूचा राजस्थान के लिये आया है, वह एक जगह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो दूसरी जगह हो सकता है, होना चाहिये। लेकिन यह निश्चित बात है कि जब तक जमुना के पूरे पानी का बंटवारा नहीं करा लेते, ओखला बैराज का री मॉडलिंग नहीं हो जाता और आगरा कैनाल की लाइनिंग नहीं हो जाती और जब तक उसमें हम शामिल नहीं हो जाते तब तक न तो ओखला बैराज में पानी आ सकता है और न भरतपुर फीडर में या गुड़गांवां नहर में आयेगा।

हम आज तो केवल पड़ौसियों से भिक्षा के ऊपर हैं। वे चाहे तो दें चाहें तो न दें। भरतपुर फीडर में जो पैसा लगा है, बहुत कम लगा है 18 हजार बीघा नहीं एकड़ है. वह 18 लाख रुपये में ही पूरा हो गया है। मेरे ख्याल से इतनी सस्ती कोई योजना नहीं होगी गुड़गांवां नहर में भी ज्यादा पैसा नहीं लगा है लेकिन उसके द्वारा 500 क्यूसेक पानी लाने की योजना है। इसलिये 300, 500,800 क्यूसेक पानी तभी मिल सकता है जब कि जमुना के पानी में हमारा अधिकार होगा। इसके लिये दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य सरकार ने आगे बढ़ कर कोई पहल नहीं की ऐसा लगता है कि भरतपुर फीडर और गुड़गांवा नहर में पानी मिले, हमने यही बात नहीं की इसलिये मैं बहुत खेद और दुखः के साथ कहता हूं कि कृपया सबसे पहले जमुना नदी में पानी का बंटवारा कर लें। एक बात और पूरी तरह समझ लें कि बंटवारे का फैसला न होने से वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हो गये हैं हरियाणा और उत्तर-प्रदेश का वे नहीं चाहते कि पानी का बंटवारा हो। हरियाणा को पानी वेस्ट जमुना कैनाल से मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को आगरा कैनाल से मिल रहा है और ईस्ट जमुना से भी पानी मिल रहा है फिर भी राजस्थान अपना अधिकार लेने पर कोई आवाज नहीं उठाता। इसलिये हरियाणा और उत्तर-प्रदेश के जमुना नदी के पानी पर वेस्टेड इंट्रेस्ट और भी अधिक मजबूत होते जाते हैं इसलिये किसी बंटवारे का समझौता करने या समझौते की बात करने में इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं कि कोई विधिवत् बंटवारा जब तक नहीं होगा तब तक राजस्थान को अधिकारपूर्वक पानी नहीं मिल सकेगा जब तक अधिकार पूर्वक पानी नहीं मिलेगा तब तक हम भिक्षा पर रहेंगे। इसलिये अधिकारपूर्वक पानी लिया जाय। जितना केचमेंट एरिया जमुना नदी अथवा गंगा का राजस्थान में है जो लगभग 31 हजार वर्गमील से ऊपर कैचमेंट एरिया है राजस्थान में, राजस्थान में अरावली पहाड़ के समूचे पूर्वी ढाल से हरियाणा के बोर्डर तक सब हमारे ही प्रदेश का एरिया है जिसमें चम्बल, बनास, बाण गंगा एवं पार्वती आदि सारी नदियों का पानी है इस कैचमेंन्ट एरिया से जमुना गंगा में जाता है। इसलिये अधिकारपूर्वक जब तक पानी नहीं लेंगे और उनकी नींद हराम नहीं कर देंगे तब तक पानी नहीं मिलेगा क्योंकि हम सोते रहे हैं इसलिये वह सारा फायदा उठाते रहे हैं और हम राजस्थान में वंचित रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महो.

(श्री परसराम मदेरणा)

क्या, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जमुना के पानी के हिस्से और बंटवारे के संबंध में जो बात कही; मैं उनकी राय से सहमत हूं और सरकार इस ओर प्रयत्नशील है। राजस्थान जमुना के मामले में जो हमारा हिस्सा है और जिसके लिये हम प्रयत्नशील हैं, और इस बात की कोशिश में हैं कि पानी का बंटवारा जल्दी से जल्दी हो। इसके लिये राज्य सरकार ने पहले भी अपने पक्ष को रखा है और आगे भी पुरजोर तरीके से प्रयत्नशील रहेगी। दूसरी बात उन्होंने कोटा बैराज के संबंध में कही। कोटा बैराज का निर्माण हो रहा है। जहां तक मुझे जानकारी है इसी वर्ष यह निर्माण हो जायेगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि उनके ओखला बैराज के निर्माण के बाद ही भरतपुर के फीडर में पानी देना संभव हो सकेगा और तभी हमें 300 क्यूसेक पानी भरतपुर फीडर में छोड़ते रहेंगे। हालांकि हम को पानी 5,258 क्यूसेक मिलता है लेकिन हम फिर भी कोशिश में लगे हुए हैं और इस बात का हमें आश्वासन दिया गया है कि चीफ इंजीनियर इरिगेशन आगरा फ्रंट से और बाद में एडीशनल चीफ इंजीनियर से बात होने के बाद आशा बनी है कि चीफ इंजीनियर 21-22 तारीख को आगरा पहुंच रहे हैं और आगरा पहुंचने के बाद संभवतया बंटवारे का पानी रिलीज करेंगे, इस बात का आश्वासन मिला है और आगे हम प्रयत्नशील हैं।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किसानों को खातेदारी अधिकार

श्री सभापति : राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किसानों को खातेदारी अधिकारी नहीं देने के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। श्री राजस्व मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अनुसार दिनांक 15-10-1955 के पूर्व काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। तत्पश्चात राजस्थान राज्य में दो बड़ी सिंचाई योजनाएं यानी राजस्थान नहर तथा चम्बल योजनाएं निष्पादित की गई। इन दो बड़ी योजनाओं के अन्तर्गत जो कमाण्ड क्षेत्र थे उनका सुनियोजित रूप से विकास हो सके तथा उनके अन्तर्गत सिंचित होने वाली भूमि पर अधिकार समुचित रूप से नियंत्रित हो सकें, इस उद्देश्य से अधिनियम नं. 6 सन् 1958 के अनुसार धारा 15 तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जोड़ी गई। इसके अतिरिक्त 1961 तक राजस्थान नहर क्षेत्र की भूमि का काफी मात्रा में आवंटन हो चुका था और आवंटीगण को नियमित रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रावधान करना आवश्यक हो गया था। इस कारण 1961 के अधिनियम नं. 12 के द्वारा धारा 15-क(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एक परन्तुक जोड़ा गया था। तत्पश्चात् 1979 तक राजस्थान नहर क्षेत्र की काफी भूमि सिंचित हो चुकी थी और काफी मात्रा में लोगों को स्थाई रूप से इस क्षेत्र में भूमि आवंटित भी हो चुकी थी। अतः उस समय जिन व्यक्तियों को देय योग्य (हेरिटेबल) एवं हस्तांतरणीय अधिकार पूर्व में प्राप्त थे। उनको भी खातेदारी अधिकार देना उचित समझा गया और तदनुरूप धारा 15 (क क क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में जोड़ी गई थी।

अब प्रश्न यह उठाया गया है कि जिन व्यक्तियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने के पूर्व अपनी

(श्री परसराम मदेरणा)

भूमि पर केवल देय भाग (हेरिटेबल) अधिकार प्राप्त थे परन्तु हस्तान्तरणीय अधिकार, प्राप्त नहीं थे उनको खातेदारी अधिकार प्रदान कर देना चाहिये। इस संबंध में विचारणीय पहलू यह है कि जो भी इस प्रकार का निर्णय हम राजस्थान नहर क्षेत्र में बसने वाले काश्तकारों के लिये लेते हैं उसी के अनुरूप हमें राज्य में अन्य स्थानों पर रहने वाले कृषकों के लिये भी निर्णय लेना होगा ताकि प्रांत के प्रत्येक भाग में रहने वाले कृषकों के लिये समान नीति अपनाई जा सके और उनके मध्य भेदभाव नहीं हो। ऐसा न करने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की अवहेलना होगी।

अब तक जो वैधानिक नीति अपनायी गयी है उसके अन्तर्गत खातेदारी अधिकार उन्हीं कृषकों को दिये गये हैं जिनको संबंधित अधिनियम के लागू होने से भू-हस्तांतरण तथा धारा योग्य अधिकार प्राप्त थे। अतः किसी कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत उन्हें यह अधिकार दिये गये हैं। यह प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 (2) (क) में चम्बल परियोजना क्षेत्र में रहने वाले काश्तकारों के लिये रखा गया था। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण की धारा 9 के अन्तर्गत जागीर की भूमि में काश्त के लिये लागू किया गया था। अतः यदि हम राजस्थान नहर के काश्तकारों के लिये किसी अन्य व्यवस्था पर विचार करें तो राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिये समस्त काश्तकारों के लिये उसी प्रकार की व्यवस्था करना अनिवार्य हो जायेगा।

जागीर समाप्ति अधिनियम, 1952 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 (2) (क) जो कि 1961 से लागू है और तदनुसार कृषि भूमि पर अधिकार संबंधी समस्त कार्यवाही करीब करीब सम्पूर्ण हो चुकी हैं। ऐसी अवस्था में यदि हम इस बुनियादी नीति पर अब राज्य के सभी भागों के लिये पुनर्विचार करें तो इसके बहुत व्यापक परिणाम होंगे। अतः इस मामले में सभी पहलुओं पर पुनर्विचार किये बिना कोई नीतिगत निर्णय लेना सम्भव नहीं होगा। जहां तक धारा 15 (3) (क) के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि को आगे बढ़ाने का प्रश्न है पहले ही पूरा एक वर्ष का समय दिया जा चुका है जो कि पर्याप्त होना चाहिए। अब बार-बार भू-अधिनियम में संशोधन करके समयावधि बढ़ाना वांछनीय नहीं होगा।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर): सभापति महोदय, मंत्री महोदय अच्छी तरह से परिचित हैं पिछले वर्ष भी वहां पर भीषण अकाल था और इस साल भी हमारे जिले में भीषण अकाल है। हमारा आपसे यह निवेदन है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए आप इस समय को अनिवार्य बढ़ाइयेगा और इस अमेंडमेंट के तहत भी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय आप सारे प्रकरण से भली भांति परिचित हैं। जैसलमेर, कोलायत में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जैसलमेर क्षेत्र में 57 में सैटलमेंट हुआ था इसलिये 55 का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मंत्री महोदय, इस संबंध में मेरा कहना यह है। दूसरा यह कहना है, कि मंत्री महोदय, वर्तमान कानून में जो हस्तांतरण के हेरिटेबल राइट को प्रमाणित करने की बात कही गई है उसमें अगर

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

और जोर दिया जायेगा । मैं मंत्री महोदय आपके भाषण को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मंत्री महोदय जब आप कुछ समय पहले उधर बैठते थे तो आपने यह फर्माया था:—

"रिकार्ड में नहीं है तो वहां पर जो वर्ड्स ए और वी आयाँ है 10-10-79 को प्रस्तुत किया गया था यह हेरिटेबल ओब्लिग लगा कर वर्ड और लगाया जाय । अगर और ओ.आर.) नहीं लगाओ तो जिस इंटेशन से अमेंडमेंट लाये हो वह पूरा नहीं होगा और जो सब्जेक्टिव आब्जेक्शन एण्ड रीजन्स में लिखे हैं वे पूरे नहीं होंगे । मैं पहली स्टेज पर भी बोला, अमेण्डमेंट पर भी बोला और लास्ट स्टेज पर भी बोला हूं कि यह वर्ड और (ओ आर) लिया जाय क्योंकि मैं सोच रहा था और (ओ. आर) आने से फायदा जो जैसलमेर के काश्तकार रिकार्ड में नहीं हैं उनको ही नहीं होगा बल्कि बीकानेर का टीनेंसी एक्ट, 1945 है उसकी धारा 24 (ख) में जो खातेदार आते हैं उनको भी ट्रांसफरेबल खातेदारी राइट्स नहीं हैं। इसलिये 355 वाले टिनेंट जिनको कि हेरिटेबल राइट थे, कवर हो जायेंगे । यह मैंने सदन को एक दफा ही नहीं कहा बल्कि यह पूरी प्रोसीडिंग है ।

"Any person who at the commencement of this Act, was an occupancy tenant or a Maurusidar or a Khatedar tenant or a tenant with transferable and heritable rights........"

इसके बाद यह जोड़ दिया जाय

"under the tenancy laws of former State of Bikaner or the former State of Jaisalmer."

मंत्री महोदय ने जैसा फर्माया कि इस धारा के अमेंडमेंट से सारे राजस्थान में फ़र्क पड़ जायेगा तो यह आपका स्वयं का अमेंडमेंट है, मंत्री महोदय ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यह तो मानना ही पड़ेगा, यह तो आपका ही है।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हस्तांतरणीय चल रही है जिनका निर्णय नहीं हुआ है जिसके कि अतिक्रमण और जुर्माने की बात चल रही है उसको रोका जाय ।

तीसरा निवेदन है कि तहसील नागदा है वहां 1971-72 में सैटलमेंट विभाग द्वारा किया गया था । इसमें पट्टे गलत तरीके से रद्द कर दिये गये हैं। इससे मंत्री महोदय आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि 1971-72 में नागदा जैसलमेर में जो पट्टे सैटलमेंट विभाग द्वारा दिये गये थे उनको गलत तरीके से रद्द कर दिया गया है। क्या उन पट्टों को सही मानकर कानूनी मान्यता देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय का मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 में 10-10-79 को अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत यह था कि उस क्षेत्र में राजस्थान कैनाल और दूसरे क्षेत्र में जिनको अधिकार

(श्री देवीसिंह भाटी)

प्राप्त नहीं हैं वे एक साल में अपना प्रार्थना-पत्र देकर अपने सबूत पेश कर सकते हैं और 1955 से पहले के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सभापति महोदय, जब हमारे यहां सम्वत् 2012 और 17 में सैटलमेंट हुआ था उससे पहले का न तो कोई स्टेट का और न कोई रेजीडेन्ट का ऐसा सबूत है कि जो वह पेश कर सके। वह सबूत पेश कर सके कि हमारे पास ट्रान्सफरेवल एण्ड हेरिटेवल राइट थे इससे। इसलिये मंत्री महोदय निवेदन करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें और विचार करें। जैसा कि आपने पूर्व में सदन में कहा था और चाहा था कि अमेंडमेंट हो जाये कि ट्रान्सफरेवल एण्ड हेरिटेवल की जगह ट्रान्सफरेवल और हेरिटेवल कर दिया जाय तो उनको फायदा मिल जायेगा। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय पुनर्विचार करेंगे और इसके अन्दर अमेंडमेंट करेंगे जिससे कि हजारों काश्तकारों को फायदा हो।

दूसरा यह निवेदन है, मंत्री महोदय इसके अन्दर आपने प्रोसिजर रखा कि वह ए. सी. सी. या असिस्टेंण्ट कलेक्टर के यहां प्रार्थना-पत्र पेश करके सबूत दे सकता है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि 1979 में यह अमेंडमेंट हुआ था उससे लेकर आज तक एक भी व्यक्ति को खातेदारी राइट नहीं मिले हैं न इसके अन्दर मिलने की सम्भावना है जैसा कि कानूनविज्ञों का विचार है। इसलिये मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कोलायत में ए. सी. सी. के यहां आज के दिन साढ़े चार हजार के करीब प्रार्थना-पत्र पड़े हैं। राजस्व विभाग द्वारा निर्देश दिये गये थे कि तहसीलदार वगैरह मौके पर जाकर सबूत लें। जब कह दिया कि हमारे पास सम्वत् 12 या 18 का कोई रिकार्ड नहीं है। कोलायत रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं है, हम किस प्रकार सबूत देंगे? हम क्या करेंगे। राजस्व अभियान में यह कहा गया था कि लोगों को तारीखें देंगे दुबारा तारीखें देंगे और मिलेंगे। इस बारे में मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, जैसा कि जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, अमेंडमेंट दिया है वह करें और जो पैंडिंग प्रार्थना-पत्र हैं उनके बारे में फैसला करें। तारीखों में जाना पड़ता है तो उसके लिये अमेंडमेंट लाया जाए। लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं ए. सी. सी. के यहां। इसी प्रकार जैसा कि आपने फर्माया कि अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता है बार-बार उसको 6 महीने या एक वर्ष बढ़ा दें। मेरा निवेदन है कि करीबन 6 हजार काश्तकार मेरे क्षेत्र में रह गये हैं क्योंकि वे अनपढ़ हैं, उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था किसी प्रकार की सूचना नहीं थी कि आपको इस तरह खातेदारी अधिकार देंगे। उस क्षेत्र के रहने वाले लोग अकाल से पीड़ित हैं। वहां पर अनपढ़ और अनजान लोग रहते हैं, उनको आप एक मौका और दें जिससे कि 6 हजार काश्तकार वंचित नहीं रहें। एक मौका और मिल जाये तो जो 6 हजार किसान रह गये हैं उनको भी खातेदारी अधिकार मिल जाये। मेरा यह निवेदन है कि इसमें यह अमेंडमेंट लाये कि ट्रान्सफरेबल एण्ड हेरीटेबल की जगह ट्रान्सफरेवल और हेरिटेबल कर दें तो वह हेरिटेवल का सबूत दे सकते हैं। ट्रान्सफरेबल का न तो किसान स्टेट की तरफ से न किसी प्रकार आज के दिन सबूत दे सकते हैं।

श्री आत्माराम (हनुमानगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से अर्ज करूंगा कि 1903 के तहत सभी कीमत-

(श्री आत्माराम)

कारों को खातेदारी अधिकार मिलने चाहिए। भाग्य से कुछ ऐसे लोग रह गये हैं जो आज भी खातेदारी अधिकार से वंचित हैं। खातेदारी अधिकार क्यों नहीं दिया गया, सवाल उठता है कि गवर्नमेंट क्यों देवे। मौजूदा सरकार को या आज की जो सरकार है उस सरकार को खातेदारी अधिकार देने की क्या पड़ी थी।

यह मनुष्य मात्र का अधिकार है उस अधिकार के जरिये किसान जिस जमीन पर काबिज हैं, जिस जमीन पर वह काश्त करते हैं. मैं समझता हूं उनको खातेदारी राइट्स तो दिये गये उनको मालिकाना हक दिया जाना चाहिये। जमीन जो जोतता है. जो काश्त करता है और जिसने पहले जमीन पर हल चलाया, उसको खातेदारी हक क्यों नही दिये जायं समझ में आने वाली बात नहीं है चाहे 1955 में धारा ए जोड़ी, धारा बी जोड़ी या धारा सी जोड़ी जो खातेदारी अधिकार से जमीन पर काश्त-करते हैं, और जमीन पर जब से हल की जानकारी हुई तब से काश्त करते हैं, मैं नहीं समझता कोई भी सरकार उस काश्तकार को उस राइट्स से वंचित कैसे कर देगी। यह तभी होता है जब किसान सरकार की तरफ देखता है।

तीस साल हो गये आजादी मिलने के बाद, मैं नहीं समझता किसी सरकार के लिए, मैं समझता हूं यह शर्म की बात है यह हक मांगे, काश्त का हक मांगे। वह हक मांगता है कि उसका पुश्तैनी कब्जा है। वह पुश्तैनी हल चला रहा है। यह मांग करें तो यह अच्छी बात नहीं है, यह किसानों के साथ बेइन्साफी है। मैंने उस दिन भी अर्ज किया था, ऐसा लग रहा था सदन को विश्वास हो रहा है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन मिले तो सुखाड़िया सरकार ने उनके आंसू पोंछने के लिए 55 से जो काबिज थे उनको एक रकबा फ्री, उसके बाद सीलिंग सीमा तक इस तरह से दिया गया। इस तरह की लीपापोती करके उनको चुप किया गया। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह केस ले लिया और यह बना कि 55 और पूर्व के भूमिहीन एक जैसे हैं, उनको भूमिहीन नहीं मान कर मैं उनको मानता हूं काश्तकार 55 के और उससे पूर्व के एक जैसे नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? कोई दूसरा आदमी वहां केस तो नहीं रख सकता था जो सरकारी अधिकारी थे, 55 के पूर्व और बाद के जो पंजाब से आये दूसरी जगहों से उनको भी भूमिहीन माना। यह कसूर किसका? कसूर काश्तकार का नहीं, सरकार का है, जिसने वह देकर जुर्म किया कि यह भूमिहीन थे वरना भूमिहीन नहीं थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह 1955 के पूर्व के जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वह यह है कि इनको बराबर का माना जाय, भूमिहीन बराबर माना जाय। यह नहीं रहा कि काश्तकार को भूमिहीन माना जाय। यह पता नहीं किसके विचार में यह बात आई कि जो 1955 से पूर्व के काबिज थे काश्तकार और हल चला रहे थे, उनको भूमिहीन कैसे मान लिया जाय। यह आज भी समझ में आने वाली बात नहीं हैं, न वह उस दिन भूमिहीन थे, न आज भी हैं और न आप उनको उनके राइट से वंचित कर सकते हैं। इसलिये यह हल हो जाय तो अच्छा है।

दूसरा यह है कि 55 में, कानूनी पहलू यह है कि

(श्री आत्माराम)

खातेदारी राइट्स दे दिये तो 1958 में कैसे ले सकते हैं एक ही धारा लगा करके संविधान की धारा 31 के प्रोविजो से जो स्पष्ट है, उस काश्तकार से जमीन नहीं ली जा सकती। यह सारा कुछ होते हुए भी और किसानों के हमदर्द होते हुए भी पता नहीं आप ठीक कर सकते हैं, क्लेरिफाई कर सकते हैं कि इस तरह क्यों नहीं देखा गया। आज भी देर आयद दुरुस्त आपद का प्रोविजो है, काश्तकार को उसके खातेदारी राइट देने के बाद आप उसके हक से वंचित नहीं कर सकते। इसलिए दोनों पहलुओं पर मैं मन्त्री महोदय से विनती करूंगा कि आप इस पर फैसला देवें।

दूसरा यह मैं आपके नोटिस में ला दूं कि मन्त्री महोदय ने कहा कि बार-बार अमेण्ड-मेन्ट नहीं लाये जाते। यह उन्होंने खुद ने माना है जैसा पढ़कर सुनाया है कि 15 (ए) में अमेण्डमेन्ट हमने किया था, 24 अप्रेल, 1970 को छपाने के लिए, गजट नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया जो कि असेम्बली भंग होने से और दूसरी गवर्नमेन्ट आने की वजह से नहीं हो सका। अब हो जाय तो अच्छी बात है। हम यह नहीं कहते कि क्यों नहीं हुआ, आप मान लें तो अच्छी बात है। तो इस सारे सन्दर्भ में सरकार और सदन से प्रार्थना करूंगा कि काश्तकारों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते यह सबसे बड़ा जुर्म होगा। हम अगर उनको खातेदारी राइट्स नहीं देवें। इससे बड़ा जुर्म इस धरती पर हो नहीं सकता। जब से आदमी ने जमीन तोड़ी है, जमीन जोती है उनको खातेदारी राइट्स नहीं देवें यह अच्छी बात नहीं है।

श्री सुनिल विश्नोई (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदया, काफी बातें तो आत्मारामजी ने कह दी हैं, मैं कहना चाहता था वह बोल गये दो तीन पाइन्ट्स थे। एक तो राजस्थान कैनाल एरिया में प्रोजेक्ट एरिया में जो जमीन का अलाटमेंट हुआ है और किश्तें दे दी हैं, लोग बीस-बीस साल से काबिज हैं, उनके मामले कलेक्टर के पास हैं, रेवेन्यू बोर्ड में, अभी तक फैसले नही हुए हैं। क्या सरकार ऐसा कानून बनायेगी कि रजिस्ट्री अलाटमेंट के टाइम हो गई हो, उनके खातेदारी राइट्स हो जायं, उन्होंने किश्तें दे दीं, बीस-बीस साल से काबिज हैं। दूसरा, पिछले सत्र में 18 मार्च को सरकार ने वक्तव्य दिया था, केबिनेट मीमो था 24 अप्रेल का, केबिनेट डिसीजन हो गया था, नोटिफिकेशन भी भेजा था लेकिन सरकार बदल गई और वह नोटिफीक्केशन नहीं हो सका तो क्या सरकार उसको तुरन्त अमल में लाकर किसानों को राहत पहुंचायेगी ?

श्री सभापति : श्री दुलाराम।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय का ध्यान विशेष तौर से एक कैटेगरी है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। उस कैटेगरी को आज तक या तो समझने की कोशिश नहीं की और शायद सोचा भी तो वह काम पूरा नहीं हुआ। इन गांवों में सरकार ने कोई जमीन नहीं दी, आवंटन के जरिए कल्टीवेशन के लिये। वह जमीनदारों की जमीन थी, राजाओं की जमीनों पर कब्जा था, वे उस जमीन पर खेती कर रहे थे। मगर जब राजस्थान नहर आई उसके बाद सारी जमीन राजस्थान सरकार के अंडर आई। जब राज्य सरकार में जमीन निहित हो गई तो वे 45 गांव जहां आटामेटीकली खातेदारी राइट्स मिले हुये थे या नहीं, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। अगर

(श्री बुलाराम)

मिले भी होंगे तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बार सन् 1969 में एक एजीटेशन चला। उसके अंदर लोगों ने मांग की कि 1955 से पूर्व और 1955 के बाद 1958 वालों को, सबको खातेदारी राइट्स दिये गये हैं।

उसके बाद 1969 में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया और आज के राजस्व मंत्री श्री परसराम मदेरणा, शायद मंत्रिमंडल में मंत्री थे, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, उस समय घोषणा की थी कि 1955 से पूर्व वाले काश्तकारों को हम दो मुरब्बा खातेदारी देकर उसको काश्तकारी अधिकार दे देंगे। 1955 के बाद में जो काश्तकार हैं उनको एक मुरब्बा आवंटन करेंगे और एक मुरब्बा जो बच जायगा वह भी राज्य सरकार में निहित होगा। इस प्रकार का फैसला करके आवंटन करने का सोचा। उसके बाद 1958 वाले काश्तकार जब सरकार के पास आये, जब 55 वालों को आप दो मुरब्बे दे रहे हैं तो 58 वालों ने क्या कुसूर किया है उनको भी दिया जाय। अगर 55 वालों को फ्री में खातेदारी राइट्स दे रहे हैं और उनसे एक का किश्तों में वसूल कर रहे हैं तो हमसे दो का किश्तों में वसूल किया जाय। उसके बाद दोनों के लिये आदेश जारी कर दें। इस पर राज्य सरकार ने जब विचार नहीं किया तो वे लोग हाई कोर्ट चले गये हाई कोर्ट में अपील रिजेक्ट हो गई तो उसके बाद वे लोग सुप्रीम कोर्ट गये। सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह देखा कि 55 वालों को 58 वालों को दोनों को टी. सी. होल्डर माना 45 गांव राइसर के जो थे वे टी. सी. होल्डर नहीं थे उन्होंने इस दृष्टि से नहीं देखा। सन् 1955 वाले टी. सी. होल्डर्स को खातेदारी अधिकार थे, आप समानता के सिद्धांत को मानते हुये 58 वालों से न्याय नहीं करते और आप 55 वालों से न्याय करते हैं उनको ज्यादा जमीन दी गई है उनको कम। तो राज्य सरकार ने नियम बनाया था उसको भंग करके राज्य सरकार ने अपनी दलील दी कि 1955 और 1958 वालों को समान अधिकार दिये जायं।

इसके बाद तत्कालीन सरकार ने 1974 या 1975 में 58 वालों को जो एक मुरब्बा जमीन बचती थी अलाटमेंट करने के लिये फैसला किया और जो 55 के पूर्व काश्तकार थे उनको एक मुरब्बा अलाटमेंट करने और एक मुरब्बा पर खातेदारी राइट्स रखने का आदेश दिया।

इसी तरीके से 1977 में जनता पार्टी के शासन में यहां तत्कालीन मुख्य मंत्री बैठे हुये हैं हमने कई बार डेपुटेशन लेकर मिलने की कोशिश की हमने समझाया परन्तु इनकी समझ में नहीं आया या करना नहीं चाहते थे या इनकी एन्टी किसान नीति थी, मैं निवेदन नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर निवेदन कर सकता हूं कि कई बार डेपुटेशन लेकर गये लेकिन इस बात पर विचार नहीं हुआ। आज राजस्थान नहर के सामने तीन समस्यायें हैं। एक तो 45 गांव जिनको ये टी. सी. होल्डर मानकर अलॉटमेंट करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको खातेदारी अधिकार दिये जायें। सभापति महोदय, कुछ लोगों को खातेदारी अधिकार दिये जायें। टी. सी. होल्डर मानकर न दिये जाय, उनको काश्तकार मानकर दिये जाय, उनको यह मानकर दिये जायं कि वहां बैठे हुये हैं।

(श्री बुलाराम)

राज्य सरकार ने या किसी सरकार ने टी. सी. होल्डर्स को अलाटमेंट नहीं किया था। यह उनका क्लेम था। वे जमीन पर काबिज थे इसलिये उनको टी. सी. होल्डर मानकर दी जानी चाहिये थी जैसे दूसरों को खातेदारी अधिकार दिये हैं।

उसके बाद काश्तकार आते हैं 1955 से पहले और बाद के। उसके लिये मेरा निवेदन है कि कांग्रेस सरकार ने जाते-जाते डिसीजन कर लिया। जो 24 अप्रेल, 1977 को आपने फैसला करके गजट नोटिफिकेशन भेजा था वह नहीं हो सका, जनता पार्टी ने रोक दिया। मगर आपका और हमारा कर्त्तव्य है कि यह कांग्रेस पार्टी का शासन है और इंदिरा गांधी के राज में बात कर रहे हैं, जिस इंदिरा गांधी का समाजवाद में बड़ा विश्वास है। समाजवाद के जरिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सच्चा समाजवाद चाहते हैं तो 1955 से पूर्व और बाद वाले काश्तकारों को खातेदारी अधिकारी दिये जायें और और समान अधिकार दिये जायें। 45 गांव जो नोहर, भादरा के हैं, अलग-अलग मानकर अलग-अलग तरीके से दिया जाय।

उसके अलावा दूसरे मामले हैं जमीन की नीलामी के। कई मामले थे जो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं हैं वे अलग से हम उठायेंगे। मेरा ऐसा निवेदन है कि इस वर्ष मंत्री महोदय घोषणा करेंगे कि इन 45 गांवों को खातेदारी अधिकार दिये जायें और सन् 1955 वालों को एक मुरब्बा फ्री और एक मुरब्बा किश्त पर और 58 वालों को दोनों मुरब्बे किश्तों पर दिये जायें, इस प्रकार का आश्वासन चाहता हूं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): सभापति महोदय, मैं मंत्री को धारा 11 के पैरा 4 पढ़ कर सुनाता हूं। पैरा 4 में है अभिव्यक्ति इसके बजाय यह जो सीलिंग की बात कही गई है·····

श्री परसराम मदेरणा : यह मामला और चल रहा है, यह तो बाद में आयेगा। अभी तो स्टेटमेंट हो रहा है बिल बाद में आएगा। माननीय सभापति महोदय, अभी 6 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें। 4, 5, छः तो बैठ गये। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य चाहते हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 15 (3) (क) की अवधि एक वर्ष थी क्योंकि वहां पर अकाल लगातार पड़ रहा है इसलिये समयावधि बढ़ानी चाहिये। उनकी दूसरी दलील यह थी कि जब 10-10-1979 को यह संशोधन सदन में हो रहा था तो मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था और उस संशोधन में हेरिटेबल और ट्रान्सफरेबल राइट्स का प्रश्न आया है। वहां पर उस रिलेवेन्ट क्लॉज में "और" जोड़ दिया जाय, इस प्रकार का उल्लेख मैंने किया था।

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा समरी सैटलमेंट द्वारा जो कुछ भी रिकार्डस् थे उनके सामने कठिनाइयां हो रही हैं और इसलिये वह भी चाहते थे कि शब्द "और" जोड़ा जाय। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि एक भी केस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है और बहुत से लोग अकाल की वजह से समय पर अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके इसलिये धारा 15(3) (क) में राहत प्रदान की जानी चाहिये।

मैं सभापति महोदय, आपकी मार्फत

(88)

(श्री परसराम मदेरणा)...

यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी एक साल की समयावधि आपको मिली थी उस बात की पूरी चर्चा थी, मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि आप भी यहां पर मई के महीने में एक शिष्टमण्डल के साथ मुझे मिले थे 1980 में और आप यह चाहते थे कि यह समयावधि बढ़ायी जाय। अगर यह समयावधि नहीं बढ़ाते हैं तो कुछ लोग वंचित हो जायेंगे। यह राजस्थान विधान सभा के चुनावों के पहले की बात है। मैंने राजस्व सचिव को टेलीफोन किया था कि जब समयावधि है अभी तक तो क्यों बढ़ाई जा रही है। 29-12-80 के आसपास बढ़ाई जानी चाहिए। उस प्रकार का नोटिफिकेशन भी निकल चुका था, शायद माननीय सदस्य को जानकारी भी है और जब 7 महीने पहले मुझसे मिलने आये थे उस समय 7 महीने का समय मिला था उस पीरियड में लोग अपनी अर्जियां प्रस्तुत नहीं कर सके तो यह किस की ओर से कमी रही, यह तो आप स्वयं जानते हैं। लेकिन अब एक साल का समय दिया और समय का बहुत प्रचार किया गया था। इस संबंध में जो कुछ भी किया जा सकता है मैं इस बात पर विचार करूंगा कि अभी एक संशोधन बिल आ रहा है उस समय इसी 15 (3) (क) के शिड्यूल्ड के अन्तर्गत एक संशोधन पेश किया है इस सन्दर्भ में उस समय चर्चा करूंगा।

मैंने जो कुछ भी आपसे सदन में कहा और खास तौर से प्रॉसीडिंग्स जो 10 अक्टूबर, 1979 की है, जैसलमेर से आने वाले विद्वान माननीय सदस्य ने उसका उद्धरण यहां पर प्रस्तुत किया। मैं समझता हूं कि वह उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है रिलेवेन्ट पोरशन को। मेरा जो अमेन्डमेन्ट है वह क्वालिफाईंग है। प्री-55 वाली बात करते हुए मैंने उल्लेख किया है कि बीकानेर स्टेट के टिनेन्सी एक्ट के क्लॉज 46 के अन्दर क्योंकि वहां पर ऐसे, जो प्री-55 वाले हैं इनको हेरिटेबल राइट्स हैं लेकिन टान्सफरेबल राइट्स नहीं हैं और क्योंकि यह वंचित रह जायेंगे और अगर यह वंचित रह जाते हैं तो जैसलमेर के कुछ लोग रह सकते हैं क्योंकि उनके कुछ रेकार्ड नहीं है। यह बात मैंने कही थी लेकिन उसके साथ ही साथ यह बात भी मैंने कही थी कि अगर आप इस संशोधन को नहीं मानते है तो उन्होंने यह दलील दी थी कि 15 (2) (क) जो अभी स्टेट्यूट बुक में है कालोनी एरिया के अन्दर है बूंदी और कोटा में और उसमें जिस प्रकार की इबारत है उस इबारत में चेन्ज नहीं ला सकते क्योंकि हमने खातेदारी देने की बात सोची है। एक प्रकार के राइट्स इनके पास हैं टान्सफरेबल और है रीटेबल उनकी बात सोची है लेकिन हेरिटेबल राइट्स वालों की बात सोची। दूसरे प्रकार का कानून लाने में बहुत बड़ा उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिनको हेरिटेबल राइट्स थे फॉर्मर बीकानेर और कोटा स्टेट में, लेकिन ट्रान्सफरेबल राइट्स नहीं थे उनको अधिकार नहीं दिये। तो बीकानेर और जैसलमेर वालों को कैसे दे सकते हैं। मैंने अमेन्डमेन्ट यह मूव किया है। शायद मेरा अमेन्डमेन्ट नहीं पढ़ा है-

Under the Tenancy Laws of the former Bikaner State or former Jaisalmer State.

अगर बूंदी और कोटा के लिए आपका संशोधन है तो 'और' की बात आप नहीं मानते हैं तो बहुत बड़ा लेकुना रखने जा रहे हैं। इसलिए आप दलील दे तो रहे हैं। मैं 15 (2) (क) के अनुसार उसका एनोलागस प्राविजन रख रहा हूं। तो मैंने कहा कि अगर रख रहे हैं तो मैंने

(श्री परसराम मदेरणा)

ग्रमेन्डमेन्ट मूव किया है इसको ग्राप स्वीकार कर लीजिये यहां 15 (3) (क) में हम ग्रमेंन्डमेन्ट रखने जा रहे हैं क्योंकि बीकानेर एक्ट में तो ग्रर्स्टव्हाइल स्टेट का जिक्र किया है तो ग्राप बीकानेर ग्रौर जैसलमेर स्टेट का नाम क्यों नहीं लिखते। यह इसमें खामी रख रहे हैं यह बात मैंने कही है कि ग्राप पूरी प्रॉसीडिंग्स देखिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): ग्रापने ग्रब तक कमिटमेंट किये हैं उससे किस तरह से निकल रहे हैं वह तरकीब देख रहा हूं मैं।

श्री परसराम मदेरणा: इसलिए मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि राजस्थान जागीर रिजम्प्शन एक्ट के ग्रन्दर भी दूसरे ट्रान्सफरेबल ग्रौर हैरिटेबल राइट्स थे उनको इस प्रकार ग्रधिकार दिया गया ग्रौर इसी प्रकार के ग्रधिकार 25 (2) (क) के ग्रन्दर बूंदी ग्रौर कोटा के लिए दिये गये हैं इसमें इसलिए ग्रौर तरह से डिफरेन्ट ग्रधिकार देकर एक ही कैटेगरी के लोग हैं उनको यहां पर एलीजीबल बनाना, ग्रभी तक जितने भी भूमि सुधार के हमारे कदम हैं उनके ग्रनुरूप नहीं होगा इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था।

यहां पर यह भी बात कही गयी कि जो कुछ पिछले सत्र में यहां पर इसी 15 (3) (क) को लेकर ग्रौर प्री- 55 वाले मामलों को लेकर ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव के संबंध में चर्चा हुई थी उस समय मैंने किसी नोटिफिकेशन का उल्लेख किया था ग्रौर वह नोटिफिकेशन 15 (ए) का था। राजस्थान के ग्रन्दर भूमि ग्रावंटन के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों में संशोधन करने के लिए एक नोटिफिकेशन की बात कही थी। वह नोटिफिकेशन छपने के लिए 24 ग्रप्रेल, 77 को गया था ग्रौर बाद में राष्ट्रपति शासन में रद्द गया था ग्रौर जनता सरकार ने उसको निरस्त कर दिया तो मैंने कहा कि इस प्रकार के नोटिफिकेशन के केस में जैलसिंह के केस में फैसला हुग्रा है।

जैसा ग्रभी रायसिंह नगर से ग्राने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे उन्होंने यह कहा है कि प्री ग्रौर पोस्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए जहां तक कीमत का सवाल है। कीमत का सवाल इसलिए है कि प्री 55 वालों को हमने एक मुरब्बा फ्री दी थी ग्रौर पोस्ट 55 वालों को एक मुरब्बा फ्री नहीं थी। इस लिए यहां हनुमानगढ़ से ग्राने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनको बराबर का मान लिया जाये। बराबर का मानने का एक्सटेन्ड ग्राफ एरिया में था। उन्होंने 25 बीघा की बात भी नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि भूमि सुधार के ग्राब्जेक्ट को सामने रखते हुए जमीन कम है ग्रौर उसका फायदा ज्यादा लोगों को मिले तो हमारे पुराने रूल्स में 15 बीघा का प्रावधान था तो ग्राज कीमत बहुत बढ़ गयी है। इसलिए 15 बीघा का ग्रमेन्डमेन्ट किया है, यह भी गलत करके 25 बीघा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का भी ग्रपने जजमेंट में उल्लेख किया है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्री- 55 वाले निश्चित रूप से पुराने काश्तकार हैं ग्रौर पुश्तैनी काश्तकार हैं, इसमें कोई दो राय

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं है। उनको जो राइट्स थे बीकानेर स्टेट के समय, वह केवल हेरिटेबल राइट्स थे और ट्रान्सफरेबल राइट्स नहीं थे। इसलिए अलॉटमेन्ट के अन्दर तरमीम करके जो कुछ भी श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने भी कहा-उन्होंने यह बात यहां पर कही थी, मैं समझता हूं, 25 मार्च, 70 को उन्होंने अपने वक्तव्य में यह बात कही थी कि प्री-55 वाले जो टी. सी. होल्डर्स है इनको सीलिंग की जमीन दी जायगी लेकिन एक मुरब्बा फ्री होगा। लेकिन जैलसिंह के केस की वजह से यह काम्पलीकेशन खड़े हो गए, उसमें प्री-55 वालों को काश्तकार अधिनियम की धारा 15 (क) नहीं जोड़ी जाती 1958 में तो वह खातेदार बन जाते और नहीं बने, इसलिए ऐसे काश्तकारों की कैटगरी अलग है। तो उनको प्री और पोस्ट के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उनकी सैपरेट केटेगरी का डिसीजन गवर्नमेन्ट ने लिया था 1977 में। मैं आज यह समझता हूं कि जो इसका संबंधित विभाग है कॉलोनाइजेशन विभाग उस नोटिफिकेशन के संबंध में कुछ विचार करके निश्चित् तौर पर निर्णय लेगा और मैं भी उसमें मदद करने के लिए तत्पर रहूंगा।

यहां पर एक बात कही सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, उन्होंने यह कहा कि कुछ केसेज जो बार बार री-ओपन होते हैं, सारी किश्तें उन्होंने जमा करा दी हैं। इसकी मुझे जानकारी नहीं है चाहे भाखरा कॉलोनी हो, चाहे गंग कॉलोनी हो या राजस्थान कॉलोनी हो इनके आवंटन के नियम बने हुए हैं जो कि सब्जेक्ट टू दी जनरल कॉलोनी कन्डीशन्स हैं राजस्थान कालोनाइजेशन एक्ट, 1954 के अन्तर्गत। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने किश्तें पूरी दी हैं तो जनरल कॉलोनी कन्डीशन के अन्दर 7 साल के बाद उनको खातेदार बनाने का अधिकार है। चाहे कोई भी बात का 15(1) में उल्लेख हो लेकिन 15 (ए) और (बी) को देखें तो (बी) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजस्थान कॉलोनी के अन्दर जो लोग हैं उनको उस कानून के अन्तर्गत खातेदारी हक मिल जायेंगे, इसलिए यह कॉलोनाइजेशन से संबंध रखता है। इसलिए मैं जानकारी करके माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि क्या स्थिति है इस संबंध में।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो प्रश्न हमारे सामने है वह प्रश्न सिर्फ टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 (3) (क) के अन्तर्गत समयावधि का है। माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, मैं यह समझता हूं कि यह प्रश्न यहां पर आया था इसलिये मैंने निवेदन किया, लेकिन जहां तक प्री और पोस्ट का प्रश्न है, कितने लोग रह गये हैं, कितने लोग नहीं रह गये हैं आप जैसा कह रहे हैं और आपका ऐसा कथन है कि 6 हजार लोग, जिन्होंने आवेदन-पत्र देना चाहिये था, वंचित रह गये हैं। उसकी जानकारी करवा कर मैं उचित समय पर आपको बताऊंगा। जहां तक मैंने कॉलोनाइजेशन का आपसे निवेदन किया है आज वह प्रश्न नहीं है। फिर भी उसके लिये मैंने सरकारी पक्ष को आपके समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन उनको साझेदारी मिलनी चाहिये या नहीं मिलनी चाहिये, जो नोटिफिकेशन है वह निकाला था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसी प्रकार का नियम में संशोधन किया या नहीं मैं उस संबंध में निश्चित रूप से मंत्रिमण्डल में उठाऊंगा

(91)

(श्री परसराम मदेरणा)
और जो निर्णय लिया जायेगा, उस निर्णय लेने के बाद जानकारी दूंगा ।

श्री सुनील विश्नोई : मेरा आपसे निवेदन था कि 45 गांव राजस्थान कैनाल के बनने से नौहर भादरा के उसमें नहीं आए और जो ग्रांडर आये थे वह राजस्थान के एक्ट के अण्डर आते थे । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार जनता पार्टी के शासन में 15(क) बना कर लोगों को फायदा किया । क्या आप उसी प्रकार की कार्यवाही करेंगे? मेरा आपसे यह निवेदन है ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने जो नौहर और भादरा के 45 गांव की चर्चा की, अभी उसकी जानकारी मुझे नहीं है कि उस एरिया के अन्दर आये थे या नहीं । जो कमाण्ड एरिया था जो डी कमाण्ड हुआ और उसके बाद री-कमाण्ड हुआ, यह प्रश्न मेरे सामने नहीं था । इसलिए जब तक मैं इसकी जांच नहीं कर लेता तब तक मैं जवाब नहीं दे सकता ।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव किया था कि साढ़े चार हजार काश्तकारों के आवेदनों में से अभी तक एक का भी फैसला नहीं हुआ है । इतने लोगों ने आवेदन दिये, उनका फैसला नहीं हुआ तो माननीय मंत्री महोदय इसको बताने की कृपा करेंगे जिससे काश्तकारों को फायदा मिल सकें ।

श्री परसराम मदेरणा : एक का भी फैसला न हुआ हो, यह बात नहीं है ।

श्री देवीसिंह भाटी : सर, एक का भी नहीं हुआ ।

श्री परसराम मदेरणा : आप जो बात कर रहे हैं मेरे पास जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं ऐसी आपके दिमाग में यह बात है कि जैसलमेर के 40 गांवों के काश्तकारों ने एप्लीकेशन दी हैं साझेदारी अधिकार के लिये इसका अभी फैसला नहीं हुआ । लेकिन और 38 गांव सैटल हो चुके हैं और उन 38 में से 13 में री-सैटलमेंट हुआ है 4 स्थानांतरित हो गये हैं, 21 को साझेदारी अधिकार मिले हैं ।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : मैंने आपसे निवेदन किया था कि काश्तकार जिन्होंने आवेदन-पत्र दिया था उनको अभी तक कोई जवाब नहीं मिला । इसके बारे में आप कुछ विचार करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने उसका उल्लेख कर दिया था । मैं आश्वासन देता हूं कि इस मामले को मैं मंत्रिमण्डल में ले जाऊंगा जब कि मेरा कोई अधिकार नहीं हैं । यह संबंध रखता है कॉलोनाइजेशन मिनिस्टर से । चूंकि यह प्रश्न यहां पर उठाया गया इसलिये मैं आश्वस्त करता हूं आप लोगों को कि इसकी जानकारी मिलने पर आपको उचित उत्तर दे दूंगा । केवल माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए जैसा कि उनके राइट्स थे बीकानेर में 44 में जो राइट्स थे उनको मैं मानता हूं कि 355 सुपीरियर राइट्स के उसमें सम्मिलित थे, वह बिल्कुल भूमि हीन लोग नहीं थे । इसलिये उनको सैपरेट कैटेगरी की बात सोची गई है । और बीकानेर के जो 355 कृषि होल्डर्स हैं जिनको साझेदारी अधिकार मिल जाता है

(श्री परसराम मदेरणा)

अगर मिल जाता है तो यह कैटेगरी 455 से भिन्न है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने उसकी जानकारी नहीं होगी कि यह काश्तकार हैं इसलिए इनकी कैटेगरी बना कर हम उन्हें जमीन अलॉट करते हैं। जैसा कि तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया ने सदन में आश्वासन दिया था उसके संबंधित नियमों में संशोधन कर दिया गया था। उनको जमीन भी अलॉट कर दी गई थी लेकिन यह जो स्थिति पैदा हुई है वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण हुई है। उसे सैपरेट कैटेगरी कहा जा सकता है। और प्राइस के संबंध में एरिया के सम्बन्ध में भी एक दूसरी तरह से केटेगरी हो जायेगी। जो कुछ आश्वासन यहां दिये गये थे उसकी अनुपालना हो सके और ये भूमि से वंचित न हों और दूसरी केटेगरी बना कर के इनको पुनः बसाया जाये।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : मैंने आपसे अनुरोध किया था कि जो 71 में वहां के सैटलमेंट विभाग द्वारा पट्टे दिये गये थे वह बाद में गलत करके संशोधन कर दिया गया। अतः उन पट्टों का सही कानूनी रूप क्या है, वह गलत है या सही यह बतायें।

श्री परसराम मदेरणा : 71 में जो री सैटलसमेन्ट हुआ इसके होने के बाद में जो पट्टे दिये गये उनको कानूनी वैधता नहीं दी गई, मुझे जैसा कि आप कह रहे हैं अभी जानकारी नहीं है। इस संबंध में मैं जानकारी प्राप्त करके ही आपको सूचित करूंगा कि कानून और विधि की क्या स्थिति है।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा मूल प्रस्ताव है कि आपकी पूर्व सरकार ने जो अलॉटमेंट किया था। उसके अन्दर जो प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिये सारे किसानों की आशायें आप पर केन्द्रित हैं। आपने 79 में यह अमेंडमेंट कर दिया था और उसके तहत राजस्थान के किसानों को साझेदारी अधिकार मिलने चाहिये थे। परन्तु अभी भी यहां पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। किसान इस आशा में हैं कि नयी सरकार कोई नयी घोषणा करेगी और हम लोगों को लाभ हो सकेगा।

श्री परसराम मदेरणा : आपके क्षेत्र में जाने से पूर्व दो प्रश्न आप यहां पर उठा रहे हैं। एक तो यह कि केवल एप्लीकेशन दी हुई है। उनके संबंध में असिस्टेन्ट कलेक्टर ने यह फैसला दिया था, लोगों को मालूम हो कि यह अधिकार मिलेंगे या नहीं। एक बात और उसके लिये आप एक्साइटेड हैं ही नहीं सबूत भी पेश करते हैं। दूसरा जो आपने मुद्दा उठाया है उसमें यह कहा गया है कि जो एप्लीकेशन देने की अवधि एक साल है, वह बहुत कम है। उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिये, ताकि कुछ लोग जो वंचित रह गये हैं समय के अन्दर अपना आवेदन-पत्र दे सकें इसलिये अवधि में बढ़ोतरी की जाये। मैं इसके लिये कोशिश करूंगा जिससे वह सैटल हो सकें। उसके बाद यह प्रश्न विचाराधीन नहीं रहेगा। इसलिये मैंने यह कहा है कि 24 तारीख को मैं वहां पर आ रहा हूं और उसके संबंध में जो भी विचार किया जायेगा वह मैं आपको बता दूंगा और वह उन लोगों के हित में होगा जिन लोगों की तरफ से आप यह कह रहे हैं।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार
राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री सभापति : विधायी कार्य लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : सभापति महोदया, आपको पूछना चाहिये था।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : (तिवाड़ी) सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : आप खड़े होइये, आप खड़े नहीं हो रहे हैं इसलिये....

परिनियत संकल्प

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदया, मैं यह परिनियत संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं, उस पर बोलेंगे दूसरे माननीय सदस्य। सभापति महोदया, यह परिनियत संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं, यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1981 [अध्यादेश संख्या (6) 1981] को अस्वीकार करता है।

अब इसमें बहुत से नाम हैं, इस पर कैलाशजी बोलेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदया, यह जो अध्यादेश जारी किया गया है, इस अध्यादेश के द्वारा जो मूल राजस्थान इम्पोजीशन आफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग्स (अमेन्डमेंट) एक्ट था, उसमें चार संशोधन किये गये हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, यद्यपि आज प्रभारी मंत्रीजी, राजस्व मंत्रीजी के रूप में हमारे सामने मदेरणा साहब बैठे हैं लेकिन सीलिंग का जो इतिहास रहा है और इस अध्यादेश के द्वारा जो संशोधन किये गये हैं पहाड़ियाजी के मुख्य मंत्री होते हुए और उस मंत्रिमण्डल में कैबिनेट स्तर के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मंत्री होते हुए, और दूसरे स्तर के मंत्री भी अधिक ही हैं, तो सिवाय अफसोस करने के मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन, माननीय सभापति महोदया, प्रभारी मंत्रीजी का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करूंगा कि वे इस अध्यादेश को अस्वीकार करने में हमारा साथ दें और साथ इसलिये दें कि आपने चार संशोधन किये हैं-पहला संशोधन किया है प्रिएम्बल में और प्रिएम्बल में बहुत बड़ी भाषा में जिसमें कि 5-6 उद्देश्य घोषित किये गये हैं। उन उद्देश्यों में प्रिएम्बल में आवश्यक था संशोधन करवाना....

"Whereas it is necessary to acquire the agricultural land in excess of the ceiling area and to distribute such land to the landless and other persons among the rural population:"

और इस रूरल पापूलेशन के बाद जो संशोधन किया गया है वह है....

"or to utilise it for carrying out other measures of agrarian reforms."

मैं, माननीय सभापति महोदया, प्रभारी

(श्री कैलाश मेघवाल)

मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह प्रिएम्बल में है⋯

"To utilise it for carrying out other measures of agrarian reform"

यह अपने आप में रिफार्म था, यह प्रिएम्बल में संशोधन करने की मंशा बहुत साफ थी और साफ इसलिये कि यह पहला संशोधन और दूसरा जो संशोधन किया गया है वह सेक्शन 19 के सब सैक्शन (4) में किया गया है और यह (4) में जिस तरह से संशोधन किया गया है माननीय सभापति महोदया, उसमें एक बात कही गई है कि जो मूल एक्ट था, अधिनियम था उसमें मैक्जिमम लिमिट कम्पनसेशन की तय की गई अलग-अलग तरह की, जो भूमि थी उस भूमि के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए, मैक्जिमम तय की गई, और मैक्जिमम तय करने के बाद क्या मुआवजा दिया जायगा उस मुआवजे के बारे में सूत्र दिया गया, उस मुआवजे के बारे में एक फार्मूला दिया गया उस फार्मूले के आधार पर सन् 1973 से 6 जुलाई, 1981 तक फैसले हुए हैं। कारण दिया है रीजन्स में माननीय सभापति महोदया, मुझे अफसोस होता है, इस युग में आज की तारीख में जब हम कम्प्यूटर एज में आ गये उस समय उस सब सैक्शन को संशोधित करने का कारण दिया गया है, क्योंकि गणना में कई तरह की गलतियां रह जाती हैं और साधारणतया गणना ठीक तरह नहीं हो पाती है इसलिये लैन्डलेस व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के तहत लाभ मिलना है, व्यक्ति को समय पर लाभ दिया जाय। इतने बड़े धोखे भरे माया जाल की शब्दावली जो प्रयोग की गई है उसमें, सभापति महोदया, मैं सोचता हूं कोई दूसरा नहीं हो सकता। किस स्तर के अधिकारी को कह कर उस अधिकारी के नीचे दूसरे अधिकारी होते हैं।

एक बार आपके पास सीलिंग की जमीन आ गई और सीलिंग की जमीन आने के बाद अगर यह तय हो गया और राज्य में जमीन प्राप्त हो गई, उसके बाद उस जमीन का भू-लेख के आधार पर एक बहुत साफ नक्शा आ जाता है कि यह किस-किस किस्म की जमीन है, जब यह साफ हो जाता है कि किस किस तरह की और किस वर्ग की कौनसी जमीन है, उसके बाद सूत्र लागू किया जा सके। मुझे आज तक समझ में नहीं आया और मैं माननीय सभापति महोदया चाहूंगा प्रभारी मंत्रीजी नहीं है लेकिन विधि मंत्री जी नोट भी करें और सुनें भी, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आखिर यह क्या कारण है? मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि सीलिंग 1960 से लगा कर 1972 तक और सन् 1973 से लगाकर अध्यादेश जारी हुआ तब तक सीलिंग कानून के फैसले भी राजनैतिक हथियार के रूप में काम में लिये जाते रहे है।

राजस्थान में निहित स्वार्थों की, भूमिपतियों का और सत्ता धारी पार्टी पर प्रभाव रहा है और उस प्रभाव के तहत एक षड़यन्त्र किया गया है, उस षड़यन्त्र से राजस्थान सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। मैं कहता हूं मुझे फिगर मालूम नहीं है। सरकार फिगर उपलब्ध करा सकती है। करोड़ों रुपया जो मामले तय हो चुके हैं, उनमें ले चुके है, उन मामलों में फिर से कम्पनसेशन का षड़यन्त्र किया गया है इस षड़यन्त्र की शिकार राजस्थान की सरकार हुई है या जान-बूझकर किया गया है। माननीय सभापति महोदया, मैं चाहूंगा जब जवाब दें तो इसका निराकरण करें। मैं इसका सबसैक्शन पढ़कर सुना देना चाहता हूं इन ओरिजनल

(श्री कैलाश मेघवाल)

Act 19 (4)—The amount of acquisition payable to a person for surplus land vesting in the State Government under section 16 shall be determined by the Authorised Officer according to the following scale:—

(*a*) Nahri- Rs. 1600/- per acre.
(*b*) Chahi Rs. 1000/- per acre.

यह जो शब्दावली है और इस शब्दावली में रुपीज 1600/- पर एकड़ से अलग अलग जमीन का अलग-अलग है—वह तो माननीय मंत्री महोदय के पास है वे देख लें। मैं कहना चाहता हूं जो संशोधन किया है वह यह किया है, और यह भी अलग-अलग है

Rs. 16 hundred per acre.

अब मैक्सिमम में पहले यह था कि····

For the first 7.5 acre of surplus land twelve times the fair, rent subject to a maximum of—

यह मैक्जिमम हटाकर इन्होंने जो इन्ट्रोड्यूज किया है····

for the first 7.5 acres of surplus land—

और उसके बाद 1600 का मैक्जिमम है सिवाय इसके कि जो क्वालिफाइंग क्लाजेज से गणना करके उसके माफिक जो सूत्र थे उनको हटा दिया गया है जो अधिकतम सीमा मुआवजे की तय की गई उसके मैक्जिमम को हटाकर सब-सैक्सन (94) ऐसा का ऐसा आपने संशोधन में रख दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं 7-72 तक के फैसले किस तरह से किये यह, मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन यह लागू हो जाने के बाद 6 जुलाई, 81 तक जितने फैसले हुए है मैं चाहता हूं उनका फिगर दें जिसमें अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह की जमीनों पर इस तरह का मुआवजा मिल सकता है। वह, माननीय सभापति महोदया, ये सदन के सामने नहीं रखते हैं तब तक यह एक षडयन्त्र है और इस षड़यन्त्र से राज्य कोष का करोड़ों रुपया पुन: जो मामले तय हो चुके हैं, जिनका मुआवजा तय हो चुका है उस मुआवजे को वापस देना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस फार्मुले में जो मैक्जिमम दे रखा है हर तरह की जमीन के वर्गीकरण का उस मैक्जिमम में कहीं दो बटा तीन बना है, कहीं एक बटा चार बना है और कहीं एक बटा दो बना है देना उसकी सीमा में कौन आया है इसकी गणना नहीं की जा सकती है। बड़ा वैग रीजन दिया है। सभापति महोदया, मैं पढ़कर सुना दूंगा।

"..Commutation of compensation on the basis of fair rent creates avoidable difficulties as delays and consequently the benefit of this socio-economic land reform is not readily available to the landless persons for whom this law is meant. It is therefore considered necessary to prescribe and fix the rates of compensation for various classes of land."

यह इन्होंने कहा है। कम्प्यूटराइजेशन के युग में गणना नहीं कर सकते। गणना की अव्यवस्था, यह एक कारण राज्य सरकार ने माना है। माननीय सभापति महोदय, अपनी अक्षमता, अपनी अयोग्यता जाहिर कर दी और जाहिर कर दिया कि अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह शब्दावली यूज करके आप करना चा[illegible] तो इस तरह सैक्शन 19 का संशो[illegible] है। सैक्शन 94 का संशोधन

(श्री कैलाश मेघवाल) आवश्यक हो जाता था कि इस 94 से जो लाभान्वित होने वाला एक निश्चित वर्ग है। माननीय सभापति

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं तो संशोधन के बारे में इसलिये कह रहा था कि अगर मैं पूरे कारण नहीं रखूंगा तो यह कैसे मालूम पड़ेगा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके जितना प्रतिगामी अध्यादेश पिछले डेढ़ साल में तो कम से कम नहीं आया।

जहां प्रगतिशीलता, लैंड रिफार्म्स की हम बात करते हैं, क्रान्तिकारी भूमि सुधारों की हम बात करते हैं और स्पष्ट रूप से मैं नहीं कहना चाहता, 1973 का क्यों आया था, प्रश्न को माननीय विधि मन्त्री अच्छी तरह जानते हैं, माननीय प्रभारी मन्त्रीजी भी अच्छी तरह जानते हैं। 1960 का जो सीलिंग का कानून था, वह प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका तो 1970 के बाद देश में एक वातावरण बनाया गया कि श्रीमती गांधी गरीबों का भला करेंगी, सीलिंग को सख्ती से लागू करेंगी। उस भावना, उस स्प्रिट के साथ 1973 में यह कानून पास कराया गया लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय विधि मन्त्रीजी, प्रभारी मन्त्री जी आपसे भी इसको देखियेगा, कहां ले जाना चाहते हैं, अगर आप इसका उपयोग नहीं करें, और आप इसमें अगर विधायकों के ऊपर दबाव नहीं डालें मन्त्री महोदय होने का तो अपने सेक्शन जो अमेंडमेंट किया है उससे राजस्थान की ध्वजा को मिटाना चाहते हैं। 19-ए सेक्शन में पुनः सारे मुकदमे खुलेंगे। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह 19-ए का रिव्यू है, आप उसको देखिये—

"Review of order determining amount under Section 19. The authorised officer shall, suo moto or on an application of the person upon whom the final statement was served, review any order passed under Section 19 before the commencement of the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holding (Amendment) Act, 1981d etermining the amount for acquisition of surplus land vesting in the State Government under Section 16 and shall redetermine the amount with reference to Section 19 as amended by the said Act, and the order so passed shall be deemed to be an order passed under Sub-section (3) of Section 19 for purposes of section 23."

यह जो संशोधन 19 ए का नया पूरा पैराग्राफ रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं शब्दावली में भी शैल का औचित्य है या नहीं। 1973 में ये सीलिंग एक्ट लागू करने के बाद 6 जुलाई, 1981 तक जितने फैसले हो गये, या तो सुओ मोटो आ जाय या मन में जंच जाये, ऑथोरिटी को, ओथोराइज्ड ऑफिसर है या किसी ने दरख्वास्त दे दी, दरख्वास्त देने बाद पिछले फैसले ठीक हुए या नहीं, उसका रिव्यू करने के कारण है या नहीं, यह कोई पता लगाने की जरूरत नहीं। ये आब्लीगेटरी और मैन्डेटरी हो गया कि कोई दरख्वास्त, कम्पलेन्ट आ गयी, फिर से रिव्यू करो। माननीय सभापति महोदय, सीधे यह कहना चाहता हूं कि कम्पन्सेशन एक कैसे नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, प्रभारी मन्त्री से, आपसे निवेदन करना चाहता

(श्री कैलाश मेघवाल)

हूं, अगर जज के रूप में आप देखना चाहें तो 6 जुलाई, 1931 से कल तक के केस मंगवाकर देख लीजिए । जितने रिव्यू किये हैं इसलिए किये होंगे कि आर्डिनेन्स निकालने की आवश्यकता पड़ी और इसलिए आवश्यकता पडी कि दवाब है। यह सरकार तुरन्त न्याय देना चाहती है और इस लिए आर्डिनेन्स निकालने की आवश्यकता पड़ी, उन केसेज को कवर करके जितने भी केस डिसाइड हुए हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं चैलेन्ज चुनौती के साथ कहता हूं, हरेक में मुआवजा बढ़ा है, कम्पन्सेशन बढ़ा है और इस तरह यह जो सैक्शन 19 इन्ट्रोड्यूस किया गया है यह बड़ा प्रतिगामी है, मुझे अफसोस है यह कहते हुए कि 1973 में सीलिंग एक्ट विधान सभा में पास हुआ और इसके पहले भी जहां-जहां सीलिंग के बारे में चर्चा हुई, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चाएं हुईं, योजना आयोग के वर्किंग ग्रुप में चर्चाएं हुई हर जगह एक बात कही गयी कि मुआवजा कम से कम दिया जाय माननीय बरकतुल्ला साहब जो उस समय मुख्य मंत्री थे, ने उस समय वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए एक बात कही थी, कि ये तो ले लेते हैं, मैग्जीमम का आंकड़ा लेकिन हमारी कोशिश यह रहेगी कि हम कम से कम मुआवजा दें जिनसे भूमि ली जा रही है, जो भूमिपति है, जिनके पास जमीन ज्यादा है, जिन्होंने हजारों साल तक भूमि का उपयोग किया है, उनसे लेकर हम सामाजिक सुधार, सोशल जस्टिस, इकोनोमिक जस्टिस, करेंगे बड़ी सुहावनी शब्दावली के आधार पर जो बात कही गयी, आज उसको भुलाया जा रहा है जो 19-ए इन्ट्रोडयूस किया गया है इसके बारे में, माननीय सभापति महोदय, बिल की स्थिति में यह देखा गया है, जैसा मैंने निवेदन किया और यहां बैठे हैं सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य, इसकी वास्तविक मन्शा समझ लें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस एक्ट के खिलाफ सारा सदन जायेगा। सारे सबसे प्रतिगामी, आखिर क्या तमाशा है। देश में एक वातावरण बनाया जा रहा है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो पीढ़ियों से पीड़ित रहे, जो आतंकित रहे, शोषित रहे, जो मजदूरी का काम करते हैं, जो बड़े भूमिपतियों के यहां आज भी हाली का काम करते हैं, जो उनके खेतों में आज भी बेगार का काम करते हैं, उन लोगों के लिए 73 में बड़ी भावना के साथ यह बात तय की गयी थी सीलिंग से अधिक जो भूमि मिलेगी वह किनको मिलेगी वह ओरिजनल सैक्शन है, इसलिए आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कि उसकी मन्शा समाप्त कर दी गयी। मूल सैक्शन है 21--

"Allotment of vested land to landless persons. The surplus land vested in the State Government under Section 16 shall be allotted on priority basis amongst landless labourers of the village particularly to the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes by such authority, in such manner, to such extent and subject to such terms and conditions as may be prescribed."

यह एक भावना थी और मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं यह भावना चाहे व्यवहार में आई हो या नहीं, चाहे इसका एक्जीक्यूशन हुआ हो या नहीं, मैं आपके माध्यम से प्रभारी मन्त्री जी

(98)

(श्री कैलाश मेघवाल)

पूछूंगा कि 1960 से 1973 तक आपका सीलिंग एक्ट था और 1973 से 1981 तक आपका सीलिंग एक्ट है, कितनी जमीन भूमिपतियों से आपने सीलिंग में ली है? अलॉटमेन्ट के आंकड़े मैं नहीं चाहता, अलॉट होने के बाद शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने लोगों का कितनी जमीन पर कब्जा हुआ है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपके एक्ट की क्या स्थिति रही है। यह तो एग्जीक्यूशन में नहीं आया लेकिन अब कानून अमेण्डमेन्ट करके यह जो प्रतिगामी कदम उठाया जा रहा है, सभापति महोदय, इस अध्यादेश के द्वारा वह मैं पढ़ना चाहता हूं, अमेण्डमेन्ट क्या किया जा रहा है. इसमें अमेण्डमेन्ट किया जा रहा है

"Amendment of section 21, Rajasthan Act of 1973—In Section 21 of the principal Act, after the words " The surplus land vested in the State Government under section 16 shall" the expression after re-serving such extent of surplus land as may be considered necessary by it for purposes directed towards the promotion of agriculture, welfare of agricultural population and economic development of the area."

क्या सुहावनी शब्दावली प्रयोग की है यह शब्दावली प्रयोग होने के बाद मैं माननीय प्रभारी मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि अध्यादेश तो लागू हो गया। अध्यादेश आपने लागू कर दिया तो बिल बना लेंगे, एक्ट बन जायेगा। लेकिन इसके बाद सारे राजस्थान के शिड्यूल्ड-कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को सीलिंग से मिलने वाली जमीन से एक इंच जमीन नहीं मिलेगी। यह हमारी मान्यता है, ऊपर से आपने किया है अमेण्डमेंट, जिसमें कि असल मेजर्स था एग्रीकल्चरल रिफार्म्स आपसे मैं, माननीय प्रभारी मंत्री, जी निवेदन करना चाहता हूं कि रिफार्म्स के लिए आपके दिमाग में है क्या? आपकी कल्पना है क्या। आप बताइये तो सही कि कौनसा उद्देश्य है, जिसके आधार पर यह तो मालूम पड़े कि मेजर आफ रिफार्म्स की क्या कल्पना है आपकी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदया, यहां जो शब्दावली यूज की है "Towards promotion of agriculture, welfare of agricultural population and economic development of the area." इन शब्दावली में केवल शब्द रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितने इस प्रकार के कानून पास किये गये हैं, जितने गरीबों के हित में कानून पास किये गये हैं. मैं आरोप लगाता हूं कि इन कानूनों का व्यवहारिक रूप में एक्जीक्यूशन आज तक नहीं हुआ यही हालत इस एक्ट की हुई और वही हालत होने के बाद आज स्टेचुटरी रूप में जो इस तरह का अमेंडमेंट लाया जा रहा है जिससे कभी भी, यह सीलिंग की जमीन को लेकर क्या करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्या कोआपरेटिव फार्मिंग करना चाहते हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर डवलपमेंट की आपकी कल्पना क्या है? कोआपरेटिव फार्मिंग आप करना नहीं चाहते। इसलिए आज भी जो जमी

(श्री कैलाश मेघवाल)

सीलिंग में आई हुई है, माननीय सभापति महोदया, आप भी अच्छी तरह से जानती है कि हस्तान्तरणों से या दूसरे तरीकों से सीलिंग की जमीन सरप्लस घोषित होने के बाद भी आज तक उसका कब्जा सरकार को नहीं मिला है और सरकार ने केवल झूठे आंकड़े दिये अलाटमेंट के। इसीलिए मैंने माननीय प्रभारी मंत्री जी से पूछा है . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : समय की सीमा का ख्याल रखें। अधिकतम सीमा का भी।

श्री कैलाश मेघवाल : बहुत जल्दी, माननीय सभापति महोदय, आज जो इस बिल की मंशा दिख रही है वह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों पर जो कुठाराघात किया जा रहा है कांग्रेस सरकार के द्वारा उसको आप समझ नहीं रही हैं। उसके पहले जो यह प्रावधान था नियमों में, कानूनी प्रावधान था, उस कानूनी प्रावधान की पालना आप नहीं करा सके।

मैं चाहता हूं कि जितनी जमीन सरप्लस घोषित हुई उसके अलॉटमेंट के आंकड़े नहीं चाहिए। मुझे वह आंकड़े चाहिए कि वास्तव में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के कब्जे में कितनी जमीन दी गई, उसके आंकड़े आप तैयार नहीं करवा सके और आज आप कहना चाहते हैं कि आपने इसको जोड़ दिया यह, जो सीलिंग की जमीन मिलती है उसमें से पहले हम निश्चित करेंगे ? किसके लिए ? एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर की जमीन का उपयोग काहे के लिए होता है ? उस पर अधिक से अधिक उपज बढ़ाना। एग्रीकल्चर की उपज हो, वह भी उपयोग दिखता नहीं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक षड्यंत्र है। सीलिंग की जिन लोगों की जमीन ली जा रही है, उनका दबाव है। कल वह चाहेंगे कि हम कोआपरेटिव फार्मिंग करना चाहते हैं। वह कल कहेंगे हम यह करना चाहते हैं, हम वह करना चाहते हैं। एक इंच जमीन उनके कब्जे से नहीं निकलेगी और फिर इस प्रकार का कानून बेकार जाएगा सीलिंग के कानून को रेसिस्ट करने के साथ शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ धोखा हो रहा है।

माननीय प्रभारी मंत्रीजी, माननीय पहाड़ियाजी न मालूम किस भावना से इस कानून को ले आए। आप उस समय नहीं थे मिनिस्टर, मैं इस बात को जानता हूं। अगर आपके दिल में दर्द है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के बारे में और अगर आपके दर्द है कि राजस्थान का खजाना खाली नहीं हो तो आप कहिये यह 19 (ए) है क्या आपका ? आप इस 19 (ए) को पढ़िये तो सही। सारे केसेज को वापस खुलवाना चाहते हैं। लिटिगेशन बढ़ेगा सारा, राजस्थान में वापस अदालतें लगेंगी और सारी अदालतें बनने के बाद राजस्थान के खजाने का लाखों रुपया खर्च होगा। मुझे मालूम नहीं कि कितनी जमीन है और कितनी जमीन नहीं, आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। इसलिए मैं नहीं कह सकता। माननीय प्रभारी मंत्रीजी के पास आंकड़ें होंगे, अभी तक सीलिंग की कितनी जमीन सरकार में वेस्ट हो चुकी है और उसका कितना मुआवजा दिया जा चुका है और यह कानून लागू होने के बाद कितने करोड़, कितने लाखों रुपयों की राशि का भार और बढ़ेगा, ये आंकड़े मुझे बताइये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपके आदेश की तो मुझे पालना करनी

(श्री कैलाश मेघवाल)

है । माननीय सभापति महोदया, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह सदन इस अध्यादेश को अस्वीकार करे ।

श्री सभापति : आपका नाम सूची में नहीं है बोलने वालों की । जिन्होंने प्रस्ताव रखा है, उन्हीं का नाम है ।

श्री राजबहादुर : जिन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया है क्या वे नहीं बोलेंगे ।

श्री सभापति : जी नहीं । प्रस्ताव जिन्होंने दिया वही बोल सकेंगे । मंत्रीजी उत्तर देंगे ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा नाम है ।

श्री सभापति: आपका नाम नहीं है । श्री रघुवीरसिंह कौशल जी का है, आपका नहीं है । क्षमा करें । रघुवीरसिंहजी कौशल का है आपका नहीं है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा नाम है ।

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है । पार्टी की तरफ से आपका नाम नहीं आया है । पार्टी की बात मुझे माननी ही पड़ेगी ।

श्री दाऊदयाल जोशी : रघुवीरसिंहजी यहां पर नहीं है । अगर आप इजाजत दें तो मैं बोल लूं ।

श्री सभापति : बोल लें लेकिन जल्दी समाप्त करें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : जल्दी ही समाप्त करूंगा ।

सम्माननीय सभापति महोदया, यह जो लैंड सीलिंग का एक्ट आया है, यह संशोधन अध्यादेश, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 6, सन् 1981,) जिसको कि हमने अस्वीकार करने के लिए कहा है ।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के
निर्धारित समय में वृद्धि

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदया, मेरा ऐसा निवेदन है कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो आज की कार्यवाही है, सदन की सूची में, वह जब तक समाप्त न हो जावे तब तक समय बढा दिया जावे ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि कार्य सूची का कार्य समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : घण्टे भर के लिए समय बढ़ा दें ।

श्री सभापति : जब लम्बा-लम्बा बोलते हैं तो टाईम लगता है । अगर आप दो मिनट में खत्म कर दें तो जल्दी समाप्त हो जाय । यह तो आप पर ही निर्भर करता है कि कितना लम्बा भाषण देते हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह गंभीर विषय है ।

श्री सभापति : गंभीर विषय है तो फिर चलेगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज की कार्य-सूची समाप्त न हो तब तक के लिए, समय बढ़ा दिया जावे ।

श्री राजबहादुर : नहीं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : वह तो आप पर है, अगर आप कम बोलेंगे तो जल्दी समाप्त हो जाएगा, नहीं तो चलेगा लम्बा।

सदन की सहमति से कार्य पूरा न हो तब तक के लिए समय बढ़ाया जाता है।

श्री राज बहादुर : ना हो।

परिनियत संकल्प

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, मैंने जो अस्वीकार करने का प्रस्ताव दिया है, 6 जुलाई, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1981 यहां लाया जा रहा है उसको अस्वीकार करने का मैंने प्रस्ताव दिया है। मुझे याद है कि सीलिंग से अफेक्टेड, सीलिंग से प्रभावित अगर कोई जिले हैं तो राजस्थान के दो जिले हैं, एक है गंगानगर और दूसरा है कोटा। कोटा जिले में सीलिंग के अन्तर्गत जो 33 हजार एकड़ जमीन राजस्थान सरकार ने अपने कब्जे में की है उसमें यह व्यू लिया गया है, उसमें सीलिंग की जमीन को अधिग्रहण करने की कहीं मंशा नहीं दी गई है। गांव सीलिंग में लिए गए हैं, भूमि सीलिंग में नहीं ली गई है और गांवों की जो जमीन है, सिंचित जमीन है जिस पर सीलिंग आई है वह तो सरकार ने ली नहीं आज की तारीख में वहां पर स्थिति यह है कि एक गांव के अन्दर सौ सौ बीघा जमीन थी जो सिंचित क्षेत्र में आती है और बाकी चाही ज़मीन असिंचित है, ऐसी स्थिति में वहां पर चूंकि पूरा गांव सिंचित घोषित है और सीलिंग में ले लिया है, आज वह सारा का सारा विवाद का विषय बना हुआ है।

अनेक लोग आज परेशान है, दुखी हैं। गांवों को, जिसमें कि पानी नहीं मिलता, केवल कुछ हिस्सों में चम्बल कैनाल का, चम्बल नहर का पानी मिलता है, वहां सीलिंग के फैसले दिये जा रहे हैं उन फैसलों के कारण आज आम आदमी परेशान हो रहा है। जो कल तक का भू-पति था, सीलिंग के फैसले के तहत दो-दो नियमों के होने के कारण, दो-दो कानून सीलिंग के चलते रहने कारण आज आम आदमी इन दो कानूनों से परेशान है। सीलिंग को एक कानून क्या कहता है और दूसरा कानून क्या कहता है और अदालतें दोनों कानूनों को कोट करते हुए फैसलें दे रही हैं। आज आदमी मारे मारे फिर रहे हैं। हजारों लोगों को सीलिंग कानून के तहत परेशानियां हो रही हैं। कुछ लोगों की भूमि अवाप्ति सम्बन्ध ही पिछले सत्र में जोरदार शब्दों में कहा था कि जिन लोगों की जमीन अवाप्त हुई है, उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। सात-सात साल निकल जाने के बाद भी वे मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। मुआवजा नहीं मिलने के कारण परेशान हैं। मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि यह जो अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है इसको अस्वीकार किया जावे, मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदया, मेरा भी नाम है इसमें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपका नाम नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : साथ ही शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो अलॉटमेंटस किये जा रहे हैं उनको आज तक पजेशन नहीं मिला है। आज उनका कोई कब्जा नहीं है। आज वे परेशान हैं। उन पर लोगों ने कोर्ट से स्टे ले लिया है। स्टे लेने के कारण एक तरफ तो जो हमने इन गरीबों को जो अन्त्योदय के तहत गरीबी मिटाने के तहत भूमि दी और दूसरी

(श्री बालकृष्ण जोशी)

तरफ कोर्ट में जाकर स्टे ले आए। आज वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस कानून के तहत किसी भी प्रकार से गरीब व्यक्तियों को, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों को राहत नहीं मिली है, बल्कि कर्जदार हो गए हैं। दूसरी बात जो कहनी है, वह यह है कि उन्होंने जो पहली किश्त जमा करा दी, सीलिंग के तहत जमीन मिली थी उसकी पहली किश्त उस गरीब ने जमा करा दी उस पहली किश्त के जमा कराने के बाद जब उसकी जमीन वापस छीन ली राज्यादेश के द्वारा, कोर्ट के आदेश के द्वारा, आज स्थिति यह है कि उसकी जमीन वापस नहीं मिल रही है। मैं राजस्व मंत्रीजी से कहूंगा कि उस गरीब ने जैसे तैसे जेवर बेच कर, जेवर गिरवी रख कर पैसा जमा किया था पहली किश्त के वह पहली किश्त भी उसकी डूब हो गई। उसकी जमीन का भूमिपति ने कानून की मंशा के तहत, अपनी मन मर्जी के आधार पर, पैसे के आधार पर अपने फेवर में फैसला करा लिए, ऐसे हजारों लोग आज परेशान हो रहे हैं, मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री सभापति : मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदया, अगर आप पढ़ना चाहें, जो लिखा है वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं....

श्री राजबहादुर : जरूरत नहीं है इसकी।

श्री परसराम मदेरणा : आवश्यक है। मैं निवेदन कर रहा था इस प्रॉसिजर को लाने के लिये, सीधी एक फेयर रेट नहीं रखी गई थी, फेयर रेट लेने से, कम्पनसेशन दिया जाना चाहिये, कम्पनसेशन देने के लिये मानलो अगर मैक्जिमम हमने रख दी, मैक्जिमम में माननीय सदस्य इस बात से इंकार नहीं करेंगे हमने मैक्जिमम रखी यह 1974 का कानून है, 1974 से पहले मैक्जिमम रखी है सेक्शन 19 के अन्दर। उसके बाद लैंड के वेल्यूएशन में इतना फर्क आ गया है तो भी हमने वह नहीं बढ़ायी जब इसको बढ़ायेंगे तो इतनी सावधानी जरूर बरती है कि कोई व्यक्ति को जो कि मैक्जिमम 60 रुपये प्रति एकड़ मिलना चाहिये फेयर रेट पर, ग्रास प्रोड्यूस को केलकूलेट करते समय उसको 55 रुपये मिले तो अब उसको 60 मिल जाना चाहिये। वह रिव्यू कर सकते हैं। एप्लीकेशन इस कानून बनने के एक महीने के भीतर आथोराइज व्यक्ति को दे सकते हैं। यह हमने इसलिये किया है, पहले वाला जो भी भूमि धारक है, उसके किसी प्रकार का भेद भाव नहीं हो।

इस प्रकार आर्टिकल 48 को प्रट्रेक्ट नहीं करें। यह बनिंग प्रोसिडिंग्स दी गई है, इसमें किसी आदमी को फायदा पहुंचाने का प्रश्न नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था, जो कुछ भी मेरा काश्तकारी नियमों के संबंध में थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, वह प्रोसिजर इतना टीडियस और कम्बर्सम था, उसमें कई लोगों को कम्पनसेशन नहीं मिला। और कम्पनसेशन अबाऊ तय नहीं होता है तो शिड्यूल्ड कास्ट को आप जो कह रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं दिया गया। मैं आपको कह रहा हूं जो भूमि आवंटित की है, तीन लाख 33 हजार 759 एकड़, उसमें से 54 प्रतिशत भूमि आवंटित की गई है वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को की गई है। तो मेरा निवेदन करने का मतलब यह था....

श्री कैलाश मेघवाल : कब तकदी है। यह आंकड़े कब तक के हैं।

श्री परसराम मदेरणा : टोटल भूमि जो आवंटित हुई है अब तक।

श्री कैलाश मेघवाल : मतलब 1960 से अब तक।

श्री परसराम मदेरणा : मतलब बिल्कुल साफ है। राजस्थान बनने के बाद से यह भूमि तो बहुत कम है, लेकिन राजस्थान की जो एक करोड़ से ऊपर भूमि पिछले वर्षों में आवंटित की गई है वह अलग से की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न तो शिड्यूल्ड कास्टस के हितों पर कुठाराघात है, और न सरकार के खजाने को लुटाने का प्रश्न है। और रिव्यू का प्रावधान रखा गया है, उसमें किसी को ज्यादा फायदा दिलाने की बात नहीं है। आप स्वयं जानते हैं कि सैक्शन 16 में इस बात का पहले प्रावधान था जो कुछ भी कम्पनसेशन दिया जायेगा वह कम्पनसेशन ग्रोस प्रोड्यूस पर निर्धारित होगा। ग्रोस प्रोड्यूस पर निर्धारित होने की एक सीमा दे रखी थी। उससे जो कुछ भी अमाउन्ट बनेगा वह अलग-अलग क्लासिफिकेशन आफलैंड है उससे ज्यादा नहीं बनेगा। इस प्रकार का प्रावधान है और यह भी कि वह फेयर रेट क्या होगी, फेयर रेट के आधार पर कम्पनसेशन केलकुलेट किया जायगा, फेयर रेट वह होगी जो ग्रोस प्रोड्यूस पर आधारित होगी। ग्रोस प्रोड्यूस क्या होगी, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम हैं, 12ए है, उसकी प्रक्रिया दी हुई है, और वह इतना टीडियस और कम्बर्सम था, अनवारेन्टेड प्रोसीजर था, कोई अफसर कम्पनसेशन नहीं दे सकता था, यह आपको मालूम होना चाहिये।

सीलिंग की जो भूमि अलॉट की जाती है, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट को की जाती है, चाहे नॉन शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को की जाती है, वह किस कीमत पर की जाती है। कीमत वही होती है जो आप कम्पनसेशन देते हैं, इस सरकार के खजाने को हम नहीं लुटा रहे हैं। जो इसका कम्पनसेशन लैंड लार्डस को दे रहे हैं, उन भूमियों को दे रहे हैं,शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को। मैं अच्छी तरह से कह रहा था, जो भी हमने भूमि कब्जे में ली है, उसके बाद अवाप्त की है, वह भूमि अब तक तो सीलिंग कानून के अन्तर्गत हमारे पास कब्जे में आयी है, वह है 5,55,382 एकड़। उसमें से जो आवंटित की है 3,33,559 एकड़ है, और अभी तक जो आवंटित नहीं की गई है, 1,81,824 एकड़ है। इससे ज्यादा जो जमीन है, जो सीलिंग में अवाप्त की गई है, उसमें जैसलमेर में 48 हजार के ऊपर एकड़ है, बीकानेर के अन्दर 36,676 एकड़ है, और बाड़मेर में 10,311 एकड़ है। इतनी भूमि उन जिलों के अन्दर जहां पर हमने की है, आपने देखा होगा, यह रेगिस्तान की कैटेगरी में आते हैं। यह जो आपका अधिनियम है इसके सैक्शन 19 में अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। यह जो कम्पनसेशन है, डैजर्ट के और सेमी डैजर्ट के क्षेत्र में बहुत कम है, आप देखिये। इसमें दिया गया है कि—

Semi fertile zone as described in the schedule Rs. 300/- per acre.

यह तो इसमें रखा है। आज भी यह रखा है। पहले यह मैक्जिमम था। फेयर रेट के आधार पर कम्पनसेशन निर्धारित होना चाहिये। फेयर रेट निर्धारित होगी, ग्रोस

(श्री परसराम मदेरणा)
प्रोड्यूस पर और ग्रोस प्रोड्यूस की इतनी कम्बर्सम प्रक्रिया थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परनियत संकल्प रखते वक्त अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन के सामने कुछ दलीलें दी हैं और दलील देकर इस बात कीचेष्टा की है कि ये जो अध्यादेश प्रसारित कियाहै उसे सदन अस्वीकार करे।

श्री वंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : कोशिश नहीं की।

श्री परसराम मदेरणा : कोशिश की है। इसके लिये प्रयत्न सफल होगा या नहीं, यह तो सदन के सोचने की वात है। उन्होंने यहां पर यह बात कही कि क्योंकि अध्यादेश जो पहले आया था....

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : राहत तो नहीं मिली शिड्यूल्ड कास्ट्स को।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय पटवा साहब, राहत मिली या नहीं, जब मैं दे रहा हूं उत्तर....

श्री वंशीलाल पटवा : मेरे मन में जो पीड़ा थी, वह जाहिर की है।

श्री परसराम मदेरणा : आपसे ज्यादा जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के केस को प्लीड किया है अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है। वह स्वयं शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, उनकी क्या वेदना है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के जितने लोग-बाग हैं, उनकी समस्याओं को जितना वो समझते हैं उतना मैं और आप कितनी ही कोशिश करें, समझने में नाकामयाब हैं

मैं निवेदन कर रहा था, उन्होंने दो तीन बातें कही। उन्होंने रिव्यू का प्रावधान है 19 ए, उसके सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। दूसरा फैयर रेट निर्धारित करने का सोचा है। भूमि अवाप्ति के लिये कम्पनसेशन, मुआवजा देने की बात उन्होंने कही, इसमें बहुत बड़ा करोड़ों रुपया खर्च करने का सरकार का षड़यन्त्र है, और करोड़ों रुपयों का डिसफेयरली होगा। और डिसफेयरली ही नहीं होगा, लेकिन स्कवेंड्रल अवे हो जाएगा। यहां पर यह बात भी कही गई कि यह 19 ए से सरकार का खजाना खाली होगा। रिव्यू का प्रावधान इसलिये किया गया है कुछ ऐसे लोगों को फायदा देने के लिये, दिखने में यह अमेन्डमेन्ड दिख रहा है, मैं आर्डिनेन्स के जरिये लाया हूं और उसके महत्व के अन्दर बड़ा इल्यूफ्यूएस है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा जाल है, षड़यन्त्र है और वह षड़यन्त्र कुछ लोगों को केवल धन लुटाने का है, षड़यन्त्र से शिड्यूल्ड कास्ट्स के हितों और राइट्स पर बहुत बड़ा जबर्दस्त कुठाराघात यह सरकार कर रही है। इस सरकार के प्रभारी मंत्री इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि टू दी आर्डिनेन्स के पीछे माननीय पहाड़िया जी की सरकार के वक्त में प्रामलगेट हो गया था इसके बारे में सरकार पर आरोप और चार्जेज उन्होंने लगाये।

सीलिंग कानून के अन्तर्गत भूमि का ब्यौरा इस प्रकार का है। इसमें से शिड्यूल्ड कास्ट्स का पर्सेंटेज 44 है। जब पहले कानून में इस प्रकार का था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को भूमि मिलेगी, इस प्रकार का

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रावधान था। अब पब्लिक पर्पजेज के लिये, दूसरे पर्पजेज के लिये बता कर और शिड्यूल्ड कास्ट्स को जो जमीन मिलने वाली थी सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त करने के बाद उनसे वंचित रखने का बहुत बड़ा षडयंत्र किया जा रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को निश्चित तौर से जानते है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के आवंटी उन जिलों में है जहां लैंड लेस को 75 बीघा अलाट होती है, जहां ढाई आने प्रति बीघा लैंड रेवेन्यू है वहां पर मुफ्त वाली जमीन को लेना पसन्द करते है और सीलिंग की जो लैंड दूसरी आई हुई है वह पसन्द नहीं करते। इस लिये हमने लिखा है कि कृषि सुधार के लिये, चरागाह विकास के लिये और दूसरी एक्टि-विटीज जो किसानों से संबंध रखती है, दूसरी एंसीलरीज जैसे पौध लगाना, प्लाण्टेशन के लिये और अन्य प्रकार के जितने, भी काश्त-कारी से संबंधित है, चाहे आबादी भूमि विकसित करने के लिये आज जैसा कानून है कि कोई ले या न ले, वह जमीन आई है और दूसरे पट्टों में रह गई है, इसलिये एक्सेस हो गई है इसलिये उसको अवाप्त करना जरूरी है। उसको कोई नहीं ले रहा है, उसको निश्चित तौर पर लेने को भी तैयार नहीं है, उस जमीन का सदुपयोग करने के लिये यह अमेण्डमेण्ट लाया गया है। इसके पीछे लैंडलैस लोगों को महरूम रखने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, न कोई मन्शा है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करूंगा कि यह अमेण्डमेण्ट इस आर्डिनेंस के जरिये सरकार लाई है। आपको एक और अवसर मिलेगा। यह विचारार्थ लिया जा रहा है। इस पर अपने विचार दुबारा रखें और आप लोगों को कुछ शंकाएं आशंकाएं हों तो मैं मान कर चलता हूं कि किसी भी अध्यादेश को अस्वीकार करने के लिये दलीलें दी जाती है और दलीलें देने में पहले भी यह बिल आया था और इस सदन में पास नहीं हुआ था, और लैंड रिफार्म्स के मेजर आगे नहीं बढ़ रहे थे। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि इस आर्डिनेंस के जरिये कंपन्सेशन और दूसरे मामले जो रुके हुए हैं क्योंकि लेण्ड अलाट करने के लिये कम्पन्सेशन ही तय नही होता तो आप क्या रेट लेगे, यह भी तय नहीं हो सकता। इसे सर-लीकरण के लिये, एक्सपेडाइट करने के लिये यह कानून बनाया गया है। यह कानून बिल्कुल साफ है। इसके पीछे कोई दूसरा इरादा नहीं है। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपकी मार्फत कि यह सदन अभी जो परिनियत संकल्प अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य रखा ने जिसका प्रस्ताव सीकर से आने वालेमाननीय सदस्य ने खड़े होकर कर दिया, जिसके समर्थन में अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आर्गूमेंट्स एैंडवांस किये और माननीय कोटा से आने वाले सदस्य ने भी कुछ विद्वतापूर्ण बातें सदन के सम्मुख रखीं। मेरे उत्तर के बाद, मैं समझता हूं कि उनकी शंका और आशंकाओं का निराकरण हो गया है अतः यह सदन जो कुछ उन्होंने संकल्प रखा है उस संकल्प को अस्वीकार करें। उनका संकल्प अध्यादेश को अस्वीकार करने का है, मैं समझता हूं कि परिनियत संकल्प उन्होंने रखा है, उसमें कोई दलील नहीं है वजन, वैट व आरगूमेंट्स नहीं है और जो कुछ हमने किया है, वह लैंड रिफार्म्स के ऐम को प्राप्त करने के लिये किया है।

श्री कैलाश मेघवाल : ये आंकड़े बता दें।

श्री संतसिंह राठौड़ : ये थर्ड रीडिंग में पूछ लेना ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 (अध्यादेश सं. 6, 1981) को अस्वीकार करता है ।

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया । विधेयक पर विचार ।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जावे ।

श्री सभापति : जनमत जानने के लिये भी तो ....

व्यवस्था का प्रश्न

जनमत जानने हेतु विधेयक को परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव का परिचालन

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): मैंने जनमत जानने के लिये दिया था लेकिन मुझे खेद है कि सूची में मेरा नाम नहीं है जब कि मैंने टाइम पर दे दिया था ।

श्री सभापति: आपका नाम तो नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जैसा कि हम को सर्कुलर मिला तो मैंने दे दिया और आज मेरा नाम नहीं है । इसलिये खेद है । यह सचिवालय की किसी गलती से हुआ है । आप रजिस्टर मंगा कर देख सकते है । मेरा नाम उसमें है । मैंने जनमत जानने के लिये परिचालित करने के लिये दिया था ।

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो दिया था वह परिनियत संकल्प में आपका नाम है, परिनियत संकल्प और पब्लिक ओपीनियन के दो अलग प्रस्ताव है । आपका नाम परिनियत संकल्प में था लेकिन यह पब्लिक ओपिनियन के लिये प्रस्ताव आया है ।

श्री सभापति: माननीय सदस्या ने दे दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा: एक बार हमारे पास आता है उसमें सूचना आती है कि ये अध्यादेश सदन में विचारार्थ लिये जायेंगे और पास किये जायेंगे या निरस्त किये जायेंगे । सर्कुलर हमारे पास आ चुका था केवल आपको सर्कुलेट किया जाना था ।

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय की आज्ञा लिखी हुई है : मैं आपको सुना देती हूं । यह नियम 66 की परिभाषा में नहीं आता इस लिये परिचालित नहीं किया जाय ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमको सूचना दे दी गई कि यह आयेगा और हमने इस पर लिख कर दे दिया । जब तक आपका बिल हमें सर्कुलेट नहीं हुआ लेकिन सूचना के आधार पर जनमत जानने हेतु मैंने दे दिया । मैंने कुछ मिला कर 8 घंटे पहिले दिया, फिर भी उसको समाप्त कर दिया गया,तो या तो मान लें कि हमारे पास सूचना आती है वह वक्त पर नहीं आती या आती नहीं फिर भी सर्कुलेट हो चुका था । यही मेरे कहने का अर्थ है । मेरा तर्क यह है कि मेरा अधिकार बनता है बोलने का ।

श्री सभापति: यह अस्वीकार किया गया इसलिये रहने दीजिये । नियम के

(श्री सभापति)
अन्तर्गत नहीं आया इसलिये अस्वीकार किया गया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में हमारा अधिकार नहीं मारा जाना चाहिये ।

श्री राजबहादुर : पाइन्ट आफ आर्डर । सभापति महोदया, अभी आपने जो अध्यक्ष की व्यवस्था को पढ़कर सुनायी है उसमें आपने नियम 66 का हवाला दिया है । लेकिन जो मैम्बर्स की ओर से प्रश्न आता है उसके लिये जो नियम है वह 66 में नहीं आता है । वह 67 (2) में आता है । 2(ए)। मैं यह निवेदन करूंगा कि वह जो माननीय सदस्य का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है वह ठीक नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप स्वयं देख लें, माननीय सभापति महोदया ।

श्री राजबहादुर : पाइन्ट आफ आर्डर मेरा यह है जो मैंने आपके नोटिस में ला दिया है.........

श्री सभापति : आपने तो कोई प्रश्न नहीं दिया है । संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है ।

श्री राजबहादुर : मैं संशोधन प्रस्ताव पर नहीं बोल रहा हूं ।

श्री सभापति : आपका तो संशोधन प्रस्ताव में नाम नहीं है ।

श्री राजबहादुर : कोई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं मैं, मैं तो जनरल डिस्कशन पर बोल रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदया, माननीय अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी है वह रूल 66 में ही आती है ।

श्री राजबहादुर : 66 में तो मिनिस्टर्स का आता है ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं

Rule 66 says that when a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member in charge may make one of the following motions in regard to his Bill, namely----

श्री राजबहादुर : मेरा क्लियर है । You are Incharge. You can do it in 66 but we can do it in 67. We cannot do it in 66. We can do it only in 67 (2a).

श्री परसराम मदेरणा : 66 is there.

एक माननीय सदस्य : उससे भी होता तो अस्वीकार ही है । खाली नियम गलत कोट किया है ।

श्री राजबहादुर : सभापति महोदय, अगर नियम गलत कोट करते हैं तो मुझे कहना पड़ेगा ।

Rule 66 applies to only Member incharge of the Bill who is the Minister. It is only under 67 under which we can ask. But I am not pressing it. However may I start it ?

(श्री राजबहादुर)
मैं स्टार्ट कर दूं। आप कह रही हैं कि जो संशोधन प्रस्ताव हैं उनमें मेरा नाम नहीं है।

श्री सभापति : संशोधनों की सूची में जिनके नाम हैं वे अवश्य बोलेंगे।

श्री राजबहादुर : सभापति महोदय, यह तो मैं जनरल डिस्कशन पर बोल रहा हूं। मैं संशोधनों पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : जिन्होंने नाम दिये हैं संशोधनों पर, वे ही बोलेंगे।

विधेयक पर विचार

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव।

श्री राजबहादुर : अभी तो विचारार्थ लिया है उस पर मैं बोल रहा हूं संशोधन तो बाद में आयेंगे।

श्री सभापति : अभी तो संशोधन बाकी है। जिनका नाम है वह बोलेंगे।

श्री राजबहादुर : नाम नहीं देंगे, तो बोल नहीं सकते हैं क्या ?

श्री सभापति : हां।

श्री राजबहादुर : ऐसा तो कोई नियम नहीं है।

श्री सभापति : आप बाद में बोल सकते हैं। अभी संशोधन प्रस्तुत होने दें।

श्री राजबहादुर : संशोधन प्रस्ताव तो बाद में आयेंगे। पहले विचारार्थ आयेगा। संशोधन की स्टेज तो बाद में आती है पहले तो विचारार्थ की स्टेज आती है। कंसीडरेशन मोशन है अभी तो। अभी अमेंडमेंट का नहीं आया है। मैं संशोधनों पर नहीं बोलूंगा लेकिन सवाल कन्सीडरेशन का है जो कि अमेंडमेंट 66-67 में हो रहे हैं।

I have a right to peak at this stage.

यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं दलील नही करता हूं लेकिन मुझ एक बात बहुत खेद के साथ कहनी पड़ती है कि यह जो आर्टिकल . . .

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अभी उन्होंने विचारार्थ मूव नहीं किया है।

श्री राजबहादुर : कर दिया है।

एक माननीय सदस्य : नहीं किया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फिर क्या मूव किया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मूव कर दिया है।

श्री राजबहादुर : आप जरा और अटेन्टिव रहें, माननीय सदस्य। मैं अटेन्टिव था, मुझे पता है कि विचारार्थ मूव कर दिया है

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) अभी तो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर था। अभी मूव नहीं किया है।

श्री सभापति : मूव कर दिया है। आप बोलें, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : माननीय सभापति महोदया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ज्यादा बोलकर समय नहीं लेना चाहता था; लेकिन जैसी प्रक्रिया अपनायी गयी है। जितने भी विधेयक आये हैं सबके पीछे एक

(श्री राजबहादुर)

न एक अध्यादेश है। अध्यादेश जारी कर सकते हैं, विशेष परिस्थितियों में ही जारी कर सकते हैं। और किया जाना चाहिए किन्तु जैसे कि कुछ क्रीमिनल्स होते हैं ट्रीगर हैप्पी Triggar happy जैसा शब्द उनके लिये बोला वैसी ही मनोवृति सरकारी पक्ष की है। वही मनोवृत्ति पैदा की है। वही स्थिति पैदा करते जा रहे हैं, बार बार यह अध्यादेश जारी करके। इस सरकार को आर्डिनेन्स हैप्पी कहा जा सकता है जो उसको नहीं होना चाहिए। जब चाहा आर्डिनेन्स निकाल दिया। आर्डिनेंसेज के बारे में एक स्पेसिफिक आर्टिकल 213 संविधान में है, इसमें बड़ा साफ है-

213—"If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a legislative council in a State, except when both House of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as the circumstances so appear to him to require....

अभी यह जो आर्डिनेन्स आया है इसमें सवाल आता है रिट्रोस्पेक्शन का, क्रास एग्जामिनेशन का, इसमें immediate action की कौनसी स्थिति थी ? यह संविधान के प्रावधानों और उसकी भावना का उल्लंघन है। you did not follow the letter of the statute.

क्या इसके लिये कोई situation एग्जिस्ट करती थी ? अगर करती थी तो वह क्या थी what this at all necessary. मैं इसी बिल के बारे में पूछना चाहता हूं कि यह बिल जो रखा गया है जिसमें mode of computation and compensation आपने चेंज किया है। अगर 11 अगस्त के बजाय, 14 सितम्बर को कर देते, जिस दिन कि विधान सभा की बैठक आरम्भ हुई थी, क्या इतने दिनों के लिये नहीं ठहर सकते थे ? 11 अगस्त से लेकर 14 सितम्बर तक 33 दिन की ही तो बात है। 33 दिन में आपने क्या-क्या, और कौनसी कार्यवाही कर ली ? बतायें कि इस अध्यादेश के अन्तर्गत कितने और किस-किस को कम्पनसेशन दिया है। 11 अगस्त से 13 सितम्बर तक सरकार ने क्या क्या कर लिया है। इसी प्रकार से अभी कल और आगे जो बिल आने वाले हैं उनका भी कोई कारण नहीं है एक तो पैसेन्जर गुड्स का भी है यह तो टैक्स बढाया है। तो टैक्सेशन तो आर्डिनेन्स से कभी नहीं करना चाहिये, वह भी आपने किया है। उसके लिये इतना ही कहना चाहता हूं कि वह बिल या और भी बिल है. ऐसा कोई बिल नहीं है जिसमें कि आपके रीजन्स सही दिये हों। इसी बिल को पढ कर सुनाता हूं, आब्जेक्टस और रीजन्स को......

"equal to the specified multiples of the fair rent subject to the maximum provided for the lands of various classifications."

This could have waited for 30 days more. मगर मेरा कहना यह है, दूसरा यह सरप्लस लैण्ड का है तो उसको क्या अध्यादेश द्वारा

(श्री राजबहादुर)

ही करना चाहते हैं ? क्या ऐसे सरकम्सटान्सेज थे इमीडिएटली, इसकी ऐसी जरूरत थी कि आर्डिनेन्स लाया जाये । मैं कहता हूं कि न इसमें ऐसी कोई जरूरत थी और न है । मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि और भी विधेयक वे लाना चाहते हैं उनको देख लें किसी में भी आब्जेक्टस और रीजन्स ऐसे नहीं बताये गये हैं कि जिससे कह सकें कि यह अरजेंट है या जिसके लिये कहें कि ये वेट नहीं कर सकते थे और आर्डिनेन्स निकालना अनिवार्य था । दूसरी बात यह है कि ऐसा भी कुछ नहीं था, इस अवधि के अन्दर यानी 11 अगस्त और 13 सितम्बर के बीच में कोई काम किया हो, कोई फायदा किया हो या इन अध्यादेशों का कुछ उपयोग किया हो ।

फिर मैं आता हूं इस बिल की मूल धाराओं पर । मैं आपके जो विचार हैं, उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, मंत्री महोदय पर, प्रभारी मंत्री जी पर । लेकिन जहां तक कानून की बात सोचते हैं, बिल की बात सोचते हैं, विधेयक की बात सोचते हैं तो नब्ज देखनी पड़ती है, ये कहते और हैं । यहां तक मैं आपसे सहमत होता अगर प्रभारी मंत्री जी कहते कि जो कम्यूटेशन का सिस्टम है, तरीका है उसको ठीक करना चाहते हैं । लेकिन एक बड़ा वेलिड पाइन्ट श्री कैलाश मेघवाल ने उठाया है वह यह है कि कितना कम्पनसेशन आपको मिलता है, क्या क्वान्टम इससे ज्यादा नहीं हो गया ? और अगर हो गया है तो कितना हो गया है? उनकी वरी यह ही थी शायद क्वान्टम ऑफ कम्पनसेशन ज्यादा हुआ या नहीं । आपने सैक्शन 19 में अमेंडमेंट किया है वह क्लॉज चार में आता है अमाउन्ट आफ कम्पनसेशन फोर एक्विजिशन, यह कौनसा फार्मूला है । यह नया निकाला है । इस अमाउन्ट फोर एक्विजिशन के लिये मतलब क्या है ? आपने उसमें खुद अमेंडमेंट किया है । एक सी टर्मोलोजी नहीं है । टर्मोलोजी तो एक सी होनी चाहिये । आपने अमाउन्ट फोर एक्विजिशन रखा है । आगे आपने पेज तीन के ऊपर 19(ए) जोड़ा है उसमें लिखा है—

The authorised officer shall, *suo moto* or on an application.. यहां पर आपने सैक्शन 19 (ए) में रखा है, वह लफ्ज आया था फाइनल सेटलमेंट और वह है amount for acquisition. Acquistion is a process for which compensation is paid.

There should be some drafting competence over which the Minister should have very vigilant eye whether the expression used is correct or not.

दूसरी चीज मैं कहूंगा, वह यह है कि आपने वाइडनिंग आफ स्कोप (widening of scope) किया इसको बड़ी होशियारी से देखें, वह बहुत ही सन्देहास्पद और मिस्चिवीयस भी हो सकता है । इस सैक्शन में है—

"In Section 21 of the Principal Act, after the words "The surplus land vested in the State Government under Section 16 shall.."

आपने एक्विजीशन दिया है उसके बावजूद एक्सप्रेशन जो है, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं

"the expression--

after reserving such extent of surplus land as may be considered

(श्री राजबहादुर)

necessary by it for purposes directed towards the promotion of agricultural, welfare of agricultural population and economic development of the area shall be substituted."

एक तो प्रमोशन ग्रॉफ एग्रीकल्चर, दूसरा वेलफेयर ग्राफ एग्रीकल्चर। इतना बड़ा विस्तार ग्रापका वैसे ही रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं खतम कर दूंगा। I will not take more than five minutes.

तीसरी चीज है डवलपमेंट ग्रॉफ एरिया। रह क्या गया ? ग्रगर किसी डवलपमेंट ग्रॉफ एरिया, वेलफेयर ग्रॉफ पापुलेशन के उपरान्त ग्रापका यह लिया जाय प्रमोशन ग्रॉफ एग्रीकल्चर. Nothing would be left by very surplus and to be distribute to the land less or the marginal by formers.

इसलिये ग्रापकी मंशा तो ठीक होगी कि ग्राप शिड्यूल्ड कास्ट्स को देना चाहते हैं ग्रौर किसी को नहीं देना चाहते। लेकिन प्रायोरिटी बदल दी गई है। ग्राप पहले शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स को देते ग्रौर फिर बचती है तो उपरोक्त कामों में लाते। लेकिन हम देखते हैं कि कितनी नाम मात्र के लिये ही सरप्लस भूमि बच रही है। मेरी राय में मैं समझता हूं, चाहे वर्तमान मंत्रिमण्डल हो, प्रभारी मंत्रीजी हों, उनकी मन्शा कुछ भी हो, इतना मिस्चिवीयस हैं, यह वेलफेयर के नाम पर रखा प्रावधान। यह तो दायें हाथ में बीज दिखाकर बायें हाथ में ले लेना है मैं स्पष्ट करूंगा

The potential for mischief is great and the provision can be mis-used. Scheduled castes and Scheduled tribes can be completely cheated of their rights.

ऐसी हालत में ऐसी चीज है तो मैं विनती करूंगा ग्राप वाइडनिंग ग्राफ स्कोप को होशियारी से देखें। ग्रापका ईमान ठीक होगा लेकिन ग्राने वाली संतति, ग्राने वाले ग्राफिसर, ग्राने वाले प्रशासक क्या करेंगे, उनकी राय क्या होगी, यह नहीं कहा जा सकता। सच मायने में जो सोशल ग्राब्जेक्टिव है, सोशलिस्टिक पैटर्न के ट्रांसफार्मेशन को तो एक चीज निकालनी है, जो हेव्स हैं उनसे लेकर हेव्ज नाट्स को देंगे। ये शब्द प्रक्रिया के प्रतिकूल है। जितनी ग्राशा थी सरप्लश लैण्ड निकलने की, वह नहीं निकाली गई ग्रौर जो निकाली गई उसका कब्जा नहीं दिला सके। भरतपुर के इलाके की तो मैं जानता हूं, दूसरी जगह का भी मालूम है, जो ग्रधिकारी नहीं थे उन्होंने ही यह सरप्लस भूमि ले ली। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य क्या है, ग्राप करना क्या चाहते हैं पहले इसको निश्चित कर लीजिये ग्रौर फिर कदम उठाइये। ग्रापका वाइडनिंग ग्रॉफ दी मेजर का जो स्कोप है वह धोखे में डाल सकता है। देखना है कितनी राहत मिली शिड्युल्ड कास्ट्स को, क्या किया इसका जवाब देना है, जो ग्रासान नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर ग्रधिकतम सीमा ग्रधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। ग्रापने टाइम दिया, मैडम, इसके लिये ग्रापको धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हंसराज, जनमत जानने के लिये प्रस्ताव पर आप बोलना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने विचारार्थ रख दिया है। पब्लिक ओपिनियन या सलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिये भी 67 के अन्तर्गत भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राइट एक्ससाइज करते हुए बात कही, जिसका अमेंडमेंट लाया गया है। वे एक साथ ही बोल लें, मैं एक-एक का जवाब नहीं दे रहा हूं।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदया, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। मैं आपके माध्यम से राजस्थान अधिकतम भूमि सीमा (संशोधन) विधेयक में अमेंडमेंट के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। यह जो सीलिंग का कानून बनाया गया है इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। एक तो जब इसको लागू किया 1966 में और दूसरा 73 में लाया गया, दोनों प्रणालियों में अलग-अलग डिफरेन्स है। पहले जो कानून 66 में बना और उसका जो मापदण्ड माना गया था उसमें पांच आदमी एक परिवार के माने गये थे, एक स्टेण्डर्ड एकड़ और तीन सौ मन अनाज। और आगे उसमें यह था कि पांच से ज्यादा का परिवार है तो अलग से यूनिट होगा। यह 1973 में लागू किया गया, और 66 में लागू किया गया। अब सवाल आया कि 66 के बाद जब 73 में लागू किया तो जो बच्चे नाबालिग थे वो बालिग हो गये तो उस निर्धारण के आधार पर नहीं रहे और जो जमीन सीलिंग से ली गई उनके खिलाफ केस कोर्ट में गये और उस केस को 66 के अन्तर्गत तय कर दिया। फिर 73 में परिवर्तन किया और यह तय कर दिया कि पांच से ज्यादा नाबालिग हों तो नहीं दी जाय और बालिग हैं तो पांच बीघा जमीन दी जाय। यह सरकार ने कर दिया कि 1966 का लागू हो या 1973 का लागू हो, सरकार को सीलिंग के अन्दर ज्यादा से ज्यादा जमीन मिल सकेगी उन नियमों का पालन किया जायेगा।

इस संदर्भ में निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा गांवों में जो जमीन ली गई वह भूमि बांट दी। हमारे यहां जो जमीन बांटी गई सीलिंग वाली, उसको तो उन लोगों ने पहले ही बेच दिया था। राज्य सरकार ने सीलिंग में ले लिया तो उन बड़े काश्तकारों और जागीरदारों ने उन्हीं को नहीं राज्य सरकार को दी जो पहले ही बेच दी थी या रेवेन्यू रोक दिया। राज्य सरकार ने कब्जे में लेकर उसको भूमिहीन को दी और जिनसे जमीन ली उनको मुआवजा दिया और जिनको जमीन दी उनसे पैसा वसूल किया, किश्तों में वसूल किया। किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि जमीनें जो दी गईं उनके खिलाफ कोर्ट में केसेज चल रहे हैं उनकी वजह से भूमिहीन के बजाय जो भूमि के मालिक होने चाहिये वे लोग भटकते फिर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि नीति निर्धारण करने से पूर्व जो इस प्रकार का निर्णय लिया गया वह गलत है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आज हमारी सरकार द्वारा सिंचाई विभाग के माध्यम से कई गांवों में 100 या 50 बीघा में सिंचाई होती है। जिस समय बांध बनाये गये थे वह कमाण्ड एरिया में घोषित

(श्री हंसराज शर्मा)

कर दिये गये । उनमें काश्तकारों की जो जमीनें थी वह दुगुनी मान ली, 100 में से 25 बीघा में पिलाई होती थी, 75 बीघा के पेटे और आने वाले वर्षों में, वैसे ही रहेगी किन्तु जमीन दुगुनी मान ली और राज्य सरकार सीलिंग में ले आई तो उन काश्तकारों के पास जमीन कम थी, वे उसके अन्तर्गत आ गये । जबकि वास्तव में उनके परिवारों के पास वे जमीनें नहीं हैं । इसलिये आज की तारीख में जिन काश्तकारों ने जमीन ली है वहां सिचाई मानकर कमांड एरिया घोषित कर इस प्रकार छोटे लोगों को जमीन अलॉट कर दी । उसके खिलाफ हजारों की संख्या में काश्तकार घूम रहे हैं और दोनों पार्टीज एक दूसरे से मुकदमेबाजी कर रहे हैं । उन काश्तकारों को जिनको पैसा देना था दे दिया गया लेकिन जमीनों पर कब्जा नहीं है ।

दूसरा निवेदन है कि इसी आधार पर छोटे काश्तकारों को जमीनें देकर हमारी जमीन से प्रोडक्शन करने की दृष्टि से जो राज्य सरकार का विचार था वह भी मात हो गया । क्योंकि जब तक जमीन पर खातेदारी अधिकार नहीं मिलेंगे बैंकों से या अन्य संस्थाओं से कोई लोन इत्यादि नहीं मिलेगा तो उनका उत्थान नहीं होगा । आज की तारीख में कई काश्तकार भूमिहीन बन रहे हैं । इसलिये, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य तो गये । 5 मुद्दे सदन में उठाये गये । इसी प्रकार के मुद्दे अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी उठाये ये ऐसा मैं समझता हूं । अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य का जवाब उस समय नहीं दे सका । अब उपयुक्त समय है कि मैं उन मुद्दों के संबंध में कह दूं । उन्होंने कहा है कि हम सेक्शन 21, क्लाज 5 का स्कोप बढ़ा रहे हैं एन्टायर गेमट को खोलकर वाइडनिंग आफ स्कोप कर रहे हैं । यह वाइडनिंग आफ स्कोप एग्रेरियन रिफार्म के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भी हो सकता है । इसी प्रकार की बात माननीय सदस्य ने कही । इसलिये मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी हमने आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में लिखा है सेक्शन 21 के बारे में हमने इसका उल्लेख किया है····

"It has been considered necessary to widen the scope of this provisions so that the surplus land vested in the State Government can also be utilised for carrying out other purposes of reform.,,

एग्रेरियन रिफार्म बहुत ही वाइड टर्म है । वह कह सकते है जहां तक मैं समझता हूं अग्रेरियन रिफार्म का मतलब क्या है ? भूमि आवटन के लिये हम निर्धारित कर दें, भूमिहीनों को भूमि नहीं मिले, सरकार का यह कतई उद्देश्य नहीं है संशोधन करने का । वह निश्चित तौर से मिलेगी लेकिन अन्य कार्य के लिये जो रिफार्म के स्कोप और एम्बिट में आते है । इस संबंध में मैं निवेदन कर रहा था बहुत से ऐसे मामले हैं जैसे कि मैंने पूर्व में कहा की प्लान्टेशन है, कैटिल एण्ड शीप ब्रीडिंग के लिये फार्म्स हैं, पाश्चर लैंड का डवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल एण्ड रेजीडेन्शल पर्पजेज के लिये है वहां जो काश्तकार रहते हैं गांवों में उनको भी भूमि आवंटित हो सके कार्माशियल पर्पजेज के लिये वह फर्टिलाइजर्स या दूसरी चीजों की दुकान लगाते हैं खेती के

712

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रॉडक्शन के अंदर वह माध्यम और साधन बन सकता है। इसलिये यह भी एग्रेरियन रिफार्म है। इसी प्रकार से हम बहुत से दूसरे पाश्चर डवलप करके फाडर ग्रो करते है तो वह भी एग्रेरियन रिफार्म है। उसके साथ मार्केटिंग फैसिलिटीज के लिये हम कोई मकान बनाने के लिये देते हैं तो वह भी एग्रेरियन रिफार्म है। उसके साथ-साथ अन्य इनपुट्स के लिये जो स्टोर हाउस बनाते है या गोदाम बनाते है वह भी एग्रेरियन रिफार्म है।

इसलिये इसका स्कोप बढ़ाकर सरकार भूमिहीनों को वंचित कर रही है। जैसा कि मैं पूर्व में उल्लेख कर चुका हूं, सीलिंग में एक लाख एकड़ भूमि जो रेगिस्तानी इलाके में पड़ी हुई है उसका सदुपयोग किया जाय ताकि हम काश्तकारों के हितों को आगे बढ़ा सकें। एग्रेरियन रिफार्म क्या है ? सुप्रीम कोर्ट के सामने इस प्रकार का मसला आया था, 1965 में रणजीतसिंह वर्सेज स्टेट आफ पंजाब 1965 पेज 638 । उन्होंने उल्लेख किया कि एग्रेरियन रिफार्म किसको कहते हैं। केवल भूमि आवंटन ही एग्रेरियन रिफार्म नहीं है। इसको बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव के अंदर देखा जाना चाहिये, ओवरआल कम्युनिटी का वेलफेयर किस में है। वहां पर भी जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोग हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिये किया गया सोशल एण्ड इकानामिक जस्टिस का, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बड़ा हाई साऊंडिंग वर्ड है, हाई साऊंडिंग वर्ड हैं लेकिन यह नहीं है। इसके पीछे जो प्रिंसीपल और फिलासफी है वहुत बड़ी फिलासफी है। देश के संदर्भ में उसकी क्या फिलासफी है इसको और कोई आदमी महसूस नहीं कर सकता। केवल अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ही महसूस कर सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था हाई कोर्ट का जो व्यू है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा हूं....

"The High Court was also right in its view that the proposed changes in the Shamlat Deh and Abadi Deh were included in the general scheme of planning of rural areas and the productive utilisation of vacant and waste lands. The scheme of rural development today envisages not only the equitable distribution of land so that there is no undue imbalance in society resulting in a landless class on the one hand and a concentration of land in the hands of a few on the other, but envisages also the raising of economic standard and bettering rural health and social conditions.

Provision for the assignment of lands to village panchayat for the use of the general grounds etc. ensure for the benefit of the rural population and must be considered to be essential part of the re-distribution of holdings and open lands to which no objection is apprently takan. If agrarian reforms are to succeed, mere distribution of land to the landless is not enough. There must be a proper planning of rural economy and conditions, and a body like the village panchayat is best designed to promote rural welfare."

(श्री परसराम मदेरणा)

हम सोच रहे हैं कि जमीन किसानों को आवंटित नहीं हो सकती जैसा मैंने आपसे कहा जो भूमिका आपके सामने रखी थी, रेगिस्तानी इलाके में और नॉन-रेगिस्तानी इलाके के अंदर जो भूमि आई है आज जयपुर के पास में कोई भूमि अवाप्त की गई है जिसके ज्यादा से ज्यादा उपयोग किसानों की भलाई के लिये, उनके अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिये स्टेप्स ले सकते हैं, इसलिये सरकार ने अपने हाथ में पावर्स ली है। इसका मतलब कत्तई यह नहीं है कि जो आज सीलिंग में भूमि आई है, सरकार के कब्जे में आई है, वह अवाप्त नहीं हो रही है कई कारणों से। एक तो कम्पेन्सेशन नहीं दिया जा रहा है, दूसरा भूमि की कीमत देनी पड़ती है लैण्डलेस को जब लैण्डलेस को कीमत देनी पड़ती है तो निश्चित तौर से उन इलाकों में जहां मुफ्त में भूमि दी जा रही है 1950 से लेकर आज तक लैण्डलेस को भूमि दी गई है एक करोड़ एकड़ के अंदर है, इसके पीछे इरादा हमेशा यह रहता है कि जो दूसरी भूमि उपलब्ध करा रहे हैं लैण्डलेस की हैसियत से उनको मुफ्त में मिल रही है तो कम्पेन्सेशन देकर हम आवंटी क्यों बने। इसलिये यह प्रावधान रखा गया है ताकि इस भूमि का बहतरीन उपयोग एग्रेरियन रिफार्म के लिये किया जा सके।

यहां यह भी बात कही गई, माननीय सदस्य तो गये लेकिन इतना निवेदन करूंगा कि जो हमने शब्द एक्विजीशन इस्तेमाल किया है और क्वांटम आफ कम्पेन्सेशन का इस्तेमाल नहीं किया है इसके पीछे कारण है। अगर प्रिंसीपल एक्ट की धारा 19 को देखें तो वहां पर पूर्व में इसी प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। एक्विजिशन के सन्दर्भ में भी मैं कह रहा हूं कि पहले आर्टिकल 31 में कम्पन्सेशन वर्ड था। आर्टिकल 31 को अमेण्ड करके उसकी जगह जहां कम्पन्सेशन था वहां पर वर्ड अमाउन्ट एक्विजीशन कर दिया गया है और अमाउन्ट आफ एक्विजीशन है वह इसलिए रखा है कि कम्पन्सेशन का सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हो चुका है कि कम्पन्सेशन मार्केट रेट पर किया जायेगा और निर्धारित राशि होगी। निर्धारित राशि नहीं रखते हैं और मार्केट रेट पर कम्पन्सेशन देते हैं तो यह मानकर चलिये कि जिन लोगों के लिए यह भूमि की अब अवाप्ति करने जा रहे हैं उनको इसका फायदा मार्केट रेट के बाद नहीं मिलने वाला है।

इसलिये राज्य सरकार ने यह सोचा कि काश्तकारी कानून के अन्दर धारा 15 (ए) को जोड़ा गया था और इसको जोड़ने के पीछे भी यही था कि अगर उस जगह पर लोगों को ऐसे अधिकार मिल गए कि प्रोजेक्ट पर लाखों और करोड़ों रुपया राजस्थान का टैक्सपेयर खर्च करता है आर्थिक स्थिति को बनाने में तो उस जगह पर आज जो भूमि है एक हद तक तो रहे उसके पास में लेकिन उससे ज्यादा भूमि है तो उसको अधिकार नहीं मिले और उसको गरीबों में आवंटित किया जा सके। इसलिए आज राजस्थान कैनाल के अन्दर भी भूमि नहीं। जिनके पास एक बीघा नहीं थी करीब 20-25 हजार के आस पास भूमिहीनों को भूमि आवंटित की है। भूमि आवंटित ही नहीं की बल्कि आउटलेट के ऊपर उनको 35 पर्सेन्ट का रिजर्वेशन भी है।

इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो अमेन्डमेन्ट आज यहां पर लाया जा रहा है मौजूदा इस कानून की अनुपालना में और

(श्री परसराम मदेरणा)

इस कानून की क्रियान्विति में जो कुछ दिक्कतें खड़ी हुई थीं उनका समाधान करने के लिए यह कानून है इसलिए जो मुद्दा यहां पर उठाया गया है वह अपनी जगह पर ठीक हो सकता है लेकिन कानून जिस मंशा से लाया गया है इसका मूल आब्जेक्ट एग्रेरियन रिफार्म ही नहीं बल्कि उसके साथ ही साथ जो सीलिंग का कानून बना हुआ है उसके इम्प्लीमेन्टेशन में कई प्रकार की डिफिकल्टीज आ रही हैं उनका निराकरण किया जा सके। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाये ताकि भूमि या तो पब्लिक पर्पज के लिए आवंटित कर सकें या फिर भूमिहीनों को आवंटित कर सकें और जो कम्पन्सेशन के उलझे हुए मामले हैं उनको निपटा कर जल्दी फैसले किये जा सकें इसी उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदया, जो भी जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश : विचार

खण्ड 2 से 4 पर कोई संशोधन नहीं है प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किए गए।

खण्ड 5

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदया, मैं अमेन्डिंग बिल के सेक्शन 5 में संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं वह इस प्रकार है :

विधेयक के खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 21 में अन्तःस्थापित की जाने वाली अभिव्यक्ति में प्रयुक्त शब्द "अधिशेष भूमि की ऐसी सीमा" के पश्चात् एवं शब्द "आरक्षित करने" के पश्चात् से पूर्व शब्द "विहित रीति से" अन्तः स्थापित किये जाय।

सभापति महोदया, खण्ड 5 जो अमेन्डिंग बिल का है वह प्रिन्सिपल एक्ट के सेक्शन 21 को अमेन्ड करने जा रहा है। सेक्शन 21 जो प्रिन्सिपल एक्ट का है वह यह कहता है कि जितनी भी भूमि सीलिंग के कानून के तहत सरकार के पास आयेगी वह समस्त भूमि उस ग्राम के भूमिहीन श्रमिकों को आवंटित की जायेगी। आवंटित करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि मुख्यतः वह भूमि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आवंटित की जायेगी। आवंटन की शर्तें जो रूल्स में होंगी वह रखी जायगी। इस सेक्शन 21 के अन्तर्गत मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि अभी तक तो समस्त भूमि राज्य

(श्री हरिसिंह)

सरकार इस बात के लिए पाबन्द थी कि वह भूमिहीन श्रमिकों में आवंटित कर देगी किन्तु अब जैसा अमेन्डमेन्ट हुआ है और जैसा धारा 21 के अन्दर भी राज्य सरकार अमेंडमेंट करते जा रही है, उसके मुताबिक वह अधिकारी जो आवंटित करेगा उसे इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वह एग्रेरियन रिफार्म के लिए, उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये जितनी भूमि चाहे उतनी भूमि आरक्षित करेगा और आरक्षित करने के बाद में भूमि का आवंटन करेगा।

सभापति महोदय, यह एक बहुत बड़ा अधिकार सदन से उस व्यक्ति के लिए लिया जा रहा है जो कि आवंटन अधिकारी होगा, जो कि अथोरिटी होगा और उस अधिकारी विशेष के लिए आरक्षित करने के संबंध में कोई नियम भी नहीं बनाये जा रहे हैं। पूरा विश्वास उस अधिकारी के ऊपर रखा जा रहा है। यह सम्भव हो सकता है कि कोई अधिकारी विशेष जैसे भरतपुर के अन्दर एक हजार बीघा जमीन सीलिंग एक्ट के तहत एक्वायर की गयी है वह चाहे तो 1000 में से 995 बीघा जमीन आरक्षित कर सकता है वहां की आवास व्यवस्था के लिए, वहां के विकास के लिए और वहां की इन्डस्ट्रीज के लिए। 10 बीघा या 20 बीघा या 25 बीघा जमीन वह भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवंटन करेगा।

मेरा यहां पर यह निवदन है कि इस प्रकार से आरक्षण करने की शक्ति प्रदान की जा रही है उसके लिए कोई विशेष नियम बनाने चाहिए। आरक्षण किसी एक नीति के साथ होना चाहिए, किन्हीं प्रेस्काइब्ड रूल्स के अनुसार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह अधिकारी अपनी मर्जी के हिसाब से आरक्षित करेगा। इसके लिए उस अधिकारी को अनफेटर्ड और डिस्क्रिशनरी पावर्स दी जा रही हैं। उसके लिए गाइडेन्स के रूल्स भी नहीं बनाये जा रहे हैं और उसके लिए कोई मार्गदर्शन भी नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार से अधिकार उसको दिये जा रहे हैं कि वह अपने अधिकारों का तो किसी भी समय दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है, मैंने इसके अन्दर यह संशोधन रखा है कि अन्तः स्थापित की जाने वाली अभिव्यक्ति में प्रयुक्त शब्द अधिशेष भूमि की ऐसी सीमा के पश्चात् एवं शब्द आरक्षित करने के पश्चात से पूर्व शब्द विहित रीति से अन्तःस्थापित किय जायें।

जहां तक नियम बनाने का सवाल है तो इस एक्ट के अन्तर्गत एक नहीं अनेक सेक्शन के अधीन नियम बनाये गये हैं जैसे सेक्शन 4 है, 5 है, 10 है, 11 है 12 है याने हर सेक्शन के तहत रूल्स प्रेस्काइब किये गये हैं लेकिन यहां पर इतने अनब्रिडल्ड अधिकार इस सदन से दिलाये जा रहे हैं। हमारे यहां वह आवंटन अधिकारी तहसीलदार होगा या एस. डी. एम. होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार में ऐसी शक्ति निहित हो तो कोई बात नहीं है लेकिन अधिकारी विशेष को अधिकार नहीं होने चाहिए।

यदि इसमें ऐसा कर दिया, कोई गलत डिसीजन कर दिया तो आर्डर भी चेलेन्जेबल नहीं होगा। ऐसे अधिकार इस सदन से दिलाये जाना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं हैं। इसलिए मैंने यह अमेन्टमेंट मूव किया है जो इस प्रकार है:—

विधेयक के खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 21 में अन्तः स्थापित की जाने वाली अभिव्यक्ति में प्रयुक्त शब्द

(श्री हरिसिंह)

अधिशेष भूमि की ऐसी सीमा के पश्चात् एवं शब्द "आरक्षित करने के पश्चात्" से पूर्व "शब्द विहित रीति से" अन्तः स्थापित किये जायें ।

यहां पर यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को नियम भी बनाने चाहिए कि कृषि की उन्नति के लिए क्या चीज होगी, क्षेत्र के आर्थिक विकास और उन्मुख प्रयोजन के लिए क्या बात होगी। क्योंकि यह इतना विस्तृत क्षेत्र है कि किसी भी चीज को उस काम में लाया जा सकता है। किसी को भी एग्रेरियन रिफार्म माना जा सकता हैं, किसी को भी डवलपमेन्ट का काम माना जा सकता है इसलिए बहुत मुनासिब है कि प्रेस्काइब्ड रूल्स होने चाहिए और उसके अनुसार ही वह अथॉरिटी रिजर्व करे और फिर आवंटन करें । यह मेरा संशोधन है ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदया, जो इस अधिनियम 1973 की धारा 21 है The surplus land vested in the State Government under section 16 shall .." अब अमेन्डमेंट ला रहे हैं:

"after reserving such extent of surplus land as may be considered necessary by it..."

श्री हरिसिंह : "It" means the authority.

श्री परसराम मदेरणा : for purposes directed towards the promotion of agriculture, welfare of agricutural population and economic development of the area" shall be inserted.

इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह से वह दी गई है उसकी कोई क्या आवश्यकता है। उस भूमि का किस तरह से क्लासिफिकेशन है। इसके साथ-साथ रिजर्व वह किस काम में आ सकती है उसको रिजर्व करने के बाद में जो बाकी बचेगी वो इस अधिनियम की धारायें उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत ही उसका इस्तेमाल हो सकता है।

इसलिये यहां राज्य सरकार ने अपने यहां रिजर्वेशन का राइट रखा है। यह सबके पास नहीं है और राज्य सरकार के पास ही है। सरकार खुद रिजर्वेशन करने जा रही है। तो उसके लिये जो रूल्स हैं उसके अन्दर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो भूमि दूसरी है उसका नियम के प्रावधानों से अपने आप उसको डिस्पोजल किया जायेगा। केवल रिजर्व लैंड है उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जायगा। यह सरकार स्वयं निर्णय लेगी। इसकी जो अथोरिटी है, उसका आॅर्डर देने का प्रश्न नहीं है। तो जो संशोधन आपने प्रस्तुत किया है उसका कोई औचित्य नहीं है। प्रेस्काइब की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम बनाने के लिये जो आवश्यकता है सेक्शन 5 के द्वारा सेक्शन 12 के लियें स्कीम है। इसलिये मैं सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसको अस्वीकार करता हूं।

श्री सभापति : आप उस संशोधन को वापस लेते हैं।

श्री हरिसिंह : वापस ले लूंगा।

सभापति : आप वापस ले रहे हैं या मतदान के लिये रखा जाये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : वापस ले रहा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम आपके समर्थन में हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 पर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसको वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जो मैंने संशोधन दिया है उसको मैं वापस ले रहा हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 6 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये ।

विधेयक का पारण

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक 1981 को पारित किया जाय ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव किया है कि इस बिल को पारित किया जाये । मेरा आग्रह है कि इसको पारित न किया जाये । इसमें जिस तरह की योजना बनाई गयी है और जो भावनायें हैं, उनमें गंध आती है । स्पष्ट नहीं है कि जो भूमि अलॉट की जायेगी उसको किस उपयोग में लाया जायेगा । यह भी स्पष्ट नहीं है । इन सब भावनाओं से गंध आती है, पुराने आधार की ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यहां पर एक भूमि अलॉट की गई थी जयपुर में प्रताप नर्सरी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार की थी और वह पैसा यू.आई. टी. के द्वारा दिया जा चुका है । उसका पर्पज भी बता दिया गया । पिछली सरकार ने अपने समय में उस भूमि के अन्दर जो भावना थी भावना के विपरीत एक्शन लिया गया । तो जब अपना पर्पज नहीं बताया जायेगा कि वह भूमि कैसे उपयोग में लायेंगे, किसानों के बारे में उपयोग करेंगे या अन्य विषयों के बारे में उपयोग करेंगे या उपयोग नहीं करेंगे, उसका मिसयूज किया जायेगा । सभापति महोदय, इसमें गंध आती है और जितनी लाखों एकड़ भूमि पड़ी हुई है तो व्यवस्था होनी चाहिये कि उसका अलग मुआवजा दिया जायेगा, उनको समय पर दिया जायेगा । इसका कोई हिसाब होना चाहिये । जिस तरह कि आपने अधिकतम समय के लिये विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न दरों पर कर बढ़ाये हैं, उसके बारे में निश्चित करें कि इसका मिसयूज नहीं किया जायेगा । अगर मिसयूज किया जायेगा तो मैं समझती

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इस स्थिति में इसको पारित नहीं किया जाये ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, माननीय प्रभारी मंत्री ने जो कृषि जोतों का बिल पारित करने के लिये कहा है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर एग्रेरियन रिफार्म, में जो बातें कही हैं यह जो सैक्शन 19 (ए) में, मैं सीधा-सीधा प्रभारी मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि सैक्शन 19 (ए) के रिव्यू से क्या कम्पन्सेशन का अमाउण्ट बढ़ेगा या नहीं । यह इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को जो भूमि अलॉट की जायेगी तो उनसे पैसा लिया जायेगा या दूसरे लोगों से लिया जायेगा । लेकिन अमाउण्ट बढ़ेगा या नहीं । जो कुछ आपने कहा कि वह एक कम्बर्सम प्रॉसिजर था । इसके अन्दर अभिव्यक्ति में परिवर्तन नहीं किया गया, वह सारी बातें उठती हैं ।

इसमें एक सवाल उठता है कि कम्पंसेशन का अमाउण्ट बढ़ेगा या नहीं । तो सैक्शन 19 (ए) जो आप लाये हैं इसके कारण से उस कम्पंसेशन को आपका कंसालिडेटेड फण्ड से लेना पड़ेगा । आप यह बतायें कि यह जो ऑर्डिनेंस लागू हुआ है इससे निश्चित् रूप से कम्पसेशन का अमाउण्ट बढ़ा है । मैं प्रभारी मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह सैक्शन 21 का संशोधन है इसके बाद शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को सीलिंग की जमीन देने का जो प्रावधान रहेगा उसमें भी आयेगी । अगर कमी आती है जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति से कम्पंसेशन शुल्क लेकर के उनको जमीन दी जायेगी । लेकिन मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि ये लोग बंधुआ मजदूर के रूप में हैं और उन्हें खेती जोतने के लिये, उन्हें काम करने के लिय कम से कम मूल्य पर जमीन दी जाय । यह जमीन उनको मिल पायेगी । यह एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है ।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो आंकड़े दिये हैं वह ठीक नहीं हैं । जो आंकड़े दिये हैं वह किस समय के दिये हैं यह कृपा करके बतायें । जो आंकड़े दिये गये हैं, जितनी सरकार ने जमीन दी है ये उतनी के हैं और उसमें आपने अगर अमाउण्ट बता दिया, पर्सेन्टेज बता दिया । लेकिन, सभापति महोदया, उसमें भी स्पेसिफिक बात है वह मैंने पूछी थी कि आपने जो अलॉटमेंट किया है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने ऐसे व्यक्तियों को मिला, उस कब्जे से स्थिति सामने आ जायेगी कि सीलिंग की जमीन आप निकालना चाहते थे । क्योंकि आज यह स्पष्ट हो गया है कि जिसमें सीलिंग की जमीन निकलेगी वही सम्पन्न किसान होगा । वही सम्पन्न व्यक्ति होगा । वही जमीन पर ऐसे कब्जे बनाये रखेगा ।

राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने 1973 को विधान सभा में आंकड़े दिये थे कि राजस्थान में 30-6-72 को 8 लाख 58 हजार 932 एकड़ जमीन 4 लाख 12 हजार 356 आदमियों को दी गई है । टोटल 58 लाख 15 हजार 95 हैं । यह आंकड़े 1972 के थे । आप इनको टेली कीजिये । लेकिन आपने जो आंकड़े दिये हैं वह कब तक के हैं

(श्री कैलाश मेघवाल)
कहां से दिये हैं।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : ये तो आप टोटल पढ़ रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण बिल जब पास हुआ था, आपने पुराने बिल में 60 से 72 तक 2 लाख मामले लिये यह कब के हैं। इसलिये उनको बता रहा हूं कि दूसरी सूची दी जाये। मैंने जो 2-3 प्रश्न पूछे हैं उसके बारे में मैं चाहूंगा, उनका जवाब दें। बतायें कि कम्पंसेशन में रकम बढ़ेगी या नहीं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो भूमि भूमिहीनों को दी गई थी उस योजना को स्पष्ट कर दें। उनको कोई भूमि नहीं दी गई थी। अभी तक नहीं दी गई। सारे आंकड़े केवल किताबों में हैं, लेकिन भूमि उनको नहीं दी गई। तहसीलदारों ने उनका नामांकन नहीं किया, और जिलाधीश से इसके लिये कोई कोशिश नहीं की गई। मैं पिछले एक साल से निरन्तर प्रयत्नशील हू इस मामले में। कृपया मंत्री महोदय स्पष्ट कर दें कि भूमि भूमिहीनों को दी जायेगी या अनुसूचित जाति/जन-जाति को दी जायेगी या किन लोगों को दी जायेगी।

श्री परसराम मदेरणा : वह मैं देख लूंगा। नाम पर होने के बाद भूमि का कब्जा क्यों नहीं दिया गया, यह निश्चित रूप से देखकर मैं दो तीन दिन में आपको बताऊंगा। ये कौन से गांव की बात है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये इनरगा के पास में पार्ला के पास में बस्ती है। मेरे क्षेत्र में इनरगा पंचायत है, इनरगा पंचायत में एक गांव है पार्ला, उसके पास में भूमि है। एक गांव और है। दोनों में बहुत भयंकर झगड़े हैं। लगभग, मैं समझती हूं, 150 व्यक्ति इससे प्रभावित हैं, जो कि रैगर जाति के हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जानकारी करके आपको बताऊंगा, क्या स्थिति है उसकी। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सैक्शन 19 (ए) के सम्बन्ध में, जो रिव्यू का प्रावधान किया गया है, मुझे पाइन्टेड क्वेश्चन पूछा है। वे कह रहे थे कि पाइन्टेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं और पाइन्टेड रिप्लाई आना चाहिए। यह बात सही है जो आप कह रहे हैं, जो 19 (ए) के अन्तर्गत प्रावधान है, 1/5 तक ग्रास प्राड्यूस आफ दी फेयर रैन्ट है, उसके केलकुलेशन में गड़बड़ थी। जो कुछ भी आंकड़े आप यहां देख रहे हैं, सैक्शन 19 क्लाज 4 सब-सैक्शन 4 में, उसमें हमने संशोधन इतना ही किया है कि हमने फेयर रैन्ट को बढ़ाया है। बाकी वह टेबल उसी प्रकार है। जो टेबल आप देखेंगे, जो साढ़े सात सौ एकड़ भूमि अवाप्त की जायेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : मैग्जिमम को नार्मल कर दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : इधर नाथद्वारा के आस पास की नहरी जमीन को देख रहे हैं, नहरी जमीन के 16 सौ साढ़े सात एकड़ के लिए है, अगर साढ़े सात एकड़ से अधिक जमीन होती है तो वह 14 सौ रुपये और फिर उससे भी ज्यादा है तो 1280 होगा। आप देख लीजिए प्रिवेलिंग रेट है आज कल इन भूमियों के लिए आप जो दीवारें बनाते है पत्थर की, जिसमें आप चराई के लिये

(श्री परसराम मदेरणा)
काश्तकार उदयपुर के पहाड़ों में रखते हैं, उसकी भी इतनी जमीन है कि जो डेजर्ट के अन्दर वह (व्यवधान) अस्तित्व में हो गयी है या रखी है। (व्यवधान)

और आप सुनिये न जो कह रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : मुख्य मंत्री जी का जो बिल पास हुआ है, तब की घोषणा है, उनको कम से कम देंगे। मैं आपको वह घोषणा पढ़ कर सुनाऊं। यह प्रिवेलिंग रेट देने वाली बात जो कह रहे हैं, वह गलत है वह चलने वाली नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : प्रिवेलिंग रेट देने वाली बात नहीं कह रहा हूं। जो अमाउण्ट फिक्स था, उसमें परिवर्तन करके, उसकी रेट को नहीं बढ़ाया है। जो पहले ग्रास रेट थी फेयर रेट के बेसिस पर जो अक्वायर करके जो कम्पन्सेशन देना जो अमाउण्ट देना था वह अमाउण्ट कुछ भी होता है जो ज्यादा वह पड़ता है लेकिन मैग्जिमम, लास्ट कौलम से अधिक नहीं दिया जायेगा। अब हो सकता है इसके अन्दर जो आप कह रहे हैं कि रिव्यू केसेज में अमाउन्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा तो मार्जिनल, वह इसलिये मार्जिनल बढेगा कि बहुत से केसेज में जैसा मुझे मालूम हुआ, कुछ फर्क होगा, 5-7 और 10 रुपये से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो करीब-करीब फेयर रेट की प्राइस में आ रही है।

जहां पर कम्पन्सेशन बहुत ही कम लोगों ने केलकुलेट किया है लेकिन जिन लोगों ने केलकुलेट किया है जो मैग्जिमम से कम और ज्यादा है, तो दोनों में बहुत कम फर्क है और वह फर्क है, 73 के अन्दर जो मैग्जिमम फिक्स किया हुआ है, यह ज्यादा इस सन्दर्भ में नहीं है और थोड़ा बहुत आप कह रहे हैं, मामूली फर्क कुछ लोगों के पड़ा हुआ है लेकिन हम नहीं कर सकते हैं दो प्रकार की कम्पन्सेशन रेट करते हैं तो हम निश्चित रूप से आर्टीकल के अन्दर है। ये बरकत साहब ने जो फिगर्स दिये हैं, मैं मालूम नहीं कर सकता, किस सन्दर्भ में उन्होंने फिगर्स दिये हैं। यह मैं मान ही नहीं सकता कि 58 लाख भूमिहीनों को एलॉट होने वाली थी यह किस स्टेज पर मेरे पास में यह फिगर्स आये ही नहीं। लेकिन हो सकता है जो प्रिन्ट हो गया है, उन्होंने कहा हो, (व्यवधान) मेरी बात सुनिये न····

श्री कैलाश मेघवाल : उसमें गलत नहीं हो सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : 10-10-79 को क्या बात कही थी, मैं कह रहा था प्री-55 को रिपोर्टर्स ने प्री-55 नहीं किया है लेकिन जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य उसको 355 पढ़ रहे थे। 355 का न तो वहां पर कोई सन्दर्भ है, न उसका कोई कन्टैक्स्ट है लेकिन सभी जगह, मैं भी देख रहा था, मेरे पास भी प्रोसीडिंग्ज पड़ी हैं, सभी जगह प्री-55 का 355 हो गया। ये कितने लाख का 58 लाख हो गया, मुझे मालूम नहीं लेकिन किसी भी स्टेज पर कह रहे है, लैण्ड रिफार्म के लिए जो संभावित या एस्टीमेटेड भूमि वहां कितनी अवाप्त हो जायेगी। कुछ मुझे पूर्व में भी इस विभाग का काम देखने का अवसर मिला है, इस प्रकार कोई आंकड़ा मेरी नजर में नहीं आया। एक बात। जहां तक कब्जा दिलाने का प्रश्न है, जैसा मैंने कहा जो भूमि अभी मैंने आंकड़े दिये थे, उसमें 54 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : अलॉटमेन्ट में

श्री परसराम मदेरणा : हा अलॉटमेन्ट में। मैं तो समझकर चलता हूं कि चरागाह जमीन को कन्वर्ट करके अलाट की गयी थी वहां पर तो कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं। जो अलवर का जिला हो, चाहे सवाई माधोपुर का जिला हो। सीलिंग के मामले में फैसला नहीं बदला गया, कुछ बदले हैं रेवेन्यू बोर्ड ने। उससे कोई स्थिति खड़ी हो गयी थी, वह बात और है लेकिन मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि ज्यादातर लोगों को सीलिंग में जो लैण्ड दी गयी है, उसका कब्जा मिला है। लेकिन यह मैं निश्चित तौर से नहीं कह सकता कि टोटल एलॉटीज जो 54 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इस 54 पर्सेन्ट में से कितने लोगों को अभी तक कब्जा नहीं मिला है। क्या पर्सेन्टेज है, अगर कोई पर्सेन्टेज है और हो सकता है। मैं उसको आपके सामने डिनाई नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में जानकारी ले रहा हूं और उसके बाद ही सूचित करूंगा कि कितने लोगों को कब्जे नहीं मिले हैं। सरकार की यह मन्शा रहेगी कि जिन लोगों को भूमि आवंटित की गयी है, निश्चित रूप से संशोधन भी पहले किया गया है और संशोधन टिनेन्सी एक्ट में भी कुछ किये गये हैं, लास्ट गवर्नमेन्ट में। उस वक्त भी संशोधन टिनेन्सी एक्ट की धारा में किया और भी ऐसा किया गया था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जल्दी से जल्दी कब्जा मिले। इस प्रकार करने के बाद भी कमी रही है तो निश्चित रूप से उसके स्टैप्स उठाये जायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रस्ताव मैंने रखा है, पास करने का, वह सदन स्वीकार करें।

श्री कैलाश मेघवाल : कब्जा नहीं। मेरा सवाल दूसरा था। माननीय प्रभारी मन्त्री, मेरा सवाल यह था सैक्शन 21 में अमेण्डमेन्ट होने के बाद क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीन मिलने की कोई संभावना रहेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : बहुत कुछ संभावना रहेगी। उसमें जो रहेगा उन्हीं के लिए रहेगा क्यों कि उसमें प्रावधान इसलिए रखा हुआ है कि 50 पर्सेन्ट लैण्ड उन्हीं को मिलेगी और टोटल लैण्ड अदर ग्राइटम्स के लिए रिजर्व कर रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय शोभराम कमेटी की रिपोर्ट के बारे में हम अगर सोचें तो यह सोच सकते हैं कि इसमें गंध निकलती है। इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगी कि ये शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को मिले इसके लिए कि इतना पर्सेन्ट इसे देंगे, इतना पर्सेन्ट उन्हें देंगे, कम से कम प्रावधान सोचें, ये जान लें कि यह भावना है आप लोगों की कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को भूमि मिले और शेष कामों के लिए जो आपने गोदान कहा या अस्पताल कहा या अन्य विषय उनके लिए कितना प्रतिशत भूमि रहेगी। मैं चाहती हूं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग, भूमिहीन के नाम पर यदि कोई और लोग आ गये जो बड़े लोग, धनिक, प्रभावशाली लोग हैं। शोभा राम कमेटी की रिपोर्ट हमने देखी है, आपने देखी है। मान्यवर, इस भावना को आप समाप्त करें। या तो कल इसको पास कर लें या फिर उसमें प्रतिशत रख लें तब पास करें। इसको आप लें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 पारित किया गया।

राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981

परिनियत संकल्प

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : सभापति महोदया, मैं यह परिनियत संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27-2-81 को प्रख्यापित राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1981) को अस्वीकार करता है। माननीय सभापति महोदया, इस कानून के संशोधन के पास हो जाने के पश्चात् एक बहुत बड़ी तलवार हमेशा-हमेशा के लिए किसानों की जमीनों पर जो खेती करते हैं लटकती रहेगी। पहले यह नियम था कि धारा 4 और 5 के अन्तर्गत नोटिस देते थे उसके पश्चात धारा 6 के अन्तर्गत एक बार भूमि अधिगृहीत कर लेते थे। उसके बाद बची हुई जमीन पर किसान अपना मकान कुआ आदि बनवा लेता था और आराम से रह सकता था लेकिन इसके पश्चात् मध्य प्रदेश में एक विवाद पैदा हुआ। धारा 6 के अन्तर्गत बार-बार नोटिस दिये जाते रहे और उससे पूर्व उसने निर्माण कर लिया और निर्माण करने के बाद उसको दुबारा नोटिस दे दिया गया, तिबारा नोटिस दे दिया गया। इसके बाद वे न्यायालय में गये और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पक्ष में फैसला दे दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गये और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि धारा 6 के अन्तर्गत एक बार नोटिस दे देते हैं तो उसके बाद में उस व्यक्ति से दूसरी बार, तीसरी बार क्रमशः नोटिस देकर भूमि अवाप्त नहीं कर सकते हैं। इसके कारण यह संशोधन पेश किया गया।

इसके बाद में राजस्थान के जो व्यक्ति खेती करते हैं, जिनका मूल धन्धा खेती है, खेती करते हैं उनको एक बार नोटिस दिया और बाकी जमीन पर उसने मकान बना लिया, कुआ बनवा लिया और आराम से रहने लगा। उसके बाद यह अधिकार देकर कि यहां रहूंगा और खेती करूंगा, वह छीन रहे हैं। इस संशोधन के पास होने के पश्चात् उसके यह अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। धारा 6 में कितनी बार नोटिस देकर जब चाहे तब उसकी भूमि अधिगृहीत कर सकते हैं। एक प्रकार से उसके खेती करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं और वह व्यक्ति सरकारी दया पर, भूमि अवाप्ति अधिकारी की दया पर रह जाता है। मुख्यतः वह भूमि जो होती है वह बड़े शहरों के आस पास की होती है। वह जमीन जो किसान की होती है बहुत ऊंची कीमत की होती है। एक बार अधिगृहीत करने के बाद में किसान ने मकान बना लिया, कुआ बना लिया और किसी भी अधिकारी की सनक में आ गई कि यहां पर मेरे रहने के लिये बंगला बनाना चाहिये या यहां एक कालोनी बननी चाहिये इसलिये पुनः धारा 6 का नोटिस दिया जाय तो उसका वह मकान और कुआ भी समाप्त हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है यह राजाशाही अधिकार है। इससे जो खेती करने का अवसर मिला है और जो भूमि अर्जन करने का अधिकार है, वह समाप्त हो जाता है, माननीय सभापति महोदया।

एक मेरा दूसरा निवेदन और है, इस संशोधन के द्वारा ....

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(6.26 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

आज तक जितनी भी अधिगृहीत की कार्यवाहियों के कारण से रोका जा सका है, यह संशोधन होने के बाद में उसकी सारी कार्यवाहियां अवैध हो जायेगी। जिन लोगों ने न्यायालय में जाकर या किसी सक्षम अधिकारी के पास जाकर नोटिस दिया और उसके निस्तारण की कार्यवाही कर ली और वह अपनी भूमि पर काबिज है और काबिज हो कर काम कर रहा है, 5-10 वर्ष हो गये, इसके आदेश हुए लेकिन जो इस बात के लिये यह अध्यादेश बिल का रूप धारण करने जा रहा है यह बात होने के पश्चात् यानी पहले जिसने न्यायालय में जाकर या अन्य किसी स्थान पर जाकर अपना यह अधिकार प्राप्त किया था, उसका वह अधिकार भी समाप्त करने जा रहे हैं। यह संविधान के खिलाफ है और जिस व्यक्ति का मूल अधिकार है भूमि अर्जन करने का, उस पर कुठाराघात है।

जब चाहे तब किसी व्यक्ति को जमीन से बेदखल कर दें और जब चाहे किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दे दें। इसलिये यह अधिकार समाप्त करके आपने उन लोगों, जो खेती कर रहे हैं, को हमेशा के लिये खेती से वंचित करना चाहते हैं। इससे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, काम करने के अधिकार समाप्त होते हैं और सरकार के पास इस प्रकार के अधिकार आ जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जमीन को जब चाहे, जब सनक सवार हो तभी अधिगृहीत कर ले। मुआवजा सरकार की इच्छा पर है। उसको नोटिस देते हैं और नोटिस के जवाब में वह क्लेम करता है, उस क्लेम को स्वीकार किया जाय या नहीं किया जाय और जो भूमि अवाप्ति अधिकारी क्लेम तय करता है, वह क्लेम उसको दिया जाय तो वह व्यक्ति न्यायालय में जाकर जो आपने क्लेम कम किया है उसके कारण आदेश प्राप्त कर उचित मुआवजा भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। इस प्रकार से यह कानून किसानों के लिए बहुत घातक है जो खेती कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि यह जन भावनाओं के खिलाफ है और विधान निर्माताओं की भावना के खिलाफ है। खेती करने वाले का जमीन पर अधिकार है, इस बात को ध्यान में रखते हुए परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन इस संकल्प को स्वीकार करे ताकि किसानों के अधिकारों की रक्षा हो सके और सरकार के पास बहुत अधिकार आने वाला है उस तलवार से उसकी रक्षा हो सके। अतः यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मान्यवर अध्यक्ष महोदय, यह जो भूमि की अवाप्ति के बारे में बिल प्रस्तुत किया गया है, अध्यादेश प्रस्तुत किया है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि आज तक जो जिस तरह से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है उसके लिए संशोधन लाया जा रहा है, इसमें स्पष्ट नहीं है। यह कहा गया है कि यह जनमत के आधार पर हो। जनता की राय जानने के लिए यह प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। मैं समझती हूं कि जो अवाप्त की गई भूमि है, पिछली बार जो किसानों से भूमि ली गई है, उसका सही मुआवजा किस ढंग से दिया जावेगा, उसकी भूमि का क्या किया जाएगा। मैंने पिछली बार भी दोहराया था और पुनः दोहराना चाहती हूं, उदाहरण के रूप में

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

आनन्द नर्सरी की भूमि थी, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीते, हाई कोर्ट से मुकदमा जीते, उसके बाद भी उसको डी. डी. आर. कर दिया गया है। आखिर सरकार की क्या मंशा है इसके बारे में स्पष्ट करें। सिंचाई के बारे में मैं यह मानती हूं कि सिंचाई की नहरों के लिए जमीन चाहिए, या सड़क बनाने के लिए जमीन चाहिए, इसके लिए अवाप्ति की जरूरत है। लेकिन जिस तरह की आज तक की गति-विधियां और व्यवहार रहा है सरकार का कांग्रेस सरकार का, मैं कहना चाहूंगी कि बिल में इस तरह से रख कर इनके हाथ में अधिकार दे दिया जावे यह मैं उचित नहीं मानती हूं और यही बात मैं यहां कहती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करना चाहता हूं। श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा 27 जून, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1981) को अस्वीकार करता है।

मैं, श्रीमान्, निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों हुई और अध्यादेश के द्वारा जो संशोधन किये जा रहे हैं क्या वे जन हित में हैं? ये दो बातें इसमें देखनी है और वह इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य-प्रदेश के लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के अन्तर्गत एक कोई झगड़ा खड़ा हुआ और वह सुप्रीम कोर्ट तक सवाल पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो फैसला दिया उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक नोटिस के तहत एक बार अवार्ड दे दिया, आदेश एक बार दे दिया, एक बार डिक्लेरेशन दे दिया, उसके बाद दूसरा आदेश या डिक्लेरेशन उस नोटिस के तहत नहीं दिया जा सकता। यह एक फैसला दिया। इस फैसले का जो प्रभाव हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह यह हुआ कि हमारे यहां एक प्रवृत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नोटिस दिया वह गलत है। उसके बाद डिक्लेरेशन हो गया। इस नोटिस के तहत एक बार भूमि ले ली तो उस नोटिस के तहत दूसरा डिक्लेरेशन नहीं दिया जा सकता। अपने यहां जो भी प्रवृत्ति चल रही थी वह यह कि एक नोटिस दे दिया, उस नोटिस के देने के बाद किसी एक भू-भाग का डिक्लेरेशन दे दिया कि हम अवाप्त करते हैं। फिर कुछ समय बाद दूसरा डिक्लेरेशन दे दिया कि हम अवाप्त करते हैं। फिर दूसरे के बाद तीसरा दे दिया कि हम अवाप्त करते हैं। वही संशोधन इसमें लिया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन अध्यादेश के द्वारा लाया गया है, वह मैं पढ़ना चाहूंगा और वह इसलिए पढ़ना चाहूंगा कि :

"2. *Amendment of section 5A, Rajasthan Act 24 of 1953.*—In Section 5A of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953 (Rajasthan Act 24 of 1953), hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (2), for the words "submit the case for the decision of the State Government together with the record of the proceedings held by him and a report containing his recommendations on the objections,"

उसके बाद अगला जोड़ा जा रहा है संशोधन :

Page No. 129

(125)

(श्री कैलाश मेघवाल)

"either make a report in respect of the land which has been notified under section 4, sub-section (5) or make different reports in respect of different parcels of such land, to the State Government containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him for the decision of the State Government."

उसके बाद जो तीसरा संशोधन है :

In section 6 of the principal Act, in sub-section (1):—(*i*) after the words "certify its orders," the following shall be inserted, namely:—

"and different declarations may be made from time to time in respect of different parcels of any land covered by the same notice given under section 4, sub-section (5) irrespective of whether one report or different reports has or have been made under section 5A, sub-section (2):"

फिर प्रोविजन है :

"Provided that no declaration in respect of any particular land covered by a notice under section 4, sub-section (5) given after the commencement of the Rajasthan Land Acquisition (Amendment and Validation) Act, 1981, shall be made after the expiry of three years from the date of giving of such notice."

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, प्रभारी मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि प्रशासकीय असमर्थता, प्रशासकीय अयोग्यता, प्रशासकीय ढिलाई जो लेंड एक्वीजिशन एक्ट की प्रोसीडिंग्स के तहत होती है आज उनका विधिकरण किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कागजज को पढ़ें, आखिर लेण्ड एक्वीजिशन का जो प्रस्ताव बनता है, सेक्शन (4) के तहत नोटिस देने के पहले नोटिस देने वाले प्रभारी अधिकारी के पास एक प्रोजेक्ट आता है कि यह प्रोजेक्ट हम लेते हैं। यह जमीन हमको केन्द्रीय सरकार के लिए, राजस्थान सरकार के लिए या दूसरे राजकीय संस्थानों के लिए या किसी जनहित की कम्पनी के लिए, कार्यों के लिए जरूरत है। उस प्रोजेक्ट की कम्पलीट रिपोर्ट आती है और कम्पलीट रिपोर्ट आने के बाद में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या नोटिस दिया जाता है ? नोटिस देने के बाद आज तक होता यह है कि एक पर्टीक्यूलर जमीन का पहले डिक्लेरेशन दे दिया, उसके बाद दूसरी जमीन के बारे के में डिक्लेरेशन दे दिया, उसके बादतीसरी जमीन का डिक्लेरेशन दे दिया। ये डिक्लेरेशन दिये जा रहे हैं, आज उसको कानूनी रूप दिया जा रहा है, इसलिए कि जो लेंड एक्वीजिशन अफसर है उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह एक ही बार में एक ही प्रोसीडिंग्स में पूरे प्रोजेक्ट की आवश्यकता की जमीन को एक्वायर करने में असमर्थ रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह अगर हो गया संशोधन तो इस संशोधन के बाद, लम्बे समय तक अलग अलग प्रोजेक्ट आयेंगे। आज तो चाहिये मुख्य प्रोजेक्ट के लिये, आज तो चाहिए मजदूरों की बस्ती

(श्री कैलाश मेघवाल)

के लिए, आज तो चाहिए और किसी काम के लिए और। इसके आधार पर कई बार प्रोजेक्ट के आधार पर, कई बार योजनाओं के आधार पर अलग अलग जमीनों के बारे में डिक्लेरेशन दिये जाते रहेंगे। वह असमर्थ रहेंगे प्रोजेक्ट के लिए। सामर्थ्यवान अधिकारी को ठीक समय पर निर्णय देने के लिए इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक और संशोधन लाये हैं। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा प्रभारी मंत्रीजी से उन्होंने कहा, तीन साल के बाद उस नोटिस के तहत कोई आदेश नहीं दिया जा सकेगा। बहुत अच्छा है, आपने कह दिया। मैं पूछना चाहता हूं, सैक्शन 4 ए के तहत नोटिस भी दे दिया। नोटिस देने के बाद कानूनी तरीके होते हैं। आपसी मेलजोल या और दूसरे तरीकों से अगर किसी ने और तीन साल निकाल दिये, शैल इट इज आब्लीगेटरी, मेंडेटरी, तीन साल के बाद कोई आदेश नहीं दिया जा सकेगा तो आपके नोटिस की क्या स्थिति होगी। आपने जिस नोटिस के द्वारा जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस उपयोगिता के लिये उस जमीन को लेने का प्रस्ताव किया है, वह नोटिस दिया है वह उद्देश्य कहां रहेगा, वह उपयोगिता कहां चली जाएगी।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह संशोधन क्यों लाए? समझ में नहीं आता है, क्यों लाए। यह तो आपकी कार्यक्षमता होनी चाहिए। आप नियम बनायें। अधिकारी की क्षमता होनी चाहिए, जो हैड आफ दी डिपार्टमेंट बैठा है, मिनिस्टर बैठे हैं, उनकी क्षमता होनी चाहिए कि लैण्ड एक्वीजिशन के तहत जो कार्यवाही प्रारम्भ हुई है वह कब तक पूरी होती है। क्यों ढिलाई बर्ती जा रही है? इसके बजाय, प्रशासनिक क्षमता को सुधारने के बजाय, प्रशासन में चुस्ती लाने के बजाय इस तरह के जो संशोधन लाये गये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इन संशोधन को लाने वाला अध्यादेश हमारी कार्यक्षमता को समाप्त करेगा और हमारे अच्छे-अच्छे प्रोजेक्टों को हैल्ड अप कर देगा, उनको रोक देगा तीन साल होते ही। तीन साल निकाले जा सकते हैं और जिस तरह से अधिकारी पेशियां बदल देते हैं, जिस तरह से दूसरे तरीकों से पेशियां बदली जाती हैं, जिस तरह से प्रभावित व्यक्ति आकर पेशियां बदलवा लेते हैं, यह आपसे भी छिपा हुआ नहीं है और मेरे से भी छिपा हुआ नहीं है। किस तरह से करते हैं और किस तरह के तरीके इन पेशियों को बदलवाने में या कार्यवाही को आगे बढ़ाने में प्रयोग करते हैं। तीन साल निकाल दिए तो आगे की सारी योजना ठप्प, आपके सारे प्रोजेक्ट ठप्प। इस सारी पृष्ठ भूमि के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अध्यादेश है इस अध्यादेश को सदन को अस्वीकार करना चाहिए। यह अध्यादेश अधिकारियों की अक्षमता, अयोग्यता, असमर्थता का विधिकरण करवा देता है और हमारे भविष्य की कल्पना है उसको प्रतिबन्धित करता है, अतः इसको अस्वीकार किया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन !

(अनुपस्थित)

मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो परिनियत संकल्प

(श्री परसराम मदेरणा)

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या और अजमेर पूर्व से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है और जो मुद्दे उन्होंने यहां पर उठाये हैं, इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य का यह कथन और यह कहना है कि खेती करने का अधिकार समाप्त हो जायेगा, मैं समझता हूं पहले अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट के लिये, केनाल बनाने के लिये या बहुत बड़ी कॉलोनी बनाने के लिये आपको 500 बीघा जमीन की आवश्यकता है, तो सैक्शन 4 का नोटिस इश्यू करते हैं, 5 (ए) में जांच करने के बाद में 6 के अन्तर्गत आप डिक्लेरेशन देंगे, पूरी जमीन अवाप्त और एक्वायर करके रख लेते हैं आसानी से। कोई इमिजिएटली आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रोजेक्ट धीरे-धीरे बनते जा रहे हैं और उनमें समय लगता है।

इस प्रकार जो यह प्रावधान किया गया है, यह है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है सैक्शन 4, 5 (ए) और 6 का एक ही प्रोगस के अन्दर, आपको सिंगल प्रोसेस के अन्दर डिक्लेरेशन कर लेना चाहिये। इसलिये अगर मान लो जिस सैक्शन 4 का नोटिस 500 बीघा का है, सैक्शन 5 (ए) के नीचे जांच करने के बाद रिपोर्ट और रिकमन्डेशन कलेक्टर ने भेजी गवर्नमेंट के पास, वह रिकमनडेशन अगर 100 बीघा की भेज दी है और अगर आपने डिक्लेरेशन सौ बीघा का कर दिया है तो फिर आप उसके लिये दुबारा चाहते हैं, 500 बीघा जमीन तो है सैक्शन चार से फिर तीनों की प्रोसिडिंग स्टार्ट की जायगा। यह जो एनोमोली खड़ी हुई है, यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंगल प्रोसेस में आपको जो करना है वह कर लीजिये। सैक्शन 4, 5 (ए) और 6 के अन्तर्गत उसके बार सिंगल प्रोसेस में नहीं करोगे, केवल पीस मील में करोगे।

आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिये भूमि की आवश्यकता है, पीस मील में है और पीस मील में जो कार्यवाही अमेण्डेड सैक्शन 4 के नीचे की जानी है, और 5 के नीचे जांच रिपोर्ट और रिकमन्डेशन भेजनी है, वह आने के बाद अगर सैक्शन 6 के नीचे गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, डिक्लेरेशन का नोटिस इश्यू करती है तीस मील में लैंड के लिये। फिर 6 के अन्दर एक दफा भूमि का डिक्लेरेशन इश्यू करने के बाद वह भूमि जिसका नोटिस 500 बीघा का सैक्शन 4 में दिया गया था उसके बाद वह सिंगल प्रोसेस का पार्ट नहीं है, और सिंगल प्रोसेस का पार्ट नहीं रहा और जमीन की आवश्यकता है तो फिर तीनों पर कार्यवाही कीजिये। सैक्शन 4 का नोटिस दीजिये। यह एनोमोली खड़ी हो गई थी, और बहुतसी भूमि का अर्जन हो गया है और वह अर्जन पीस मील में हो गया है, सिंगल प्रोसेस में वह नहीं हुआ है, इसलिये जो कार्यवाही की है उसको वलिडेट करने के लिये किया है। भविष्य के अन्दर सैक्शन 4 के नोटिस के बाद पूरी भूमि अवाप्त नहीं की जाकर के प्रोसेस में जहां जहां उसकी आवश्यकता है, वह कर ली जाय ताकि इनआर्डिनेन्ट डिले नहीं हो भूमि का अर्जन करने में।

इसलिये जो शंका, जो आशंका सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने की है, उसमें

(श्री परसराम मदेरणा)

वह यह कहते हैं कि किसानों के अधिकार हमेशा के लिये चले जायेंगे भूमि की आवश्यकता है और पूरी भूमि किसानों के पास पांच बीघा है वह एक्वायर कर ली तो निश्चित रूप से वह भूमिहीन बन जाता है। लेकिन भूमि पांच साल में, दो साल में, डेढ़ साल में ढाई साल में जो वह कहे, पूरी की पूरी पहले साल में एक्वायर करके रख देने के बजाय पीस मील में करते हैं तो बाकी उसके पास 50,60 या 150 बीघा रहती है उसमें तो ज्यादा अच्छी तरह से खेती कर सकेगा। उसके हकों पर कहां कुठाराघात है। उससे किसान के ऊपर कहां तलवार है। यह तो निश्चित बात है।

अगर भूमि पांच सौ बीघा की जरूरत है, 300 बीघा भूमि की जरूरत है, 300 बीघा भूमि उसके पास है, पूरी भूमि पर इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट है तो निश्चित तौर पर एक्वीजिशन दिया जायेगा व इस प्रकार आवश्यकता है किसी दूसरे पर्पज के लिये, या पब्लिक पर्पज के लिये तो भूमि एक्वीजिशन होगा। लेकिन उसमें जो समय लगता है, उस समय में किसान की जमीन लेकर के पब्लिक पर्पज में इमिजिएट उस पूरी नहीं ले, और उसका उपयोग नहीं करे और भूमि को पड़ी रखे, अगर सेक्शन 4 का नोटिस इश्यू किया गया है, और वास्तव में भूमि एक्वायर करने की आवश्यकता है सरकार को, पब्लिक पर्पज के लिये तो मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा। क्यों कि जो कार्यवाही यहां पर की गई है, उसमें आगे भूमि की एक्वीजिशन प्रोसिडिंग बहुत लेन्दी हो जायगी। किसी भी पब्लिक पर्पज के लिये भूमि की आवश्यकता है, उसको पीस मील में नहीं करें और उस जमीन का एक ही प्रोसेस के अन्दर डिक्लेरेशन करे, उसका नोटिस इश्यू करे, उसका अवाप्त कर यह उचित नहीं रहेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेन्ट था, और उसमें एक इस प्रकार की ट्रेजेडी खड़ी हुई है कि पूर्व में जो भूमि एक्वायर की गई थी सिंगल प्रोसेस में नहीं की गई थी।

सेक्शन 4 के नोटिस के बाद में जो रिपोर्ट पूरी भूमि की नहीं भेजता था, कलेक्टर और डिक्लेरेशन पूरी भूमि का नहीं करते थे, इसलिये जो कुछ पूर्व में हो गया है, उसको वेलिडेट करने का प्रश्न है। भविष्य के लिये जो पब्लिक पर्पज के लिये हमें भूमि की आवश्यकता है, वह भूमि आवश्यकतानुसार किस-किस स्तर पर, किस-किस स्टेज पर किस किस समय पर मांगनी पड़ती है, उस तरह से पार्शियल वे में करते जायें। उसमें लिखा है जो कोई भी 4 का नोटिस दें, वह तीन साल से ज्यादा इनफोर्स नहीं रहेगा। इसमें यह प्रावधान किया है। कि हम प्रोजेक्ट के लिये किसी पर भी तलवार लटकाना नहीं चाहते। लेकिन प्रोजेक्ट है, भूमि वापस करनी है तो वह प्रोसेस अगर हमने आज शुरू नहीं किया तो निश्चित तौर पर उस पर कांस्ट्रक्शन दूसरे काम हाथ में नहीं ले सकते हैं। सारा मसला खड़ा हुआ है वह इरिगेशन लैंड का है, कैनाल का है, इसलिये वह जो भूमि हुई है, धीरे-धीरे अवाप्त हुई है।

आप समझते हैं कि शहरों के अन्दर भूमि का मामला इतना बढ़ रहा है। यह एक्वीजिशन की ज्यादा पर्सेन्टेज प्रोसिडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट की है। इसलिये मैं समझता हूं वेलिडेशन किये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि यह मुद्दा कानून का है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट के बाद यह एनोमोली

(श्री परसराम मदेरणा)

रखने की आवश्यकता नहीं थी । पिछले सत्र में एक विधेयक लाया गया था, विधेयक पारित नहीं हुआ इसलिये दरम्याने पीरियड में यह आवश्यक समझा गया। कानूनी मुद्दे उठाये जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देकर, यह केसेज वापस खुल जायेंगे और इसका मतलब यह होगा एक्वीजिशन कानून के अन्दर प्रोसेस कार्यवाही की गई है, जिससे भूमि एक्वायर की है, इंट्रेस्टिव पर्सन जाकर कब्जा करके, किसी के नाल के बीच में दीवार खड़ी करके खड़ा हो सकता है। इस प्रकार की धमकियां, हमारे पास लीगल नोटिस वगैरह आये थे, उसको हमने ठीक करने के लिये उचित समझा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से जो स्थिति खड़ी हो गई है, उसमें एक्वीजिशन अलग-अलग प्रोसेस में हुआ है, वह वेलिडेट करके, आगे की कार्यवाही उस तरह से इस कानून के प्रावधान के साथ में की जाये। मैं समझता हूं इसके लिये आर्डिनेन्स का प्रॉमलगेशन आवश्यक था । इंटर-सैशन पीरियड के अन्दर बहुत ही कम आर्डिनेन्स लाये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां दीवार खड़ी कर दें ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय विपक्ष के नेता महोदय सरकार में थे तो एक दफा मुझे मालूम है कि आठ आर्डिनेन्स आये थे। हम तो कोई तीन-चार आर्डिनेन्स लेकर आये हैं, 6 महीने के अन्दर । इसलिये आर्डिनेन्स गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर को....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सात थे ।

श्री परसराम मदेरणा : हां सात होंगे । लेकिन आप तो 8 लाये थे । मुझे मालूम है, मैंने कहा था कि इण्टर सेशन पीरियड में हिन्दुस्तान के संविधान की धारा 293 के नीचे जो लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर को दी हुई है उसका उपयोग करते हुए यह आवश्यक समझा गया था । आर्डिनेन्स प्रॉमलगेट करना पब्लिक इंट्रेस्ट में है इसलिये किया गया है । इसलिये परिनियत संकल्प माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं और सदन से मेरा यह निवेदन है कि इस परिनियत संकल्प को अस्वीकार किया जाये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कइयों ने धमकी दी है कि नहर के बीच दीवार खड़ी कर देंगे। धमकियां कहां-कहां से आयीं ?

श्री परसराम मदेरणा : वह भी बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 27 जून, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 5, सन् 1981) को अस्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया ।

विचारार्थ लिये जाने हेतु प्रस्ताव ।

विधेयक पर विचार

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : जनमत जानने हेतु परिचालित करने का सदन प्रस्ताव करे।

श्री दीपेन्द्रसिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई नहीं बोलना चाहता, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

अब विचारार्थ लिये जाने हेतु प्रस्ताव।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981

परिनियत संकल्प

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्षजी, यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा 22 मई, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 4, सन् 1981) को अस्वीकार करता है। श्रीमन्, यह जो संशोधन सैक्शन 3 का जोड़ा जा रहा है यह बात पिछली विधान सभा में भी उठी थी, वह बिल्कुल अक्षरश: सत्य थी। उसमें यह प्रश्न आया था कि सरकार अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिये इस समय तो कह रही है कि हम किसी प्रकार का कर प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारी मान्यता यह थी कि सरकार पिछले दरवाजे से निश्चित रूप से कुछ न कुछ करने का प्रयत्न करेगी। उस समय इस सदन में आश्वासन भी दिया कि इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी। मेरे प्रश्न के जवाब में लिखा कि निगम द्वारा किराये-वृद्धि की मांग समय-समय पर होती रहती है। राज्य सरकार सम्यक् रूप से विचार कर आपत्तियां आमंत्रित करके निर्णय लेती है। सवाल यह है कि यह जो सरचार्ज हम बढ़ा रहे हैं इसमें हमारी राय नहीं। फिर सदन की राय के बिना इस प्रकार का मिस बिहेव करना उचित नहीं है। श्रीमन्, इसकी आवश्यकता भी नहीं है –

"After section 3-A of the Rajasthan Passengers and Goods Taxation Act, 1959 (Rajasthan Act 18 of 1959), hereinafter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—"

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यह जो नया संक्शन "Levy of additional surcharge" जो जोड़ा गया है यह कम से कम राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, घोर अन्याय है। हमनें केवल एक वर्ष की अवधि में राजस्थान की गरीब जनता पर 16-9-80 को 25 प्रतिशत टैक्स बढ़ाया, पैसेंन्जर टैक्स बढ़ाया और उसको बढ़ाने के बाद राज्य सरकार ने तर्क यह दिया कि हम को कई कारणों से बड़ा घाटा रहता है। उस घाटे को मिटाने के लिये 25 प्रतिशत टैक्स 16-9-80 को आपने बढ़ाया। उसके पश्चात् बीच में असेंबली चल रही थी, मार्च का सैशन हुआ था। यदि राज्य सरकार यह चाहती कि किसी प्रकार के धन की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से सदन में लाना चाहिये। यह इस सदन का असम्मान है। इसके गौरव को समाप्त करके, पीछे के दरवाजे से टैक्स लिया। श्रीमान, वह 20 प्रतिशत ही नहीं, जब 100 पर 25 प्रतिशत बढ़ा चुके तो 125 प्रतिशत हो गया उस पर आपने 20 प्रतिशत बढाया तो 25 प्रतिशत होता है। अभी जो 5 प्रतिशत बढ़ाया तो यह कुल मिला कर 55 प्रतिशत।

एक वर्ष की अवधि में यह कर राज्य की सामान्य जनता के ऊपर थोपा है। श्रीमन, यह जो थोपा गया है यह बिल्कुल अनुचित है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा ही नहीं, हिन्दुस्तान की बाकी स्टेटों में भी इस प्रकार कर भार है अभी मेरे एक प्रश्न के जवाब में लिखकर दिया है। मेरी ऐसी धारणा है कि सुपर डीलक्स और सेमी लक्स की रेट अलग है लेकिन इन्होंने दिया है कि यहां पर चलने वाली सुपर डीलक्स जो गाड़ियां हैं उन पर वहां पर 3.83 पैसा प्रति किलो मीटर है जब कि हमारे यहां 16-9-80 को बढ़ाया था उसके हिसाब से इस तरह की गाड़ियों पर 5,5 तो कर चुके जब कि अलग-अलग रेट नहीं बढ़ायी क्योंकि हम पहले से ही 9 पैसा आलरेडी डीलक्स गाड़ी का ले रहे हैं। इसके पश्चात 20 प्रतिशत की ओर बढ़ोतरी की। इसके कारण हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में जो पैसेन्जर टैक्स है उससे हम आगे निकल गये। श्रीमन्, इसके साथ ही मैं एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि इस प्रकार का अधिकार बढ़ाने के बाद जो यातायात की व्यवस्था है, उस ओर कभी आपने ध्यान नहीं दिया। इसको बिना बढ़ाये ही राजस्थान में अच्छी व्यवस्था हो सकती है। इस व्यवस्था के नाम पर अगर देखा जाय तो राजस्थान के रोडवेज की दुर्गति है, खराब हालत है। हमारी अधिकांश 20 से 30 प्रतिशत गाड़िया तो केवल टायर न होने के कारण डिपोज में खड़ी हुई हैं। यहां तक कि गाड़ियां रास्ते में चलते-चलते रूक जाती है, किसी की सीटें ठीक नहीं है, किसी में कुछ नहीं है।

ऐसी रोडवेज की स्थिति है। इसको सुधारने का प्रयत्न नहीं किया। हमने कभी भी यात्रियों के लिये सुविधा की चिन्ता नहीं की। कुछ बड़े नगर हैं वहां पर जरूर कुछ सुविधाएं जुटाई हैं अन्यथा सामान्य आदमी को पीने के लिये पानी की व्यवस्था नहीं, बैठने के लिये छाया नहीं, पेशाब करने के लिये जगह नहीं। तो सुविधा के नाम पर आप उनको किसी प्रकार की सुविधा देना नहीं चाहते। बाकी जो लीकेज हैं उनको आप रोकना नहीं चाहते। केवल इस समय जो लीकेज है उनको

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

रोकें तो श्रीमन् मैं बताता हूं कि इसकी जो आय है जो कि 77-78 में 22.87 लाख थी, 78-79 में 27.93 रही और बढ़ते-बढ़ते 80-81 में 41 करोड़ हुई और यह कर लगाने के बाद भी यह दिखाते है कि हम को 4 करोड़ का घाटा है। पिछली बार टैक्स बढ़ाया। मेरे पास इनका स्वयं का स्टेटमेंट है। जिसमें कहा गया कि इसके कारण से 52 करोड़ की आय कर सकेंगे, और 51.48 का खर्च होगा, यह इसकी आय होगी तो फिर यह अधिक कर लगाने की हम को क्या आवश्यकता पड़ी? यह वास्तव में यहां, पर श्रीमान्, आया नहीं है कि कभी भी इस पर विचार किया या नहीं किया कि रोडवेज के खर्च को कैसे कम किया जाय। इस रोडवेज के खर्च में केवल वेतन और भत्ते पर होता था, 77-78 में हमारा जो 5.16 प्रतिशत का टोटल खर्च का हुआ वह प्रतिशत था, यह 78-79 में बढ़ा और 27 प्रतिशत हुआ टोटल खर्च का लेकिन अभी इस समय लगभग आपका जो खर्च है वह 30 प्रतिशत से ज्यादा है। टोटल आप खर्चा कर रहे हैं उसमें से 30 प्रतिशत वेतन और भत्ते पर कर खर्च कर रहे है। श्रीमन्, यही नहीं, यहां जो फिगर हम को दिये गये है ये शायद संबंधित मंत्री जी ने गौर करके देखे नहीं होंगे कि कितना बड़ा घपला हो रहा है, इस गरीब जनता पर। इस टैक्स को बचा सकते हैं, लेकिन कभी इस पर विचार नहीं किया।

श्रीमन्, यह अन्य सामान का जो खर्चा है, जो रिपोर्ट दी है उसमें है। 77-78 में केवल 6 लाख 81 हजार रुपये का अन्य सामान खरीदा गया था, उसको बढ़ाया है 79-80 में और 1 करोड़ 6 लाख का हो गया। अध्यक्ष महोदय, जो 6 लाख का खरीदते थे वे 79-80 में हुआ 1 करोड़ 6 लाख का। उसके बाद आगे बढ़ते जायेंगे तो इससे भी ज्यादा का माल खरीदा गया है। जो छोटा-मोटा समान खरीदते हैं वह अकारण होता है किसी मतलब का का नहीं होता है। उसको तो कम करना नहीं चाहते हैं। जो कुछ साधन हैं उनका उपयोग करना नहीं चाहते हैं। चैकिंग अधिकारी हैं लेकिन जो लोकल लोग उनके द्वारा जो केसेज बने हैं उनकी संख्या काफी कम है। आपकी अभी जो राजस्थान की टीम चलती है उसने बहुत जगह सडन चैकिंग की है और उसने अधिक केस बनाये है। यह हमारी स्थिति है।

बसों में बैठकर सामान्य लोग जाते हैं। आपने यह 18 पैसेन्जर्स से ज्यादा के वाहनों पर पैसेन्जर्स टैक्स लगाया है, यह अधिकतम 10 प्रतिशत होगा, राज्य सरकार की मर्जी पर है राज्य सरकार चाहे तो 2 प्रतिशत करे, चाहे तो पांच प्रतिशत करे, चाहे तो 10 प्रतिशत करे, पर मैक्जीमम 10 प्रतिशत कर दिया है। यह आपने असीमित अधिकार अपने हाथ में लिया है 10 पर्सेन्ट का। इसका भार भी किस पर पड़ेगा, अगर आपको बढ़ाना ही था तो और भी कई रास्ते थे, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाते जो दे सकते हैं। यह जो आपने 18 सवारी की गाड़ी पर टैक्स बढ़ाया है उसका वजन किसी धन्ना सेठ पर नहीं आने वाला है जिसकी कि व्यक्तिगत गाड़ी होती है। जो गाड़ी रखने वाला है उस पर नहीं आता है। जो आम आदमी है, मजदूर है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता है इन गाड़ियों में बैठकर जाता है। कभी यह हमारी सरकार के दिमाग में आया है? क्या कभी सोचा है? इस बारे में सरकार

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ने क्या सोचा है ? क्या समझकर ऐसा टैक्स लगाया है ? ऐसा कौनसा बड़ा घाटा है ? सामान्य गरीब लोग इन गाड़ियों से ज्यादातर यात्रा करते हैं उन्हीं पर इन्होंने इस प्रकार का टैक्स बढ़ाया है । अगर बढ़ाना ही था तो कार वाले पर बढ़ा देते जिससे कि कम से कम गरीब व्यक्ति पर तो भार नहीं पड़ता ।

यही नहीं, श्रीमान् आपको यह आंकड़े देखकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारी किस तरह की लीकेज है । ये उनको न उठाकर देखते हैं, न ही प्रयत्न करते हैं कि हमारे यहां पर यात्रियों की संख्या घट रही है । यात्रियों की संख्या घट रही है तो कहां घट रही है । ये हमारे राजस्थान के जितने बड़े बड़े शहर हैं, चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, बीकानेर हो. यह क्यों घट रही है, किन कारणों से घट रही है । मैं आपको उदयपुर के आंकड़ें दूंगा । सन् 77-78 में 16 हजार 816 यात्री औसतन प्रतिदिन यात्रा करते थे । आगे चलकर 13 हजार 312 हो गये 78-79, में और इसके बाद यात्रा करने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन औसतन रह गयी 10 हजार 117 यात्री । क्या बात हो गयी ? क्या जनसंख्या में कमी हो गयी है या लोग कम हो रहे हैं ? क्या कारण है कि आपकी बसों में सवारियां फोकट में जा रही है ? आप इस लीकेज को रोक नहीं पा रहे हैं, लोग फोकट में जा रहे हैं ? यह बात नहीं है तो क्या आपके साधन समय पर नहीं मिलते हैं इसके कारण से लोग मिलने वाली ट्रेनों से और दूसरे साधन ट्रकों से यात्रायें करते हैं ? यह भी मेरा दावा है कि इन सड़कों पर सैंकड़ों की तादाद में इल्लीगल वाहन चलते हैं । चाहे किसी प्रकार देना हो, ये वाहन जमा नहीं कराते हैं । किसी प्रकार का भी कर राज्य सरकार को नहीं मिलता है । सारा काम अफसरों की निगाह में होता है और वह अफसर निद्रा लेते रहते हैं, सो रहे हैं ।

इसको मैं देखता हूं कि गरीब जो बोल नहीं सकता है जो विरोध नहीं कर सकता है बराबर गर्दन उसकी निचोड़ी जा रही है । यह हिन्दुस्तान के इतिहास में आपकी सरकार पर एक काला धब्बा होगा कि मात्र एक वर्ष में 55 प्रतिशत किराया बढाया गया है । इस 55 प्रतिशत को चाहे आप आंकड़ों के माध्यम से गोल माल करें, पहले 25 प्रतिशत बढाया, फिर 20 प्रतिशत बढाया और अब यह पांच प्रतिशत सरचार्ज के नाम से लाये हैं । यह 55 प्रतिशत किराया बढाया है और तकलीफ होती है गरीब को । इसलिये मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं हो रहा है । यह कह सकते हैं कि पहले जो लगाया है वह आपके समय में नहीं लगा । आपने उसको देखा नहीं, उस पर विचार नहीं किया और वह बन गया इसलिये मैं आपसे बहुत नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें ऐसा नहीं है कि सरकार एक बार अपने बिल को पेश कर दे तो उसे पास कराना अनिवार्य ही हो जाता है । अगर ऐसी स्थिति होती है तो पुनर्विचार कर सकते हैं, किसी प्रवर समिति को सौंप सकते हैं ।

मैं आपसे नम्रतापूर्वक विचार करके प्रार्थना करता हूं कि यदि आपको लाना ही था, आपको लगता था कि पैसे कम है, खर्चा नहीं चलता है, नुकसान हो रहा है, आपका काम काज नहीं हो रहा है तो कृपा करके जिस समय सैशन चल रहा था उस समय आप टैक्स

Page No. 138

(134)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लगाकर लाते। आप यह बैंक डोर एण्ट्री क्यों करना चाहते हैं। आप बैंक डोर से आकर के यह 10 पर्सेन्ट टैक्स असीमित पावर इस तरह से कानून में संशोधन करके आप प्राप्त कर रहे हैं। की यह तो राज्य सरकार का आम जनता के साथ एक प्रकार का धोखा होगा। मैं तो विरोधी दल के सदस्य की तरह नहीं बोल रहा हूं, आप भी अपनी अन्तरआत्मा से विचार करें कि यह रखना जरूरी है या नहीं है। यही निवेदन है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान यात्री एवं माल कराधान विधेयक लिया है। स्वयं नये मंत्री श्री जय कृष्ण शर्मा ने भी यह सारी स्थिति देखी होगी। रोडवेज में दो महीने में जो 6 दिन तक दफ्तर में निरीक्षण किया है उसे देखने के बाद आपको भी लगा होगा कि आखिरकार रोडवेज में घोटाले कहां हैं। 80 करोड़ रुपये की हमारी पूंजी रोडवेज में लगी हुई है। 80 करोड़ पर 8 करोड़ का घाटा सालाना और 3 लाख रुपया प्रतिदिन का घाटा दे रही है और उस घाटे की पूर्ति करने के लिये आप आम जनता के प्रति अनदेखी करते चले जायं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है।

आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अध्यक्ष महोदय, कोटा से चलने वाली जयपुर को जो बस आती है वह उस रोडवेज की बस का किराया 70 प्रतिशत बढ़ा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि कोई व्यक्ति जल्दी जयपुर आना चाहता है तो उसे इसके लिये किराया देना पड़ता है 36 रुपये यानी कि 9 चोक 36 रुपये, चौगुना किराया राजस्थान की रोडवेज की बस से जयपुर आने पर देना पड़ता है इसके कारण ही जैसा कि श्री गुलाबचन्द जी कटारिया ने बताया कि आमआदमी बसों से छुटकारा चाहता है। ट्रेन की छत पर बैठ कर अपनी मौत बुलाकर आना स्वीकार है, लेकिन रोडवेज की बसों में नहीं जाना चाहते हैं। इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि पांच बार जाली टिकटों का मामला पकड़ा गया। 6 लाख के टिकट भरतपुर में पकड़े गये। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या एक भी व्यक्ति को सजा हुई? एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई है, एक भी अपराधी राजस्थान की रोडवेज का नहीं पकड़ा गया। आखिरकार इतना बड़ा लीकेज कहां है? अभी 20 दिन पहले कोटा-अजमेर के रास्ते पर चैकिंग हुई तो एक आदमी के पास 45 रुपये का जाली टिकट पकड़ा गया। उसको पकड़ने लगे, उसने कहा कि उसको पकड़ो जिसने मुझे जाली टिकिट दिये हैं। उन्होंने कहा कि नहीं हम तो तुमको पकड़ेंगे, पर जब हम सब लोगों ने बात की तब जाकर के उसको छोड़ा। वह तो खुद जाली टिकट बनाने वाला नहीं था, एक तो उसको 40 रुपये की चपत यहां जयपुर में पड़े गयी लेकिन फिर उसके चपत पड़ने जा रही थी।

मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 25 लाख रुपये की मशीन आयी थी टिकट छापने की, कितने दिन चली? उसमें 10, 15, 50 पैसे के टिकट छपते थे, उसमें बड़े टिकट नहीं छपते थे। फिर बन्द पड़ी रहती थी। अभी कुछ दिन पहले शुरू करके, चालू किया है। अभी सुना गया है कि टिकट की नयी प्रणाली चालू की जा रही है। टिकट पर लिखा जायेगा जयपुर से कोटा और कोटा से जयपुर और

(श्री दाऊदयाल जोशी)
वह मशीन बिल्कुल नाकारा हो जायेगी। 25 लाख की पूंजी हमारी उसमें फंसी पड़ी है। 50 हजार से ऊपर का जो वेस्ट मैटीरियल है वह जयपुर के गोदाम में पड़ा हुआ सड़ रहा है। उसका कोई उपयोग नहीं है वह बिलकुल बेकार माल है। राज्य सरकार ने ऐसे माल को खरीद कर अपने यहां पर डाल दिया है।

अध्यक्ष महोदय, नेशनलाइजेशन भी एक नारा है कांग्रेस का, पर आज मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूं कि अगर वोट करवाये जायं तो जनता के 95 प्रतिशत आदमी नेशनलाइजेशन के खिलाफ वोट देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पैसे की यह सारी गड़बड़ी 77 के बाद से हुई है। यह जो आपने फ्री, डर हटाओ आन्दोलन चलाया था यह सब उसीका परिणाम है।

श्री दाऊलाल जोशी: आठ महीने पहले आपके राज में पकड़े गये। 6 लाख रुपये के टिकट आठ महीने पहले पकड़े गये। माननीय श्री जयकृष्णजी शर्मा जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 77 के चुनाव के बाद माननीय श्री खेतसिंह जी को याद होगा जब इन्दिरा गांधी का साथ छोड़ गये तो आपने इसी सदन में इसी बैंचेज से यह कहा था कि सारी गड़बड़ी की जिम्मेदारी इन्दिराजी की है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने कभी नहीं कहा, कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोलूंगा। सारे घोटालों की जिम्मेदारी भैरोंसिंह जी और हरिसिंह जी की है। सब घोटाले आपके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप और परसराम जी इन्दिरा जी का साथ छोड़ गये थे। आजमगढ़ में जब हमारी हार हुई उस हवा में आप साथ हो गये थे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय पंडितजी को यह सब मालूम है। केशोरायपाटन से जो बस चलती है, वे सारी बसें खाली आती हैं, ट्रकों में बैठ कर लोग आते हैं। बस का किराया 1.90 रु. है और ट्रक में लोग 50 पैसे में बैठकर आ जाते हैं। सारी बसें खाली आती हैं। यही रावत भाटा की स्थिति है, यही कोटा डेम की स्थिति है, तीनों जगह की यही स्थिति है, सारी बसें खाली आ रही है। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट बसेज जो अनुबंधित हैं, वे कितना किराया लेती हैं? 1.60 रुपये और गवर्नमेंट की बस, जो राष्ट्रीयकरण के द्वारा चलायी जायी रही हैं का किराया 2.70 रुपये आता है। प्राइवेट व्यक्ति मोल की बस खरीदकर 1.60 रुपये में चलाता है और कमाता भी है और नेशनलाइजेशन की बस 2.70 रुपये में चले और फिर भी लॉस में। तीन लाख रुपये रोजाना के हिसाब से लॉस है। मेरा निवेदन है कि प्राइवेट बस के साथ चार आदमी चलते हैं और नेशनेलाइजेशन की बस के साथ साढ़े आठ आदमियों का स्टाफ चलता है। मेरा निवेदन करना यह है 500 व्यक्ति अजमेर के डिपो में मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। मैं आपको चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, माननीय जयकृष्ण जी, पिछले डेढ़ साल में एक भी बाडी नहीं बनी अजमेर में। आज तक जितनी भी बाडी बनी वह प्राइवेट लिमिटेड के यहां बनी। राजस्थान रोडवेज डिपो में 500 व्यक्ति मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय, यह सही आंकड़े मैं बता रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, कितने एक्सीडेंट हुए? रिकार्ड टूट

(श्री दाऊदयाल जोशी)

गया। पिछले चार महीनों में कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोग मरे? आये दिन एक्सीडेन्ट हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे साथी, श्री रघुवीर सिंह जी का एक्सीडेन्ट हुआ, जो बैठ नहीं सकते और जिनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। उसका एकमात्र कारण यह है कि आपने मद्य निषेध समाप्त कर दिया। मद्य निषेध समाप्त होने के कारण ड्राइवर धुत होकर गाड़ियां चलाते हैं, उन पर कोई चैकिंग नहीं। अभी डेढ़ महीने पहले जब मैं कोटा जा रहा था, गाड़ी की छत पर बैठकर लोग जा रहे थे। कण्डक्टर ने एक भी टिकट नहीं काटा। कोटा से जयपुर तक, जयपुर की विण्डो पर जो टिकट कट गये वह कट गये, उसके बाद एक भी टिकट नहीं काटा। आपकी जो गाड़ियां हैं वे तो डिब्बे है उनसे तो भंगियों की गाड़िया अच्छी होती है, कूड़ा करकट की गाड़ी अच्छी होती है। आप काम्पीटिशन में खड़े हो जावें, नेशनलाइजेशन की और प्राइवेट गाड़ियों में, तो आपके डिब्बों में कोई बैठना पसन्द नहीं करेगा। सीटें नहीं, खिड़कियां नहीं, लोहे की सीटें गर्मियों की तपन में लगी हुई है।

अभी अभी एयरकूल्ड बस चली, उसका किराया 32 रुपये चार दिन एयरकूलर चला उसके बाद से बन्द पड़ा है, उसका मीटर बन्द पड़ा है। गाड़ी चली नहीं रोड पर, मीटर तो पहले ही बन्द हो गया। चार दिन, 6 दिन के बाद उसमें पानी डालना बन्द हो गया। बस स्टेण्ड पर मैंने कहा, कम से कम झाड़ू तो लगा दो। चार आने में एक भंगी पकड़ रखा है, उसमें झाड़ू नहीं लगायी। यह द्रुतगामी गाड़ी की हालत है। बस में झाड़ू नहीं लगे, इससे ज्यादा अव्यवस्था और क्या हो सकती है। हमारी जेब तो नहीं कटती है लेकिन आम आदमी की जेब तो कटती ही है। इतना स्टाफ लगा हुआ है। आप एक बार स्टाफ का सर्वे करा लें, एक स्टाफिंग पेटर्न की तुलना कर लें तो आपने जो यह अधिभार लगाया है, अभी 6 महीने में जो किराये की वृद्धि की है, निश्चित रूप से इसको ठीक करने में सहायक हो सकती है। नहीं तो मुझे उम्मीद है पूरा का पूरा राष्ट्रीयकरण डूबेगा। अभी कल ही की बात है, मैं चला आ रहा था, देवली में बसें कैंसल हो गयीं। टौंक और देवली के बीच में, ड्राइवर और कण्डक्टर आये और कहने लगे कि साहब आपकी इजाजत हो तो सवारियां आपकी गाड़ी में ले लूं। जो बस 11 बजे आनी चाहिये, धीरे-धीरे वह बस डेढ़ बजे पहुंची। बसों का कोई टाइम नहीं, ड्राइवर और कण्डक्टर गायब। खिड़की पर लोगों को पूरे पैसे नहीं दिये जाते। दो बार तो हमारे साथी श्री ललित किशोर जी ने भी शिकायत की। हम एम. एल. ए. लोग शिकायत करते हैं, भगवान के नाम पर जो एम. एल. ए. की शिकायत हो, उसका अवलोकन कर लो तो कल्याण हो जाय, नहीं तो यह डूबने वाला है। जयकिशन जी तार दें तो मैं नहीं कह नहीं सकता। नेशनलाइजेशन के नाम पर 80 करोड़ की पूंजी राजस्थान की भूखी-नंगी जनता की लगी हुई है। इस नेशनलाइजेशन को समाप्त किया जाना चाहिये निश्चित रूप से। जो हमारे भाई, गुलाबचन्द जी कटारिया कह रहे थे आटो वाले, टेम्पो वाले या थ्री-व्हीलर वाले हैं आप उनका चालान करते हैं। जेबें भरनी पड़ती है, उनकी जेबें कटती है, ट्रेफिक वाले उनको तंग करते हैं, दस-दस सिपाही खड़े हो जाते हैं वह राउण्ड नहीं लगाते। मैंने कहा, खड़े क्यों हो घेर कर, अभी अभी जेब कटी है, क्या व्यवस्था की है।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

गाड़ी जब डिपो से निकले तो निकलते ही कम से कम यहां से तो कम्पलीट हो जाय। या टेन्ट लगा दिये जायं सिन्धी केम्प पर, ऐसे किराये के टेन्ट लेकर सभी जगह। जब मैं रक्षाबन्धन के अवसर पर कोटा जा रहा था तो 6 गाड़ियां खड़ी थीं। वह गया जाकर उसने 10) का नोट दिया और दो मिनट में आ गया। दस रुपये का नोट दिया। मैंने कहा बाबू यहां आ जाओ, उसने 10 का नोट लिया तीनों की पांती है 3-3 रुपये बांट ली। आंखों के सामने पैसा ले रहे हैं. दरोगा पर दरोगा छोड़ते हैं, सारे दरोगा मिलकर सारा पैसा चाट रहे हैं।

राजस्थान रोडवेज में इस तरह का लीकेज है, यह डूबने वाला है। इसमें इतनी पूंजी लगी हुई है नेशनेलाइजेशन के नाम पर, अपनी जिद पर जमे हुये हैं। नेशनेलाइजेशन को लगाओ आग, आप प्राइवेट गाड़ियां और दूसरी गाड़ियां खड़ी करो। 80 करोड़ की आपकी 2200 गाड़ियां राजस्थान रोडवेज की हैं जिनमें से 1800 गाड़ियां केवल बाहर हैं और 500 गाड़ियां पड़ी हुई हैं। आज से 4 दिन पहले कोटा में एक गाड़ी नहीं। मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा 36 गाड़ियों में टायर्स नहीं हैं। अब कुल 150 गाड़ियां में से 36 गाड़ियां बिना टायर्स के अगर पड़ी रहें, आखिरकार यह क्या है? आज से कुछ महीने पहले टायर्स की बात आई, गोदाम में टायर्स भी पड़े हैं। कोटा डिपो में टायर्स नहीं पहुंचे। अभी कोटा डिपो मैनेजर की बात है। मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ कुछ दिन पहले आदेश प्रसारित किये, 7 दिन में से 4 दिन जयपुर में, दो दिन कोटा में और एक दिन जयपुर। कोटा जैसे महत्वपूर्ण शहर के लिये ऐसा करें, इससे बढ़कर लज्जा की बात नहीं।

मेरा आपसे निवेदन है, नेशनलाइजेशन के आधार पर आप फिर किराया बढ़ायेंगे और बजट सैशन से पहले बढ़ायेंगे, मार्च अप्रेल तक भी नहीं ठहरेंगे, उससे पहले किराया बढ़ाने वाले हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, डीजल की कीमत बढ़ गई है। आपने 5 पैसे अधिभार लगाया है वह तो है ही, आने वाले एक दो महीने में आप किराया बढ़ाने वाले हैं। कोटा का बस का किराया रेल से चौगुना है, बस का 36 रुपये, रेल का 9 रुपये हैं। आपका किराया 40-43 रुपये हो जायेगा। मेरा निवेदन है कि भगवान के नाम पर, गरीबों के नाम पर, अकाल के नाम पर, रोडवेज में जो लूट मची हुई है उसको रुकवायें और उसको सुधारें, अच्छे ढंग से बसेज चलायें।

एक दिन जयपुर में आ रहा था। चांदपोल दरवाजे से लेकर बड़ी चौपड़ तक जो गाड़ियां चलती हैं, सिटी बस, 4 बजे मेन रोड पर 4 गाड़ियां खड़ी थीं। ये कोई बसेज हैं? इससे तो भंगियों की गाड़ियां अच्छी हैं। आप रहम करके राजस्थान को बचायें, 80 करोड़ बचायें, दूसरी जगह इन्वेस्टमेन्ट करें तो शायद हिन्दुस्तान का कल्याण हो जाय। इतनी बात कहकर मैं निवेदन करता हूं कि जो आपने अधिभार डाला है, उसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप इसको वापस लें, इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है, आप कल्याण की भावना से बिल लायें हैं, आप स्वयं समझदार हैं, आप पुराने मंत्री हैं, आप इसको वापस ले लें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करताहूं।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम पहले पुकारा था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं पुकारा था। मैं तो सुन रही हूं, सामने देख रही हूं

श्री अध्यक्ष : डाक्टर उजला अरोड़ा संक्षेप में, अगर कोई नई बात हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नई बात कहूंगी, पुरानी नहीं। मैं कोचीन से दिल्ली आई। दिल्ली से 4 बजे बस चलती है एयर कन्डीशन्ड बस से चलकर आई थी। बहरोड़ आते-आते बंद हो गई। मैंने कहा क्या मामला है। सड़क पर बिलकुल अंधेरा, बस बन्द हो गई। जब आधा घंटा हो गया, मैंने कहा क्या मामला है क्या चलना नहीं है? उससे पहले घटना घटी थी इसी रूट पर गोली मारकर लूटले गये थे जो पटियाला के थे, उनको लूट लिया गया था। कहा डीजल खतम हो गया। दिल्ली से बस चली बहरोड़ के आगे डीजल खतम हो गया। यह कैसी बस व्यवस्था है? मेरी समझ में नहीं आती। अनेक गाड़ियां यहां से जमवा रामगढ़ जाती है उनमें हार्न नहीं बजता....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और भी बताती हूं। जब मैं मेडिकल इन्स्टीट्यूट में दिखाकर आ रही थी, वापस दिल्ली से लौटकर देखा एक जगह यात्री ने सामान संभाला तो उसकी अटैची गायब थी। जो पीछे से डिकी वन्द होती है वह ठीक वन्द नहीं थी और सामान गिर गया। रोता-रोता जयपुर आया, जयपुर में भी सुनवाई नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ, चाहे यात्री हो चाहे माल हो उसकी इतनी अव्यवस्था है यहां पर, विधान सभा की घटना है, 28 मार्च को पुराने मंत्री श्रीमान प्रभाकर ने आश्वासन दिया था कि एटक यूनियन का टाइम हो गया, हम चुनाव करवायेंगे, आज तक चुनाव नहीं हुये। 24 स्थानों पर सुविधा दी जा रही है, स्थान की सुविधा; टेलिफोन की सुविधा, यात्रा की सुविधा दी जा रही हैं, जबकि आवश्यकता नहीं है। आये दिन जो लीकेज होते जा रहें हैं उसकी व्यवस्था करते नहीं। अधिभार लगाते तो विधान सभा के समय जब बजट सैशन चल रहा था उस समय टैक्स लगाते, लेकिन बीच-बीच में दूसरी या चौथी बार किराया बढ़ाया जायेगा, बसों की हालत ठीक नहीं, मेरे यहां तो कभी 4-4 बसें एक साथ पहुंचती हैं, तो कभी एक बस भी नहीं होती। यहां से जमवा रामगढ़ 20 गाड़ियां हैं अनेक यात्री जो दूध का व्यवसाय करते हैं डिब्बे लाते हैं। पहले 80 पैसे किराया था आज 3 रुपये देकर भी ठीक समय पर गाड़ियां नहीं आती, उनका दूध फट जाता है, ट्रकों में आते हैं इस तरह की व्यवस्था में, किस बात का टैक्स बढ़ाया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय सदस्यों को पता है इसी विधान सभा के अंदर जब-जब बसों की दुर्घटनायें होती हैं, बहुत चर्चा होती है, और चर्चा में सभी माननीय सदस्य इस बात के लिये चिंता प्रकट करते हैं कि जिन सदस्यों की या यात्रियों की मृत्यु हो जाती है उनको रोडवेज या दूसरी बसेज की ओर से कोई धनराशि सहायता के रूप में नहीं दी जाती है। इस संबंध में बहुत विचार-विमर्श हुये। इस सदन में कई बार विचार-विमर्श हुये। उसमें बहुत से माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिये, मैंने भी उसमें एक सदस्य की हैसियत से पहले कभी हिस्सा लिया है। सभी ने

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

इसमें चिन्ता प्रकट की है और सबका एक ही मतलब था कि कोई ऐसा . . . ,

(7.28 रात्रि)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति पीठासीन)

रास्ता निकाला जाय सरकार की ओर से कि जिन यात्रियों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है या जिनके अंग-भंग हो जाते हैं या उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटनायें हो जाती हैं, उन्हें राज्य सरकार की ओर से कुछ धनराशि दी जाय। इसलिये यह सोचा जाय कि कौनसा रास्ता अख्तियार किया जाय। माननीय सदस्य सोचें, केवल राजस्थान रोडवेज कार्पोरेशन किराया बढ़ाये, 5 पर्सेंट या 10 पर्सेन्ट लगाने जा रही है वह केवल राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रासपोर्ट निगम ही लगाने जा रही है। इसलिये सबने एक ही बात कही है, राजस्थान रोडवेज ट्रांसपोर्ट की कमियों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया, उस ओर तो मैं माननीय सदस्यों से बाद में कुछ कहना चाहूंगा इसलिये कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही हैं और इस अवसर पर कही हैं, कुछ सुझाव के तौर पर कही हैं; जो कुछ खामियां कारपोरेशन के अंदर है उनको भी दृष्टि में रखते हुये उन कमियों, खामियों को सरकार दूर करे। इसलिए यह भी उन्होंने मेरे सामने रखा है और मैं यह प्रयास करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो कुछ कमियां और खामियां बताई हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करूंगा। परन्तु सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो कुछ भी किया जा रहा है, यह जो भी कानून लाया जा रहा है, जो यह आर्डीनेन्स आया था उसकी मंशा कतई नहीं थी कि केवल राजस्थान रोडवेज ट्रान्सपोर्ट में ही बढ़ाना जरूरी है। यह सभी जितने भी स्टेट कैरेजेज हैं जो 18 पैसेंजर्स से ऊपर राजस्थान में लेकर चलते हैं उन सभी के ऊपर यह एडीशनल सरचार्ज लगाने का निर्णय है इस आर्डीनेन्स के जरिये लाया गया है। इसलिए यह उन दुर्घटनाओं से संबंधित है। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि पहले रोडवेज के अन्दर ही कभी मृत्यु होती तो 5 हजार रुपया ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को दिया जाता था। हमने इसके अन्दर यह लगाकर उस गरीब व्यक्ति, जिसकी मृत्यु यात्रा करते समय किसी दुर्घटना में हो जाती है तो उसको एक अमाउन्ट एक्सग्रेशिया के नाम से देने का तय किया है जो कि 15 हजार के करीब एक व्यक्ति को मिलेगा यदि 12 वर्ष से ऊपर का है तो और अगर 12 वर्ष से नीचे का होगा तो उसको आधा मिलेगा इस तरह से नार्म्स बना रखे हैं जिसके हिसाब से मिलेगा और वह जल्दी से जल्दी राज्य सरकार के खजाने से दिया जा सकेगा और यह जो पैसा आयेगा, यह एक ही जगह इकट्ठा होकर उसी काम के लिए काम आयेगा। इसलिए हमने यह 5 प्रतिशत एडिशनल सरचार्ज है उस पैसेंजर टैक्स के ऊपर लगाया है जो कि 30 पर्सेन्ट हमारा है। हमने किराये के ऊपर नहीं लगाया है। 30 परसेन्ट जो हमारे पैसेंजर्स टैक्स है किराये के ऊपर 5 परसेंट का नोटिफिकेशन आज के दिन तो किया है. और 10 परसेन्ट तक लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते।

इसलिए माननीय सदस्य इस समय इस बात को देखते हुए कि एक व्यक्ति को राहत दी जाय जो दुर्घटना के अन्दर ग्रसित हो जाता है उसके लिए आवश्यक है, और हमारी ओर से यह प्रयत्न किया गया है। इसलिए यह अध्यादेश जो हमने निकाला और यह जो बिल आपके

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

सामने प्रस्तुत हुआ, उसका यही एक कारण है। इसकी गम्भीरता को तो आप स्वयं कहते रहे हैं, हमेशा सोचते रहे हैं। इसलिए इसकी जो गम्भीरता है उसके ऊपर आप स्वयं सोच लें। मेरा यह विचार है, मेरी यह धारणा है कि इसकी गम्भीरता को सोचते हुए कि आम आदमी जो इसके अन्दर सफर करता है और जिसके साथ दुर्घटना हो जाती है उसको राहत मिलती है। इसलिए उसके लिए 5 पर्सेन्ट रखें है जो कि कुल 1½ पर्सेन्ट के करीब उसका होता है वह कोई ऐसी बात नहीं है। यह आम आदमी की बहबूदी के लिए है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पहले हमने सोचा था कि इन्श्योरेन्स पैसेंजर्स के ऊपर लागू कर दिया जाये लेकिन इन्श्योरेन्स सेन्ट्रल सब्जेक्ट है और सेन्ट्रल सब्जेक्ट इन्श्योरेन्स है इसलिये हम इन्श्योरेन्स को लागू नहीं कर सकते। इसलिए जब हम इन्श्योरेन्स लागू नहीं कर सकते तो एक्स-ग्रेशिया का एडीशनल सरचार्ज का अध्यादेश निकाल कर और यह बिल लाकर, आपके सामने उपस्थित होने का प्रयत्न किया है।

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि रोडवेज की कमियां, रोडवेज की खामियां है, रोडवेज की कुछ दिक्कतें आपको होंगी। रोडवेज से सुधारने का सवाल है, रोडवेज में जो असुविधायें, दुःख और तकलीफ हैं उनको दूर करने का सवाल है वह हमें करनी चाहिए। इसके लिए आपके और मेरे विचारों में अन्तर नहीं हो सकता। मैं भी कहता हूं कि आज बहुत सी दिक्कतें आपको रोडवेज से हैं, समय पर नहीं पहुंचने की शिकायत माननीय सदस्य करते रहते हैं। जैसा अभी जोशी जी ने कहा कि सीटें टूटी-फूटी हैं, उसकी भी शिकायत हो सकती है, कहीं टायर नहीं है इसकी भी दिक्कत है, कहीं कन्डक्टर्स की भी हो सकती है लेकिन, जोशीजी, एक बात कहूं कि यह जो विपक्ष के नेता महोदय हैं इन्होंने एक वरदान दिया था इस रोडवेज को। अभी बता देता हूं, आप सुनिये यहां मैं उनका अधिक जिक्र नहीं करना चाहता हूं। इन्होंने एक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बहुत उपहार के रुप में दिये थे जिन्होंने एक ही कलम से करीब 1 हजार से ऊपर कन्डक्टर्स, जो कि दस-दस वर्ष से निकाले हुए थे और 75 और 76 के अन्दर जिनको निकाला था, को बहाल कर दिया। जिन कन्डक्टर्स को दस-दस बार पकड़ कर रोडवेज ने निकाला उनको एक ही कलम से बहाल कर दिया। यह लिखित में है कि इसने पचास सवारियों के टिकट नहीं काटे तो बहाल भी कर दो, सौ के टिकट नहीं काटे तो बहाल भी कर दो। यह सब उन्होंने एक ही नाम पर किया कि यह इमरजेन्सी के शिकार है। चोरी करने वाला कभी इमरजेंसी का शिकार हुआ करता है? गबन करने वाला कभी इमर्जेंसी का शिकार हुआ करता एक हजार से हैं। ऊपर कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स जो कई मामलों में निकाले गये थे उन सबको, पहले के हमारे होम मिनिस्टर और ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरजी ने बहाल कर दिया आज वह हमारे यहां नहीं हैं। वैसे मैं उनके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा लेकिन यह कहना चाहूंगा कि रोडवेज की खामियों की शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो वह दिन बुरा था जिस दिन उन निकाले हुए लोगों को जिनके खिलाफ तरह-तरह के गबन के मुकदमें चल रहे थे उनको एक ही कलम से बहाल करके, इस कॉर्पोरेशन में लगा दिया गया था।

मैं अपने आपको उस बात से दूर नहीं

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

करना चाहता हूं। अगर कोई गलती हुई है तो आज कहूं कि उस गलती की वजह से रोडवेज उसी प्रकार से चलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। रोडवेज में सुधार लाया जायेगा और प्रयत्न किया जायेगा। मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूं। उससे मैं दूर नहीं जाना चाहता हूं, यह भी मैं कहना चाहता हूं। आपने कहा कि 500 आदमी बेकार बैठे हैं अजमेर में। फिर मैं कहूं कि 500 आदमी नहीं यहां एक हजार आदमी बेकार बैठे थे रोडवेज में ....

श्री दाऊदयाल जोशी : केवल बाडी बनाने वाले।

श्री जयकृष्ण शर्मा : लेकिन मान्यता प्राप्त यूनियन के। मैं भी यूनियन कार्यकर्त्ता रहा हूं और भी बहुत से साथी यहां बैठे है जो कि यूनियन में काम करते हैं। श्रीमती उजला जी भी करती हैं और हमारे लेबर मिनिस्टर हैं वह भी एक बहुत बड़ी यूनियन के अध्यक्ष हैं। सब को पता है कि किसी मान्यता प्राप्त यूनियन को अधिकार नहीं होते कि उसके सैकड़ों आदमी बिना काम के डोलते रहें। 10 आदमी हैं, 15 आदमी हैं, एक टेलीफोन दे दिया, यह भी समझ में आता है लेकिन हजारों आदमी कम से कम पांच सौ आदमी, हर डिपो में पांच-दस आदमी इसलिए डोलते रहें कि वह पदाधिकारी हैं, वह रोडवेज में काम करते हैं। एक आदमी पर कितना खर्चा होता है। तो ऐसी कई चीजें वह देकर गये। यह भी देन उन्हीं के जमाने में हुई। उस समय आप बेलेन्स नहीं कर पाये।

आज आप नेशनेलाइजेशन की बात कहते हैं कि नेशनेलाइजेशन को समाप्त करो मगर जिस समय यह काम हो रहा था, जिस समय लेवर का यह मामला था उस समय आपने इस बात पर नहीं सोचा कि इसका भविष्य में जाकर क्या असर होगा। उस समय मैं समझता हूं कि इन बातों के बारे में हम सोचते तो आज शायद बोलने की जरूरत तो जरूर पड़ती लेकिन इतना ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि पहले 27 पेंसेन्ट था और अब 30 पेंसेन्ट हो गया स्टाफ का तो जैसे ही सरकार का भत्ता बढ़ता है और महंगाई बढ़ती है रोडवेज की भी उसी प्रकार से बढ़ जाती है। तो यह बढ़ती रहती है। सरकार के साथ हम भी जुड़े हुए हैं इसलिए जब सरकार बढ़ाती है तो हमें भी उसको बढ़ाना पड़ता है और बढ़ाने की वजह से खर्चा हमारा बढ़ता जाता है। वह तो बढ़ेगा क्योंकि स्टाफ की तनख्वाह बढ़ती जा रही है। यह आपसे और हमसे रोकी नहीं जा सकती। जब हमने सरकारी नौकरी में रखा है तो वह तो होगा। अब ज्यादा चीजें खरीदी जायेगी तो चीजें ज्यादा महंगी हो गई हैं, कुछ कीमतें भी बढ़ गयीं हैं। चीजें और भी ज्यादा खरीदी जायेंगी तो खर्चा बढ़ेगा ही। परन्तु मैं एक बात से आपसे इत्तफाक करता हूं कि जितनी भी बसें हैं वह समय पर चलनी चाहिए, साफ रहनी चाहिए, उनमें सीटों का इन्तजाम होना चाहिए, उनके अन्दर और किसी प्रकार की दिक्कतें और गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए यह बात मैं आपकी मानता हूं। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की कमियों को जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा रोडवेज के अन्दर। इसके साथ-साथ आपने कहा कि जाली टिकट पकड़े गये, उसके अन्दर कुछ नहीं हुआ। मैंने तो आते ही एक बात सोची कि जिन पैसेन्जर को पैसे देकर टिकट नहीं दिया जाता है

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

यह ठीक नहीं है। इसलिये अभी कुछ दिन पहले हमारे राजस्थान रोडवेज निगम ने जो उसका मैनेजमेंट है उसने अभी यह निर्णय लिया है कि यह जो टिकटों का नियम है इसको हम चेंज कर देंगे, और जल्दी से जल्दी टिकटों का यह सिस्टम बदलकर इसकी जगह दूसरा सिस्टम लाया जायेगा। आपने कहा कि इससे मशीनरी बेकार हो जायेगी और यह मशीनरी काम नहीं आयेगी। अगर यह मशीनरी काम नहीं आयेगी तो दूसरे लोगों के काम आयेगी। सर्व प्रथम तो यह मशीनरी हमारे काम आयेगी, परन्तु आपने कहा कि बेकार हो जायेगी, तो बेकार तो नहीं होगी और जितनी कीमत आपने बताई है कि यह 25 लाख की है, लेकिन यह इतनी कीमत की नहीं है यही मैं कहना चाहता हूं। इसके साथ-साथ उजला अरोड़ा जी ने कहा कि अगर रास्ते में डीजल खतम हो गया तो मैंने आपसे कहा कि कुछ कमियां तो हैं रोडवेज में।

यह हम नहीं कह रहे हैं कि रोडवेज बहुत अच्छी तरह से चल रही है। गलती चाहे अधिकारियों की ओर से हो जायें, चाहे कर्मचारियों की ओर से हों इन सबको दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा। परन्तु जैसा माननीय सदस्य जोशी जी ने कहा कि नेशनेलाजेशन को आप खतम कर दो। मैं समझता हूं कि आपके जो नेता हैं वह भी कभी इस बात से सहमत नहीं होंगे। क्योंकि पार्टियों के कुछ मौलिक सिद्धान्त हैं और उन सिद्धांत के आधार पर मेरी पार्टी भी इस बात को नहीं मानेगी कि राष्ट्रीयकरण की नीति को समाप्त किया जाये। बल्कि राष्ट्रीयकरण तो किया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : ये दुखी होकर बोले हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह अपनी भावना में बोल रहे हैं। इनकी कुछ परेशानियां हैं। हम इनको दूर करेंगे, ऐसा मैंने पहले भी कहा है। हम सबका यह कर्त्तव्य है जिसमें मैं आपको अपने साथ सम्मिलित करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय करण की जो घोषित नीति है उसके अनुसार हम राष्ट्रीयकरण को अपनायें, परन्तु उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं चाहे वह अच्छी सीटों की बात हो, चाहे दूसरी कमियां हों, ऐसी बहुत सी कमियां हैं, जिनकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों का समाधान हमें निकालना चाहिये मैं समाधान निकालने का प्रयत्न करूंगा। यही इस विषय पर मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। यह तो मैं केवल उन लोगों के लिये आपके सामने आया हूं जो लोग बस की दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। उनको आर्थिक सहायता सरकार की ओर से जल्दी से जल्दी दी जाये वह बात लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसलिये माननीय सदस्यों से मैं यह कहूंगा कि जो संशोधन आपने यहां रखें हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं, मैं तो उसको अस्वीकार करूंगा और उनको कहूंगा कि वह इस बात को वापिस लें और आगे विचार के लिये रखें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 मई, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 4, सन् 1981) को अस्वीकार करता है।

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री और

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय ?

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अभी बोलना है इस पर तो····

श्री सभापति : आप जनमत के लिये करना चाहते है ।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक के उद्देश्य व कारणों के विवरण व प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विवरण में भिन्नता

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, एक स्पष्टीकरण कर दें। आपने अभी जो भाषण दिया और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स बताये इसमें किसी प्रकार का तालमेल नहीं है। जिस समय आर्डिनेन्स इश्यू किया था, शायद मंत्रि मण्डल ने विचार किया होगा। मैंने समाचार पत्रों में इस बात को पढ़ा था कि एक्सीडेण्ट में जो पैसा कम्पेन्सेशन के रूप में देना चाहते हैं उस संबंध में आप सरचार्ज लगा रहे हैं लेकिन स्टेटमेंट आफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में आपने नहीं कहा है इसलिये मैं चाहूंगा इस पर स्पष्टीकरण हो जाय विचारार्थ लिये जाने से पहले—

In order to augment the financial resources the State Government decided.

आपने लिखा है फाइनेन्यिल रिसोर्सेज स्टेट के बढाने के लिये, सरचार्ज आगमेंट करने के लिये सरचार्ज लगा रहे हैं। अगर यह सारा पैसा स्टेट के रि-सोर्सेज में चला गया तो जिस पर्पज से आप पैसा लेना चाहते हैं इस टैक्सेशन से, वह पर्पज तो आपका सर्व नहीं होगा। या तो आपने कोई अलग से फण्ड की व्यवस्था की हो या फिर आपने फण्ड के नियम बनाने की कोई व्यवस्था की हो या फिर यह किया हो कि जो रुपया इकट्ठा हो वह दूसरे कामों में खर्च नहीं हो। हो सकता है रोडवेज में मशीनरी को ज्यादा गियर-अप करने के लिये या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट या स्टेट के किसी और मद में खर्च होता है तो आपको उसका इन्ट्रेस्ट देना पड़ेगा। फण्ड के क्रियेशन की और फण्ड को किस प्रकार रेगुलेट किया जाय, इस संबंध की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा हूं कि आपने जो स्टेटमेंट दिया वह, और स्टेटमेंट आफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कहीं ताल मेल नहीं है और अगर ताल मेल नहीं है तो बिल को पारित कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सभापति महोदया, आप तो समझती है, पार्लियामेंट में रही हैं···

(विराम)

श्री जयकृष्ण शर्मा : जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने यह पूछा, यह ऐसा है कि हमने उस चीज को अलग से एडीशनल सर चार्ज के रूप में पैसेंजर टैक्स के अन्दर ही रखा है परन्तु जो हमारी मंशा है और खास तौर से जो नियम हैं वे हम बनायेंगे। पांच पर्सेन्ट रोडवेज पर ही लागू नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट बसों पर भी लागू कर रहे हैं। आपने जैसा कहा कि यह पैसा यदि दूसरे कामों में लेंगे तो ब्याज देंगे······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो फण्ड क्रियेट होगा यह फण्ड किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या किसी दूसरे मद में काम में लेते है तो ब्याज देना पड़ेगा···

श्री जयकृष्ण शर्मा : विपक्ष नेता महोदय, यह जैसा नियम बनायेंगे जैसे 15 हजार उसको देंगे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैंने कही है जो बात वह सही है क्या कि जो एक्सीडेन्ट में मरेंगे, उन्हीं के काम में लिया जायेगा ? यही है न ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही है तो, सभापति महोदया, यह बिल फिर पास नहीं हो सकता है, यह बता देता हूं ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप सुनें तो सही ।

यह पैसा भी उस पर खर्च होगा क्योंकि यह जो जिम्मेदारी है वह स्टेट गवर्नमेंट ने इस कानून के तहत पूरी की है । जो पैसेन्जर दुर्घटनाग्रस्त होगा, अपंग हो जायगा या जिसकी मृत्यु हो जायेगी उसको इतना रुपया देंगे और अगर मान लीजिये, पांच पर्सेन्ट से कम पैसा आता है और दुर्घटना ज्यादा हो जाती है तो गवर्नमेंट को वह पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी ले ली है मरने वालों की या मरेगा जिसकी इसलिये यह कोई जरूरी नहीं है कि अलग फण्ड क्रियेट हो । हमने तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इस आधार पर ले ली है इसलिये इसके कहने की जरूरत नहीं है । यह अलग फण्ड जब होगा तब हम इसी पैसे को देना चाहते हों । अब तो हमारी रेस्पोन्सिबिलिटी हमारी हो गई । इस वास्ते मान लीजिये इस फण्ड में दो करोड़ रुपया आता है और कहीं ऐसा हो कि इससे ज्यादा की रेस्पान्सिबिलिटी आ जाये तो हमको ज्यादा भी देना पड़ेगा । इसलिये जो आपकी बात है वह इसमें सम्मिलित नहीं होती है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कन्सोलिडेटेड फन्ड में पैसा आयेगा, उसी में से खर्च होगा और जो हर्जाना दिया जायगा वह उसमें से ही दिया जायेगा । आप, विपक्ष के नेता महोदय, इस चीज को समझें ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दोनों ही समझ लें ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने खुद भी सरकार चलाई है । विपक्ष में जाकर तीन साल में भूल गये हैं इसलिये थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा सरकार का भी ख्याल रख लें । टैक्स संबंधी कानून में पर्पज आॅफ टैक्स नहीं लिखा जाता है, क्योंकि पहले कन्सोलिडेटेड फण्ड में जाता है । इसलिये जो आपने कहा है कि पर्पज क्यों नहीं लिखा तो जो टैक्स लगाया जाता है वह आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में नहीं आता है । यही तो कह रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आप कह रहे हैं लेकिन यह नहीं है । उधर से लिख कर भेज दिया और आपने पढ़ दिया । जिन्होंने लिख दिया वह खुदा ने तो नहीं लिख दिया ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : हम तो आपको खुदा मान लेंगे, आप बता दो ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप ज्यादा काबिल हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको मानने की जरूरत नहीं है । आपसे ज्यादा काबिल हैं जयकृष्ण जी । आप बीच-बीच में उनकी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
मदद कर रहे हैं, इसकी उन्हें जरूरत नहीं है, वे सीनियर हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं तो मानता हूं इस चीज को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर काहे को फंसा रहे हैं उनको। जयकृष्ण जी को यह दिखाना चाहते हैं कि जयकृष्ण जी से ज्यादा इन्टेलिजेन्ट हैं। यह निश्चित् रूप से आपको धोखा है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप ज्यादा हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो हूं या नहीं हूं लेकिन आपको तो ये धोखा दे रहे हैं। सभापति महोदया, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, क्वेश्चन है स्टेटमेंट ग्रॉफ ग्रॉबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स में क्या उन कारणों का उल्लेख किया गया है जिन कारणों के लिये टैक्स लगाया जा रहा है और यदि उन कारणों का कोई उल्लेख नहीं है तो मैं समझता हूं फिर इस बिल को पारित करवाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में क्या लिखा है—

"In order to augment the financial resources, the State Government decided to levy in addition to the tax payable under section 3 of the Rajasthan Passengers and Goods Taxation Act 18 of 1959, an additional surcharge on the tax payable by every passenger carried by a stage carriage registered to carry more than 18 passengers at a rate not exceeding 10% of the tax payable as may be notified by the Government from time to time.

इसका मतलब In order to augment the financial resources, the State Government decided to levy......

श्री प्रद्युम्नसिंह : फाइनेन्शियल रि-सोर्सेज को आप किसी भी काम में ले सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फाइनेन्शियल रि-सोर्सेज को आप किसी भी काम में ले सकते हैं, यह तो ठीक है न ?

श्री खेतसिंह राठोड़ : No.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जल्दी में कह गये। यह फाइनेन्शियल रि-सोर्सेज को क्या आप पीने के पानी में उपयोग नहीं कर सकते हैं ? यह रुपया क्या पीने के पानी के काम में खर्च नहीं कर सकते हैं क्या ?

श्री खेतसिंह राठोड़ : बच गया तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब यूं कहिये No या yes। खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कहिये। पूछिये उन अधिकारियों से जिन्होंने आपको लिखकर दिया है। यह रुपया पीने के पानी में खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ? कोई जवाब नहीं है, आप खुद को कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं। जिन लोगों ने सलाह दी है, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, उनको इस बात की जानकारी नहीं है। एक लाइन लिखकर दे दी, स्टेटमेंट ग्रॉफ ग्राबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में टैक्स क्यों लगाया जाता है, इसका उल्लेख नहीं देते हैं लेकिन जो यातायात मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है, यदि वह करेक्ट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है तो उनका उद्देश्य सुन्दर है, बिल्कुल सुन्दर है और शुद्ध है कि पैसेन्जर टैक्स में इन्वोल्व हो जाता है उस रिस्क को कवर करने के लिये इस प्रकार के फण्ड को क्रियेट करके रुपया देना चाहते हैं। मैं कहता हूं एक नहीं कई कानून हैं। मैं समझता हूं इस राजस्थान विधान सभा के बिल भी बता सकता हूं और पालियामेंट के भी बता सकता हूं जिनमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस पर्पज के लिये रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। आपको संकोच किस बात का है, मुझे दुःख है आफिसियल्स के कहने में मत जाइये कि यह स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में उल्लेख नहीं किया जाता है। यह कोई धर्म रेखा नहीं है। मैं समझता हूं इस फण्ड को सुरक्षित बनाये रखने के लिये यह ज्यादा सुन्दर होता कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में इसका उल्लेख करके चलते। लेकिन आपने इसका उल्लेख नहीं किया यह गलत हो गया।

आपकी नीयत बिल्कुल साफ है और आपने भाषण दे दिया स्वस्थ रूप से, आपने कह दिया लेकिन यह कभी नहीं कहा कि रोडवेज में उपयोग किया जायगा या नहीं किया जायेगा। आपकी मंशा तो यही है कि रुपया इसी काम में प्रयोग किया जायेगा, तो सरकार को बान्धने के लिये जयकृष्ण जी की तो यही इच्छा है और हो सकता है परसराम जी की भी यही इच्छा होगी लेकिन मान लीजिये कल प्रद्युम्नसिंह जी आ जायं और प्रद्युम्नसिंह जी इस रुपये को दूसरे उपयोग में लेना चाहें तो क्या बन्दिश है? क्या पाबन्दी है? आज पहाड़ियाजी ने यह फैसला किया होता और बाद में शिवचरण जी यह कह देते कि कानून में कोई बाधा नहीं है, कानून में कोई बंदिश नहीं है इसलिये इस रुपये को हम कहीं भी उपयोग में ले सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आपकी नेक नीयति होने के बावजूद भी आपने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है। व्यवस्था नहीं करने के अतिरिक्त माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है और जो स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स' बताये हैं—इन दोनों में भारी अन्तर है और अन्तर है तो सदन में बिल पारित होने के लिये प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसलिये मैं आपत्ति प्रकट करता हूं। आपसे रूलिंग चाहूंगा कि आप इस संबंध में कोई व्यवस्था दें कि 'स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स' और भाषण कान्ट्रोडिक्टरी है, यदि इस प्रकार की सरकार की मंशा है तो विधेयक पास नहीं किया जा सकता है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने जो शंका प्रकट की है और यह कहा है कि यह पैसा और कहीं भी जा सकता है तो मैंने जैसा पहले कहा, मान लीजिये, सपोज कर रहा हूं दो करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ और एक्सीडेंट के केसेज में ढाई करोड़ लगा तो 50 लाख रुपया मुझे लेना भी पड़ेगा। तो 50 लाख रुपया जब मैं गवर्नमेंट से लूंगा तो यह भी मान लीजिये कि 50 लाख रुपया बच गया तो वह सरकार के कन्सोलिडेटेड फण्ड में से कहीं भी खर्च कर लें। मैं समझता हूं, कन्सोलिडेटेड फण्ड में जाने के बाद गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मंशा साफ है और सरकार की मंशा साफ है। मैं विपक्ष के नेता महोदय से कहना चाहता हूं, कि सरकार की मंशा साफ है और इस कानून को इसीलिये लाई है कि जो भी दुर्घटना ग्रस्त होते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
परिवार को यह पैसा दिया जाय हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह पैसा उन्हीं के काम में आयेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यातायात मंत्री जी माफ करें, फिर मैं इण्टरप्ट कर रहा हूं । मान लीजिये, चार आदमी एक्सीडेंट में मारे गये और गवर्नमेंट ने उनको पैसा नहीं दिया तो कानून के अन्तर्गत क्या अदालत में जाकर क्लेम कर सकता हूं कि चार आदमी मर गये और उन चार आदमियों का पैसा मुझे दिया जाय । इस कानून में क्लेम कर सकते हैं क्या ? या इस कानून से प्रोटेक्शन ले सकते हैं क्या ? नहीं ले सकते हैं तो फिर इस कानून के अन्तर्गत रूल बनाने का प्रावधान नहीं है ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो अमेन्डमेंट लाये हैं उसके तहत ही प्रावधान है यह । आपने पढ़ा नहीं है । इस धारा के प्रारम्भ से । और उसके पश्चात् धारा (3)

..From and after the commencement of this section there shall be levied under section charged and paid to the State Government in addition to the tax payable u/s 3.

इसमें जो हम लाये हैं उसी के लिये तो लाये हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़कर सुना दें ठीक से ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : और किसके लिये लाये हैं ? हमने जो एडीशनल सरचार्ज लगाया है, वह उसी के लिये लगाया है ।

एक माननीय सदस्य : प्रिन्सिपल एक्ट का सेक्शन 19 है उसके अन्दर राज्य सरकार को पावर्स है रूल बनाने की.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Rule for what matter ? इसमें जो टैक्स लगाया है उस रुपये को खर्च करने के सेक्शन है उसमें गवर्नमेंट पाबन्द है क्या ? बिल में प्रोविजन नहीं है और बिल को सदन के माध्यम से एक्ट बनाते हैं तो कोई मतलब नहीं है । क्वेश्चन यह है कि आप वकील हैं, समझा दीजिये कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो क्या मैं इस कानून के अन्तर्गत यह प्रोटेक्शन सीक कर सकता हूं गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, उसके अनुसार मैं कम्पनसेशन ले सकता हूं क्या ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : रूल्स बनने के बाद हो जायेगा । कम्पन्सेशन नहीं है, माननीय विपक्ष के नेता महोदय, आज हम 5 हजार रुपये, एक हजार रुपये देते हैं, वह भी सहायता के रूप में देते है, वही है ये एक्ट ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इन्श्योरेन्स सैन्ट्रल एक्ट है वह इसके ऊपर पाबन्दी नहीं कर सकते हैं, इन्श्योरेन्स कानून को इसके ऊपर नहीं लगा सकते, इसके रूल्स आलरेडी बन चुके हैं और लागू हो चुके हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्श्योरेन्स का मैंने नाम नहीं लिया ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने नाम नहीं लिया, हकीकत तो यही है । आपके नाम लेने नहीं लेने से स्थिति में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं । इन्श्योरेन्स का मामला है, ये क्लीयर कट है । कानून यहां उस पर बन नहीं सकता है, रूल्स बन करके उसके ऊपर अमल हो चुका है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

क्वेश्चन यह नहीं है, क्वेश्चन वैसे आप देखें तो बड़ा सिम्पल है, रुपया कानून बनाकर ले रहे हैं रुपया लेने के लिये मन्शा भी मंत्री महोदय ने बतायी स्पष्ट है लेकिन रुपया यदि नहीं दें तो कोई आदमी इस रुपये के लिये इस आधार पर दिये जाने का क्लेम ही नहीं कर सकता। आज अगर, जैसा उदाहरण दिया, 4 आदमी एक्सीडेंट में मारे गये तो उस एक्सीडेंट में मरने वालों के परिवार को किस तरह से कम्पेन्सेशन देना चाहिये। जो भी आप नाम देना चाहें, उदारता से आप कुछ पैसा देना चाहें और किसी तरह से सहायता या ग्रान्ट देनी, चाहें, किसी रूप में देना चाहें, वह तो आपके हाथ में आ गया। लोगों से पैसा तो वसूल कर लिया लेकिन जिनसे पैसा वसूल किया जा रहा है, उनको आपने कानूनी अधिकार नहीं दिया। यदि सरकार पेमेण्ट नहीं करे तो कानून के जरिये आपसे वसूल करे, यह इसमें सर्जेक्टिव खामी है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि आपके माननीय परसराम जी तो बहुत बार असेम्बली में आये हुए हैं, और बोले हुए हैं, प्रि-एम्बल और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स रीजन्स में, गवर्नमेंट ने जिस सन्दर्भ में कानून बनाया है, अगर किसी प्रकार का अन्तर हो तो वह कानून पास नहीं किया जा सकता, कई बार पॉइन्ट ऑफ आर्डर रेज हुए हैं, यदि आप रिकार्ड ढूंढें तो समय लगेगा, मुझे समय नहीं है, मैं आपको बता सकता हूं इसी सदन की और पार्लियामेंट की रूलिंग कि इन दोनों में अगर कोई मतभेद हो तो कानून पास नहीं किया जा सकता। मतभेद स्पष्ट है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है राजस्व मंत्री से कहना चाहता हूं धोखा इसलिये कहना चाहता हूं, धोखा इसलिये होगा कि पैसा आप किसी काम के लिये ले रहे हैं और उसका किसी काम के लिये उपयोग हो सकता है, जिस काम के लिये आप ले रहे हैं, उसके लिये गारण्टी और कानूनी हक नहीं दे रहे हैं कि वह उस हक के लिये इस कानून में प्रोटेक्शन सीक कर सके।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने एक प्रश्न उठाया है कि इस बिल का क्लॉज दो का पार्ट वन में जो है Levy of additional surcharge. और बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में बड़ा भारी अन्तर है, स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में आप देखें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये मैंने नहीं कहा।

श्री परसराम मदेरणा : आप फिर सुनिये, जो नहीं कहा। मैंने कहा कि जो मंत्री महोदय ने कहा कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में रिसोर्सेज को रेज करने की बात कही है, आप यह कह रहे हैं, उन फाइनेन्शियल रिसोर्सेज को किस काम में इस्तेमाल किया जायेगा। जैसी सरकार की इन्टेन्शन है, उसका समावेश इस बिल के किसी भी क्लॉज में नहीं है और इसलिये इसको पास नहीं किया जा सकता। जो दूसरी बात कही है, कोई भी क्लॉज आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के कान्ट्रेडिक्टरी है तो इस प्रकार का बिल इस सदन में लाया नहीं जा सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के स्कोप के बाहर है बिल के क्लॉज। यह बात तो है। ऐसा ही प्रश्न इस सदन के अन्दर 18-11-1957 को उठा था और उसमें यही बात थी। 18 नवम्बर, 1957 को कृषि मंत्री द्वारा राजस्थान प्रिमिसेज (कण्ट्रोल आफ रेंट एण्ड एक्विजन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1957 को विचारार्थ लिये

(श्री परसराम मदेरणा)

जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर श्री श्रीमान सिंह ने यह आपत्ति की कि खण्ड 3 विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के स्कोप के बाहर है । इस पर कतिपय सदस्यों द्वारा अपने-अपने विचार व्यक्त किये जाने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया :

"I have to observe that the Statement of Objects and Reasons is not a part of the Bill. When it is not, how can anything which is not a part of the Bill, restrict its scope ? I don't think the term 'scope of the Bill' is limited to the Statement of Objects and Reasons of a Bill. This scope of a Bill is guaged from the various clauses of it.. ..."

अब आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली मेंन्शन करना चाहिये था । आपकी जो इन्टेन्शन है, वह इन्टेन्शन क्लाजेज में नहीं आयी है । जहां तक फाइनेन्शियल रिसोर्सेज के आगमेंट करने का मतलब यह है, ये कोई इन्श्योरेन्स नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दूसरी बात कर रहे हैं। मैंने क्लाजेज का जिक्र नहीं किया । मैं यह कह रहा हूं कि जो माननीय मंत्री महोदय ने बात कही है कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : क्या जरूरत है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जरूरत कैसे नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये जरूरत नहीं है, फाइनेन्शियल रिसोर्सेज से दुर्घटनाग्रस्त लोगों या उसमें हत हो जाते हैं, उन लोगों को एक्सग्रेसिया अमाउण्ट देकर मदद करना चाहते हैं । इसलिए उसके फाइनेन्शियल रिसोर्सेज रेज कर दिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कहीं लिखा नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : लिखा नही है लेकिन वे कह रहे हैं इसके इस्तेमाल करने का हमारा इरादा है, हम इसका उपयोग करेंगे । फाइनेन्शियल रिसोर्सेज का टोटल आता है, उसमें और भी एक्सपेंडीचर होगा । जो इस प्रकार से दुर्घटनाएं होंगी, उन लोगों को एक्सग्रेसिया अमाउण्ट देने के लिए हम इसमें प्रावधान करेंगे क्योंकि एक्सीडेंट्स काफी होते हैं । यही है इसमें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 1-9-1981 से लागू हो गयी स्कीम ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप व्यवस्था दें । अगर आप पोस्टपोन करें तो मैं इतना कह सकता हूं, आपने जो 1957 की रूलिंग पेश की है तो मैं भी आपको इसी सदन की कई रूलिंग जो अध्यक्ष महोदय ने दी हैं, इस सदन में जिस प्रकार की परम्परायें रही हैं या लोक सभा में जिस प्रकार की रूलिंग हुई हैं, वह पेश करना चाहता हूं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, इसको पोस्टपोन कर दीजिए । यह मैटर क्लीयर होते हुए इसमें ज्यादा वाद-विवाद की जरूरत नहीं होगी, अपने आप पास हो जायेगा ।

श्री सभापति : उद्देश्य तथा कारणों का विवरण विधेयक का अंग नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप अपना कर्तव्य करें, आप बड़ी वयोवृद्ध हैं, बहुत इन्टेलीजेन्ट हैं, बहुत ही ज्ञानवान हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सुबह तक के लिय पोस्टपोन कर दीजिए, कोई भूकम्प नहीं होने वाला।

श्री सभापति : यदि विधेयक की किसी धारा में कोई कमी प्रतीत होती है तो आप संशोधन रखते व विधेयक की किसी धारा में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही निवेदन कर रहा हूं, इसमें समझ में बड़ा फर्क है। इसमें कोई संशोधन हो ही नहीं सकता। इस रूप में संशोधन तो स्टेटमेन्ट ग्रॉफ ग्रॉब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में हो सकता है वह मैं कर नहीं सकता, न मैं उसके लिए मूव कर सकता हूं, क्लॉज में कोई संशोधन होता तो मैं निश्चित रूप से मूव करता, लेकिन क्लॉज में संशोधन का कोई प्रश्न नहीं है। कान्ट्रेडिक्शन है, स्टेटमेंट ग्रॉफ ग्रॉब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में ग्रौर मंत्री महोदय ने ग्रपनी मंशा बतायी, उसमें दोनों कान्ट्रेडिक्शन है। दोनों बातों में कान्ट्रेडिक्शन है तो उस कान्ट्रेडिक्शन को जनहित में रिमूव करना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कान्ट्रेडिक्शन कहां है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये टेक्निकल बात तो पूरी करनी है। ये मंशा नहीं है उनकी। मंशा ग्रौर नीयत बिल्कुल साफ है, ये हमेशा बदलते रहे हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था को पोस्टपोन कर दीजिए। बाद में विचार कर लें, मैं कन्विन्स करने की कोशिश करूंगा, कोई जिद नहीं। इसमें कहीं न कहीं गवर्नमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए, वह किस प्रकार आये, इसकी व्यवस्था करेंगे ग्रौर गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो बहुमत से प्रस्ताव पास करायेंगे। इसलिए इसको कल तक के लिए पोस्टपोन कर दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति जी, इसको पोस्टपोन करने की ग्रावश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये बहुत विद्वान आ गये।

श्री जय कृष्ण शर्मा : मैंने इसके कारण…

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, जहां तक ग्रॉब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स का ताल्लुक है उसमें ग्रौर इस बिल में जो क्लॉजेज हैं, कोई कान्ट्रेडिक्शन नहीं है। …

(व्यवधान)

कोई कान्ट्रेडिक्शन नहीं है। ग्रापने यह कहा है कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट करना है उसके लिए इसमें तय नहीं है। कंसोलिडेटेड फण्ड में जाने के बाद एक्स ग्रेशिया पेमेंट कहां-कहां होता है, उसके नियम होते हैं, गवर्नमेंट ग्रपने ग्रापको बाइण्ड करती है। बाइण्ड करती है ग्रौर उसके लिए नियम बनाती है। जैसे पोलिटिकल सफरर्स रूल्स हैं तो पोलिटिकल सफरर्स को जो हैल्प दी जाती है उसके लिए नियम बने हुए हैं जिसमें से पोलिटिकल सफरर्स को सहायता दी जाती है। इसी तरह से यह जो ग्रागमेंट करने की बात है, फाइनेंसेज की बात है, फाइनेंस ग्रॉगमेंट होंगे ग्रौर कंसोलिडेटेड फण्ड में जायेंगे ग्रौर कंसोलिडेटेड फण्ड से जो भी पेमेंट एक्स ग्रेशिया किया जायेगा, वह इस सदन में ग्रायेगा ग्रौर सदन की ग्रनुमति से किया जायेगा। वह बजट में रिफलेक्ट करेगा। इसलिए यह ग्रावश्यक

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
नहीं है कि इस बात को इन क्लॉजेज में बताया जावे कि हम इस फण्ड का किस तरह से प्रयोग करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार जब इसकी बात करेगी....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब एक्स ग्रेशिया पेमेंट करना है तो गवर्नमेंट अपने आपको बाइण्ड करेगी, इसके तहत रूल्स बनेंगे। उसमें गवर्नमेंट अपने आपको बाइण्ड कर लेगी कि इस तरह से इस फण्ड में से रुपया खर्च करेगी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय प्रभारी मंत्रीजी यह कह रहे हैं, माननीय सभापति महोदया, इस प्रकार जो दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए फाइनेंसेज की जरूरत है। उनकी मैं मदद नहीं कर सकता जब तक मैं फाइनेंसेज को आगमेंट नहीं कर लूं और वह आगमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में बता दिया कि मैं इसलिए आगमेंट करना चाहता हूं ताकि उनकी मदद की जा सके। आप यह जो कह रहे हैं कि यह जो इंटेंशन है यह बिल के किसी क्लॉज का पार्ट....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्लॉजेज का पार्ट नहीं कह रहा हूं। मैंने कभी यह नहीं कहा है कि यह क्लॉज का पार्ट हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रिएम्बल या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कहीं इस बात का उल्लेख होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट का भी कहीं कमिटमेंट हो कि हमने इतना पैसा इकट्ठा किया है, वह रुपया इस काम में खर्च होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति जी, चूंकि यह इंश्योरेंस का मामला है....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्श्योरेंस का मामला है तो इसको कह देते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम अभी बैठ कर इसको थ्रेश-आउट कर लेंगे। अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो कल दो मिनट में पास हो जाएगा। इस पर भी अगर आप बिल्कुल प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर चलते हैं तो ठीक है, फिर जो होगा सो देखेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता महोदय जो बात कह रहे हैं, कोई बात नहीं आने वाली है। जब गवर्नमेंट की मंशा इस बिल में रिफलेक्ट करेगी तो इसकी जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट इस बात को स्वीकार करे कि हम इसमें ही खर्च करेंगे। वह तो अपने आपको रूल्स के जरिये बाइण्ड कर लेगी। यह एक्स-ग्रेशिया पेमेंट है, जैसे और देते रहे हैं वैसे ही इसमें देंगे। इसलिए इस बिल में कोई डिफिकल्टी नहीं है।

श्री सभापति : विचारार्थ ले लिया जावे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी मंशा है, उसमें आपत्ति नहीं है। अगर आप इसी समय पास कराना चाहें तो हम बोलेंगे। फिर इसके पीछे कोई कारण नहीं है कि आप उन लोगों को पैसा देना चाहते हैं। हम इस माइण्ड से इस बिल का विरोध करेंगे। आपने कहा है कि मरने वालों, बस एक्सीडेंट से जो लोग मरते हों उनके नाम पर आप पैसा जमा कराना चाहते हो....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप इसको पढ़ कर देखिये। सुनिये; यह है इसमें कि राजस्थान

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
मोटर व्हिकल एक्स-ग्रेशिया पेमेंट रूल्स, यह स्कीम लागू हो गई है। 1-9-81 से लागू कर दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह है तो आप इसमें लिख दीजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसा अगर इसमें लिख देंगे तो इंश्योरेंस पालिसी इसमें आ जायगी। इंश्योरेंस के लिये यह विधान सभा सक्षम् नहीं है कानून बनाने के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो, महाराज आप किस आधार पर कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब विधान सभा किसी काम के लिये सक्षम नहीं है तो गवर्नमेंट को कैसे अधिकार मिल गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : गवर्नमेंट लोगों की मदद कर रही है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बोल क्या रहे हैं। आप कब से सक्षम हो गए, अगर हाउस सक्षम नहीं है। आपने स्कीम कैसे बना दी जब आप सक्षम नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो केबिनेट है जो स्कीम फार्मूलेट करती है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केबिनेट कौन होती है ? केबिनेट से बड़ी विधान सभा होती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जैसा विधि मंत्री जी ने कहा कि बजट में रिफलेक्ट होता रहेगा···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, केबिनेट तो कर सकती है लेकिन····

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : जैसा विधि मंत्री जी ने कहा कि रिफलेक्ट होता रहेगा बजट में। स्थिति यह है···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में नहीं आता, प्रद्युम्नसिंह जी कह रहे हैं कि केबिनेट इस हाउस से बड़ी है...

श्री प्रद्युम्नसिंह : कृपया, आप ट्विस्ट मत करिये। स्कीम बनाने का अधिकार केबिनेट को है। निर्णय केबिनेट कर सकती है..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस स्कीम को केबिनेट बना सकती है उस पर स्कीम को हाउस एप्रूव नहीं कर सकता, यह मैंने पहली बार सुना है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : केबिनेट के डिसीजन कभी डिस्कस नहीं होते हैं। केबिनेट के मिनिट्स हाउस के सामने कभी नही जाते हैं, निर्णय सामने आते हैं। केबिनेट के मिनिट्स होते, वे हाउस के सामने आते व क्या ? Cabinet is competent to do,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं। विधि मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी यह कह दें कि जो चीज केबिनेट बना सकती है वह चीज एप्रूव करने का, रिजेक्ट करने का या उसको सपोर्ट करने का अधिकार इस विधान सभा को नहीं है। विधान सभा को जो अधिकार है वही अधिकार केबिनेट को होगा। विधान सभा को जो अधिकार नहीं है वह केबिनेट को कभी नहीं होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : केबिनेट को रूल मेकिंग पावर है, स्कीम मैकिंग पावर है। रूल्स बनाने की डेलिगेटेड पावर्स हैं। इन डेलिगेटेड पावर्स के तहत गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, स्कीम बना सकती है और जैसा मैंने कहा अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड फण्ड में जो रकम जा रही है तो उसका रिफ्लेक्शन अपने आप बजट में होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि आपके जो पीछे बैठे हैं श्रीमान्, उनके लिये कह रहा हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां, मैंने कहा कि आप डेलिगेटेड पावर्स के तहत बतायें। ट्विस्ट करते हैं हर चीज को कि आप रूल्स नहीं बना सकते तो केबिनेट रूल्स कैसे बना सकती है ? केबिनेट रूल्स बना सकती है, केबिनेट कोई स्कीम बनाती है, स्कीम फार्मूलेट करती है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल्स काहे के बनाती है। रूल्स उस कानून के तहत बनाती है जिस कानून को विधान सभा ने पास कर दिया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उसी को पास करने जा रहे हैं। फिर दोनों स्कीमें हैं For that scheme we are raising the fund that will reflect in the budget.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं पास हो रहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप बात कर रहे हैं प्रोसीजर की....

श्री परसराम मदेरणा : आज जो सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन, डेलिगेटेड पावर्स को एक्जीक्यूटिव इस्तेमाल करने जाती है, जैसे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फण्ड है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फण्ड में इस साल में जो बाढ़ में बह गये हैं, मृत्यु हो गई है उनके परिवार को एक्स-ग्रेशिया कितना दिया जावे, यह बात भी केबिनेट में आयेगी। कितना रुपया दिया जावे, कितना पैसा दिया जावे। हालांकि फार्मली समझें या इन्फार्मली समझें, मुख्य मंत्री जी ले आयें कि मेजर के लिये कितना दिया जावे, माइनर के लिये कितना दिया जावे, तो बात तो वही एक्स-ग्रेशिया की है। इस तरह से यह एक्स-ग्रेशिया की स्कीम बन गई, यह इंश्योरेंस टाइप नहीं है, it is help to those.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसने कहा, हम तो नाम ही नहीं ले रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यही बात कह रहे थे कि इसलिये इसमें प्रावधान रखने की आवश्यकता नहीं है। इसका होल ओब्जेक्टिव ही यह है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे अफसोस है कि मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने यह कहा सीधा कि डेलिगेटेड पावर्स का प्रोसीजर दूसरा है। कभी इसका विवाद खड़ा नहीं किया। डेलिगेटेड पावर्स को भी केबिनेट सूमोटो यूज नहीं नहीं कर सकती। आखिर एक्ट में भी यह प्रावधान रखते हैं कि गवर्नमेंट इसके रूल्स बनायेगी, निश्चित पावर्स गवर्नमेंट को डेलिगेट कर सकते हैं। और इन डेलिगेटेड पावर्स के अन्तर्गत वह चाहे रूल्स बनाये। उसमें साफ लिखा होता है कि as may be prescribed by the Government उसमें डेलिगेटेड पावर्स का कहां झगड़ा खड़ा हो गया। मैं कह रहा हूं कि यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
सदन ने पॉवर्स कैबिनेट को डेलिगेट कर दी, उनको यूज वह कर सकती है। सभापति महोदया, अब मैं कहना चाहता हूं और मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि जब माननीय राज्य मंत्री जी ने कहा कि स्टेटमेंट ग्राफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में इस बात का उल्लेख करने की बात की कोई आवश्यकता नहीं कि हमने टैक्स किस बात का लगाया। मैं आपको एक एक बात याद दिलाऊं। एजूकेशन सैस का आया। एजूकेशन सैस लगा तो स्टेटमेंट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में उसका उल्लेख आया। यदि कहीं लॉ एण्ड आर्डर को मेंटेन करने के लिये कम्युनिटी टैक्स इम्पोज करते हैं तो स्टेटमेंट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में उसका उल्लेख आता है। यदि हमने कोई पानी के लिये टैक्स लगाया तो वाटर टैक्स के रूप में उसका उल्लेख करते हैं, ये सब चीजें होती। और होती हैं केवल इसलिये कि यह मनी जितनी भी कलेक्ट कर रहे हैं उस मनी का एक स्पेसिफिक पर्पज है। वह मनी डाइवर्ट न हो, उसकी रोकथाम के लिये हम इस प्रकार की व्यवस्था करके चल रहे हैं। मुझे आपत्ति नहीं है, आपने जो कुछ भी यह स्कीम बनाई है इस स्कीम में अब मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार इस चीज़ को सोच रही है कि हमने इंश्योरेंस का नाम लिख दिया, यह अच्छा नहीं किया। यह तो हमने नहीं रखा। इंश्योरेंस का नाम तो आपने लिखा है। अब आप भूल रहे हैं...

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह आप कह रहे हैं। मैंने नहीं कहा, मैंने इंश्योरेंस की बात नहीं कही है...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें क्या लिखा है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसमें यह है कि Rajasthan Motor Vehicles accidents payment of *ex gratia* scheme. This is a scheme.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें जैसा सोचा गया है, आप इस स्कीम का उल्लेख यदि इस स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एण्ड रीजन्स में कर दें तो यह जो मनी हम कलेक्ट कर रहे हैं, 5 पर्सेन्ट, 10 पर्सेन्ट जो भी है, वह मनी सारी की सारी इस स्कीम का रिजर्व होगा। आप कहें कि आप स्टेट गवर्नमेंट से दो करोड़ रुपया और लो, चार करोड़ रुपया और ले लो, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, यह रुपया इस फण्ड में जमा होगा। वह इस रुपये के साथ मिलेगा और मिल कर जितना खर्चा करना चाहेंगे, खर्चा करें। जितना खर्चा नहीं होगा वह इस फण्ड में पड़ा रहेगा लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी और विधि मंत्री जी...

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब माइनर होगा तब कहां से कैसे आएगा? यह बता दीजिये।

श्री भैरों सिंह शेखावत: मैं वह भी बता देता हूं। जब राजस्थान सरकार में घाटा होता है, वह पैसा कहां से आता है? यह बताइये कहां से आता है? रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेते हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसलिये इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है।

श्री भैरों सिंह शेखावत : यह ऑर्गूमेंट ऐसा है जिसको एक मिनिस्टर को कम से कम नहीं कहना चाहिये। कोई नया विधायक आये और कोई आर्ग्यूमेंट दे तो समझ में आता है, लेकिन जो पुराने घाघ बैठे हैं, वह इस तरह के आर्गूमेंट दें इसका असर सरकारी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
अफसरों पर क्या पड़ेगा, इसका अनुमान लगाइये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपका पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा तो कोई पड़े या नहीं, मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप यह कल के लिये पोस्टपोंड कर दें तो क्या कल तक यह मामला ठीक हो जायगा ? कल कैसे ठीक हो जायगा । वह समझा दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो कह रहे हैं वह समझ गया । मैं इसलिये कह रहा हूं मान लीजिये आपके और मेरे बीच किसी प्रकार का विवाद है, हम हाउस के बाहर बैठ कर विचार करें। यह पोजिशन रहती है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी । मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया इसमें जिद करने के लिये नहीं कहता हूं । लेकिन कम से कम कन्विन्स तो हो जायं कि इसकी आवश्यकता नहीं है । इसलिये मैंने कहा इसको पोस्टपोन करके कल विचार कर लें । कौनसा भूकम्प आ गया कि आज ही पास होगा, कल पास नहीं होगा । मैं इतना ही कह सकता हूं, मैं तो अभी बैठूंगा इस विधान सभा की लाइब्रेरी में, आपको रात तक प्रोसिडिंग निकाल कर दूंगा, सेक्रेटेरियेट मदद करे या नहीं करे, मैं आपको प्रोसिडिंग निकाल कर दूंगा कि मिनिस्टर के स्टेटमेंट और स्टेटमेंट आफ के ऑब्जेक्ट एण्ड रीजन्स में यदि कान्ट्रेडिक्शन है तो उसका क्या परिणाम होगा । सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैं, तो कभी नहीं गया, लेकिन समाचार पत्रों में जजमेंट पढ़ता हूं । वह कोट करते हैं प्रिएम्बल क्या है । लेजिस्लेचर की मंशा क्या है । उस मंशा का द्योतक क्या होता है । मंशा किससे प्रकट होती है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम हाउस में डिफेक्टिव कानून क्यों बनाना चाहेंगे । हम ऐसा डिफेक्टिव कानून क्यों पास करना चाहेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप होते तो मैं संदेह कर लेता । ये कर रहे हैं इसलिये संदेह मुझे नहीं है । मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं, आपकी नीयत साफ है कानून बनाने की । यदि इसमें कोई दिक्कत खड़ी हो रही है तो उस दिक्कत को दूर कर दें । ताकि नीयत साफ है, इसमें संदेह नहीं हो । सवाल तो इतनासा है ।

श्री सभापति : कल तक के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले यह लिया जायगा, बाद में मद्य निषेध ।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.20 बजे, मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर, 1981 के म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

(158)

परिशिष्ट 1

प्रश्न संख्या 3 की सूची

संख्या	जिला	सत्र 1979-80			सत्र 1980-81		
		प्रावि	उप्रावि	मावि	प्रावि	उप्रावि	मावि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	33	7	11	35	10	12
2.	भरतपुर	72	12	15	66	28	31
3.	अलवर	66	11	16	29	14	13
4.	जयपुर	117	21	19	55	22	26
5.	झुंझुनूं	38	7	8	36	10	13
6.	बीकानेर	32	4	5	16	5	4
7.	सीकर	43	11	8	40	11	9
8.	चूरू	17	3	5	20	6	8
9.	गंगानगर	54	9	9	55	19	14
10.	कोटा	63	12	13	31	4	6
11.	बून्दी	24	5	4	13	3	4
12.	जालौर	17	4	2	17	3	5
13.	झालावाड़	39	5	6	6	3	3
14.	सवाई माधोपुर	77	14	11	30	14	14
15.	टोंक	33	6	5	15	5	4
16.	जोधपुर	22	3	2	34	11	9
17.	पाली	17	4	3	30	9	7
18.	नागौर	40	5	9	38	15	10
19.	सिरोही	8	2	2	8	4	5
20.	बाड़मेर	34	2	1	6	7	6
21.	जैसलमेर	5	—	2	2	—	—
22.	बांसवाड़ा	24	1	1	14	3	6
23.	भीलवाड़ा	48	7	7	37	10	10
24.	डूंगरपुर	20	1	1	22	5	6
25.	चित्तौड़गढ़	63	6	5	26	8	7
26.	उदयपुर	119	15	14	64	21	20
	कुल योग ..	1128	180	185	800	250	252

157

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

(सत्र 1979-80)

क्रम संख्या	नाम विद्यालय	जिला	विषय	कक्षा
1	2	3	4	5
	जिला—जोधपुर			
1.	रा. उच्च माध्यमिक वि. (कन्या), सरदारपुरा	जोधपुर	वाद्य संगीत	9
2.	रा. बालिका उ. मा. वि.; रेजीडेन्सी रोड, सरदार पुरा	,,	राजस्थानी साहित्य	9
3.	रा. मा. वि., धूनला	,,	राजस्थानी साहित्य	9
	जिला—सिरोही			
1.	रा. मा. वि., अनादरा		वाणिज्य	9
2.	रा. मा. वि., सिरोही		राजस्थानी साहित्य	9
	जिला—जैसलमेर			
1.	रा. मा. वि., कुम्हारपाडा		कला वर्ग	9
	जिला—जालौर			
1.	रा. मा. वि., हाडेचा		वाणिज्य	9
2.	रा. मा. वि., बागोर		वाणिज्य, राजस्थानी साहित्य	9
3.	रा. मा. वि., जालौर		उर्दू	9
4.	रा. मा. वि. (उ. मा.), जालौर		राजस्थानी साहित्य	[illegible]
	जिला—पाली			
1.	रा. मा. वि., नारलाई		कला वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., पीपली कलां		बैंकिग	9
3.	रा. उ. मा. वि., निमाज		टंकण	9
4.	रा. उ. मा. वि., सादड़ी		उर्दू	9
5.	रा. उ. मा. वि., देसूरी		कामर्स	9
6.	रा. मा. वि., बोड़		कामर्स	
7.	रा. सेठ मुकन्द चन्द बा. उ. मा. वि., पाली		कला वर्ग, उद्योग वर्ग	
8.	बांगड़ उ. मा. वि., पाली		उच्चतर व्याव-सायिक ([illegible])	11

1	2	3	4	5
9.	चोमाबाई मा. वि., मिल क्षेत्र		वाणिज्य वर्ग में भूगोल	9,10
10.	रा. मा. वि., पाली		राजस्थानी साहित्य	9
11.	रा. उ. मा. वि., जैतारण पाली		राजस्थानी साहित्य	9
12.	रा. मा. वि., मुण्डावर पाली		"	9
	जिला—नागौर			
1.	रा. मा. वि., गच्छीपुरा		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., रोल		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., डेहू		वाणिज्य वर्ग	9
4.	रा. मा. वि., अलाय		गणित	9
5.	रा. मा. वि., जायल		राजस्थानी साहित्य	9
6.	रा. मा. वि., बोरावड़ (नागौर)		उर्दू तृतीय भाषा	9
	जिला—बाड़मेर			
1.	रा. मा. वि., जसोल		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., रानीगांव		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. उ. मा. वि., (कन्या), बाड़मेर		गृह विज्ञान व संस्कृत रा. साहित्य	9
	जिला—बीकानेर			
1.	रा. मा. वि., सोंथल		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., लूनकरणसर		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., नापासर		वाणिज्य वर्ग	9
4.	रा. एच. बी. चौपड़ा मा. वि., गंगा शहर, बीकानेर		नागरिक शास्त्र गणित, मुद्राप्रधिकोषण	9
5.	रा. बाबा. कोटूनाथ बाबा उ. मा.-वि., नोखा		गुजराती तृतीय भाषा	9
	जिला—सीकर			
1.	रा. मा. वि., झाड़ली		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., हाथी देह		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., मण्डासुरेरा		वाणिज्य वर्ग	9
4.	रा. मा. वि., नांगल		वाणिज्य वर्ग (टंकण सहित)	9
5.	रा. मा. वि., मूंदोली		वाणिज्य वर्ग	9
6.	रा. उ. मा. वि., दांता रामगढ़		नागरिक शास्त्र	9

1	2	3	4	5
7.	रा. मा. वि., टटेरा		कामर्स टंकण सहित	9
8.	रा. मा. वि., रामपुर जागीर		कामर्स	9
9.	रा. मा. वि., खूड़		राजस्थानी साहित्य	9

जिला—झुंझनू

1.	रा. मा. वि., इस्लामपुर	उर्दू	9
2.	रा. मा. वि., बनाना	कला वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., मनकदास	वाणिज्य वर्ग	9
4.	रा. मा. वि., खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट	इतिहास व गृह-विज्ञान	9
5.	रा. मा. वि., टोवावसई (खेतड़ी)	कामर्स टंकण	9
6.	रा. मा. वि., चबंरा	वाणिज्य वर्ग टंकण सहित	9
7.	रा. मा. वि., वडवासी, झुंझुनूं	राजस्थानी साहित्य	
8.	रा. मा. वि., कोलिण्डार	,,	9
9.	रा. मा. वि., खुडानियां	राजस्थानी साहित्य	9
10.	रा. मा. वि., शिमला	,,	9

जिला—श्री गंगानगर

1.	रा. मा. वि., गणेशगढ़	वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., ललाना	कला वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., (उच्च मा.), फाना	वाणिज्य वर्ग टंकण सहित	9
4.	स्वामी दया. रा. मा. वि., मंढाजेतसर	कामर्स	9
5.	रा. मा. वि., अनूपगढ़	कामर्स	9
6.	रा. मा. वि., रायसिंह पुर	कामर्स	9
7.	रा. स्वामी श्रद्धानन्द आर्य मा. वि., जेतसर, श्री गंगानगर	कामर्स मा. वि., जेतसर (श्री गंगानगर)	
8.	रा. बालिका मा. वि., भादरा	संगीत	9
9.	रा. उ. मा. वि., निनाण	राजस्थानी साहित्य	9
10.	रा. बालिका मा. वि., विजयनगर	पंजाबी तृतीय भाषा	9
11.	रा. उ. मा. वि., विजय नगर	पंजाबी तृतीय भाषा	9

जिला-चूरू

1.	रा. उ. मा. वि.; हमीरवास	वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. उ. मा. वि., राजगढ़	उर्दू	9

1	2	3	4	5
3.	रा. मा. वि., गोगासर		राजस्थानी साहित्य	9
4.	रा. मा. वि., सरदार शहर		राजस्थानी साहित्य	9
5.	रा. मा. वि., पड़िहारा		राजस्थानी साहित्य	9

जिला-कोटा

1.	रा. मा. वि., दीगोद		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., वडोद		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., खातोली		वाणिज्य वर्ग	9
4.	रा. मा. वि. मांगली शहर		वाणिज्य वर्ग	9
5.	रा. मा. वि., पीपल्दा		वाणिज्य वर्ग	9
6.	रा. मा. वि., मोडक		वाणिज्य वर्ग	9
7.	रा. मा. वि., खेडारसा		वाणिज्य वर्ग	9
8.	रा. मा. वि., बारां		कला वर्ग	9
9.	रा. मा. वि., (कन्या) अन्ताशहर		नागरिक शास्त्र	9
10.	रा. मा. वि., (कन्या) टोपट		नागरिक शास्त्र,	9
			संस्कृत	9
11.	रा. मा. वि., (कन्या) नयापुरावास		कला वर्ग	9
12.	रा. उ. मा. वि., शाहबाद		वाणिज्य वर्ग	9
13.	रा. उ. मा. वि., आंवा		वाणिज्य वर्ग	9
14.	रा. मा. वि., (उच्च मा.) बारां		भूगोल	9
15.	रा. उ. मा. वि., रामगंजमण्डी		टंकण	9
16.	रा. उ. मा. वि., बारां (कन्या)		वाणिज्य वर्ग	9
17.	रा. उ. मा. वि., भीममण्डी		वाणिज्य वर्ग	9
18.	रा. उ. मा. वि., (कन्या) श्रीपुरा		वाणिज्य वर्ग	9
19.	रा. मा. वि., खेरवाद		कला वर्ग	9
20.	रा. मा. वि., सांगोद		कामर्स	9
21.	रा. मा. वि., अटरू		कामर्स	9
22.	रा. मा. वि., (बालिका) सुमेरगंज मण्डी		राजस्थानी साहित्य	9
23.	रा. बा. उ. मा. वि., श्रीपुरा		सिन्धी, उर्दु	9

जिला-टोंक

1.	रा. मा. वि., बनेठा		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., आवां		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., नगर फोर्ट		वाणिज्य वर्ग	9
4.	रा. मा. वि., (कन्या) निवाई शहर		गृह विज्ञान	9
5.	रा. उ. मा. वि., उनियारा शहर		उर्दू तृतीय भाषा	9
6.	रा. उ. मा. वि., देवली		उर्दू तृतीय भाषा	9
7.	रा. उ. मा. वि., निवाई शहर		नागरिक शास्त्र	9
8.	रा. उ. मा. वि., टोडा		वाणिज्य वर्ग	9
9.	रा. मा. वि., पीपलू		कामर्स	9

1	2	3	4	5

जिला-सवाई माधोपुर

1.	रा. मा. वि., पट्टी कलां (बामनवास)	वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., रतनजिला	वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., मनकपुरा	वाणिज्य वर्ग	9
4.	रा. मा. वि., चोड़ागांव	वाणिज्य वर्ग	9
5.	रा. मा. वि., हाडोती	वाणिज्य वर्ग	9
6.	रा. मा. वि., इनायती	वाणिज्य वर्ग	9
7.	रा. मा. वि., मलारनाजोड	वाणिज्य वर्ग	9
8.	रा. मा. वि., मासलपुर	वाणिज्य वर्ग	9
9.	रा. मा. वि., मलारना डूंगर	उर्दू	9
10.	रा. मा. वि., महुआ (कन्या)	अर्थ शास्त्र	9
11.	रा. मा. वि., महावीरजी	वाणिज्य वर्ग	9
12.	रा. उ. मा. वि., मण्डावर	संस्कृत, चित्रकला	9
13.	रा. मा. वि., बड़ागांव	राजस्थानी साहित्य	9

जिला-झालावाड़

1.	रा. मा. वि., खानपुर	भूगोल	9
2.	रा. मा. वि., हरनावद	वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., (कन्या) झालरा पाटन	गृह विज्ञान व संगीत	9
4.	रा. उ. मा. वि., गंगधार	उर्दू	9
5.	रा. उ. मा. वि., बकानी	वाणिज्य वर्ग	9
6.	रा. कन्या मा. वि., झालावाड़	इतिहास, उर्दू तृतीय भाषा	9
7.	रा. मा. वि., रायपुर	वाणिज्य	9

जिला-बून्दी

1.	रा. मा. वि., तलवास	वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., बांसी	वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., कन्या बून्दी	गृह विज्ञान, चित्रकला	9
4.	रा. उ. मा. वि., बून्दी शहर	बैंकिंग, राजस्थानी	9
5.	रा. उ. मा. वि., बरुधन	राजस्थानी साहित्य	
6.	रा. महारानी उ. मा. बालिका वि., बून्दी	राजस्थानी साहित्य	9
7.	रा. नूतन मा. वि., चौगानगेट	उर्दू तृतीय भाषा	9

Page No. 166

(162)

1	2	3	4	5
		जिला—जयपुर		
1.	रा. मा. वि., जटधाड़ा		वाणिज्य	
2.	रा. मा. वि., सोरा श्यामदास		वाणिज्य	9
3.	रा. मा. वि., अखरोल		वाणिज्य	9
4.	रा. मा. वि., मुहाना		वाणिज्य टंकण सहित	9
5.	रा. मा. वि., बगरू		वाणिज्य	9
6.	रा. मा. वि., बांतिल		,,	9
7.	रा. मा. वि., रायथल		,,	9
8.	रा. मा. वि., मुडियारामसर		,,	9
9.	रा. मा. वि., घाटगेट		,,	9
10.	रा. मा. वि., हिगोनिया		,,	9
11.	रा. मा. वि., (बालिका) चौड़ा रास्ता		वाणिज्य, राजस्थानी साहित्य	9
12.	रा. मा. वि., महापुरा		वाणिज्य	9
13.	रा. मा. वि., रामगढ़ पचवारा		,,	9
14.	रा. मा. वि., राहवाचा		,,	9
15.	रा. मा. वि., दौलतपुरा		,,	9
16.	रा. मा. वि., लवाणा		,,	9
17.	रा. मा. वि., कुन्डल		,,	9
18.	रा. मा. वि., छारेडा		,,	9
19.	रा. मा. वि., सिकराय		,,	9
20.	रा. मा. वि., बडवा		,,	9
21.	रा. मा. वि., तुन्गा		,,	9
22.	रा. मा. वि., आलूदा		,,	9
23.	रा. मा. वि., सैथल		,,	9
24.	रा. मा. वि., आंधी		वाणिज्य टंकण सहित	9
25.	रा. मा. वि., बोराज		,,	9
26.	रा. बालिका मा., वि. चौमू		गृह विज्ञान	9
27.	रा. उ. मा. वि., बागावास		वाणिज्य	
28.	रा. मा. वि., गोनेडा		वाणिज्य टंकण सहित	9
29.	रा. मा. वि., चन्दवाजी		,,	9
30.	रा. उ. मा. वि., मांडारेब		वाणिज्य, इतिहास	9
31.	रा. उ. मा. वी., फागी		वाणिज्य	9
32.	रा. मा. वि., हरमाड़ा		कामर्स	9
33.	रा. मा. वि., आमेर		टंकण	9
34.	रा. मा. वि., कोटखावदा		कामर्स	9
35.	रा. मा. वि., चांदराना		कामर्स	9
36.	रा. उ. मा. वि.' जोबनेर		गणित	9

1	2	3	4	5
37.	रा. मा. वि., फुलेरा (जयपुर)		राजस्थानी साहित्य	9
38.	रा. सरदार मा. वि.. कोटपूतली		,,	9
39.	रा. मा. वि., शिवदासपुरा, जयपुर		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	9

जिला—भरतपुर

1.	रा. उ. मा. वि., कामां		नागरिक शास्त्र	9
2.	रा. उ. मा. वि., नदबई		टंकण, बैंकिग	9
3.	रा. उ. मा. वि., नगर		वाणिज्य	9
4.	रा. मा. वि., ब्रह्ममाला (बयाना)		कामर्स	9
5.	रा. मा. वि., बसेड़ी (बयाना)		भूगोल	9

जिला-अलवर

1.	गांधी नेशनल मा. वि., अलवर		वाणिज्य	9
2.	रा. मा. वि., टहुला		,,	9
3.	रा. मा. वि., पिनाणा		,,	9
4.	रा. मा. वि., कोटकासिम		,,	9
5.	रा. मा. वि., गढ़ी सवाई राम		,,	9
6.	रा. मा. वि., मावाणी		,,	9
7.	रा. मा. वि., भिवाड़ी		वाणिज्य टंकण सहित	9
8.	रा. उ. मा. वि., तिजारा		भूगोल, इतिहास	9
9.	एस. एस. डी. उ. मा. वि., (कन्या) अलवर		अर्थशास्त्र	9
10.	रा. उ. मा. वि., राजगढ़		वाणिज्य	9
11.	रा. उ. मा. वि., थानागाजी		,,	9
12.	रा. उ. मा. वि., हरसोरा (बानसूर)		कामर्स	9
13.	रा. मा. वि., सकट		कामर्स	9

जिला-अजमेर

1.	रा. मा. वि., गुलाब बाड़ी		वाणिज्य	9
2.	रा. मा. वि., अजमेर (सिन्धी)		,,	
3.	रा. मा. वि., कडेल		,,	9
4.	रा. मा. वि., भावता		,,	9
5.	रा. मा. वि., जेठाना		,,	9
6.	रा. मा. वि., लोढी		,,	9
7.	रा. मा. वि., टाटगढ़		,,	9
8.	रा. मा. वि., बड़ाखेड़ा		,,	9

(164)

1	2	3	4	5
9.	रा. मा. वि., सराना		वाणिज्य	9
10.	रा. मा. वि., फतेहगढ़		,,	9
11.	रा. मा. वि., रूपनगर		,, टंकण सहित	9
12.	रा. मा. वि., विजयनगर		,, टंकण सहित	9
13.	रा. मा. वि., काबरा		टंकण	9
14.	रा. मा. वि., गोविन्द पीसांगन		कॉमर्स	9
15.	रा. मा. वि., बारदसीदरी		कॉमर्स	9
16.	रा. टीकमचन्द जैन उ. मा. वि., अजमेर		मुद्रा अधिकोषण	9
17.	रा. उ. मा. वि., श्रीनगर		राजस्थानी साहित्य	9
18.	रा. मा. वि., तिलोनिया		वाणिज्य टंकण सहित	9

जिला-डूंगरपुर

निल निल निल

जिला-चित्तोड़गढ़

1.	रा. मा. वि., कन्या, निम्बाहेड़ा		उर्दू	9
2.	रा. मा. वि., भैंसरोडगढ़		वाणिज्य	9
3.	रा. मा. वि., (उच्च. मा.), चितौड़		राजस्थानी साहित्य	9
				9
4.	रा. उ. मा. वि., वड़ीसादड़ी, (निम्बाहेड़ा)		तृतीय भाषा उर्दू	9
5.	रा. उ. मा. वि., कपासन		तृतीय भाषा	9

जिला-बांसवाड़ा

1.	रा. मा. वि., सरेडी		राजस्थानी साहित्य	9

जिला-उदयपुर

1.	रा. मा. वि., कनोड़ शहर		वाणिज्य	9
2.	रा. मा. वि., गिलूण्ड		,,	9
3.	रा. मा. वि., कुंआरिया		,,	9
4.	रा. मा. वि., नान्देसना		,,	9
5.	रा. मा. वि., पारसोला		,,	9
6.	रा. मा. वि., इन्टाली		,,	9
7.	रा. मा. वि., बड़गांव		,,	9

1	2	3	4	5
8.	रा. उ. मा. वि., मावली		संस्कृत एवं टंकण	9
9.	रा. उ. मा. वि. रेलमगरा		गणित	9
10.	रा. मा. वि., देलवाड़ा		नागरिक शास्त्र, भूगोल	9
11.	रा. उ. मा. वि., चावड		वाणिज्य	9
12.	रा. उ. मा. वि., गोगुन्दा		,,	9
13.	रा. उ. मा. वि., बाबलवाड़ा		,,	9
14.	रा. उ. मा. वि., भीम		वाणिज्य	9
15.	रा. मा. वि., सराड़ा		कॉमर्स	9
16.	रा. मा. वि., खनड़		कॉमर्स	9
17.	रा. मा. वि., चारभुजा		कॉमर्स	9
18.	रा. मा. वि., कुणा		राजस्थानी साहित्य	9
19.	रा. मा. वि., भुवाणा		,,	9
20.	रा. मा. वि., लखानो		,,	9
21.	रा. मा. वि., देवारी		,,	9
22.	रा. मा. वि., मेनार		,,	9
23.	रा. उ. मा. वि., धरियावद		,,	9
24.	रा. उ. मा. वि., सलूम्बर		उर्दू तृतीय भाषा	9

जिला—भीलवाड़ा

1.	रा. मा. वि., बागोर		वाणिज्य	9
2.	रा. मा. वि., भगवान पुरा		,,	9
3.	रा. मा. वि., कारोई		,,	9
4.	रा. मा. वि., सुआना		,,	9
5.	रा. मा. वि., अमरवासी		,,	9
6.	रा. मा. वि., खजूरी		,,	9
7.	रा. मा. वि., आगुचा		,,	9
8.	रा. मा. वि., सांगानेर		,,	9
9.	रा. मा. वि., पण्डेर		,,	9
10.	रा. उ. मा. वि. (कन्या) भीलवाड़ा,		,,	9
11.	रा. उ. मा. वि., कोटड़ी		,,	9
12.	रा. उ. मा. वि., माण्डल		बैंकिंग	9
13.	रा. उ. मा. वि., बिजोलिया		,,	9
14.	रा. मा. वि., बोराना		कॉमर्स	9
15.	रा. महाराणा उ. मा. वि., जहाजपुर		वाणिज्य बिना टंकण	9

अपर निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

(166)

1	2	3	4	5
		जिला-जोधपुर		
1.	रा. मा. वि., बालेसर		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., विश्नोईयान		"	9
3.	रा. उ. मा. वि., बिलाड़ा		जीव विज्ञान	9
4.	रा. मा. वि., बाप		"	9
5.	रा. बा. वि. मा. वि., पूंजला		"	9
6.	रा. मा. वि., लोहावट		"	9
7.	रा. उ. मा. वि., गांगाणी		"	9
8.	रा. बा. मा. वि., महामंदिर		संस्कृत ऐच्छिक	9
9.	रा. मा. वि., फलौदी		"	9
10.	रा. मा. वि., फतेहपुर		"	9
		जिला-सिरोही		
1.	रा. उ. मा. वि., सिरोही		कृषि वर्ग	9
2.	रा. शाह विरानी पनेचन्द मा. वि., सिरोही		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., रेवदर		विज्ञान वर्ग	9
4.	रा. उ. मा. वि., शिवगंज		विज्ञान वर्ग (जीव विज्ञान सहित)	9
5.	रा. उ. मा. वि., पिण्डवाड़ा		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
6.	रा. उ. मा. वि., आबू रोड		" "	11
		जिला-जैसलमेर		
1.	रा. उ. मा. वि., जैसलमेर		गणित	9
2.	रा. उ. मा. वि., जैसलमेर		संस्कृत	11
		जिला-पाली		
1.	रा. मा. वि., गिरिसेघड़ा		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., सादड़ी (दे. मा. वि. उ.)		कृषि वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., लुनावा		वाणिज्य वर्ग	9
4.	रा. मा. वि., मारवाड़ जं.		जीव विज्ञान	9
5.	रा. बा. मा. वि., (कन्या), सुमेरपुर		नागरिक-शास्त्र	9
6.	रा. मा. वि., चानोद		वाणिज्य वर्ग टंकण सहित	9
7.	रा. उ. मा. वि., सोजत रोड		जीव विज्ञान	9
8.	रा. मा. वि., बसी		वाणिज्य वर्ग	9
9.	रा. मा. वि., बलूंदा		वाणिज्य वर्ग	9
10.	रा. मा. वि., कुण्डल		संस्कृत ऐच्छिक	9

1	2	3	4	5
11.	रा. उ. मा. वि., जैतारण		नागरिक-शास्त्र (कला वर्ग)	11
12.	रा. उ. मा. वि., सेवाड़ी		वाणिज्य वर्ग बैंकिग	11
13.	रा. बालिका उ. मा. वि., पाली		चित्रकला, अर्थ शास्त्र	11
	जिला—नागौर			
1.	रा. मा. वि., मीठड़ी		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. उ. मा. वि., डेगाना		जीव विज्ञान	9
3.	रा. मा. वि., मेड़ता		वाणिज्य वर्ग	9
4.	बांगड़ रा. बा. मा. वि., डीडवाना		विज्ञान वर्ग	9
	जिला—बाड़मेर			
1.	रा. मा. वि., बालोतरा		कृषि वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., धोरीमन्ना		विज्ञान वर्ग	9
3.	रा. उ. मा. वि., चोहटन		वाणिज्य वर्ग	9
4.	रा. उ. मा. वि., समदड़ी		जीव विज्ञान	9
5.	रा. मा. वि., मोकलसर		संस्कृत ऐच्छिक	9
	जिला—जालौर			
1.	रा. मा. वि., सिधाना		विज्ञान वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., रानीवाड़ा		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. उ. मा. वि., जालोर		वाणिज्य वर्ग मय टंकण	11
	जिला—बीकानेर			
1.	रा. मा. वि., काकड़ा		विज्ञान वर्ग	9
2.	रा. मोहन मूलचन्द मा. वि., बीकानेर		जीव विज्ञान	9
3.	रा. मा. वि., बीकानेर		संस्कृत ऐच्छिक	9
4.	रा. मा. वि., दफ्तरी का चौक		,, ,,	9
5.	रा. एस. बीं. चौपड़ा, गंगाशहर		,, ,,	9
	जिला—सीकर			
1.	रा. उ. मा. वि., रसीदपुर खुड़ी		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., धोंद		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., सिंगरावट		वाणिज्य वर्ग	9
4.	रा. मा. वि., करड		कृषि वर्ग	9

(168)

1	2	3	4	5
5.	रा. मा. वि., पचार		वाणिज्य वर्ग	9
.	रा. मा. वि., खूड़		विज्ञान वर्ग	9
7.	श्री जगन्नाथ दीवान रा. मा. वि., पाटन		विज्ञान वर्ग (जीव विज्ञान सहित)	9
8.	रा. बालिका मा. वि. श्री माधोपुर		संस्कृत ऐच्छिक	9
9.	रा. उ. मा. वि., शिशुरानोली		वाणिज्य वर्ग मय टंकण	11

जिला-झुंझुनू

1.	रा. मा. वि., सिरोड़		विज्ञान वर्ग,वाणिज्य वर्ग (टंकण सहित)	9
2.	रा. मा. वि., भिडकी		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. उ. मा. वि., लुंग्रा		"	9
4.	रा. मा. वि., जाखसर		उर्दू	9
5.	रा. मा. वि., खुरानिया		वाणिज्य वर्ग	9
6.	रा. उ. मा. वि., गुढ़ागौड़जी		वाणिज्य वर्ग (टंकण सहित)	9
7.	रा. मा. वि., चिड़ावा		वाणिज्य वर्ग	9
8.	रा. मा. वि., गोढ़डा		वाणिज्य वर्ग (बैंकिंग)	9
9.	रा. उ. मा. वि., काजड़ा		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
10.	रा. उ. मा. वि., बिसाऊ		वाणिज्य वर्ग मय टंकण	11

जिला-श्री गंगानगर

1.	रा. मा. वि., रायसिंहनगर		जीव विज्ञान	9
2.	रा. मा. वि., तलवाडाझील		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. उ. मा. वि., सादुलशहर		वाणिज्य वर्ग, (कृषि वर्ग)	9
4.	रा. मा. वि., केशरीसिंहपुरा		वाणिज्य वर्ग	9
5.	रा. मा. वि., गुरुसरमोडिया		कृषि वर्ग	9
6.	रा. मा. वि., हवलीकलां		विज्ञान वर्ग (जीव विज्ञान सहित)	9
7.	रा. मा. वि., रते वाला		कृषि वर्ग	9
8.	रा. मा. वि., पीलीबंगा		विज्ञान वर्ग	9
9.	रा. मा. वि., जोगीवाला		कृषि वर्ग	9
10.	रा. मा. वि., उ. चक 3 ओ, करणपुर		विज्ञान वर्ग जीव विज्ञान	9
11.	रा. मा. वि., हनुमानगढ़ जं.		कृषि वर्ग	9
12.	रा. उ. मा. वि., श्री गंगानगर		वाणिज्य वर्ग एवं नागरिक शास्त्र	
13.	रा. मा. वि., उतराधावास		वाणिज्य वर्ग	

1	2	3	4	5
14.	रा. मा. वि., मिरानी (श्रीगंगानगर)		वाणिज्य वर्ग टंकण	9
15.	रा. मा. वि., विजय नगर (उच्च मा.)		हिन्दी, नागरिक शास्त्र	11
16.	रा. उ. मा. वि., छानीवडी		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
17.	रा. उ. मा. वि., भादरा		वाणिज्य वर्ग (बैंकिंग) नागरिक शास्त्र	11

जिला-चूरू

1.	रा. मा. वि., कानूता		वाणिज्य वर्ग	9
2.	सेठ ल. ना. ब. उ. मा. वि., बागसर		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., धीरवास		"	9
4.	रा. सेठ बंशीधर झालान मा. वि., रतनगढ़		विज्ञान वर्ग	9
5.	रा. उ. मा. वि., हरपालू		विज्ञान वर्ग	9
6.	रा. मा. वि., रिड़ी		"	9
7.	रा. मा. वि., सालासर		"	9
8.	रा. मा. वि., सालासर		संस्कृत	9

जिला-कोटा

1.	रा. मा. वि., केलवाड़ा		विज्ञान वर्ग	9
2.	रा. उ. मा. वि., आवां		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
3.	रा. उ. मा. वि. (कन्या), श्रीपुरा		वाणिज्य वर्ग	
4.	रा. मा. वि., पाटन पोल		संस्कृत	9
5.	रा. मा. वि., बंडावदा		"	9
6.	रा. मा. वि., छबड़ा		"	9
7.	रा. बालिका मा. वि., टिपटा		"	9
8.	रा. मा. वि., रामथल			9
9.	रा. मा. वि., कोइला		"	9
10.	रा. मा. वि., दीगोद			9
11.	रा. उ. मा. वि. सांगोद		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
12.	रा. उ. मा. वि., इटावा			11
13.	रा. उ. मा. वि., चेचट		संस्कृत, भूगोल	11
14.	रा. उ. मा. वि., गुमानपुरा		सिंधी	11

जिला-टोंक

1.	रा. मा. वि., नासिरदा		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., झिलाय		विज्ञान वर्ग	9

(170)

1	2	3	4	5
3.	रा. मा. वि., बाम्ब		वाणिज्य वर्ग	9
4.	रा. बालिका मा. वि., देवली		संस्कृत	9
5.	रा. मा. वि., झिगी		संस्कृत	9

जिला-सवाई माधोपुर

1	2	3	4	5
1.	रा. मा. वि., सुरोठ		विज्ञान वर्ग	9
2.	रा. उ. मा. वि., पावटा		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., सुरवाल	1	,,	9
4.	रा. मा. वि., रसीदपुर (महुवा)		,,	9
5.	रा. मा. वि., रतनजिला		कृषि वर्ग	9
6.	रा. मा. वि., मण्डावर		संस्कृत, चित्रकला	9
7.	रा. मा. वि., टोकसी		टंकण	9
8.	रा. मा. वि., कुण्डेरा, करौली		संस्कृत	9
9.	रा. मा. वि., मानटाउन, करौली		,,	9
10.	रा. मा. वि., बजोवरपुर, करौली		,,	9
11.	रा. उ. मा. वि., मण्डावर		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
12.	रा. उ. मा. वि., महुआ		भूगोल	11
13.	रा. उ. मा. वि., चौथकाबरवाड़ा		वाणिज्य वर्ग टंकण सहित	11
14.	रा. उ. मा. वि., करौली		संस्कृत	11

जिला-झालावाड़

1	2	3	4	5
1.	रा. उ. मा. वि., पिड़ावा		विज्ञान वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., खानपुर		कृषि वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., रटलाई		संस्कृत	9
4.	रा. मा. वि., रामपुर		,,	9
5.	रा. उ. मा. वि., भिवानी मण्डी		वाणिज्य वर्ग मय टंकण	11

जिला-बूंदी

1	2	3	4	5
1.	रा. मा. वि., शी		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., झावड़ी		,,	9
3.	रा. मा. वि., कोती		,,	9
4.	रा. मा. वि., खाखेरी		संस्कृत	9

जिला-जयपुर

1	2	3	4	5
1.	रा. मा. वि., माहुरी का माका		कंठ संगीत, (सितार वादन)	9 9
2.	रा. मा. वि., सिदोई खुर्द		वाणिज्य वर्ग	9

1	2	3	4	
3.	रा. मा. वि., आमेर		विज्ञान वर्ग	9
4.	रा. सिंधी मा. वि., हमीरटीबा		वाणिज्य वर्ग टंकण सहित	9
5.	रा. मा. वि., दुर्गापुरा (जयपुर)		कला वर्ग	9
6.	रा. मा. वि., हिंगोनिया		कृषि वर्ग	9
7.	रा. मा. वि., भुजानपुरा		वाणिज्य वर्ग	9
8.	रा. मा. वि., जाजि कला		कृषि वर्ग	9
9.	रा. मा. वि., झाग		वाणिज्य वर्ग	9
10.	रा. मा. वि., राजसर		,,	9
11.	रा. मा. वि., बरहेड़ा		,,	9
12.	रा. मा. वि., शिवदासपुरा		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	9 9
13.	रा. मा. वि., मानपुरकलां		कृषि वर्ग, नागरिक शास्त्र	9
14.	रा. मा. वि., सिंधी कालोनी		संगीत	9
15.	रा. उ. मा. वि., राडावास		वाणिज्य वर्ग	9
16.	रा. मा वि., ठीकरिया		वाणिज्य वर्ग	9
17.	रा. मा. वि., मेड		वाणिज्य वर्ग	9
18.	रा. मा. वि., बिलाधरपुर		वाणिज्य वर्ग	9
19.	रा. मा. वि., तिगारिया		विज्ञान वर्ग,	9
20	रा. उ. मा. वि., बनेठी		विज्ञान जी. वि. सहित	
21.	रा. मा. वि., भान्डारेज		वाणिज्य वर्ग, इतिहास	9
22.	रा. मा. वि., बालिका, सांगानेर		संस्कृत	
23.	रा. मा. वि., चौमू		,,	
24.	रा. बा. मा. वि., लालसोट		,,	
25.	रा. मा. वि., फागी		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
26.	रा.उ. मा. वि., सांगानेर		संस्कृत	11
27.	रा. उ. मा. वि., बालिका, गांधीनगर		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
28.	रा. उ. मा. वि., जोबनेर		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
29.	रा. बालिका उ. मा. वि., बनीपार्क		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
30.	रा. उ. मा. वि., बस्सी		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
31.	रा. उ. मा. वि., गोविन्दगढ़		वाणिज्य वर्ग मय टंकण	11
32.	रा. उ. मा. वि., जमवारामगढ़		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11

जिला– भरतपुर

1.	रा. मा. वि., अस्थावन		विज्ञान वर्ग	9
2.	रा. उ. मा. वि., रुपवास		वाणिज्य वर्ग	9

1	2	3	4	5
3.	रा. उ. मा.वि., बसेडी		विज्ञान वर्ग	9
4.	रा. उ. मा. वि., नगर		विज्ञान वर्ग	11
5.	रा. मा. वि., पंचगांव		वाणिज्य वर्ग	9
6.	रा. मा. वि., कनावसर		वाणिज्य वर्ग	9
7.	रा. मा. वि., हंदावल		विज्ञान वर्ग (जीव विज्ञान सहित)	9
8.	रा. उ. मा. वि., कामां		नागरिक शास्त्र	9
9.	रा. मा. वि., सिन सिनी		विज्ञान वर्ग	9
10.	रा. मा .वि., शहर (सहर)		संस्कृत	9
11.	रा. मा. वि., पुलाड़ी (पहाडी)		,,	9
12.	रा. मा. वि., पिचुना		,,	9
13.	रा. मा. वि., अखैगढ़		,,	9
14.	रा. मा. वि., गुनसारा		,,	9
15.	रा. बालिका मा. वि., कामां		,,	9
16.	रा. बालिका मा. वि., डीग		,,	9
17.	रा. मा .वि., सरम्भुरी		,,	9
18.	रा. बालिका मा. वि., नवीन सिटी		,,	9
19.	—		,,	9
20.	रा. मा. वि. सेवर		,,	9
21.	—		,,	9
22.	रा. उ. मा. वि., कुम्हेर		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
23.	रा. उ. मा. वि., वैर		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
24.	रा. उ. मा. वि., सिनसिनी		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण, इतिहास, नागरिक शास्त्र	11
25.	रा. एस. पी. के. बालिका उ. मा. वि.		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
26.	रा. उ. मा. वि., बसेड़ी		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11

जिला – अजमेर

1.	रा. मा. वि., गंगवाना		उर्दू तृतीय भाषा	9
2.	रा. मा. वि., गोविन्दगढ़		उर्दू तृतीय भाषा	9
3.	रा. उ. मा. वि., रूपनगर		विज्ञान वर्ग	9
4.	रा. मा. वि., नरवर		वाणिज्य वर्ग	9
5.	रा. बालिका उ. मा. वि., ब्यावर		वाणिज्य वर्ग	9
6.	रा. मा. वि., सराणा		कृषि वर्ग	9
7.	रा. उ. मा. वि., जालिया		कृषि वर्ग	9

1	2	3	4	5
8.	रा. बा. हितकारणी उ. मा. वि., नसीराबाद		विज्ञान वर्ग	9
9.	रा. उ. मा. वि., पीसांगन		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
10.	रा. उ. मा. वि., सरवाड़ा		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
11.	रा. उ. मा. वि., अराई		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
12.	रा. जवाहर उ. मा. वि., अजमेर		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
13.	रा. उ. मा. वि., सावर		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
14.	रा. उ. मा. वि., भिनाय		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
15.	रा. उ. मा. वि., मसूदा		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
16.	रा. उ. मा. वि., कादेड़ा		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
17.	रा. उ. मा. वि., पुष्कर		वाणिज्य वर्ग टंकण सहित	11
18.	रा. उ. मा. वि., तोपदड़ा		आशुलिपि टंकण	11
19.	रा. मा. ई. उ. मस. वि., अजमेर		अर्थ शास्त्र	11
20.	रा. उ. मा. वि., नसीराबाद		संस्कृत	11
21.	रा. उ. मा. वि., किशन गढ़		बैंकिंग, भूगोल	11
22.	रा. केन्द्रीय बालिका उ. मा. वि., अजमेर		उर्दू	11

जिला—अलवर

1.	रा. मा. वि., कराना		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., बहरोड़		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., चांदपुर		वाणिज्य वर्ग	9
4.	रा. मा. वि., मुबारकपुर		वाणिज्य वर्ग टंकण सहित	9
5.	रा. मा. वि., खोराम लाबली		वाणिज्य वर्ग	9
6.	रा. उ. मा. वि., बीबीरानी		वाणिज्य वर्ग	9
7.	रा. मा. वि., नारायणपुर		कृषि वर्ग	9
8.	रा. मा. वि., रामपुर त. बानसूर		वाणिज्य वर्ग	9
9.	रा. उ. मा. वि., टपूकड़ा		वाणिज्य वर्ग टंकण सहित	9
10.	रा. मा. वि., बामनवाड़ा		संस्कृत	9
11.	रा. मा. वि., (बालिका) बहरोड़		"	9
12.	रा. उ. मा. वि., बहरोड़		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11

(174)

1	2	3	4	5
13.	रा. उ. मा. वि., टपूकड़ा		वाणिज्य वर्ग	11
14.	रा. उ. मा. वि., मालाखेड़ा		वाणिज्य वर्ग	11
15.	रा. उ. मा. वि., तिजारा		अर्थ शास्त्र	11

जिला—डूंगरपुर

1.	रा. मा. वि., चौखली		विज्ञान वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., कैमवा		कृषि वर्ग संस्कृत	9/11
3.	रा. उ. मा. वि., बनकोडा		वाणिज्य वर्ग	9
4.	रा. मा. वि., धम्बोड़ा		संस्कृत	9
5.	रा. उ. मा. वि., बनकोडा		नागरिक शास्त्र	11

जिला—चित्तौड़गढ़

1.	रा. मा. वि., रावत भाटा		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., बुढ़		कृषि वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., छिपों का अकोला		वाणिज्य वर्ग	9
4.	रा. मा. वि., सतो		वाणिज्य वर्ग	9
5.	रा. मा. वि., निकुम्भ		वाणिज्य वर्ग	9
6.	रा. बालिका मा. वि., बेंगू		संस्कृत	9
7.	रा. मा. वि., खातीखेड़ा		संस्कृत	9
8.	रा. उ. मा. वि., बेंगू		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
9.	रा. उ. मा. वि., राशमी		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
10.	रा. उ. मा. वि., अरनोद		वाणिज्य वर्ग	11
11.	रा. बालिका उ. मा. वि., चित्तौड़गढ़		इतिहास	11

जिला—बांसवाड़ा

1.	रा. मा. वि., परतापुरा 5		विज्ञान वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., मूलिया		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., पालोद		विज्ञान वर्ग संस्कृत	9
4.	रा. मा. वि., माही डेम		विज्ञान वर्ग	9
5.	रा. उ. मा. वि., बागीडोरा		कृषि वर्ग	9
6.	रा. बालिका उ. मा. वि., बांसवाड़ा		अर्थ शास्त्र	9
7.	रा. मा. वि., डोडिया		संस्कृत	9
8.	रा. मा. वि., वढोडिया		संस्कृत	9
9.	रा. उ. मा. वि., कुशलगढ़		नागरिक शास्त्र (कला वर्ग)	11

1	2	3	4	5
10.	रा. उ. मा. वि., बांसवाड़ा		अंग्रेजी, उर्दू	11
11.	रा. उ. मा. वि., भाण्डू		अर्थ शास्त्र	11
	जिला-भीलवाड़ा			
1.	रा. मा. वि., कनेहान कलां		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., महुआ		वाणिज्य वर्ग	9
3.	रा. मा. वि., पीपलूद		विज्ञान वर्ग	9
4.	रा. मा. वि., दावता		वाणिज्य वर्ग	9
5.	रा. उ. मा. वि., आसिंद		कृषि वर्ग	9
6.	रा. मा. वि., आकोला		वाणिज्य वर्ग	9
7.	रा. मा. वि., रायपुर		वाणिज्य वर्ग टंकण सहित	9
8.	रा. मा. वि., रूपाहेला		वाणिज्य वर्ग	9
9.	रा. मा. वि., अंटाली		,,	9
10.	रा. मा. वि., चैनपुरा		वाणिज्य वर्ग टंकण सहित	9
11.	रा. मा. वि., देवरिया		वाणिज्य वर्ग टंकण सहित	9
12.	रा. मा. वि., माण्डल		उर्दू तृतीय भाषा	9
14.	रा. उ. मा. वि., बिजोलिया		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
15.	रा. उ. मा. वि., दिगोद		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
16.	रा. उ. मा. वि., बदनोर		,, ,,	11
17.	रा. उ. मा. वि., गंगापुर सिटी		वाणिज्य वर्ग टंकण सहित	11
	जिला-उदयपुर			
1.	रा. मा. वि., कठार		वाणिज्य वर्ग	9
2.	रा. मा. वि., केलवा		,,	9
3.	रा. मा. वि., लवसिंह		विज्ञान वर्ग	9
4.	रा. मा. वि., सेमा		वाणिज्य वर्ग	9
5.	रा. मा. वि., रण्डेका		विज्ञान वर्ग	9
6.	रा. मा. वि., धासा		वाणिज्य वर्ग	9
7.	रा. नन्द लाल जोशी मा. वि., मोही		कृषि वर्ग	9
8.	रा. मा. वि., सलुम्बर		कृषि वर्ग	9
9.	रा. मा. वि., सराडा		विज्ञान वर्ग	9
10.	रा. मा. वि., सवास		विज्ञान वर्ग	9
11.	रा. मा. वि., सवीना खेड़ा		वाणिज्य वर्ग	9
12.	रा. उ. मा. वि., फतेहपुर		जीव विज्ञान	9
13.	रा. मा. वि., कुंज		कृषि वर्ग	9
14.	रा. मा. वि., सनवाड़ा		वाणिज्य वर्ग	9

1	2	3	4	5
15.	श्री बालकृष्ण विद्यालय मण्डल उ. मा. वि., कांकरोली		जीव विज्ञान	9
16.	रा. बा. मा. वि., देवगढ़ मदारिया		गृह विज्ञान	9
17.	रा. मा. वि., कुण		वाणिज्य वर्ग	9
18.	रा. मा. वि., कोटडा		वाणिज्य वर्ग	9
19.	श्री भैरव उ. मा. वि., भिण्डर		कृषि वर्ग	9
20.	रा. मा. वि., जगदीश चौक		ड्राईंग	9
21.	रा. मा. वि., रेजीडेन्सी		गृह विज्ञान	9
22.	रा. मा. वि., उन्टाला		विज्ञान वर्ग (जीव विज्ञान सहित)	9
23.	रा. मा. वि., दुजारी		वाणिज्य वर्ग (टंकण सहित)	
24.	रा. मा. वि., नाथद्वारा		कृषि वर्ग	9
25.	रा. मा. वि., नया गांव		संस्कृत	9
26.	रा. बालिका उ. मा. वि., रेजीडेन्सी		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण, सिन्धी	11
27.	रा. उ. मा. वि., फलासिया		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	11
28.	रा. उ. मा. वि., देलवाड़ा		वाणिज्य वर्ग ,,	11
29.	रा. उ. मा. वि., राजसमंद		वाणिज्य वर्ग बिना टंकण	
30.	रा. उ. मा. वि., खेरवाड़ा		वाणिज्य वर्ग मय टंकण	11

अपर निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी, भरतपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

13. श्री भरोसी लाल (हिण्डोन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1979 में भरतपुर में तैनात जिला समाज कल्याण अधिकारी, भरतपुर के खिलाफ भ्रष्टाचार, बलात्कार एवं अनियमितताओं के 33 आरोप जिलाधीश महोदय, भरतपुर द्वारा राज्य सरकार को जांच कर भेजे गये थे? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई।

(2) क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को निलम्बित कर उसके खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी ने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (महिला), भरतपुर से बलात्कार करने की कुचेष्टा की थी जिसके द्वारा हल्फनामा दिया गया? इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि इस अधिकारी पर महिला आश्रयगृह? भरतपुर की आवासनियों को बेचने के आरोप हैं? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी?

उत्तर

(1) इस अधिकारी के विरुद्ध जिलाधीश कार्यालय (अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी) विभाग के कर्मचारियों, दलित वर्ग संघ, भरतपुर, राजस्थान कर्मचारी संघ जिला, शाखा, भरतपुर एवं सार्वजनिक व्यक्तियों की शिकायतें मिली है। उनकी जांच की जा रही है।

(2) उक्त अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच, उप-निदेशक (प्रशासन) समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है। आरोप सही पाये जाने पर नियमानुसार इनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(3) शिकायत अवश्य प्राप्त हुई थी। इस सम्बन्ध में कोई हल्फनामा विभाग में दिया प्रतीत नहीं होता। शिकायत की जांच की जा रही है।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई आरोप प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला नागौर में ग्राम जंगलियों की ढाणी में हरिजनों पर अत्याचार

14. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 11 अगस्त, 1981 को जिला नागौर के गांव जंगलियों की ढाणी को कुरड़ाया गांव के लोगों द्वारा जला दिया गया था?

(2) यदि हां, तो क्यों तथा किनके द्वारा तथा उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) सरकार इस तरह हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु क्या कठोर कार्यवाही कर रही है?

(178)

(गृह मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जंगलियों की ढाणी के पास, उनके खेत में कुरड़ाया गांव के लोगों द्वारा मवेशी चराने के कारण यह घटना घटी जिसके संबंध में 122/81 अन्तर्गत धारा 302, 307, 147, 148, 149, ता. हि. एवं मु. नं. 123/81 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 436, 336, 427, 447, 307, 323, 379, ता. हि., थाना मेड़ता सिटी पर पंजीबद्ध हुए जिनकी तफ्तीश स्थानीय पुलिस ने की। दिनांक 5-9-81 से उक्त तफ्तीश सी. आई. डी., अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। अ.सं. 122/81 में 10 अभियुक्त एवं 123/81 में 8 अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं। चार नाजायज़ बन्दूकें जब्त की जा चुकी हैं।

(3) जब भी ऐसी घटनाएं घटती है तो अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

तहसील लालसोट में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करना

15. श्री रामसहाय सोनड़ (लालसोट): क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लालसोट तहसील में कितने गांव गत माह आई भयंकर बाढ़ से बर्बाद हुए और कितने गांवों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया है ?

(2) क्या यह सही है कि लालसोट तहसील में 35 से भी अधिक गांवों में बहुत सारी मवेशियां बहकर मर गईं, कच्चे व पक्के कुएं नष्ट हो गये, अधिकतर रहने के मकान नष्ट हो गये, खेती की जमीन नष्ट हो चुकी, खाने का अनाज व मवेशियों का चारा बर्बाद हो गया है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उन प्रभावित परिवारों को सबसिडी व कर्जा देकर व उनकी नष्ट भूमि का लगान माफ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में प्रभावित क्षेत्रों के लोग बिल्कुल असहाय व बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिससे कि उनका पेट भरना भी कठिन हो रहा है ?

(5) क्या सरकार प्रभावित लोगों को तुरन्त रोजगार देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) लालसोट तहसील में 3 गांव व 6 ढाणियों में 90 से 100 प्रतिशत तक बर्बादी हुई है। तहसील के 35 गांवो को दिनांक 17-8-81 को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया है जिसकी अधिसूचना राजस्थान राज-पत्र के भाग-4 (II), उप खण्ड (II) में प्रकाशित हो चुकी है।

(2) तहसील लालसोट के कुल 910 मवेशी मरे हैं। 94 कुएं आंशिक व 38 कुएं पूर्णरूप से नष्ट हुए। आंशिक व पूर्णरूप से 2,425 कच्चे मकान तथा 27 पक्के मकान नष्ट हुए हैं। इसके अतिरिक्त 1255 हैक्टर फसल नष्ट हुई है।

(3) बाढ़ घोषणा के साथ-साथ राजस्थान एफेकटेड एरियाज (सस्पेंशन आफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 की धारा 5 से 10

(राहत मंत्री)
तक के प्रावधान को लागू कर इन क्षेत्रों में स्थित न्यायालयों में काश्तकारों पर चल रहे दीवानी दावे/डिक्रियों की क्रियान्विति, नये दावों को दायर करना तथा मोर्टगेज सम्बन्धित कार्यवाही का स्थगन हो गया है।

बाढ़ घोषित गांवों में संवत् 2038 की फसल खरीफ की भू-राजस्व की वसूली दिनांक 30-9-81 तक स्थगित कर दी गई है तथा सहकारिता विभाग के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन करने के आदेश भी दे दिये है।

कृषि विभाग द्वारा दिनांक 11-8-81 को आदेश जारी कर प्रभावित गांवों में बीज तक़ावी ऋण वितरण के लिये धन-राशि आवंटित कर दी है जिसमें 58 रु. प्रति हैक्टर के हिसाब 600 रु. तक का ऋण प्रत्येक काश्तकार को दिया जा सकेगा।

(4) जी नहीं, बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के जीर्णोद्धार के लिये दिनांक 22-7-81 से 2,84,000/- की लागत की 4 सड़क कार्यों पर 200 से 500 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मजदूर प्रति दिन काम पर लगाये गये थे। सिंचाई विभाग द्वारा दक्षिण सागर तालाब के जीर्णोद्धार पर 21 जुलाई से प्रति दिन 650 मजदूर कार्य पर लगाये गये।

(5) राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के माध्यम से बाढ़ में टूटी सड़कों एवं बान्धों पर कार्य करायेगी जिससे लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

राज्य में पुनः शराबबन्दी लागू करना

16. श्री **छीतरलाल आर्य** (अटरू), श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शराब बन्दी वापिस चालू कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा तथा राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों के विपरीत नहीं है?

(3) क्या सरकार जनहित में शराब की बिक्री को पूर्ण रूप से बन्द करने का पुनः निर्णय करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ये मन्शा नहीं है।

(3) जी नहीं।

भादरा–सिरसा (हरियाणा) अन्तर्राज्यीय मार्ग पर सीधी बस सेवा

17. श्री **ज्ञानसिंह** (भादरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सन् 1957-75 तक भादरा-सिरसा (हरियाणा) अन्तर्राज्यीय मार्ग पर सीधी बसें चलती रहीं?

(2) भादरा – सिरसा (हरियाणा) मार्ग पर 1975 में सीधी बसें सिरसा जाने से क्यों रोकी गयीं?

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र की जनता को सीधी बसें न मिलने के कारण घंटों राजस्थान–हरियाणा सीमा पर धूप व

(श्री ज्ञानसिंह)
वर्षा में इन्तजार करना पड़ता है ?

(4) क्या भादरा क्षेत्र के अन्य अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सीधी बस चालू है ?

(5) अगर इस क्षेत्र के अन्य अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सीधी बस सेवायें चालू, है, तो भादरा–सिरसा मार्ग पर क्यों नहीं है ?

(6) भादरा–सिरसा अन्तर्राज्यीय मार्ग पर सीधी बस सेवायें कब से चालू कर दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) भादरा-सिरसा (हरियाणा) अन्तर्राज्यीय मार्ग पर दिनांक 30-11-75 तक सीधी बसें चलती थी, जो दिनांक 1-12-75 से बंद हुई।

(2) राजस्थान व हरियाणा राज्यों के बीच दिनांक 11-11-75 को जो समझौता हुआ उसमें यह निर्णय लिया गया था कि भादरा-सिरसा मार्ग पर राजस्थान की बसों को सिरसा तक जाने से रोक दिया गया और अब बस भादरा से राजस्थान–हरियाणा सीमा पर स्थित गांधीबड़ी गांव तक ही चलती है और उसके बाद हरियाणा की बस चलती है।

(3) यह सही है कि सीधी बसें न चलने के कारण राजस्थान–हरियाणा सीमा पर यात्रियों को बसों का इन्तजार करना पड़ता है

(4) यह सही है कि भादरा से ही हरियाणा के बीच अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सीधी बसें अभी चल रही है जो निम्नलिखित है :–

(1) भादरा-हिसार वाया बालसमन्द

(2) भादरा–हिसार वाया आदमपुर

(3) भादरा–सिवानी

(4) भादरा–भट्टूकलां

(5) भादरा–सिरसा मार्ग पर सीधी बसों का चलना दोनों राज्यों के बीच दिनांक 11-11-75 के समझौते के कारण बंद हुआ।

(6) दोनों राज्यों के बीच समझौता होना शेष है जिसके निकट भविष्य में होने की संभावना है।

बूंदी नगरपालिका क्षेत्र में नियमन की कार्यवाही पर रोक

18. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बूंदी नगर पालिका क्षेत्र में नियमन की कार्यवाही की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा दिनांक 31-12-79 को आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के बाद भी प्रशासक, नगरपालिका, बूंदी द्वारा किसी अतिक्रमी से नियमन हेतु फरवरी, 80 में पैसा जमा करवाया गया ? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) दिनांक 31-12-79 को सरकार द्वारा नियमन की कार्यवाही रोकने के कोई आदेश जारी नहीं किए गए। 1-1-80 को इस आशय के आदेश जारी किए गए थे जिसके अनुसार नियमन सम्बन्धित निर्णय का अधि-

(स्वायत्त शासन मंत्री)
कार नगरपालिकाओं के स्थान पर क्षेत्रीय निदेशकों को दे दिए गए थे।

(2) प्रशासक ने 1-1-80 से आदेश पहुंचने से पूर्व कुछ मामलों में नियमन का निर्णय दे दिया था, उनसे फरवरी, 80 में पैसे जमा कराए गए थे।

जिला चूरू की स्वीकृत सड़कों का कार्य

19. श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पिछले तीन वर्षों में चूरू जिले में अनेक सड़कों को स्वीकृत किया गया है? ऐसी स्वीकृत कौन-कौन सी सड़कें हैं? इनमें से कितनी सड़कें सम्पूर्ण कर दी गई हैं तथा अपूर्ण सड़कों को कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?

(2) क्या श्री डूंगरगढ़-कालू सड़क इस स्वीकृत योजना में शामिल है? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण सड़क को कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) सडकों की स्वीकृति अनुसार सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "अ"। अपूर्ण स्वीकृत-शुदा सड़कें वित्तीय साधनों की प्राप्ति के साथ पूर्ण की जावेंगी।

(2) यह सड़क अग्रिम योजना के अन्तर्गत सन् 1980-81 में अकाल राहत कार्यों में स्वीकृत की गई थी। अकाल राहत बन्द होने के कारण यह कार्य बन्द कर दिया गया है।

(182)

चूरू जिले में पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत सड़कों की सूची—

क्र. सं. 1	विवरण 2	भौतिक स्थिति 3
	(क) प्लान राज्य सड़कें—	
1.	राजगढ़-भादरा-सिद्धमुख सड़क	अपूर्ण
2.	पहुंच सड़क सोमसर तक	पूर्ण
	(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम—	
1.	चूरू सरदार शहर वाया पूलासर सड़क	अपूर्ण
2.	पहुंच सड़क दुलचासर	अपूर्ण
3.	पहुंच सड़क पड़िहारा रेलवे स्टेशन	पूर्ण
4.	लालसर बीटी से रतनगढ़ (बीटी) वाया सोमसर, कुसुमदेसर गांव शोभासर तक	अपूर्ण
5.	पहुंच सड़क तालछापर रेलवे स्टेशन	अपूर्ण
6.	पहुंच सड़क बोगेरा वाया खेजड़ा	अपूर्ण
7.	पहुंच सड़क सत्यू	अपूर्ण
8.	पहुंच सड़क वाया, राजगढ़ सिद्धमुख सड़क से	अपूर्ण
9.	राजगढ़ साखू सड़क वाया बेरासर जिला सीमा तक	अपूर्ण
10.	लिंक सड़क राजलदेसर से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 11 तक	पूर्ण
11.	चूरू सहनाली, छोटी सहनाली, बड़ी सहनाली वाया देवल सड़क और मेघसर।	अपूर्ण
12.	राजगढ़ साखू सड़क (रिमेनिंग लेथ)	अपूर्ण
	नान-प्लान (केन्द्रीय निधि की सड़कें) :	
1.	नांगल झूम्पा सड़क	अपूर्ण
2.	राजगढ़ बेहल सड़क	पूर्ण
3.	सिद्धमुख सिवानी सड़क हरियाणा सीमा तक	अपूर्ण

अतिरिक्त जिलाधीश एवं प्रशासक नगरपालिका, बून्दी की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तारी सम्बंधी प्रकरण

20. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), श्री बाळदयाल जोशी (डीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी के अतिरिक्त जिलाधीश एवं प्रशासक नगर पालिका, श्री नाथाराम शर्मा को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ?

(2) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या उन्हें निलम्बित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस मामले में बरती गयी अनियमितता के विरोध में बूंदी में प्रदर्शन एवं विरोध किया? यदि हां, तो क्यों तथा इस अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री नाथाराम के विरुद्ध अभियोग संख्या 38, दिनांक 7-8-81 धारा 161 ता. हि. एवं 5(1) डी 2 करेप्शन एक्ट के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर अन्वेषण के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दिनांक 5-9-81 को अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त दिनांक 18-9-81 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियुक्त नाथाराम को राज्य सरकार द्वारा दि. 5-9-81 को निलम्बित कर दिया गया है।

(3) इस प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं बरती गई अतः किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

वागन मध्यम सिचाई परियोजना, चित्तौड़गढ़ के निर्माण कार्य में घोटाला

21. श्री सोहनलाल बसीवाल (दौसा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौडगढ़ में वागन मध्यम सिचाई परियोजना का निर्माण कार्य चालू है ? यदि हां, तो उस के प्लान व एस्टीमेट्स सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस निर्माण कार्य में एक ठेकेदार मैसर्स प्रेम चन्द को करीब एक लाख रुपये का बिना किसी औचित्य के अग्रिम भुगतान कर दिया गया है ?

(3) क्या इस अग्रिम भुगतान के बारे में जांच हुई और उस जांच का यह नतीजा निकला कि यह अग्रिम भुगतान विभागीय नियमों के प्रतिकूल एवं ठेकेदार एवं अधिकारियों की स्वार्थ पूर्ति हेतु किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

(4) क्या महालेखाकार, राजस्थान ने भी इस बारे में ऑडिट आब्जेक्शन किया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) जी हां, प्लान एवं एस्टीमेट की एक एक प्रतिलिपि सदन के पटल रख दी गई है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) यह सही है कि काम के नपती की दोषपूर्ण प्रणाली के फलस्वरुप ठेकेदार को 13वें Running Bill तक 1,14,531.00 का अनधिकृत भुगतान हो गया। ठेकेदार का काम चालू था तथा जांच के समय तक अनधिकृत अधिक भुगतान 66,932.00 का शेष है।

(3) जी हां, इस ठेकेदार के भुगतान की जांच एक कमेटी द्वारा कराई गई। अनधिकृत भुगतान काम के नाप को सही प्रकार से नहीं करने तथा अन्य कारण से हुआ। इस जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां, दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में मद्य निषेध की समाप्ति

22. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार नशाबन्दी की समाप्ति की घोषणा कर चुकी है? यदि हां, तो क्यों? मय कारणों के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रदेश पिछड़ा होने के कारण नशाबन्दी समाप्ति की घोषणा कर मध्यम वर्ग एवं श्रमिक वर्ग के बच्चों की रोटी को छीना गया है? यदि हां, तो भविष्य में नशाबन्दी समाप्ति की घोषणा को वापस लिया जावेगा या नहीं यदि नहीं, तो कारणों की सूची सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह सही है कि नशाबन्दी के लागू होते हुए भी अन्य साधनों से राज्य सरकार आय बढ़ाने का साधन जुटा सकती थी? यदि हां, तो क्या अकर्मण्यता के कारण नशाबन्दी को समाप्त करना राजस्थान सरकार के ऊपर कलंक है। यदि हां, तो परमिट सिस्टम से ही शराब बेची जाय?

उत्तर

(1) जी हां। कई कारणों से यह नीति व्यवहारिक नहीं पाई गई।

(2) जी नहीं। क्योंकि इसके कई कारण हैं।

(3) जी नहीं। केवल आय बढ़ाने के लिये ही नशाबन्दी को समाप्त नहीं किया गया है।

जयपुर-दिल्ली व दिल्ली-जयपुर चलने वाली द्रुतगामी बसों का बहरोड़ में बुकिंग कार्यालय

23. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से दिल्ली एवं दिल्ली से जयपुर जो द्रुतगामी बस चलती है, वह बहरोड़ में नहीं रुकती है, यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त बसेज की सेवा बहरोड़ की जनता की सुविधार्थ प्रदान करने हेतु बहरोड़ में बस स्टॉप नियत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री सुजानसिंह यादव)

(3) क्या सरकार बहरोड़ के लिये इन बसेज की बुकिंग प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जयपुर से दिल्ली एवं दिल्ली से जयपुर जो द्रुतगामी वाहन सेवायें संचालित की जा रही हैं उनके लिए बहरोड़ पर पूर्व से ही ठहराव स्थल घोषित किया हुआ है ।

(3) जी नहीं । निगम की द्रुतगामी वाहनें केवल लम्बे यात्रियों की सुविधा हेतु संचालित की जाती है । जयपुर से दिल्ली मार्ग पर चलने वाली द्रुतगामी वाहनों में जयपुर से दिल्ली के यात्री उपलब्ध न होने पर बहरोड जाने वाले यात्रियों को टिकट निर्गमन करने में प्राथमिकता दी जाती है । निगम की कोतपूतली आगार की जयपुर से बहरोड़ के बीच पर्याप्त बसे संचालित हैं जिनसे बहरोड के यात्री इनमें यात्रा कर सकें । बहरोड़ में द्रुतगामी वाहनें रोकने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

जयपुर में अवैध निर्माणों पर रोक हेतु चलाया गया अभियान

24. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 1 अप्रेल, 1980 से 12 जुलाई, 1981 तक सरकार ने जयपुर नगर में अवैध निर्माण कार्यों को तुड़वाया है ?

(2) यदि हां, तो कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों की पत्थरगढ़ी को हटवाया ? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा अनधिकृत निर्माण को समय-समय पर हटाया जाता रहा है ।

(2) नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा 49 गृह निर्माण सहकारी समितियों की पत्थरगढ़ी हटवाई गई है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है–

1. अपोलो निर्माण सहकारी समिति, मालवीया नगर, दुर्गापुरा ।
2. न्यू पिंक सिटी नि. सहकारी समिति, मालवीया नगर, रानीजी का फार्म, गोपाल पुरा रोड, करतारपुरा ।
3. जल महल गृह निर्माण सहकारी समिति, दुर्गापुरा, सराई बावड़ी के पास ।
4. नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति, गोपालपुरा रोड ।
5. आपोला गृह निर्माण सहकारी समिति, गोपालपुरा रोड, अजमेर रोड, क्वींस रोड, न्यू सा. रोड ।
6. डायमण्ड गृह निर्माण सहकारी समिति, गोपालपुरा रोड ।
7. छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति, गोपालपुरा रोड, टोंक रोड, शनिश्चर जी के मन्दिर के पास, मण्डी खटीकान ।
8. माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, गोपालपुरा रोड, टोंक रोड, शनिचरजी के मन्दिर के पास, मण्डी खटीकान ।
9. पब्लिक गृह निर्माण सहकारी समिति, गोपालपुरा, न्यू सा. रोड, क्वींस रोड ।

(नगर आयोजना मंत्री)

10. अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति, गोपालपुरा रोड, खातीपुरा ।
11. माणक्यपुरी गृह निर्माण समिति, खातीपुरा, मानवास, गोपालपुरा रोड, कागद बाड़ा,
12. मैन्यूअल गृह निर्माण सहकारी समिति ।
13. मित्रगृह निर्माण सहकारी समिति, रानीजी का फार्म, करतारपुरा ।
14. खुदा बाडी, सोनापुरा, करतारपुरा ।
15. इन्दिरा गृह निर्माण सहकारी समिति, क्वींस रोड ।
16. शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति, क्वीस रोड, अम्बाबाड़ी ।
17. कृष्णा समिति, खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा निवास रोड ।
18. आनन्द समिति, खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा ।
19. प्रताप नगर समिति, खातीपुरा रोड ।
20. गुलाब बाड़ी समिति, खातीपुरा रोड, रामनगर रोड ।
21. टैगोर नगर समिति, अजमेर रोड़ ।
22. जवाहर पुरी समिति, मानवास ।
23. केडिया कम्पनी, रामगढ़ रोड, बासी पैन्दी के पीछे ।
24. विकास समिति, आमेर रोड, जल महल के पास ।
25. हवारोई गाढी गृह निर्माण सहकारी समिति, टौंक रोड ।
26. श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति, न्यू सा. रोड ।
27. इन्दिरा समिति, टोंक रोड़ ।
28. सुभाष सिंधी समिति, टोंक रोड, चौमू रोड़।
29. राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति, करतारपुरा, टोंक रोड ।
30. विवेक बिहारी समिति, बजाज नगर ।
31. समन्त गृह निर्माण सहकारी समिति, टोंक रोड ।
32. शिवा गृह निर्माण सहकारी समिति ।
33. हिम्मतनगर गृह निर्माण सहकारी समिति ।
34. जयपुर विन्डौन समिति ।
35. वन बिहार समिति ।
36. सुदर्शनपुरा समिति ।
37. न्यू लाइट समिति ।
38. श्री निवास नगर, चौमू रोड ।
39. सिंधु नगर समिति, चौमू रोड़ ।
40. म्युचल समिति, विश्व कर्मा औद्योगिक क्षेत्र ।
41. श्री काशीराम की समिति, मुरली पुरा, चौमू रोड़ ।
42. शिल्या चार्य समिति, मुरलीपुरा ।
43. सैन कालोनी समिति, झोटवाड़ा ।
44. जनता समिति, झोटवाड़ा ।
45. गुलाबबाड़ी समिति, कालवाड रोड ।
46. चामुन्डा समिति, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी ।
47. अजय नगर, निवार रोड़ ।
48. संजय नगर, निवारु रोड़ ।
49. जय जवान समिति, टौंक रोड़ ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक एवं अधीक्षण अभियन्ताओं के स्थानान्तरण

25. श्री राज बहादुर (भरतपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

दिनांक 6-6-1980 से दिनांक 30-6-1981 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग में कितने सहायक अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं के स्थानान्तरण किये गये ?

उत्तर

दिनांक 6-6-1980 से 30-6-1981 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग में 164 सहायक अभियन्ताओं व 22 अधीक्षण अभियन्ताओं के स्थानान्तरण किये गये थे ।

हनुमानगढ़ को पृथक जिला बनाने संबंधी प्रकरण

26. श्री आत्माराम (हनुमानगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ को एक पृथक जिला बनाने का कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित किया जावेगा ?

उत्तर

हनुमानगढ़ को पृथक जिला बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है । निर्णय हेतु कोई निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है ।

जवाई बांध से जोधपुर शहर को पेयजल की योजना

27. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची), श्री गोकुलचन्द्र शर्मा (सुमेरपुर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जवाई बांध से जोधपुर शहर को पेयजल वितरण करने की सरकार कोई नई योजना क्रियान्वित कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है व इस पर कितनी लागत आवेगी ?

(2) क्या जोधपुर शहर को पेयजल देने हेतु राजस्थान नहर से भी पानी वितरण करने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) वर्तमान में जोधपुर शहर को जवाई बांध से पानी दिया जा रहा है उसका जवाई बांध सिंचित क्षेत्र एवं नहर के किनारे के गांवों में क्या उपयोग किया जाता है ?

(4) क्या नहर को बन्द कर अन्य तरीके से पानी वितरण करना मानवीय आधार पर उचित है ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 80-81 में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत जोधपुर शहर की पुनर्गठित योजना स्वीकृत की गई है । इस योजना के अन्तर्गत जवाई से सांडेराव व सांडेराव से हेमावास तक नहर की ऊंचाई बढ़ाने व मरम्मत का कार्य करने एवं हेमावास से कुडी (70 कि. मी.) तक 2000 मि.मी. व्यास की आर. सी. सी. पाईप लाईन बिछाने व जोधपुर शहर में फिल्टर प्लांट व शहरी क्षेत्र में नई टंकियां व पाईप लाईन का कार्य मुख्यतः प्रस्तावित है । इस योजना की अनुमानित लागत 3,464.22 लाख रुपये है ।

(2) जी हां । विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत पुनर्गठित योजना से जोधपुर

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

नहर की वर्ष 1991-92 की अभिकल्पित जल की मांग की ही आपूर्ति की जा सकेगी। तद्पश्चात् दूरगामी हल के लिए राजस्थान नहर से नाचना ग्राम (260 कि. मी.) से पानी लिफ्ट कैनाल के द्वारा लाया जाना प्रस्तावित है।

(3) जवाई नहर (सांडेराव से हेमावास, व सुमेरसमन्द नहर (हेमावास से कुड़ी) का उपयोग केवल जोधपुर व पाली एवं नहर के किनारे पर स्थित गांवों को पेयजल की आपूर्ति हेतु किया जाता है।

(4) चूंकि नहर के पानी को पेयजल के ही उपयोग में लिया जाता है। अतः जल रिसाव को रोकने के लिये पाइप लाइन डालने पर भी नहर के किनारे के गांवों की योजनाओं में यथावत जल उपलब्ध होता रहेगा।

जिला बाड़मेर में प्राइमरी स्कूल खोलना

28. श्री अमीन खां (शिव) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सबसे कम शिक्षित नर व नारी कौन से जिले में है ?

(2) सरकार बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में किस आधार पर प्राइमरी स्कूलें खोल रही है ?

(3) क्या सरकार यह महसूस करती है कि राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र बाड़मेर जिला है ? यदि हां, तो इस जिले को दूसरे जिलों के बराबर कब तक लाया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम शिक्षित नर व नारी बाड़मेर जिले में हैं।

(2) राज्य सरकार नये प्राथमिक विद्यालय खोलते समय स्थानीय मांग, भवन व्यवस्था, जनसंख्या आदि एवम् आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है।

(3) बाड़मेर जिला राजस्थान में साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तथा राज्य सरकार शिक्षा की दृष्टि से इस जिले में प्रगति करने के लिये प्रयत्नशील रही है।

रामसिंह आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

29. श्री देवीसिह भाटी (कोलायत) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(1) रामसिंह आयोग को राजस्थान नहर विभाग में हुए घोटालों की जांच के दौरान कितने मामले प्राप्त हुए और उसमें से आयोग ने किन-किन मामलों पर कार्यवाही करने की सिफारिश की है? कृपया, ऐसे मामलों की सूची दोषारोपण सहित सदन के पटल पर रखें।

(2) सरकार ऐसी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

इन मामलों से सम्बन्धित आयोग द्वारा प्रस्तुत विभिन्न रिपोर्ट्स राज्य सरकार को

(मुख्य मंत्री)

प्राप्त हुई। इस आयोग द्वारा कई मामलों में कार्यवाही की सिफारिश की गई। प्रतिवेदन गोपनीय है, अतः इसमें दोषारोपण की सूची सदन में प्रस्तुत करना जनहित में नहीं है।

आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

मनोहर थाना (झालावाड़) में पुलिस कर्मी द्वारा ग्राम सेवक की हत्या

30. श्री **बालचन्द आर्यवीर** (डग): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ के मनोहरथाना कस्बे में पुलिस विभाग के एक पुलिस मैन ने एक ग्राम सेवक की हत्या कर दी?

(2) यह हत्या कौनसी तारीख को हुई? उसके पीछे क्या कारण है? क्या ग्राम सेवक ने कोई अपराध किया था? कृपया, विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में भी वह पुलिस मैन, पुलिस विभाग की नौकरी में ही कार्यरत है? क्या उसको नौकरी से नहीं हटाया गया? उस पुलिसमेन के खिलाफ क्या कड़ी कार्यवाही की गई? कृपया, विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) इस बारे में अभी जांच जारी है।

(2) ग्रामसेवक की मृत्यु दिनांक 8-8-81 को रात्रि के लगभग 9-00 बजे, उसके स्वयं के निवास स्थान पर हुई थी। मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जा रही है। ग्रामसेवक, गोपालसिंह के विरुद्ध थाना मनोहरथाना में दिनांक 8-8-81 को 107, जा. फौ. के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज हुई थी। रिपोर्ट की प्रति सलंग्न है।

(3) जांच जारी है। जांचोपरान्त ही कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

प्रतिलिपि, रोजनामचा आम पुलिस थाना मनोहरथाना, दिनांक 8-8-81

सर्कल रिपोर्ट-इस समय मुस्मात गोदावरी बाई, पत्नि घासीलाल, कौम साहू, निवासी मनोहरथाना नं. 219 हाजिर थाना आये वा जुबानी रिपोर्ट की कि आज सुबह मैंने फूलकंवर बाई के खिलाफ 4-30 पी एम मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अभी आधा घन्टे पहले फूलकंवर बाई व उसका पति गोपाल सिंह उनके कमरे के बाहर निकले व गाली गुप्ता करते कहा कि अभी जान से मारते हैं। तूने हमारे खिलाफ थाने पर रिपोर्ट क्यों कि इस पर मैं भागकर थाने पर आई हूं। मुझे इन लोगों से मेरी जान का पूरा खतरा है। मेरे पति ड्यूटी पर गये हुए हैं।

हस्ताक्षर गोदावरी बाई

कार्यवाही पुलिस :

रिपोर्ट पढ़कर सुनाई, सही तसलीम होना स्वीकार किया, पिछला रेकार्ड देख रपट नं. 209, रोअ. हाजा पर 323-504, आई. पी. सी. इसी प्रार्थीयों ने अप्रार्थीगण के खिलाफ दर्ज कराई है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीयों को तत्काल नक्स अमन का अन्देशा है। अतः रिपोर्ट 107, सी. आर. पी. सी. दर्ज कर श्री गोरधनसिंह, कानि. को वास्ते तलबी श्री गोपालसिंह ग्राम सेवक रवाना किया गया।

एस. डी. अपठित। हस्ताक्षर गोदावरी बाई

Page No. 194

(190)

परिशिष्ट 3

परिशिष्ट 'क'

तारांकित प्रश्न संख्या 6 की सूची

माह बजाज सागर बांध से प्रभावित विस्थापितों को जहां-जहां कृषि भू-आवंटन किया गया उसका विवरण

क्रमांक	नाम ग्राम/वन-खण्ड जहां भूमि आवंटित की गई।		तादाद खातेदार विस्थापित	कुल रकबा बीघा में
1	2		3	4
1.	वन खण्ड	8	440	4412–11 बीघा
2.	राजस्व ग्राम	6	61	285–04 बीघा
3.	चरागाह भूमि, ग्राम तहसील बांसवाड़ा	39	670	3857–09 बीघा
4.	तहसील-घाटोल	40	709	3931–15 बीघा
	तहसील गढ़ी	79	2029	11234–01 बीघा
	तहसील-बागीदौरा	10	174	777–09 बीघा
	योग ..	168	3582	19800–14 बीघा
	महायोग ..	182	4083	24498–09 बीघा 9799–38 एकड़

Page No. 195

(1017)

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 9 की सूची

सूची

सिरोही जिले में प्रस्तावित लघु सिंचाई योजनाएं:—

	नाम	अनुमानित सिंचाई
1.	वीरावत सिंचाई योजना	192 हैक्टेयर
2.	मून्दला सिंचाई योजना	178 हैक्टेयर
3.	उड़वाड़िया सिंचाई योजना	338 हैक्टेयर

192

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची

राज्य में 1 जनवरी, 1981 से 31 अगस्त, 1981 तक की डकैती/लूटपाट के अपराधों की जिलेवार सूची—

क्र.सं.	नाम जिला		डकैती	लूट
1.	अजमेर	..	8	56
2.	जयपुर	..	8	110
3.	भरतपुर	..	25	81
4.	अलवर	..	6	37
5.	सवाई माधोपुर	..	8	43
6.	बीकानेर	..	4	34
7.	चूरू	..	1	9
8.	गंगानगर	..	—	38
9.	सीकर	..	2	24
10.	झुंझुनू	..	1	7
11.	जोधपुर	..	3	70
12.	बाड़मेर	..	..	13
13.	जैसलमेर	..	..	7
14.	जालोर	..	..	15
15.	नागौर	..	5	29
16.	पाली	..	5	28
17.	सिरोही	..	..	5
18.	कोटा	..	2	30
19.	बूंदी	..	1	24
20.	झालावाड़	..	..	16
21.	टोंक	..	..	5
22.	उदयपुर	..	1	43
23.	बांसवाड़ा	..	1	22
24.	भीलवाड़ा	..	1	32
25.	चित्तौड़गढ़	..	2	35
26.	डूंगरपुर	..	..	8
27.	जी. आर. पी.	..	4	8
	योग	..	88	829

राज्य में सन् 1981 के पिछले 7 माह में विभिन्न जिलों में डकैती व लूट के अपराधों की जिलवार सूची—

क्र.सं.	नाम जिला	डकैती	माल गया	माल बरामद	मुलजिम गिरफ्तार	लूट	माल गया	माल बरामद	मुलजिम गिरफ्तार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	7	129900/-	107400/-	26	49	35090/-	9794/-	72
2.	जयपुर	7	131000/-	78000/-	19	96	243470/-	20200/-	53
3.	अलवर	5	5600/-	—	9	26	14878/-	3889/-	9
4.	भरतपुर	23	216172/-	7817/-	40	63	424569/-	395920/-	54
5.	सवाई माधोपुर	7	404200/-	403000/-	17	39	104521/-	86700/-	13
6.	टोंक	—	—	—	—	5	6943/-	—	—
7.	बूंदी	1	तफ्तीश से झूठी रही		—	23	52550/-	14150/-	17
8.	कोटा	1	2500/-	100/-	2	27	45920/-	5960/-	15
9.	झालावाड़	—	—	—	—	15	7802/-	1435/-	6
10.	जोधपुर	3	3890/-	—	5	70	42498/-	15628/-	81
11.	जालौर	—	—	—	—	13	23350/-	20900/-	12
12.	नागौर	5	201/-	—	—	27	15905/-	14995/-	34
13.	पाली	5	61500/-	60300/-	21	28	11835/-	4700/-	34
14.	बाड़मेर	—	—	—	—	13	11080/-	6080/-	12
15.	जैसलमेर	—	—	—	—	6	65660/-	46850/-	3
16.	सिरोही	—	—	—	—	5	2325/-	325/-	1
17.	बीकानेर	4	90561/40	90302/-	11	33	35282/-	22471/-	28
18.	गंगानगर	—	—	—	—	36	337721/-	246713/-	34
19.	सीकर	2	36080/-	100/-	—	3	70089/-96	64500/96	16
20.	झुंझुनू	1	तफ्तीश से डकैती नहीं पाई गई		5	7	43679/-	39750/-	9

Page No. 198

(199)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	चूरू	1	25000/-	25000/-	6	5	5685/-	2500/-	7
22.	उदयपुर	1	37461/-	—	14	8	2900/-	2900/-	10
23.	भीलवाड़ा	1	3000/-	—	—	30	42617/-	39083/-	23
24.	बांसवाड़ा	1	5000/-	तफ्तीश से झूंठा पाया गया		19	3702/.	4116/-	20
25.	डूंगरपुर	—	—	—	—	8	2900/-	1560/-	10
26.	चित्तौड़ गढ़	1	4782/-	1046/-	9	28	13616/-	8092/-	19
27	जी.आर.पी.	4	207359/-	5000/-	9	8	29962/-	23165/-	12
	योग..	80	1364206.40	776265/-	193	690	1701549.96	1102376.96	604

(195)

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची

राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जाने वाले सीमेंट के कारखानों की सूची:-

वृहद सीमेंट के कारखानें

क्रम संख्या	इकाई का नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता (लाख टनों में)	
1.	मैसर्स श्रीराम कैमिकल्स	लाडपुरा (कोटा)	2-00	
2.	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	दिगोद (कोटा)	4-20	
3.	मैसर्स कुशल चन्द्र सुराना	किवरली (सिरोही)	4-00	
4.	मैसर्स सी. पी. कनोई	शंभूपुरा (चित्तौड़गढ़)	4-20	
5.	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	,,	7-20	
6.	मैसर्स जिनिथ स्टील पाईप्स लि.	परसोली (चित्तौड़गढ़)	5-00	
7.	मैसर्स स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि.	बनास (सिरोही)	4-18	
8.	मैसर्स श्री सीमेंट कम्पनी लि.	ब्यावर (अजमेर)	12-00	
	मिनी सीमेंट कारखानें			
1.	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	गोटन (नागौर)	50,000	मैट्रिक टन
2.	मैसर्स एम. एस. राजपुरोहित	आबूरोड (सिरोही)	66,000	,,
3.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., जयपुर	गोटन (नागौर)	,,	,,
4.	,,	कोटपुतली (जयपुर)	,,	,,
5.	,,	जैतारण (पाली)	,,	,,
6.	,,	नीम का थाना (सीकर)	,,	,,
7.	,,	बिलाड़ा (जोधपुर)	,,	,,
8.	,,	आबूरोड (सिरोही)	,,	,,

(196)

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूची

मीटर वाले नल कनेक्शनों की सूची

जल योजना, सुवेल

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	सर्विस संख्या
1	2	3
1.	श्रीमती हातिमी हुसैनी द्वारा मोहम्मद हुसैन जरीवाला	467
2.	श्री मोहम्मद हुसैन आ. ताहेर अली अरावाला	604
3.	श्रीमती हुसैनी बाई नजर अली, सेफीपुरा	527
4.	श्री वहीद हुसैन इस्माईल, भा. पिड़ावा रोड	286
5.	श्री बशीर हुसैन खुबान खां, पीड़ावा रोड	226
6.	श्री छोटेखां चांदखां, पिड़ावा रोड	287
7.	श्री चुन्नीलाल गांदाजी लुहार	18
8.	श्री पिन्दा अली इब्राहीम भूरिया, पिड़ावा रोड	509
9.	श्री अब्दुल रहीम रुस्तमर्जा	132
10.	श्री मोहम्मद हुसैन पिफदा हुसैन कोटा वाला, सेकपुरा	651
11.	श्री जाबीर हुसैन अहमद अली ठेकावाला, सेकपुरा	652
12.	श्री याकूब खां गुलाब, पिड़ावा रोड	244
13.	श्री अब्दुल रहमान मोहम्मद शाह, पिड़ावा रोड	144
14.	श्री बशीर मोहम्मद कसाई, पिड़ावा रोड	233
15.	श्री हातिम भाई अब्दुल रसूल ताहेरी, पिड़ावा रोड	16
16.	श्री अब्दुल हजाक आ. सुलेमान मिस्त्री, पिड़ावा रोड	358
17.	श्री शब्बीर आ. हसन अली हिंगन, पिड़ावा रोड	567
18.	श्री नबीनूर अब्दुल करीम, पिड़ावा रोड	242
19.	श्री मोहम्मद हुसैन कमरुद्दीन मीठाई वाला, पिड़ावा रोड	93
20.	श्री कमरुद्दीन मोहम्मद अली, पिड़ावा रोड	70
21.	श्री खान अली फजले हुसैन टी एजेण्ट, पिड़ावा रोड	382
22.	श्री तैयब अली कुतुब अली, पिड़ावा रोड	634
23.	श्री कुतुबुद्दीन अब्दुल हुसैन, जोरापुर वाला, पिड़ावा रोड	302
24.	श्री अब्दे अली अहमद अली, पिड़ावा रोड	500
25.	श्री फिदा हुसैन मिठाई वाला, पिड़ावा रोड	165
26.	श्री असगर भाई अ. हुसैन, पिड़ावा रोड	340
27.	श्रीमती मरियम बाई मोहसिन भाई, पिड़ावा रोड	526
28.	श्रीमती फातिमा बाई नजर अली, पिड़ावा रोड	321
29.	श्री अली मोहम्मद मोहम्मद आ. रसूलजी, पिड़ावा रोड	377
30.	श्री हकीमी हाउसिंग सोसायटी बोहरा जमात द्वारा, बनारस वाला	536
31.	श्री गुलाब अब्बास फजेल हुसैन गोहर	546
32.	श्री अहमद अली मास्टर, कमलीपुरा	126

(197)

1	2	3
33.	श्री अलीमुद्दीनजी, कंगलीपुरा	123
34.	श्री भंवरलाल राठौड़, कंगलीपुरा	74
35.	श्रीमती बतूल बाई मोहसिन भाई, कंगलीपुरा	510
36.	श्री चांदखां पेंशनगर, कंगलीपुरा	152
37.	श्री मोहम्मद हुसैन वली मोहम्मद कंगलीपुरा	362
38.	श्री रामलाल मेहरा, नवलपुरा	52
39.	श्री खान अली रजब अली रंगूनवाला, सेकपुरा	662
40.	श्री मोहम्मद इस्माईल फिदा हुसैन	524
41.	श्री इस्माईल भाई इलाही बख्श, रंजा चौक	221
42.	श्री महर्षि गौतम समिति द्वारा बालाराम दूबे	267
43.	श्रीमती मूली बाई नानूराम तेली, मेन रोड	51
44.	श्रीमती शायरा बानो कादर भाई बम्बई वाले	486
45.	श्री बाबू भाई शेर खां	131
46.	श्री कन्हैया लाल रामगोपाल, रंजा चौक	45
47.	श्री राजमल बलीकी, रंजा चौक	292
48.	श्री यासीन मोहम्मद गोरी, रंजा चौक	147
49.	श्री बालमुकुन्द पुरोहित, भामेश्वर मोहल्ला	122
50.	श्री नाथूलाल भण्डारी, भामेश्वर मोहल्ला	58
51.	श्री रामप्रसाद, आर्यसमाज रोड, भामेश्वर मोहल्ला	109
52.	श्री रामचन्द्र कन्हैयालाल तमोली, भामेश्वर मोहल्ला	124
53.	श्री कन्हैयालाल कंवरलाल, आर्यसमाज रोड	236
54.	श्री गिरधारीलाल ओंकारलाल, भामेश्वर मोहल्ला	28
55.	श्री कल्याण मल जगन्नाथ, भामेश्वर मोहल्ला	75
56.	श्री राधेश्याम कालूजी तिवारी, नवलपुरा	136
57.	श्री दौलतराम मथुरालाल गुप्ता, नवलपुरा	78
58.	श्री बसन्तीलाल मथुरलाल गुप्ता, खिड़की चौक	129
59.	श्री त्रिलोकचंद शंकर लाल, नवलपुरा	76
60.	श्री पन्नालाल रामचन्द्रजी जोशी, नवलपुरा	268
61.	श्री भैरूलाल मांगीलाल राठौड़, नवलपुरा	279
62.	श्री नंदकिशोर रामचन्द्र पुरोहित, नवलपुरा	47
63.	श्री भंवरलाल, राम रोड, नवलपुरा	277
64.	श्री बाबूलाल कंवरलाल जैन, नवलपुरा	38
65.	श्रीमती रामकिशनी बाई विमन गौड़, नवलपुरा	285
66.	श्री भवानीराम तिवारी, नवलपुरा	32
67.	श्री दौलतराम व्यास, नवलपुरा	359
68.	श्री कन्हैयालाल धर्नसिंह, नवलपुरा	224
69.	श्री भवानी सिंह, नवलपुरा	162
70.	श्री मदनलाल भवानीशंकर व्यास, नवलपुरा	177
71.	श्री देवी लाल तिवारी, नवलपुरा	249
72.	श्री दल्लाजी भंवरलालजी माली, नवलपुरा	251
73.	श्री मथुरालाल कंवरलाल जी माली, नवलपुरा	253
74.	श्री मांगी लाल डालूराम जी, नवलपुरा	252

(1d)

1	2	3
75.	श्री रमेशचन्द सोलंकी, नवलपुरा	169
76.	श्री दौलतराम जगन्नाथ व्यास, नवलपुरा	64
77.	श्री राजेन्द्र कुमार मांगीलाल व्यास, नवलपुरा	378
78.	श्री चन्द्रशेखर चुन्नी लाल पुरोहित, नवलपुरा	20
79.	श्री रामचन्द्र नारायणजी व्यास, नवलपुरा	155
80.	श्री कन्हैलाल डूंगा जी जोशी, नवलपुरा	422
81.	श्री दुर्गाशंकर, अध्यापक, नवलपुरा	159
82.	श्री गोविन्द प्रसादजी जोशी, नवलपुरा	57
83.	श्री रामनाथ आ. रामरतन महाजन, नवलपुरा	39
84.	श्री बालचंद विरधीचन्द, नवलपुरा	77
85.	श्री शिवनारायण रामचन्द्र जोशी, शिव मन्दिर के पास	387
86.	श्री लाल चन्द आ. रामनिवास गुप्ता, नवलपुरा	592
87.	श्री पन्नालाल गोपी लाल राठौड़ कुम्हार मोहल्ला,	203
88.	श्री बलदेव दास वैरागी कुम्हार, मोहल्ला	44
89.	श्री गोपी लाल गणेश जी कुम्हार, मोहल्ला	43
90.	श्री रामकरण रामप्रताप द्वारा रामकिशन गुप्ता, कुम्हार मोहल्ला	550
91.	श्री रामगोपाल सोनी सुनार, मोहल्ला	36
92.	श्री कालूराम नन्दराम हलवाई, सुनार मोहल्ला	130
93.	श्री रामनारायण भंवरलाल महाजन, सुनार मोहल्ला	65
94.	श्री राधेश्याम नंदलाल गौड़, कचहरी चौक	223
95.	श्री रतनलाल धूलाजी गौड़, कचहरी चौक	187
96	श्री भंवरलाल जगन्नाथजी वैरागी, कचहरी चौक	202
97.	श्री दौलतराम राममन्दिर गली	118
98.	श्री रुपचंद पन्नाजी छीपा, कचहरी चौक	166
99.	श्री मोहनलाल नानूराम गौड़, कचहरी चौक	275
100.	श्री नारायण गोडराम, मन्दिर के पास	184
101.	श्री गोविन्दराम, कचहरी चौक	171
102.	श्री जयराम नारायण मोडक, कचहरी चौक	54
103.	श्री दौलतराम चौबे, कचहरी रोड़	442
104.	श्री बालाराम गणपतजी, कचहरी रोड़	17
105.	श्री हातिम भाई अब्दुल रसूल, कचहरी रोड़	399
106.	श्री भुवान आ. रामचन्द्र भण्डारी, कचहरी रोड़	243
107.	श्री मोहम्मद हुसैन कमरअली गच्छा, कचहरी रोड़	407
108.	श्री कुतब अली अकबर अली, कचहरी रोड़	641
109.	श्री आसमाबाई अब्दुल हुसैन मूसार, कचहरी रोड़	317
110.	श्री सालेह भाई गुलाम अब्बास, कचहरी रोड़	573
111.	श्री अली हुसैन खान भाई, धाणा चौक	533
112.	श्री कालूराम ओंकारजी, कचहरी रोड़	259
113.	श्री रामचन्द्र गेंदाजी गौड़, धाणा चौक	354
114.	श्री कंवर लाल नागर, धाणा चौक	263
115.	श्री गिरधारीलाल नारायणजी चौधरी, धाणा चौक	245
116.	श्री भैरू लाल चतुभज लखारा, सर्राफ गली	171

1	2	3
117.	श्री प्रभूलाल ग्रा. रामलाल भंडारी, धाणा चौक	379
118.	श्री देवीलाल धन्नालाल भंडारी, धाणा चौक	372
119.	श्री जमनालाल चांदमल चौपड़ा, पीपली के पास	395
120.	श्री जमनालाल चांदमल चौपड़ा, धाणा चौक	234
121.	श्री बालाराम मोड़जी छत्री, धाणा चौक	108
122.	श्री देऊ बाई हीरालाल मण्डलोई, धाणा चौक	96
123.	श्री बालाराम ग्रा. रामचन्द्र राठौड़, धाणा चौक	294
124.	श्रीमति धापूबाई भंवरलाल, छत्री चौक	128
125.	श्री प्रभूलाल मांगीलाल शर्मा, धाणा चौक	261
126.	श्री मोती लाल कालूजी, खत्री चौक	235
127.	श्री कंवरलाल देवीलाल राठौड़, धाणा चौक	238
128.	श्री बापू लाल गंगाधर, छत्री चौक	535
129.	श्री भूपेन्द्र कुमार बाबूलाल तिवारी, छत्री चौक	106
130.	श्री रतनलाल घासीलाल कुमावत, छत्री चौक	114
131.	श्री बसंतीलाल जवानमल जैन, छत्री चौक	453
132.	श्रीमती मुका बाई हकीममद्दीन, धाकडों का नोहरा	679
133.	श्री जगन्नाथ नंदलाल भावसार, इमलीपुरा	218
134.	श्री राधाकिशन भैरव जी खेण्डेलवाल, इमलीपुरा	217
135.	श्री रजब ग्रली मोहम्मद ग्रली, धाकडी के नोहरे के पास	564
136.	श्री रामनारायण मांगीलाल कुमावत; मुरलीधर रोड	278
137.	श्री किशनलाल मेडीकल प्राईवेट प्रेक्टिस, मुरली रोड़	337
138.	श्रीमती तीजाँ बाई ग्रापन ग्रली, मुरली रोड़	683
139.	श्री ग्रन्जूम नजमी, दाऊदी बोहरा जमात	542
140.	श्री बालाराम नारायणजी, मरलीधर मन्दिर रोड़	272
141.	श्री धन्नालाल गुप्ता, मुरलीधर मन्दिर रोड़	189
142.	श्री किशनलाल मोतीलाल, मरलीधर मन्दिर रोड़	190
143.	श्री बापूलाल लक्ष्मीनारायण; मरलीधर मन्दिर रोड़	191
144.	श्री ग्रब्बास भाई ग्रली हुसैन हिगन घाटवाला, मुरलीधर मन्दिर रोड़	654
145.	श्री नाथूलाल भंरवजी राठौड़, मुरली रोड़	196
146.	श्रीमती छकया बाई हुसन ग्रली, मुरली रोड़	388
147.	श्री मोहम्मद हुसैन अकबर ग्रली मीडला वाला	315
148.	श्री ग्रसगर भाई इस्माईल जी उदयपुर वाला	349
149.	श्री फिदा हुसैन हुसनजी सीलकिया, सैफीपुरा	173
150.	श्री रमेशचन्द मथुरालाल व्यास, नीम चौक	180
151.	श्रीमती जेहरा बाई ग्रासमा बाई लपाट, मुरलीधर रोड़	493
152.	श्री रामचन्द्र कंवरलाल, मुरलीधर रोड़	172
153.	श्री घासीलाल बालमकुन्द, छत्री चौक	117
154.	श्री मधुसुदन कन्हैयालाल पटेल, मुरलीधर रोड़	120
155.	श्री ग्रोसवाल समाज द्वारा बसंतीलाल चौपड़ा, मुरलीधर रोड़	306
156.	श्री घासीलाल मोड़जी वर्मा, मुरलीधर रोड़	121
157.	श्री मांगीलाल रामप्रताप महेशवरी, मुरलीधर रोड़	181
158.	श्री हुकमचन्द केसरीलाल जैन, छत्री चौक	240

1	2	3
159.	श्री कन्हैयालाल मदनलाल गुप्ता, छत्री चौक	219
160.	श्री कन्हैयालाल मोडूजी, छत्री चौक	125
161.	श्री गुलाम हुसैन इस्माईल जी जीरापुर वाला, पोस्ट ग्राफीस के पास	225
162.	श्री मती मरियम बाई अब्बास भाई, पोस्ट ग्राफिस के पास	260
163.	श्री नारायणजी गुलाबजी, लुहार दरवाजा	158
164.	श्री हुसन ग्रली इस्माईलजी, लुहार दरवाजा	421
165.	श्री फिदा ग्रली इस्माईल भाई, सेफीपुरा	8
166.	श्री फजेल हुसैन गुलाम हुसैन, सेफीपुरा	9
167.	श्री बद्दीन ग्रली मो. नागपुर वाला, सेफीपुरा	206
168.	श्री ग्रहमद ग्रली इब्राहीमजी, सेफीपुरा	12
169.	श्री फजेल ग्रली कादर ग्रली तांबा वाला सेफीपुरा	172
170.	श्री अब्दूल हुसैन फिदा हुसैन रामपुरा वाला, सेफीपुरा	146
171.	श्री सफिया बाई फिदा हुसैन, सेफीपुरा	384
172.	श्री ग्रहमद ग्रली ग्र. रहीम रसानी, सेफीपुरा	11
173.	श्री फजेल ग्रली कादरजी तांबा वाला सेफीपुरा	46
174.	श्री हसन ग्रली इस्माईलजी, सेफीपुरा	673
175.	श्री कुतुब ग्रली मो. ग्रली बारी वाला, सेफीपुरा	14
176.	श्री ग्रतीका बाई फकरुद्दीन सूलिया वाला, सेफीपुरा	437
177.	श्री साकिना बाई इस्माईलजी जरीवाला, सेफीपुरा	492
178.	श्री फजेल हुसैन ग्रली मोहम्मद मनकीया, सेफीपुरा	246
179.	श्री ग्रयुब भाई फजेल ग्रली, सफीपुरा	537
180.	श्री इस्माईल जी ग्रब्दुल रहीमजी विलासपुर वाला	347
181.	श्री गुलाम हुसैन कुतुब ग्रली दरोगा, सेफीपुरा	101
182.	श्री नजर ग्रली खान ग्रली, सेफीपुरा	7
183.	श्री फजेल ग्रली कुतब ग्रली ग्रारी वाला, सेफीपुरा	149
184.	श्री फिदा हुसैन इब्राहीमजी पाटेवाला, सेफीपुरा	116
185.	श्री मोहसिन हुसैन ग्रब्दुल हुसैन सेफीपूरा	143
186.	श्रीमती ग्रासमा बाई फिदा ग्रली दीशाय, सेफीपुरा	
187.	श्रीमती रसूल भाई इब्राहीम जी, सेफीपुरा	138
188.	श्री इस्माईलजी हसनजी श्याम वाले, सेफीपुरा	150
189.	श्री इब्राहीम जी ग्रली भाई सूलिया वाला, सेफीपुरा	322
190.	श्री इब्राहीम जी, मो. ग्रली सेफीपुरा	558
191.	श्री इस्माइल जी खान भाई कपासिया वाला, सेफीपुरा	148
192.	श्री कुर्बान हुसैन फिदा हुसैन, सेफीपुरा	643
193.	श्री सेफदीन ग्रहमद ग्रली, सेफीपुरा	280
194.	श्री इस्माईल जी इब्राहीम जी उदयपुर वाला, सेफीपुरा	353
195.	श्री फिदा हुसैन ग्रली मो. भनकिया, सेफीपुरा	439
196.	श्री हसन ग्रली ग्रली मोहम्मद, सेफीपुरा	270
197.	श्री ग्रली मो. हसन जी कदा, सेफीपुरा	26
198.	श्री तय्यब ग्रली कादर ग्रली, सेफीपुरा	139
199.	श्री ग्राबिद हुसैन रसीद, सेफीपुरा	449
200.	श्री गुलाम फकरुद्दीन, सेफीपुरा	6

1	2	3
201.	श्री कासम अली गुलाम वली, सेफीपुरा	327
202.	श्री कासम अली गुलाम अली, सेफीपुरा	3
203.	श्री गुलाम अब्बास कमर अली टोपी वाला, सर्राफ गली	424
204.	श्री शेखाफदा अली गुलाम अली, बैंक के सामने	637
205.	श्री फकरुद्दीन गुलामअली, बैंक के सामने	661
206.	श्रीमती फतिमा बाई खान अली मालदेवी वाला, मोमिन गली	516
207.	श्रीमती जैहरा बाई नोमान भाई, मोमिन गली	355
208.	श्री वसूल भाई गुलाम अब्बास ठेका वाला	514
209.	श्री रसूल भाई तैयब अली पाटन वाला, मोमिन गली	516
210.	श्री कलसुम बाई रसूल भाई, मोमिन गली	587
211.	श्री रामेश्वर आ. डोंगर सिह, मोमिन गली	329
212.	श्री कन्हैया लाल चोपड़ा, जैन मन्दिर	40
213.	श्री हुसैन भाई खान अली भाई	531
214.	श्री गुलाम अली फैदा हुसैन, सर्राफ गली	5
215.	श्री अब्दुल रसूल रजब अली सक्काला सर्राफ गली	490
216.	श्री गुलाम अली हसन जी रंगून वाला, सर्राफ गली	79
217.	श्री फिदा हुसैन नागरपुर वाला, सर्राफ गली	330
218.	श्री हुसैन बाई गुलाम अली, सर्राफ गली	440
219.	श्री अ. रसूल इस्माईलजी, सर्राफ गली	27
220.	श्री गुलाम अब्बास तैय्यब अली, सर्राफ गली	255
221.	श्री अब्दुल तैयब फिदा हुसैन, सर्राफ गली	4
222.	श्री कुरबान हुसैन गुलाम अली, सर्राफ गली	2
223.	श्री सेफुद्दीन जरीवाला, सर्राफ गली	23
224.	श्री कमर अली अ. हुसैन मालदी वाला, सर्राफ गली	351
225.	श्री गुलाम अली, सर्राफ गली	19
226.	श्री फिदा अली रजब अली चौधरी, सर्राफ गली	22
227.	श्रीमती सकीना बाई फिदा हुसैन अब्दुल कसर, सर्राफ गली	24
228.	श्री गुलरम अली अ. हुसैन; सर्राफ गली	303
229.	श्रीमती आसमा बाई अब्दुल हुसैन मूसा, सर्राफ गली	23
230.	श्री फजेल अली मोहर, सर्राफ गली	53
231.	श्री बद्रीलाल रामनिवास, सर्राफ गली	49
232.	श्री गुलाम गोहर, सर्राफ गली	380
233.	श्री ताहेर अली फजेल अली अफ्रीका वाला, सर्राफ गली	216
234.	श्री सेफुद्दीन तैयब अली, गुजर पाड़ा	482
235.	श्री अमीना बाई अली हुसैन जरीवाला, वार्ड नम्बर 4	385
236.	श्री शब्बीर रसूल भाई नहारियां, वार्ड नम्बर 4	417
237.	श्री सादिक अली रसूलजी, वार्ड नम्बर 4	13
238.	श्री अ. रसूल इस्माईलजी, भटूरियां मेन रोड	676
239.	श्री फकरुद्दीन अब्दुल हुसैन टोपी वाला	227
240.	श्री गुलाम हुसैन तैय्यब अली नागपुर वाला	435
241.	श्री फैदा अली अब्दुल जी ठेका वाला	81
242.	श्री हुसन अली कुर्बान हुसन जरीवाला मानसिंह गली	497

Page No. 206

(202)

1	2	3
243.	श्री सैफद्दीन आदम अली, मानसिंह गली	59
244.	श्री फजेल अली युसुफ अली, मानसिंह गली	548
245.	श्री सेखुद्दीन तैयब अली, मानसिंह गली	309
246.	श्री नानूराम गणेश जी गूजर, मानसिंह गली	161
247.	श्रीमती आसमा बाई अली हुसैन टोपी वाला, मानसिंह गली	672
240.	श्री अब्दुल रसूल सुलतान अजल लोमड़ी वाला, मानसिंह गली	487
249.	श्री अब्दुल अली मोहम्मद इन्दौर वाला, मानसिंह गली	488
250.	श्री शबीर भाई अली हुसैन ट्रक वाला, मानसिंह गली	684
251.	श्री मोहम्मद हुसैन फिदा हुसैन लीलवाला, मानसिंह गली	301
252.	श्री भैरूलाल चतुर्भज टेलर धाकड़, मन्दिर के पास	211
253.	श्री हकीमी हाउसिंग सोसाइटी, मानसिंह गली	626
254.	श्री मथुरालाल घासीजी, मोहल्ला	154
255.	श्रीमती घीसीबाई, धाकड़ मोहल्ला	111
256.	श्री अली भाई अब्दुल हुसैन, मानसिंह गली	140
257.	श्री हसन अली कादरजी, मानसिंह गली	569
258.	श्री चैन सिंह मण्डोली, धाकड़ मोहल्ला	153
259.	श्री पन्नालाल मन्नालाल सोनी, धाकड़ मोहल्ला	68
260.	श्री कुतुब अली इस्माईल अली जरीवाला, धाकड़ मोहल्ला	48
261.	श्री मांगीलाल मन्नालाल सोनी, धाकड़ मोहल्ला	328
262.	श्री धन्नालाल दौलतसिंह मण्डलोई, धाकड़ मोहल्ला	325
263.	श्रीमती सापिया बाई जरीवाला, धाकड़ मोहल्ला	50
264.	श्री फतेह अली अली मोहम्मद दागीना वाला	274
265.	श्री इस्माईलजी युसुफ अली, राम मन्दिर चौक	297
266.	श्री कन्हैयालाल भंवरलाल गुप्ता, राम मंदिर चौक	100
267.	श्री नेमीचन्द पदम कुमार जैन, मन्दिर गली	112
268.	श्री राजमल बुलाकीचन्द जैन, मंदिर गली	462
269.	श्री श्री राम नाथूजी, रजा चौक	288
270.	श्री सोहनलाल व्यास मंदिर गली	300
271.	श्री भैरू लाल पालीवाल, रजा चौक	97
272.	श्री अंकटलाल घासीवाल, राम मन्दिर गली	431
273.	श्री नानू राम भैरू लाल टेलर, कृष्ण मन्दिर के पास	60
274.	श्री बाल मुकुन्द रामनाथ, कृष्ण मन्दिर के पास	61
275.	श्री राम किशन रामचन्द पालीवाल, कृष्ण मन्दिर के पास	374
276.	श्रीमती आसमा बाई अली मोम्महद पाटेवाला, बड़ी मस्जिद के पास	41
277.	श्री सैयद अली गुलाम अली दामा, पाटेवाले की गली	103
278.	श्री मोहसिन भाई फिदा हुसैन मिठाई वाला, पाटेवाले की गली	21
279.	श्रीमती रतन बाई कमरुद्दीन पाटेवाले की गली	318
280.	श्री मोहम्मद हुसैन नजर अली मिठाई वाला, पाटेवाले की गली	426
281.	श्रीमती अमीना बाई इस्माईल के मलमल, इब्राहीम पुरा	323
282.	श्री गुलजार हुसैन नजर अली जारोपुरा वाला, वार्ड नं. 8	316
283.	श्री नजर अली मोहम्मद अली मिठाई वाला, वार्ड नं. 8	90
284.	श्री कादर भाई तैयाब अली, इब्राहीम पुरा	313

203

1	2	3
285.	श्री सेफोदीन तैयब अली, भीलवाड़ा	481
286.	श्री फिदा अली टेलर, इब्राहीमपुरा	35
287.	श्री कुर्बान हुसैन अ. हुसैन	396
288.	श्री खान अली इब्राहीमजी, मिठाई वाला	99
289.	श्री अली हुसैन इब्राहीमजी ठेके वाला, भीलवाड़ा	55
290.	श्री तैयब अली रसूलजी पान वाला, भीलवाड़ा	37
291.	श्री सेफुद्दीन इब्राहीम जी ठेके वाला, भीलवाड़ा	496
292.	श्री अब्दुल अली इब्राहीम जी ठेकेवाला, भीलवाड़ा	507
293.	श्रीमती बिलकिशन बाई अली, हुसैन, इब्राहीमपुरा	598
294.	श्री अमान भाई अहमद अली, भीलवाड़ा	289
295.	श्री इस्माईल जी अय्युब अली, देवरा के पास	298
296.	श्रीमती मैमुना बाई फकरुद्दीन, देवरा के पास	657
297.	श्री मोहम्मद हुसैन अब्दुल हुसैन अली, बड़ी मस्जिद के पास	83
298.	श्री अब्देअलीफिदा हुसैन कोटा वाला, मस्जिद के पास	85
299.	श्री फजेल हुसैन अब्दुलजी टी एजेन्ट, मस्जिद के पास	25
300.	श्री सैफद्दीन अली मुद्दीन मामा खिलचीपुर वाला, मस्जिद के पास	29
301.	श्री इब्राहीम जी कादरजी, बड़ी मस्जिद के पास	34
302.	श्री अब्दुल रसूल अली भाई लपाट	348
303.	श्री आदम अली तैयब अली	163
304.	श्री इस्माईलजी गुलाम अली मालदेवी वाला, बड़ी मस्जिद के पास	182
335.	श्रीफकरुद्दीन नाथूजी जरीवाला, भीलवाड़ा	304
306.	श्री मोहसिन भाई अब्बास भाई, भीलवाड़ा	405
307.	श्री खान अली रजब अली रंगून वाला, बड़ी मस्जिद के पास	271
308.	श्री हसन अली इस्माईल अली जरीवाला, भीलवाड़ा	62
309.	श्री फजैल अली कमर अली बहिरा, मस्जिद के पास	250
310.	श्री कमरुद्दीन कादरजी, बड़ी मस्जिद के पास	483
311.	श्री नजमुद्दीन अहमद अली, भीलवाड़ा	232
312.	श्री फजेल अली कुर्बान हुसैन, भीलवाड़ा	468
313.	श्री कलीमुद्दीन कादर भाई मिठाई वाला, भीलवाड़ा	186
314.	श्री दासई इमारत वोहरा जमात अमीन, सा. भीलवाड़ा	94
315.	श्री फजेल हुसैन अ. हुसैन सूरत वाला, भीलवाड़ा	441
316.	श्रीमती सबाब बाई फकरुद्दीन मिठाई वाले के पास	381
317.	श्री आसमा बाई सूल बाई नागपुर वाला	199
318.	श्री फकरुद्दीन नजर अली नागपुर वाला	201
319.	श्री अली हुसैन अब्दे अली नागपुर वाला	200
320.	श्री मोहम्मद हुसैन अली भाई नागपुर वाला, जमालखाना गली	665
321.	श्री अब्दुल हुसैन पिदा हुसैन सूरत वाला	239
322.	श्री फिदा अली अली भाई नागपुर वाला	291
323.	श्री अब्दुल रसूल लुकमानजी रंगून वाला	82
324.	श्री मोहम्म हुसैन गुलाम हुसैन हकीम	30
325.	श्रीमती अमतुल्ल बाई अली भाई	633
326.	श्रीमती रुक्या बाई नोमान भाई, मोहियतपुरा	523

1	2	3
327.	श्री शब्बीर हुसैन अब्दे अली जरीवाला, मोहियतपुरा	345
328.	श्री इब्राहीमजी अ. हुसैन पैट्रोल वाला, मोहियतपुरा	299
329.	श्री कमरुद्दीन अ. रहीम, जेलर, राम मन्दिर के पास	205
330.	श्री खान अली कादरजी, राम मन्दिर के पास	204
331.	श्री गुलाम अब्बास इस्माईल जरीवाला, राम मन्दिर के पास	102
332.	श्री पिका हुसैन सुलतान अली कपडेवाला, राम मन्दिर के पास	87
333.	श्री फजले हुसैन गुलामअली कोठड़ी वाला, राम मन्दिर के पास	446
334.	श्री सेफुद्दीन कादरजी, मोहियतपुरा	209
335.	श्री इस्माईल अली फिदा अली जरीवाला, जमात खाने के पास	646
336.	श्री कमर अली अब्दुल जी मालक, जमानत खाने के पास	210
337.	श्री बतुल बाई कुर्बान हुसैन, जमातखाने के पास	67
338.	श्री इब्राहीम भाई रसूलजी बनारस वाला, मोहियतपुरा	69
339.	श्री अतीका बाई अ. रसूल, मोहियतपुरा	621
340.	श्री मोहसिन भाई इस्माईलजी श्याम वाला, मोहियतपुरा	448
341.	श्री रसूल भाई फिदा अली मलिक	91
342.	श्री सालेह भाई कादर भाई, पिड़ावा रोड	610
343.	श्री कुतुबुद्दीन अ. हुसैन जीरापुर वाला	597
344.	श्री फजले हुसैन गुलाम हुसैन गोहर, जमातखाना	667
345.	श्री अब्बास भाई आदम अली तीन खण्डी वाला, जमातखाना	198
346.	श्री मोहिसिन हुसैन नजर अली तीन खंडी वाला, जमातखाना	237
347.	श्री अब्बास अली आदम अली जबलपुर वाला, मोहियतपुरा	525
348.	श्री शब्बीर अली गुलाम अली राजी, जमातखाने के पास	258
349.	श्री हसन अली अ. हुसैन मक्का वाला, जमातखाने के पास	73
350.	श्री खान अली अली मो. अतरवाला, जमातखाने के पास	142
351.	श्री फतेह अली मो. दागीना वाला, जमातखाने के पास	137
352.	श्री बोहरा जमात खान मोहियतपुरा	89
353.	श्री अन्जुमन फेजी बुरहानी द्वारा फिदा हुसैन	369
354.	श्री शिवनारायण पुनम चंद, न. पा. के पास	92
355.	श्री सालेह भाई रसूल भाई नागपुर वाला, सेफपुरा	458
356.	श्री मथुरा लाल जोशी, मुरली मनोहर मन्दिर के पास	295
357.	श्री मोइज भाई अली हुसैन ठेके वाला, घाणा चौक	685
358.	श्री फातिमा बाई सैफद्धीन मामा, पिडावा रोड	425
359.	श्री एच टाइप क्वाटर, जलदाय विभाग	332
360.	श्री नूरुद्धीन आ. गुलाम अली, सर्राफ गली	696
361.	श्री अल्ला रखी बाई अकबर अली, मोहियद पुरा	697
362.	श्री असांरी, जमात द्वारा शबिर हुसैन: इमाम वाडा	699
363.	श्री इस्माइल आ. सबदर अली, इब्राहीम पुरा	700
364.	श्री प्रधानाध्यापक, राज. हायर सैकेण्डरी स्कूल	342
365.	श्री हैदरिया माध्य. विद्यालय, पिडावा रोड, सैफीपुरा	86
366.	श्री मेडीकल आफिसर गर्व हास्पिटल, सुनेल	305
367.	श्री एन. सी. गुप्ता मेडीकल आफिसर हास्पिटल के पास	42
368.	श्री आरक्षी अधिकारी, आरक्षी केन्द्र, सुनेल	262

(203)

1	2	3
369.	श्री कार्यालय जानवरों का अस्पताल, पिडावा रोड	335
370.	श्री विकास अधिकारी कार्यालय, पंचायत समिति	107
371.	श्री विकास अधिकारी वाडा भंडार, पंचायत समिति	110
372.	श्री चैयरमेन कार्यालय नगर पालिका, सुनेल	178
373.	श्री अधिशासी अधिकारी नगरपालिका के पास	447
374.	श्री शिवकुमार धन्ना लाल गुप्ता बस, स्टेण्ड	105
375.	श्री श्रीराम नारायण भुवान जी भंडारी बस, स्टेण्ड	571
376.	श्री अध्यक्ष नगरपालिका वार्ड नं. बी. के. पास	519
377.	श्री सहायक अभियन्ता, बिजली विभाग, सुनेल	319
378.	श्री इस्लाम पंचायत मस्जिद, कचहरी रोड द्वारा चांद खां	212
379.	श्री प्रधानाध्यापक, रा. प्रा. पाठशाला, कचहरी, रोड	264
380.	श्री मेकेनरी दाऊदी बोहरा जमात तैयब लाईब्रेरी	290
381.	श्री फिदा हुसैन रसूल जी मिठाई वाला, पी. श्रा. बिल्डिंग	164
382.	श्री बोहरा मस्जिद, सेफोपुरा, सुनेल	84
383.	श्री अध्यक्ष, नगरपालिका, बालाजी मंदिर के पास	517
384.	श्री हुकम चन्द केशरी लाल जैन, छत्री चौक	344
385.	श्री सार्वजनिक प्याऊ, मेन बाजार, सुनेल	398
386.	श्री सैकेण्डरी दाउदी बोहरा जमात, उर्स हाउस	423
387.	श्री कृषि ऊपज मण्डी समिति, भवानीमण्डी, सुनेल	312
388.	श्री अध्यक्ष, पालिका (नगर) घाणा चौक, पी. ए.स.पी.	520
389.	श्री अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, घाणा चौक	490
390.	श्री बोहरा बडी मस्जिद, भीलवाडा	80
391.	श्री बोहरा छोटी मस्जिद मौहियतपुरा, सुनेल	88
392.	श्री महर्षि गुजर गोड पंचायत द्वारा कन्हैया लाल तिवारी	401
393.	श्री पंचायत प्याऊ द्वारा दल्ला जो भंवर लाल जी, नवलपुरा	601
394.	श्री मोसिन मस्जिद साबिर हुसैन नूर मोहम्मद	605
395.	श्री आर्य समाज भवन द्वारा बद्री लाल गुप्ता, बस स्टेण्ड	664
396.	श्री फिदा हुसैन कादर जी रंगवाला	650
397.	श्री ललित कुमार विजय कुमार, शिव वल्डी चौक	670
398.	श्री नफीसा बाई मोइन भाई, वल्डी चौक	579
399.	श्री फिदा हुसैन फजल खां	68
400.	श्री हीरालाल भैरुलाल भण्डारी, पीपली चौक	160
401	श्री राधेश्याम नन्दलाल गोड, कचहरी चौक	223
402.	श्री शब्बीर/हसन अली	567

(206)

जल योजना

बिना मीटर वाले कनेक्शनों की सूची

क्र.संख्या 1	उपभोक्ता का नाम 2	सर्विस संख्या 3
1.	श्री भैरूंलाल आ. पन्नालाल लुहार, दरवाजा	281
2.	श्री दासम बक्स, पिड़ावा रोड	215
3.	श्री नाथूलाल भैरुजी लुहार	156
4.	श्री म. मजीद नसरत खां	469
5.	श्री सर्बसुरें इमान यकुब खां कसाई	324
6.	श्री जान मो. कालू खां	636
7.	श्री मजीद नजर मो.	451
8.	श्री भूरे खां ग्रमीर खां	649
9.	श्री मुनीर खां वजीर खां	648
10.	श्री म. रसीद म. हमीद	647
11.	श्री मो. नूर नस्रे खां	541
12.	श्री सत्तार खां केशर खां	465
13.	श्री शेल छोटे खां	360
14.	श्री बजीर मो. वली मोह., बस स्टेण्ड	410
15.	श्री हुसैन ग्रली मुब्बारक ग्रली	547
16.	श्री राम गोपाल शर्मा, वस स्टेण्ड	513
17.	श्री बंसती लाल कन्हैया लाल	551
18.	श्री हमीद म. बजीर, इस्लाम पुरा	459

207

1	2	3
19.	श्री उमराव खां कमरुद्दीन खां	460
20.	श्री इलीमुद्दीन चांद खां	574
21.	श्री कमदूराम कगंराम मेहर	666
22.	श्री केशव राम किशन जी	591
23.	श्री चुन्नी लाल नानू राम, कंगलीपुरा	491
24.	श्री मक्खीज खां सरदार खां	461
25.	श्री अलानूर खां	471
26.	श्री शब्बदीर खां मुनीर खां, अध्यापक	668
27.	श्री गोविन्द राम केशर राम, रामदारा के पास	473
28.	श्री धन्ना लाल मांगी लाल	475
29.	श्री डाला राम उदा जी	476
30.	श्री मांगी लाल श्री नारायण जी प्रजापत	477
31.	श्री भैरु लाल मांगी लाल प्रजापत	478
32.	श्री नने भाई वली मो.	540
33.	श्री अ. रजाक मांगी लाल पिंजारा	669
34.	श्री नन्द किशोर कालू राम शर्मा	371
35.	श्री कस्तूर चंद सीताराम सावन, रंजर चौक	113
36.	श्री दयाराम शिवनारायण गुप्ता, रंजर चोक	375
37.	श्री सत्तार भाई गफुर मोह.	606
38.	श्री कैलाश चन्द कालूराम जी सावन	582
39.	श्री आनन्दी लाल गणेश जी जैन	557
40.	श्री मो. भाई इंजीनियर	135

(208)

1.	2.	3.
41.	श्री सहीद मो. सेफुला मो.	363
42.	,, नूर मो. कासम बक्श	512
43.	,, मो. अमीन ड्राईवर कालीपुरा	658
44.	,, श्री छोटी बाई गुलाब जी	594
45.	,, मो. हुसैन लाल खां, कंगली पुरा	231
46.	,, रामदयाल मांगी लाल कुम्हार	578
47.	,, भूरा जी लक्ष्मण जी, कुम्हार मो.	627
48.	,, डालुराम दुलीचंद, रामदारा के पास	622
49.	,, छोटू खां मुस्तम, रामद्वारा के पास	623
50.	,, शेडू लाल कंवर लाल, कुम्हार मो.	620
51.	,, रामचंद राम रोड सुनार, रंजा मो.	600
52.	,, संग्राम सिंह बलवन्त सिंह	151
53.	,, रामचंद्र सोनी, शिव मंदिर चौक	474
54.	,, मदन लाल नारायण लाल व्यास	194
55.	,, हुरकचंद रामरतन सोनी	609
56.	,, लक्ष्मीनारायण कंवर लाल सोनी	678
57.	,, बालचंद बसंती लाल	500
58.	,, चतुर्भुज मुधु जी राठौड	554
59.	,, दौलत राम मथुरालाल	624
60.	,, कन्हैया लाल महाजन, नवलपुरा	193
61.	,, मोहन लाल बद्रीलाल गुप्ता, नवलपुरा	555

1.	2.	3.
62.	श्री बालचंद पुरोहित, चौक के पास	266
63.	,, रामशेखू टेलपर, नवलपुरा	565
64.	,, कन्हैया लाल रामरोड, नवलपुरा	566
65.	,, मोती चंद रामचन्द्र सिसोदिया	220
66.	,, राम चंद नानूराम राठौड़	489
67.	,, रामरोडू सीताराम राठौड़	530
68.	,, मोहन लाल नाथी जी	434
69.	,, भवानी शंकर, नवलपुरा	283
70.	,, शैतान सिंह, नवलपुरा	256
71.	,, बिहारी लाल	293
72.	,, रमेश चंद रामचंद सुतार	508
73.	,, भैरुं लाल भुवान जी राठौड़	133
74.	,, देवी लाल मुंशी, नवलपुरा	134
75.	,, नारायण प्रसाद व्यास, नवलपुरा	404
76.	,, सत्य नारायण रामचंद्र, नवलपुरा	625
77.	,, राधेश्याम रामगोपाल भण्डारी	629
78.	,, नर्मदा बाई किशन सिंह जी	334
79.	,, बापू सिंह, दौलत सिंह	500
80.	,, करन सिंह, नाथू सिंह सिसोदिया, नवलपुरा	501
81.	,, नाराण सिंह, सोडू सिंह, नवलपुरा	502
82.	,, दरयाब सिंह, निर्भय सिंह	503
83.	,, पर्वत सिंह, सरदार सिंह	499

Page No. 214

(210)

1	2	3
84.	श्री भगवत सिंह दलतपत सिंह, नवलपुरा	630
85.	श्री रामरोडू रामजी नाई	619
86.	श्री ओंकार लाल बालाराम नाई, नवलपुरा	608
87.	श्री कन्हैया लाल सीता राम व्यास ,,	457
88.	श्री मंगलाकांत तिवारी ,,	463
89.	श्री रामनारायण आनेन्दी लाल ,,	498
90.	श्री राम प्रसाद जगन्नाथ जोशी ,,	418
91.	श्री गोपाल सिंह दल्हेसिंह, नवलपूरा	414
92.	श्री सोभाग सिंह दुल्हे सिंह, नवलपुरा	415
93.	श्री रघुवीर सिंह सजन सिंह ,,	589
94.	श्री सावन सिंह सरदार सिंह, नवलपुरा	600
95.	श्री कन्हैया लाल ओंकर जी खाती ,,	632
96.	श्री राम प्रसाद कालूराम जी, नवलपुरा	419
97.	श्री नारायण नाथू जी गुजर, हरिजन बस्ती के पास	443
98.	श्री नंदा जी कूका जी, हरिजन बस्ती के पास	444
99.	श्री रामचंद मांगी लाल गुजर, नवलपुरा	403
100.	श्री लक्ष्मीनारायण कंवर लाल सोनी, पावर हाउस रोड	556
101.	श्री नारायण श्री राम जी, नवलपुरा	590
102.	श्री प्रकाश चंद रामगोपाल व्यास, नवलपुरा	352
103.	श्री प्यारचन्द कन्हैया लाल शर्मा ,,	202
104.	श्री देऊ बाई भवानी लाल जी ,,	644
105.	श्री मुरलीधर गोविन्द प्रसाद शर्मा ,,	429
106.	श्री घांसी लाल जी व्यास, ब्राह्मण मो., नवलपुरा	127
107.	श्री कैलाश चन्द्र श्री राम नाथ, शिव बाडी चौक	529
108.	श्री रुपा जी गणेश जी प्रजापत, कुम्हार मो.	241
109.	श्री नानू राम चुन्नी लाल, कुम्हार मो.	515
110.	श्री प्रभु लाल कन्हैया लाल ,,	522
111.	श्री जोरावर सिंह शंकर लाल, कुम्हार मो.	

1	2	3
112.	श्री मदन लाल राम लाल, कुम्हार मो.	521
113.	श्री विजह सिंह भंवर लाल, सुतार मो.	168
114.	श्री देवी लाल कानूनगो, सुतार मो.	183
115.	श्री राम प्रताप जी गुप्ता, सुतार मो.	553
116.	श्री लक्ष्मीनारायण सौलमराम पटेल, सुतार गली	229
117.	श्री पूरी लाल गेंदा जी ढ़ोली, माली मंदिर चौक	207
118.	श्री बालाराम मन्ना जी ढ़ोली ,,	208
119.	श्री हरि सिंह भैरू सिंह, माली पुरा	495
120.	श्री शिवनारायण भंवर लाल गुप्ता, सुतार मो.	308
121.	श्री रामनारायण भंवर लाल, सुतार मो.	607
122.	श्री राम चंद भैरू लाल, सुतार मो.	276
123.	श्री गोविन्द राम हरी लाल गोड़, कचहरी चौक	599
124.	श्री प्यार चंद कन्हैया लाल गोड़ ,,	436
125.	श्री यासीन शाह रहीमशाह ,,	430
126.	श्री प्रेम चंद माणक चंद ,,	395
127.	श्री भैरू लाल श्री राम बक्स ,,	314
128.	श्री जमना बाई गोड ,,	170
129.	श्री लालचंद भैरूजी गोड ,,	273
130.	श्री बालकिशन नारायण राव पटवारी, राम मंदिर गली	119
131.	श्री पूरी लाल मण्डलोई, राम मंदिर गली	115
132.	श्री राधेश्याम प्यार चंद गोड	383
133.	श्री राधेश्याम शर्मा, राम मंदिर के पीछे	479
134.	श्री धन्ना लाल राठोड़, धाणा चौक	409
135.	श्री किशन लाल चंदा जी कलाल, धाणा चौक	539
136.	श्री ग्यारसी बाई भैरु लाल कलाल ,,	408
137.	श्री लक्ष्मीनारायण भैरु जी नागर, पीपली चौक	511
138.	श्री मोहताब भाई हीरा लाल भण्डारी ,,	391
139.	श्री रामबाई रमेश चन्द, छतीरी चौक	445
140.	श्री देवी लाल मांगी लाल राठोड़, छतरी चौक	645

1	2	3
141.	श्री शेबू लाल शर्मा मांगी लाल शर्मा, छतरी चौक	656
142.	श्री भैरू लाल हीरालाल भण्डारी, छतरी चौक	222
143.	श्री बालाराम पराजी टेलर, छतरी चौक	314
144.	श्री मोती लाल ओंकार लाल सोनी, पीपली चौक	612
145.	श्री नारायण सीता राम गुजर, देवपुरा	406
146.	श्री छेडी लाल जी गणेश जी गुजर, देवपुरा	400
147.	श्री कन्हैया लाल भैरुजी राठौड़, ह्रामलीपुरा	204
148.	श्री नारायण जी मोती जी	420
149.	श्री रामचंद भूरा जी गूजर	389
150.	श्री देवी लाल शंकर लाल गूजर	390
151.	श्री भैरु लाल देवा जी गूजर	391
152.	श्री वापू लाल मोती लाल धाकड़	392
153.	श्री शंकर लाल चैना जी धाकड़	393
154.	श्री कंवर लाल राजप्रताप गुजर	682
155.	श्री रानारायण किशन जी ,,	577
156.	श्री कालीचरण पन्ना जी, अध्यापक	618
157.	श्री कानजी लाल बरजी नाई	214
158.	श्री अब्दुल करीम अब्दुलजी	506
159.	श्री मांगी लाल बालाजी लूहार, बाजाली रोड़	638
160.	श्री बाला राम धुलजी राठोर, मुरलीधर रोड़	343
161.	श्री मांगी लाल भंवर लाल गूजर	639
162.	श्री मांगी लाल रतन लाल, मुरलीधर मंदिर के पास	617
163.	श्री बालाराम गोपाल जी	213
164.	श्री भवानी शंकर हीरा लाल कुमावत	472
165.	श्री गुलाब चन्द कन्हैया लाल गुप्ता	494
166.	श्री पन्ना लाल देवा जी कुमावत	188
167.	श्री रामप्रताप भंवर लाल राठौड़ा	192
168.	श्री बालाराम भटवारिया, मुरलीवर रोड	864

1	2	3
169.	श्री बालाराम धूलजी राठोड़	528
170.	श्री भैंरू लाल जी देवाजी भटवारिया	230
171.	श्री घनश्याम राम लाल दुब्बे	175
172.	श्री देवी लाल बालानाथ, नीम चौक	193
173.	श्री भैंरू लाल कालू राम गुप्ता	320
174.	श्री बंसती लाल मोड़ू जी गुप्ता	257
175.	श्री सुन्दर लाल फतेह सिंह	174
176.	श्री फखरूद्दीन कुरबान हुसैन पत्रावारा	584
177.	श्री ओसवाल पंचायत द्वारा श्री कन्हैया लाल	269
178.	श्री नफीसा बाई मोइज भाई, छतरी चौक	579
179.	श्री भंवर लाल हीरा लाल, छतरी चौक	613
180.	श्री जमना लाल चांदमल चौपडा	534
181	श्री हुसन अली स्माइल जी जरी वाला	307
182.	श्री साफिया बाई कुतुब अली चाय वाला	480
183.	श्रीमती बतुल बाई हुसैन काका	438
184.	श्री विद्रा अली मो. नागपुर वाला, सैफीपुरा	411
185.	श्रीमती खतीजा बाई गुलाम अली कुमला	416
186.	श्री रुबाब बाई खांन अली, सेखीपुरा	663
187.	श्री अब्दुल भाई चांद भाई पंसारी, बैंक के पास	631
188.	श्री मो. हुसैन सबराती हुसैन, मोमीनपुरा	620
189.	श्री फजल हुसैन कुरबान हुसैन	600
190.	श्री सुजान भाई मो. मामिन, मस्जिद के पास	602
191.	श्री नसीब भाई अब्दुल भाई, मोमिनपुरा	433
192.	श्री अब्दुल रहमान अन्सारी, मोमिनपुरा	575
193.	श्री कन्हैया लाल मदनजी, मैंन बाजार	152
194.	श्री इब्राहीम भाई कमर अली, सर्राफ गली	357
195.	श्री अब्दुल रसूल सर्राफ अली, मेन रोड	386
196.	श्री राधेश्याम भंवरलाल दरजी	659

1	2	3
197.	श्रीमती बुर्जी बाई गुलाम अली मलाया वाला	402
198.	श्री देवीलाल लालाजी, गूजर	179
199.	श्री फीदा हुसैन फीदा अली, मानसिंह गली	660
200.	श्री बिहारी लाल धन्ना लाल सुथार, मानसिंह गली	586
201.	श्री रामसिंह चैनसिंह, मण्डरोली	596
202.	श्री मांगीलाल हरि सिंह, मण्डरोली, धाकड मो.	185
203.	श्री नन्दलाल नाटाणीजी टेलर, राम मंदिर चौक	459
204.	श्री कन्हैयालाल नोताराम व्यास, राम मंदिर चौक	583
205.	श्री भंवर लाल कन्हैयालाल तमोली, राम मंदिर चौक	1
206.	श्री सरस्वती बाई बंशीलाल बाई, राम मंदिर चौक	346
207.	श्री कन्हैयालाल वासोजी, कृष्ण मंदिर गली	366
208.	श्री नाथूसिंह पृथ्वी सिंह, कृष्ण मंदिर गली	367
209.	श्री कन्हैयालाल तिवाडी, गमिट धाकड मण्डी	466
210.	श्री राम बाबू लक्ष्मणजी गौड, गमिट धाकड मण्डी	464
211.	श्री नारायण लाल पन्नालाल, गमिट धाकड मण्डी	477
212.	श्री मोफद्दीन अली मो., भीलवाड़ा	559
213.	श्री हसन अली अली मो., सिपाड़ा	506
214.	श्री अब्दुल हुसैन इब्राहीमजी बिजली वाला	454
215.	श्रीमती साफीया बाई मोहम्मद जी	593
216.	श्री रतन बाई, देवरा गली	456
217.	श्री यूसूब अली फजल अली	427
218.	श्री नूमान भाई अ. हुसैन, मोहितपुरा	376
219.	श्री फीदा अली गुलाम अली, मोहितपुरा	568
220.	श्री स्माईल फीदा हुसैन, हैड मास्टर	432
221.	श्री फीदा हुसैन स्माईल जी चाय वाला	412
222.	श्री बानू बाई महफजा बाई, बड़ी मस्जिद के पास	653
223.	श्री कुरबान हुसैन फीदा हुसैन छावडी वाला	350
224.	श्री फजल हुसैन मो. अली	560

Page No. 219

(215)

1	2	3
225.	श्री असगर अली इब्राहीम जी	563
226.	श्रीमती अलारखी बाई अ. हुसैन	64
227.	श्री अली हुसैन अ. मो.	339
228.	श्री फजल हुसैन फीदा हुसैन कोटा वाला	545
229.	श्रीमती आस्मा बाई टाटा वाला माहियतपुरा	636
230.	श्री मोहम्मद हुसैन यूसुफ अली, मोहित वाला	570
231.	श्री पृथ्वीसिंह चैन सिंह, मण्डलोई	681
232.	श्री युनुस भाई कमरुद्दीन पिड़वा रोड पाटा वाला	671
233.	श्री अधिशासी अधिकारी, पी. एस. पी. पं. म. के पास	472
234.	श्री हकीमी हाउसिंग सोसायटी, मोहरा जमात	370
235.	श्री रामचन्द्र धूलजी राठौड़	197
236.	श्री मांगीलाल आशाराम भांड, कचहरी चौक	228
237.	श्री कन्हैयालाल राधश्याम गुप्ता	176
238.	श्री अली हुसैन सादिक अली	611
239.	श्री बापू सिंह दौलत सिंह, नवलपुरा	615
240.	श्री अमीना बाई फिदा अली	616
241.	श्री मो. हुसैन फजह अली दिलशाद	674
242.	श्री इस्माईल रसूलजी	677
243.	श्री अब्दुल गफूर मुनीरखां	484
244.	श्रीमती जुमेदा बाई उसमर बाई, कोटा मस्जिद के पास	331
245.	श्री ताहेर अली मो. जी	532
246.	श्री ताहेर भाई गुलाम अली कांच वाला, मो. गर्ना	538
247.	श्री हमीद हुसैन मोहसिन हुसैन, नादेर	552
248.	श्री फखरुद्दीन गुमाल अली, सुफीपुरा	562
249.	श्री हुसैनी क्लबु, सज्जाद भाई गुलाम अली	581
250.	श्री सेफीदीन अहमद अली ठेकेवाला	585
251.	श्री युसुफ अली हसन अली माका वाला	583
252.	श्रीमती गीता बाई पृथ्वी सिंह	365

(218)

1	2	3
253.	श्री असगर भाई सेफीदीन, सेफीपुरा	373
254.	श्री राधाकृष्ण लक्ष्मीनारायण गुप्ता, बस स्टैण्ड	333
255.	श्री मांगी लाल अमराजी मेहर	361
256.	श्री उदयलाल गोपीजी कुमावत, देवनारायण की गली	310
257.	श्री मदनलाल ओंकारलाल सोनी, देवनारायण की गली	311
258.	श्री कचरुलाल मन्नाजी सुनार	157
259.	श्री दिगम्बर जैन मंदिर, कन्हैयालाल मोतीजी	338
260.	श्री हुसन अली अब्दुल हुसैन कोटड़ी वाला	397
261.	श्री कंवरलाल हीरालाल देवपुरा	413
262.	श्री सेफद्दीन आरी वाला, मुरलीधर रोड	428
263.	श्री गुलाम अली अब्बास अली फजेल अली सुलिया वाला	455
264.	श्री कंवरलाल रामचन्द्र, वागर	465
265.	श्री शरीफ मोह. पनाह मो., कंगलीपुरा	686
266.	श्री जोरावर सिंह नाथ सिंह, नवलपुरा	687
267.	श्री पन्ना लाल रामाजी नाई, नवलपुरा	688
268.	श्री रोडजी चन्दाजी कुमावत, मुरलीधर रोड	689
269.	श्री मो. युसुफ इस्माईलजी, मोमिन गली	690
270.	श्री वालाराम गोपाललाल धाकड़ वरी बड़ा	691
271.	श्री यासीन मो. मनी मो., इस्लामपुरा	692
272.	श्री असन वाई लक्ष्मीनारायण, नवलपुरा	693
273.	श्री वालाराम रतनाजी राठौड़, छतरी चौक	694
274.	श्री नूर मो., मामिनपुरा	695
275.	श्री कन्हैयालाल जयकिशन कुमावत, मुरलीधर चौक	698
276.	श्री राठौड़ पंचायत, कुम्हारों का मो.	701
277.	श्री हीरालाल सुखलाल राठौड़, शिव बाड़ी मो.	702
278.	श्री अब्दुल रहमान मूसरी, इस्लामपुरा	703
279.	श्री वालचन्द हीरालाल गौड़, धाणा चौक, पाटोलियां	704
280.	श्री वालाराम देवी लाल, धाणा चौक	705

1	2	3
281.	श्री प्यारचन्द कन्हैयालाल गौड़, धाणा चौक	706
282.	श्री अन्जुमन हैदरिया प. अली भाई चाय वाला	368
283.	श्री बालिका उच्चतर माध्य. वि., कचहरी चौक	505
284.	श्री अन्जुमन इस्लामिया स्कूल, अध्यक्ष चांदखां	640
285.	श्री रामनारायण किशनजी धाकड़	542
286.	श्री बाबू लाल गौड़, धाकड मण्डी	464
287.	श्री बालाराम दाऊजी प्रजापति	476
288.	श्री भैरू लाल मांगी लाल प्रजापत रा.	478
289.	श्रीमती जैतुन बाई मुनीरखां	544

(२१८)

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची

विवाद नं. 1

रोपड़ हरीकें तथा फिरोजपुर का नियन्त्रक भाखड़ा, व्यास प्रबन्धक बोर्ड को अंतरण के सम्बन्ध में

व्यास व रावी नदियों के जल को 1955 अन्तर्राज्यीय एवं सतलज नदी के पक्ष को 1959 के करार के अनुसार विभिन्न राज्यों में उपयोग में लाया जाता है। सतलज नदी (भाखड़ा ग्रौर नांगल बांधों) में राजस्थान को जल ग्रौर विद्युत दोनों में 15.22 प्रतिशत की सीमा तक हिस्सा दिया गया है। इसी प्रकार व्यास नदी पर पोंग बांध से उत्पादित विद्युत में राजस्थान का हिस्सा 58 प्रतिशत हैं ग्रौर व्यास सतलज संयोजन नहर पर स्थित हैन्ड विद्युत छूट से विद्युत का 20 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है

पंजाब रिग्रार्गेनाइजेशन एक्ट के उपबंधों के ग्रधीन केन्द्र सरकार ने भाखड़ा परियोजना ग्रौर अनुबंधी संकायों के प्रशासन, ग्रनुरक्षण एवं संचालन के लिये 'भाखड़ा व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड' नामक बोर्ड का गठन किया है। यह भी परिकल्पित किया गया है कि व्यास परियोजना के पूर्ण होने पर अनुरक्षण संचालन ग्रौर प्रसाशन का कार्य भी उक्त बोर्ड को ग्रंतरित कर दिया जायेगा ग्रौर यह भाखडा व्यास मेनेमेन्ट बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) नाम से जाना जायेगा। बी.बी.एम. बी. के मूल तत्वों में सतलज तथा व्यास नदियों के जल की आपूर्ति ग्रौर उनकी विभिन्न जल विद्युत इकाईयों पर उत्पादित विद्युत की आपूर्ति का विनियमन सम्मिलित है। यह बोर्ड समय समय पर सिंचाई के लिये पानी छोड़ने के लिये निर्देश देगा ग्रौर इस प्रयोजन के लिए विद्युत उत्पादन आदि की अपेक्षाग्रों को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक भागीदार राज्य को इसके समग्र हिस्से के अनुरुप शर्त की माला को निर्धारित करता है। यह राज्यों के हिस्सों के अनुरुप विद्युत आपूर्ति भी विनियमित करता है।

रोपड हरीके तथा फिरोजपुर के हैड वर्कस जहां जल छोड़ा जाता है, पंजाब के अन्दर स्थित है तथा वास्तविक रूप से पंजाब सरकार के प्राधिकारियों के ग्रधीन इन हैडवर्कस पर वास्तविक नियन्त्रण होने के कारण पंजाब सदैव अपने हक से अधिक पानी लेता है जिसके परिणाम स्वरुप राजस्थान अपने हिस्से से कम जल पाता है। इसी कारण हरियाणा को भी हिस्से से कम जल मिलता है।

पंजाब रिग्रोर्गेनाईजेशन एक्ट की धारा 79 के अनुसार भागीदार राज्यों के हिस्सों को उचित रुप से विनियोजित करने के लिये बी.बी.एम.बी. को हैडवर्कस का नियंत्रण भी रखना है। बोर्ड अपने कृत्य जब तक पूरे नहीं कर सकता तब तक कि उक्त हैडवर्कस नियंत्रणाधीन ग्रंतरित नहीं कर दिये जाते।

अत: राजस्थान सरकार इन हैडवर्कस को बी.बी.एम. बी. को ग्रंतरित करने के प्रश्न पर लम्बे समय से भारत सरकार से अनुरोध कती आ रही है। मामला 1972 में उत्तरी जोनल परिषद् की बारहवीं बैठक में उठाया गया था जब तक प्रधान मंत्री ने निर्देश दिया था कि मामले का हल निकालने हेतु केन्द्रीय सिंचाई ग्रौर विद्युत् मंत्री के साथ संबंधित मुख्य मन्त्रियों की बैठक ग्रायोजित की जानी चाहिये, लेकिन बाद में इस निर्णय पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

यह मामला 1973 में उत्तरी जोनल परिषद् की 13वीं बैठक में भी उठाया गया और यह निश्चित किया गया कि केन्द्रीय गृह मंत्री इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिये मुख्य मंत्रियों और सिंचाई मंत्रियों की बैठक बुलायेंगे, लेकिन फिर कोई परिणाम नहीं निकला।

तत्पश्चात् 3-10-1977 को प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में इस मामले को फिर उठाया गया तब निम्न निर्णय लिया गया:—

"जहां तक रोपड़, हरिके तथा फिरोजपुर सिंचाई हैडवर्क्स के नियन्त्रण का बी. बी. एम. बी. को अन्तरण का प्रश्न है, यह विनिश्चय किया गया कि पंजाब रिग्रोर्गेनाइजेशन एक्ट के इस संबंध में उप-बंधों को तुरन्त लागू किया जाना चाहिये और केन्द्रीय सरकार इसे सुनिश्चित करेगी।"

लेकिन हैड वर्क्स को बी. बी. एम. बी. को अन्तरित नहीं किया। अतः यह मामला 14-2-79 को प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा पुनः उठाया गया जिसका कार्यवाही विवरण नीचे उद्धृत है:—

"पंजाब रिग्रोर्गेनाइजेशन एक्ट के उपबन्धों के अनुसार रोपड, हरिके, तथा फिरोजपुर हैड वर्क्स के नियन्त्रण का बी. बी. एम. बी. को अन्तरित करने संबंधी मामला राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा सामने लाया गया। उन्होंने 3-10-1977 को आयोजित बैठकों में लिये गये निश्चियों को निर्दिष्ट किया, जिनको केन्द्रीय उर्जा मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा पंजाब सरकार को लिखे गये पत्रों के बावजूद पंजाब सरकार ने क्रियान्वित नहीं किया। प्रधानमंत्री ने इन हैड वर्क्स के नियन्त्रण को बी.बी.एम.बी. को तुरन्त अन्तरित किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्री को कहा।"

इसके बावजूद भी हैड वर्क्स को बी. बी. एम. बी. को स्थानान्तरित नहीं किया गया। नियन्त्रण पंजाब सरकार के अधीन है।

अतएव इसके लिये उर्जा मंत्री को उपरोक्त निर्देशों की ओर आकर्षित किया गया परन्तु ऊर्जा मन्त्रालय ने उपरोक्त आदेशों को क्रियान्वन नहीं कराया। अतएव यह मामला पुनः प्रधानमंत्री के ध्यान में लाया गया।

इस मामले में प्रधानमंत्री के सचिव ने राजस्थान, पंजाब व हरियाणा के मुख्य सचिवों की बैठक जनवरी, 1981 से मार्च, 1981 तक बुलाई थी जिससे कि प्रधानमंत्री को इस विषय में तीनों राज्यों के विचारों से अवगत कराया जा सके। इस प्रकरण पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है

<u>विवाद नं. 2</u>

गंगा व यमुना नदी के जल में राजस्थान का भाग

राजस्थान सरकार यमुना व गंगा नदी के जल में अपना भाग प्राप्त करने के लिए बहुत समय से प्रयत्नशील है। भरतपुर जिले में गुड़गांवा नहर व भरतपुर फीडर योजनाओं से वर्षाकाल में राजस्थान में सिंचाई होती है। गुड़गांवा नहर द्वारा 500 क्यूसेक्स पानी 90 दिन तथा

भरतपुर फीडर द्वारा 300 क्यूसेक्स पानी 35 दिन प्राप्त होने का प्रावधान है। यमुना नदी पर कुछ बांध बनाकर यमुना जल के उपयोग का मामला केन्द्र सरकार के पास बहुत समय से विचाराधीन है। राजस्थान भी यह प्रयास कर रहा है कि जो भी बांध यमुना पर बने उसके पानी में राजस्थान का भी भाग हो।

अलवर व भरतपुर जिलों के अतिरिक्त पश्चिमी राजस्थान में भी यमुना पर स्थित ताजेवाला बैराज से लिफ्ट द्वारा पानी दिया जा सकता है। राजस्थान ने वर्ष 1975 में चूरू व झुंझुनू जिलों की लगभग 4.5 लाख एकड़ भूमि को लिफ्ट द्वारा सिंचाई करने के लिये एक परियोजना बना कर केन्द्रीय जल आयोग को भेजी थी। इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान ने 2000 क्यूसेक्स पानी की आवश्यकता बतलाई थी जो हरियाणा में यमुना नदी पर स्थित ताजेवाला बैराज से लेने का प्रस्ताव था। यह पानी हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर और इसी ब्रांच द्वारा राजस्थान में लाये जाने का प्रस्ताव था।

इस योजना पर केन्द्रीय जल आयोग ने स्वीकृति नहीं दी क्योंकि विभिन्न राज्यों का यमुना नदी में कितना भाग हो, इस संबंध में कोई विचार नहीं हो सका है। यमुना नदी के जल का हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, देहली में विभाजन का मामला बहुत समय से केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। जून, 1976 में केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मन्त्रालय में इस विषय में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार सभी संबंधित राज्यों को अपने क्षेत्र में यमुना नदी के पानी की आवश्यकता के संबंध में टिप्पणी केन्द्रीय जल आयोग को भेजनी थी। राजस्थान ने अपनी आवश्यकता चूरू, झुंझुनू क्षेत्र के लिये 4.50 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करने के लिये एक मिलियन एकड़ फीट बतलाई तथा ओखला हैड वर्क्स से प्राप्त पानी के लिए 3.5 लाख एकड़ भूमि प्रवाह सिंचाई से व 4 लाख एकड़ भूमि लिफ्ट से सिंचाई के लिये पानी की मांग की। राजस्थान व अन्य राज्यों से सूचना प्राप्त होने पर इस विषय में केन्द्रीय जल आयोग में इस पर विचार-विमर्श हुआ। उसके पश्चात् दिनांक 15-7-78 को केन्द्रीय सिंचाई मन्त्रालय में एक अन्तर्राज्यीय बैठक हुई लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

राजस्थान ने अब गंगा व यमुना नदी के पानी में अपनी संशोधित कुल आवश्यकता 20.11 मिलियन एकड़ फीट बताई है। इसमें से 17.08 मिलियन एकड़ फीट उत्तर-प्रदेश के भीमगोडा हैडवर्क्स से जो हरियाणा के पास है, लेने का प्रस्ताव है, इससे चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, सीकर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर व जालौर जिलों में 111.45 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई के लिये लिफ्ट नहर द्वारा पानी लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यमुना पर बने ओखला बैराज से राजस्थान की आवश्यकता 3.03 मिलियन एकड़ फीट बताई गई है। इस पानी से भरतपुर व अलवर जिलों की 19.75 लाख एकड़ फीट भूमि में सिंचाई के लिये लिफ्ट नहर द्वारा पानी लाया जा सकता है। केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने इस विषय में दिनांक 6-4-79 को एक बैठक बुलाई थी जिसमें इन प्रस्तावों पर विचार किया गया था। परन्तु उसके पश्चात् आगे कोई प्रगति नहीं हुई है। यह मालूम

हुआ है कि गंगा, यमुना के पानी का मसला अन्तर्राज्यीय विवाद का विषय भी है जिसमें अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है जिसके फलस्वरूप अन्तर्राज्यीय मांगों पर भी निर्णय नहीं लिया जा सका है ।

यमुना नदी के पानी के बंटवारे हेतु एक मीटिंग केन्द्रीय सिंचाई मंत्री के तत्वाधान में 28 अप्रेल, 1981 को राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व उत्तरप्रदेश के मुख्यमन्त्रियों व देहली के लेफ्टीनेंट गवर्नर के मध्य, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने की थी, हुई थी। इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि श्रोखला पर यमुना के सरप्लस पानी के बंटवारे के पूर्व हरेक राज्य द्वारा कितना-कितना पानी अधिकृत रूप से काम में लाया जा रहा है, इस विषय पर फिर से विचार करना आवश्यक है क्योंकि भारत सरकार ने जो आंकड़े तैयार किये वह राज्यों को मंजूर नहीं है। इस विषय को हल करने हेतु एक तकनिकी कमेटी का गठन किया गया जिसमें हरेक राज्य का मुख्य अभियन्ता है और केन्द्रीय जल आयोग के चैयरमेन इसके अध्यक्ष हैं। इस मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि तकनिकी कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्रेषित करे जिससे कि मुख्य मन्त्रियों की अगली बैठक जल्दी से जल्दी बुलाई जा सके।

तकनिकी कमेटी की दो बैठकें हो चुकी हैं; और जो भी मुद्दे तकनिकी कमेटी को विचारार्थ दिये गये थे, उन पर विचार हो चुका है। भारत सरकार से मुख्य मन्त्रियों की अगली बैठक के बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवाद नं. 3

साबी नदी पर हरियाणा द्वारा मतानी बैराज का निर्माण

साबी नदी में वर्ष 1977 में भयंकर बाढ़ आई थी जिसके बाद प्रधान मंत्री ने यह निर्देश दिये हैं कि साबी बेसिन के बाढ़ नियन्त्रण के लिये एक मास्टर प्लान बनाया जाये। यह मास्टर प्लान एक साबी बेसिन की निर्देश समिति द्वारा बनाया गया जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष थे तथा जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तरी रेल्वे के अधिकारी सदस्य हैं। इस मास्टर प्लान को सिद्धान्त रूप से सभी ने स्वीकृति दे दी थी।

इस मास्टर प्लान की स्वीकृति के बाद केन्द्रीय सरकार ने साबी बेसिन के लिए एक स्थाई समिति नियुक्त कर दी है, जिसके केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य अध्यक्ष हैं तथा तीनों राज्यों और उत्तरी रेल्वे के मुख्य अभियन्ता सदस्य है। इस समिति के कार्य क्षेत्र में साबी बेसिन के विषय में किये जाने वाले सभी कार्यों की जांच व स्वीकृति करना भी सम्मिलित है।

इस मास्टर प्लान में हरियाणा राज्य में, हरियाणा-राजस्थान सीमा से कुछ ही नीचे एक मतानी बैराज बनाने का प्रावधान है। इस बैराज के बनने से "बैंक वाटर" से राजस्थान के कुछ गांवों की भूमि व संपत्ति प्रभावित होगी।

हरियाणा सरकार ने इस बैराज का काम बिना राजस्थान की सहमति तथा बिना इस स्थाई समिति की स्वीकृति के ही प्रारम्भ कर दिया है। हरियाणा में राजस्थान की डूब में आने वाली भूमि के मुआवजे का प्रबन्ध

इन गांवों के बचाव के लिये किसी बचाव काम का प्रावधान अपने प्रोजेक्ट में नहीं रखा है। राजस्थान इसके लिये इस स्थाई समिति में तथा केन्द्र सरकार के इस आयोग और सिंचाई मन्त्रालय में विरोध प्रकट कर रहा है। हरियाणा सरकार को भी इस संबंध में पत्र लिखा गया है। केन्द्र सरकार से यह निवेदन किया गया है कि वह हरियाणा को यह निर्देश दे कि इस बैराज पर कार्य बन्द करदें तथा बिना राजस्थान की सहमति के प्रारम्भ नहीं करें।

इस प्रोजेक्ट का तखमीना राजस्थान सरकार को प्रस्तुत हुआ था, इस पर राजस्थान सरकार ने अपनी टिप्पणी केन्द्रीय जल आयोग को भेज दी। राजस्थान ने केन्द्रीय जल आयोग से यह भी निवेदन किया है कि हरियाणा द्वारा राजस्थान से भेजे गये सुझावों की पालना करके, इसका तखमीना संशोधित किया जावे।

अभी हाल ही में केन्द्रीय जल आयोग ने हरियाणा अधिकारियों को लिखा है कि बैराज का डिजाइन संशोधन करें। राजस्थान ने केन्द्रीय जल आयोग से फिर निवेदन किया है कि इसके साथ-साथ ही राजस्थान के सुझावों को भी ध्यान में रखा जावे। इस बाबत केन्द्रीय जल आयोग में कुछ बैठकें हुई हैं जिसमें राजस्थान के मुख्य अभियन्ता ने भाग लिया है।

इस विषय में भारत सरकार के सिंचाई मन्त्रालय में 10 अप्रेल, 1981 को एक मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में राजस्थान की तरफ से सिंचाई सचिव व मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने भाग लिया। इस बैठक यह निर्णय लिया गया कि मतानी बैराज पर फसल की intensity कम करने हेतु राजस्थान राज्य में अजमेरी पुरा ग्राम के पास साबी नदी बांध की परियोजना पर फिर से विचार किया जाये और केन्द्रीय जल आयोग के तत्वाधान में अजमेरी पुरा बांध व मतानी बैराज के Tech. Datas पर फिर से विचार किया जावे जिससे कि राजस्थान में मतानी बैराज द्वारा Submergence को कम किया जा सके। इसी विषय में 24 जून, 1981 को केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय में फिर एक बैठक हुई जिसमें केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये कि वह Study जल्दी से जल्दी तैयार की जाये। इस प्रकार की Studies केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जा चुकी है और उन्होंने यह अपनी Studies में यह अंकित किया है कि मतानी बैराज पर पानी के लेवल कम करने हेतु अजमेरीपुरा वाइट पर 317.3 मीटर (M.W.L.) का बांध बनाना होगा।

राजस्थान राज्य अजमेरीपुरा बांध के जल स्तर को जो कि केन्द्रीय जल आयोग ने निकाला है, मानता है लेकिन उन्होंने तो मतानी बैराज की जो जल स्तर निकाला है, वह राजस्थान को मान्य नहीं है और इस विषय में मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने केन्द्रीय जल आयोग व भारत सरकार के सिंचाई मंत्रालय को लिख दिया है।

विवाद नं. 4

गांधी सागर के केचमेंट एरिया में मध्य-प्रदेश द्वारा सिंचाई के बांध बनाये जाने के संबंध में

चम्बल घाटी परियोजना में राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों सिंचाई एवं विद्युत के

लाभ में बराबर के हिस्सेदार है। इस परियोजना के अन्तर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज और उससे निकली हुई राजस्थान व मध्यप्रदेश में नहर प्रणाली सम्मिलित है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर पर विद्युत उत्पादन किया जाता है तथा गांधी सागर व राणा प्रताप सागर में इकट्ठे किये हुए जल से राजस्थान व मध्य-प्रदेश में सिंचाई की जाती है।

कुछ समय पूर्व राजस्थान को यह ज्ञात हुआ कि मध्यप्रदेश गांधी सागर के जल ग्रहण क्षेत्र में कुछ लघु व मध्यम सिंचाई परि-योजनायें बना चुका है व बना रहा है व कुछ अन्य परियोजनाओं को बनाने का प्रस्ताव है। गांधी सागर बांध की कुल जल ग्रहण क्षमता करीब 6.28 मिलियन एकड़ फुट है जिसमें 5.61 मिलियन एकड़ फीट उपयोगी जल क्षमता है तथा यह बांध जिसमें कई वर्षों में अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं भर पाया है, इस बांध के आवक क्षेत्र में किसी भी परि-योजना के बनने से चम्बल परियोजना से दोनों राज्यों में न केवल सिंचाई में ही कमी होगी परन्तु विद्युत उत्पादन में भी प्रभाव पड़ेगा।

राजस्थान को ज्यों ही यह सूचना प्राप्त हुई त्योंही मध्य-प्रदेश अधिकारियों को अप्रेल, 1977 में पूर्ण सूचना प्रेषित करने हेतु लिखा गया मगर उनसे कोई उत्तर प्राप्त न होने से मध्यप्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सिंचाई एवं विद्युत) नियन्त्रण मंडल में इस मामले को 27-8-77 की बैठक में उठाया गया। इसमें बोर्ड ने यह निर्देश दिया कि मध्यप्रदेश इस संबंध में समस्त सूचना राजस्थान के अधि-कारियों को दें परन्तु इस निर्देश की पालना मध्यप्रदेश द्वारा अभी तक नहीं की गई है।

इसके पश्चात् राजस्थान समिति द्वारा यह मामला निरन्तर मध्य प्रदेश अधिकारियों से लिया जा रहा है तथा बोर्ड की स्थायी समिति संख्या (टी) की सभी बैठकों में उठाया जाता रहा है। इस प्रसंग में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों के बीच भी 1979 में पत्र-व्यवहार हो चुका है।

मध्य प्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सिंचाई एवं विद्युत) मंडल नियन्त्रण की दिनांक 13-5-1979 की बैठक में, जिसमें राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों के मुख्य मंत्री उपस्थित थे, इस विषय में काफी विचार-विमर्श किया गया, परन्तु कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इस बैठक में यह तय किया गया कि राजस्थान व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस विषय में वार्ता करके कोई निर्णय लेंगे, परन्तु यह वार्ता अभी तक सम्पन्न नहीं हो सकी है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय को भी लिखा है कि वह मध्य प्रदेश सरकार को गांधी सागर क्षेत्र में योजनायें बनाने से तुरन्त रोकने की व्यवस्था करें। केन्द्रीय जल आयोग से भी निवेदन किया गया कि वह गांधी सागर के जल आवक क्षेत्र में मध्य प्रदेश को किसी भी योजना की स्वीकृति न दे।

इस विषय में राजस्थान व मध्यप्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के बीच 18 अगस्त, 1981 को भोपाल में एक बैठक हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये उसके अनुसार मध्य प्रदेश गांधी सागर के जल ग्रहण क्षेत्र में जिसका सी. सी. ए. 43 लाख एकड़ है, सिर्फ 50,000 एकड़ में सिंचाई

साधन उपलब्ध कराने की योजनायें ही बना रहा है, विचाराधीन है । मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यहां तक आश्वासन दिया है कि यदि राजस्थान राज्य को इन आंकड़ों पर यदि कोई असहमति है तो दोनों राज्यों की एक कोच टीम गांधी सागर के जल ग्रहण क्षेत्र का दौरा करके दोनों राज्यों को एक रिपोर्ट पेश करें । राजस्थान की ओर से समिति का गठन किया जा चुका है और निकट भविष्य में ही यह टीम दौरा करेगी और अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष पेश करेगी ।

विवाद नं. 5

माही के पानी-कडाणा बांध के संबंध में

1. राजस्थान और गुजरात ने वर्ष 1966 में माही नदी के जल का उपयोग करने हेतु एक समझौता किया । इस समझौते में यह उल्लेख किया गया कि कडाणा बांध एफ. आर. एल. 410 फीट ऊंचा बनाया जायेगा । प्रारम्भ में संपूर्ण लागत गुजरात द्वारा वहन की जायेगी और वह उसके फायदे उठायेगा । कुछ समय के पश्चात् जब कडाणा बांध से सिंचित क्षेत्रों को नर्मदा के जल से सिंचाई की जायेगी, कडाणा बांध का कुछ जल राजस्थान और गुजरात के कुछ ऊंचे क्षेत्र में उपयोग हेतु छोड़ा जायेगा और राजस्थान गुजरात को ऐसे उपयोग के लिये, बांध की यथोचित लागत का संदाय करेगा । इसका ठीक अनुपात उस समय नियत किया जायेगा जबकि उक्त जल उपलब्ध कराया जायेगा ।

2. समझौते में यह भी उपबन्ध है कि माही नदी पर राजस्थान में स्थित बांसवाड़ा बांध भी एफ. आर. एल. 921 की ऊंचाई पर बनाया जायेगा । एफ. आर. एल. 915 के बांध की लागत गुजरात और राजस्थान के बीच 40:9 के अनुपात में बांटी जायेगी क्योंकि गुजरात और राजस्थान के बीच सिंचाई के प्रयोजनार्थ पानी का उपयोग 40:9 के अनुपात में होगा । एफ. आर. एल. 921 तक के बांध से 7 टी. एम. सी. का अतिरिक्त भण्डारण होगा जो विद्युत उत्पादन जारी रखने को सुनिश्चित करने हेतु सूखे के वर्षों में उपयोगी होगा । इस दृष्टि से राजस्थान ने एफ. आर. एल. 915 तथा 921 के बीच में बांध बनाने के व्यय के अन्तर को पूर्ण वहन करने की सहमति दी । इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली जल-विद्युत केवल राजस्थान के उपयोग के लिए होगी । आगे चल कर अब नर्मदा विकास कार्य प्रारम्भ होंगे तथा माही क्षेत्रों में नर्मदा का जल आयेगा । माही बजाज सागर बांध का जल राजस्थान के उपयोग के लिये छोड़ा जायेगा । करार में यह भी सम्मिलित है कि उस समय राजस्थान माही बजाज सागर परियोजना के लिए गुजरात द्वारा किये गये व्यय को प्रतिपूर्ति करेगा ।

3. 1966 के करार की एक प्रति उप-बंध "क" के रूप में संलग्न है ।

4. नर्मदा जल के उपयोग, नियन्त्रण तथा विभाजन के बारे में विवाद तय हो गया है । विवाद का निपटारा करने हेतु नियुक्त नर्मदा जल विवाद अभिकरण ने फैसला दे दिया है जिसके अनुसार नर्मदा नदी के पास सरदार सरोवर बांध से निकलने वाली नहर सहित समुद्र तल से तीन सौ फीट की ऊंचाई पर होगी । यह वह स्तर है जिसके लिये गुजरात तथा राजस्थान ने

लाभ में बराबर के हिस्सेदार है। इस परियोजना के अन्तर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज और उससे निकली हुई राजस्थान व मध्यप्रदेश में नहर प्रणाली सम्मिलित है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर पर विद्युत उत्पादन किया जाता है तथा गांधी सागर व राणा प्रताप सागर में इकट्ठे किये हुए जल से राजस्थान व मध्य-प्रदेश में सिंचाई की जाती है।

कुछ समय पूर्व राजस्थान को यह ज्ञात हुआ कि मध्यप्रदेश गांधी सागर के जल ग्रहण क्षेत्र में कुछ लघु व मध्यम सिंचाई परियोजनायें बना चुका है व बना रहा है व कुछ अन्य परियोजनाओं को बनाने का प्रस्ताव है। गांधी सागर बांध की कुल जल ग्रहण क्षमता करीब 6.28 मिलियन एकड़ फुट है जिसमें 5.61 मिलियन एकड़ फीट उपयोगी जल क्षमता है तथा यह बांध जिसमें कई वर्षों में अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं भर पाया है, इस बांध के आवक क्षेत्र में किसी भी परियोजना के बनने से चम्बल परियोजना से दोनों राज्यों में न केवल सिंचाई में ही कमी होगी परन्तु विद्युत उत्पादन में भी प्रभाव पड़ेगा।

राजस्थान को ज्यों ही यह सूचना प्राप्त हुई त्योंही मध्य-प्रदेश अधिकारियों को अप्रेल, 1977 में पूर्ण सूचना प्रेषित करने हेतु लिखा गया मगर उनसे कोई उत्तर प्राप्त न होने से मध्यप्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सिंचाई एवं विद्युत) नियन्त्रण मंडल में इस मामले को 27-8-77 की बैठक में उठाया गया। इसमें बोर्ड ने यह निर्देश दिया कि मध्यप्रदेश इस संबंध में समस्त सूचना राजस्थान के अधिकारियों को दें परन्तु इस निर्देश की पालना मध्यप्रदेश द्वारा अभी तक नहीं की गई है।

इसके पश्चात् राजस्थान समिति द्वारा यह मामला निरन्तर मध्य प्रदेश अधिकारियों से लिया जा रहा है तथा बोर्ड की स्थायी समिति संख्या (टी) की सभी बैठकों में उठाया जाता रहा है। इस प्रसंग में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों के बीच भी 1979 में पत्र-व्यवहार हो चुका है।

मध्य प्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सिंचाई एवं विद्युत) मंडल नियन्त्रण की दिनांक 13-5-1979 की बैठक में, जिसमें राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों के मुख्य मंत्री उपस्थित थे, इस विषय में काफी विचार-विमर्श किया गया, परन्तु कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इस बैठक में यह तय किया गया कि राजस्थान व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस विषय में वार्ता करके कोई निर्णय लेंगे, परन्तु यह वार्ता अभी तक सम्पन्न नहीं हो सकी है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय को भी लिखा है कि वह मध्य प्रदेश सरकार को गांधी सागर क्षेत्र में योजनायें बनाने से तुरन्त रोकने की व्यवस्था करें। केन्द्रीय जल आयोग से भी निवेदन किया गया कि वह गांधी सागर के जल आवक क्षेत्र में मध्य प्रदेश को किसी भी योजना की स्वीकृति न दे।

इस विषय में राजस्थान व मध्यप्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के बीच 18 अगस्त, 1981 को भोपाल में एक बैठक हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये उसके अनुसार मध्य प्रदेश गांधी सागर के जल ग्रहण क्षेत्र में जिसका सी. सी. ए. 43 लाख एकड़ है, सिर्फ 50,000 एकड़ में सिंचाई

व जो फैसला होगा उसी प्रकार रिपोर्ट में संशोधन किया जायेगा ।

दिसम्बर, 1980 में इस समस्या को सुलझाने हेतु केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने दोनों मुख्य मन्त्रियों के साथ एक मीटिंग की जिसमें यह फैसला हुआ कि दोनों राज्य अपने क्षेत्र का विवरण केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष को प्रेषित करेंगे तथा केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष दोनों राज्यों के मुख्य अभियन्ताओं से विचार-विमर्श कर अपनी सिफारिश केन्द्र को प्रेषित करेंगे । तत्पश्चात् केन्द्रीय मंत्री विवाद को सुलझाने के लिये फिर मीटिंग करेंगे ।

उपरोक्त निर्णय की अनुपालना में दोनों राज्यों ने अपना केस केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित कर दिया है । केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष शीघ्र ही मीटिंग बुलाने वाले हैं ।

उपबन्ध "क"

माही नदी के उपयोग के लिये राजस्थान तथा गुजरात के मध्य वर्ष 1966 में हुआ करार

कडाणा बांध

कडाणा बांध एफ. आर. एल. 419-00 तक बनाया जाना चाहिये इस परियोजना के संपूर्ण व्यय तथा लाभ गुजरात सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे । आगे चलकर जब माही क्षेत्र नर्मदा द्वारा ले लिये जाय तथा कडाणा जल का एक भाग राजस्थान में उपयोग के लिये छोड़ा जाय तो राजस्थान द्वारा ऐसे उपयोग के लिए गुजरात को समुचित व्यय का भुगतान किया जाना चाहिये । सही अनुपात उस समय नियत किया जायेगा जब ऐसा जल छोड़ने हेतु उपलब्ध होगा ।

बांसवाड़ा बांध

माही के पार राजस्थान में स्थित बांसवाड़ा बांध एफ. आर.. एल. 921-00 तक बनाया जायेगा । बांध की कुल लागत में से एक भाग विद्युत के लिये जो राजस्थान इस जलाशय के जल से पैदा करेगा, विभक्त किया जायेगा । यह रुपये 1250 प्रति कि. वा. धन. विद्युत की दर से होगा । यदि बांध की कुल लागत रुपये 14 करोड़ से आगे बढ़ जाती है तो ऊपर लगाई गई प्रति कि. वा. आवंटित लागत भी उसी अनुपात में बढ़ जायेगी ।

3. एफ. आर. एल. 915-00 के लिए बांध के व्यय को गुजरात तथा राजस्थान के बीच में 40:9 के अनुपात में बांट दिया जाना चाहिये क्योंकि वाष्पीकरण की हानियों को सम्मिलित करते हुए सिंचाई के लिए जल का उपयोग गुजरात में 40 टी. एम. सी. है तथा राजस्थान में 9 टी. एम. सी. है ।

4. बांध को एफ. आर. एल. 921-00 तक बनाने से 7 टी. एम. सी. का अतिरिक्त भण्डारण होगा जो विद्युत उत्पादन जारी रखने को सुनिश्चित करने हेतु सूखे के वर्षों में उपयोगी होगा । इस दृष्टि से राजस्थान एफ. आर. एल. 921-00 तथा एफ. आर. एल. 915-00 के बीच बांध बनाने की लागत का अन्तर वहन करने को सहमत हुआ है ।

5. आगे चलकर, जब नर्मदा विकास कार्य प्रारम्भ हो तथा माही क्षेत्र में नर्मदा का जल आये और बांसवाड़ा में माही का जल

राजस्थान में उपयोग के लिये होता जाय, राजस्थान व गुजरात द्वारा बांसवाड़ा परियोजना पर किये गये व्यय को प्रतिपूर्ति करनी चाहिये ।

ह.
(नाथराम मिर्धा)
कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि, राजस्थान, जयपुर

ह.
(विजयकुमार त्रिवेदी)
सार्वजनिक निर्माण बन्दरगाह तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री, गुजरात ।

विवाद संख्या 5

भाखड़ा व्यास प्रबन्धक मण्डल द्वारा रावी व व्यास नदियों के पानी के वितरण के सम्बन्ध में ।

सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार ने मई, 1979 में भाखड़ा-व्यास प्रबन्धक मण्डल से अनुरोध किया कि रावी व व्यास नदियों के पानी के बंटवारे के लिए प्रत्येक कंट्रोल बिन्दु पर तीनों राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा व राजस्थान राज्यों की पानी की मात्रा तय करें ।

भाखड़ा व्यास प्रबन्धक मन्डल ने अपनी 84, 85 व 86वीं बैठकों में एक फारमुलेशन बनाया, जिसके अनुसार राजस्थान को हरिके बैराज पर थीन बांध के पूर्ण होने पर 9.11 एम. ए. एफ. पानी मिलना है । इस फारमुलेशन में कई कमियां थी, लेकिन राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने भाखड़ा-व्यास प्रबन्धक मन्डल द्वारा बनाये हुए फारमुलेशन को मान लिया जब कि पंजाब सरकार ने इस फारमुलेशन को नहीं माना है, और अपने मनमाने तरीके से राजस्थान को हरिके पर पानी देती है । इसके फलस्वरूप राजस्थान को अपने हिस्से के अनुरूप पानी कम मिलता है । भाखड़ा-व्यास प्रबन्धक मण्डल संभाग को अपने निर्णय नहीं मनवा सकी जब कि राजस्थान मानता है कि उसको भाखड़ा व्यास प्रबन्धक मण्डल द्वारा निर्धारित जल अवश्य मिले । चूंकि भाखड़ा-व्यास प्रबन्धक मण्डल में सर्वसम्मत से इस बिन्दू पर निर्णय नहीं हो सका, तदर्थ धारा 3 के अनुभाग में भाखड़ा व्यास प्रबन्धक मण्डल ने यह मामला भारत सरकार को उसके निर्णय हेतु भेज दिया है । भारत सरकार का निर्णय अभी तक अपेक्षित है ।

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 की प्रति

ओर से, प्रेषिति:–

मर्व श्री संदिघा सिन्थेटिक्स लि.,

खनिज अभियन्ता, पोस्ट रिखबदेवा; तहसील खेरवाड़ा,

उदयपुर। जिला उदयपुर।

क्रमांक:–खअ उदय।खामूवि।एस. एम. एफ. 80-81 / 575-576 दिनांक 15-7-80

विषय:–खनन कार्य के लिये खनिज रेती, पत्थर, मिट्टी का कार्य में लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप द्वारा ग्राम रिखबदेव के पास फैक्ट्री का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जिसमें कि खनिज रेती, पत्थर तथा मिट्टी अनधिकृत तौर पर निकाल कर काम में ली जा रही है। अगर आप यह खनिज किसी पार्टी से क्रय कर रहे तो पता इस कार्यालय को तुरन्त लिख कर भिजवायें। इसके साथ-साथ खनिज की तादाद भी लिखें। आपका जवाब अन्दर मियाद 7 दिन में इस कार्यालय को भिजवायें अन्यथा जितना खनिज उपयोग में लिया गया है उसका नाप करके खनिज की कीमत या खनिज की अधिशुल्क की 10 गुणी राशि अप्रधान खनिज रियायती नियम 77 के धारा 48(6) के तहत वसूल की जाने की कार्यवाही की जायेगी।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

हस्ताक्षर,

खनिज अभियन्ता, उदयपुर।

क्रमांक, :– खअ।उदय।खाभूवि। एस. एम. एफ.।80-81 दिनांक.......

प्रतिलिपि श्री प्रतापसिंह कोठारी को भेज कर लेख है कि आप फैक्ट्री में जाकर जितना भवन निर्माण का कार्य हुआ है उसका नाप लेकर आयें जिससे कि वसूली की कार्यवाही की जा सके।

हस्ताक्षर

खनिज अभियन्ता, उदयपुर।

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 10 की सूची

जिला योजना समिति, बून्दी द्वारा अभिशासित विद्यालयों की सूची—

प्राथमिक विद्यालय

1. हरीपुरा
2. रलायता (अनुसूचित जाति क्षेत्र)
3. दलेलपुरा
4. गुढ़ा बरड
5. लखी पुरा
6. बान्दा का तालाब

उच्च प्राथमिक विद्यालय

1. गोठड़ा (कन्या)
2. रायथल, पं. स. तालेडा